SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

संघ सरकार

राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की संख्या 11

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की संख्या 11

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

………………… को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत।

विषय - सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*i*
कार्यकारी सार			*iii*
शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली			*ix*
सीमा शुल्क राजस्व	I	1.1 से 1.15	1
सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश एवं लेखापरीक्षा का विस्तार क्षेत्र	II	2.1 से 2.8	23
कूरियर, सामान एवं ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित डाक वस्तुओं के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	III	3.1 से 3.13	31
विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	IV	4.1 से 4.9	129
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	V	5.1 से 5.9	161
अनुलग्नक			183

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग - सीमा शुल्क तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार के महानिदेशक की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

सरकार ने कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेनदेन संबंधी जानकारी की उपलब्धता के एक व्यापक लक्ष्य के साथ भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने कुछ स्थानों में संव्यवहारों की नमूना जांच के बजाय डेटा की सौ *प्रतिशत* समीक्षा करने का प्रयास किया। पूर्ण डेटा की उपलब्धता संव्यवहारों की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के भौतिक दौरों की आवश्यकता को भी कम करेगा। यद्यपि, चूंकि विभाग ने अखिल भारतीय संव्यवहारों के पूर्ण डेटा प्रदान नहीं किए, इसलिए 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 48 सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा की गई थी ।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो वर्ष 2021-22 की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं किए जा सके।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

सीमा शुल्क, भारत में माल के आयात तथा भारत से बाहर कुछ वस्तुओं के निर्यात पर उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है, और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित होती हैं। वित्त मंत्रालय (एसओएफ) के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। सीमा शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रह तथा सीमा पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा देश भर में 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से शासित किया जाता है।

वि.व.22 के दौरान, 406 सीमा शुल्क पोर्टो (ईडीआई, गैर-ईडीआई, मैनुअल और सेज पोर्टो) के माध्यम से ₹31.47 लाख करोड़ का निर्यात (2.37 करोड़ संव्यवहार) तथा 437 सीमा शुल्क पोर्टो (ईडीआई, गैर-ईडीआई, मैनुअल और सेज पोर्ट) के माध्यम से ₹45.72 लाख करोड़ मूल्य के आयात (1.62 करोड़ संव्यवहार) हुए। जीडीपी अनुपात में सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.85 *प्रतिशत* थी, जबकि सकल कर प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 7.37 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 15.39 *प्रतिशत* थीं।

वि. व. 22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को 251 निरीक्षण रिपोर्टें जारी कीं, जिनमें 2,065 अभ्युक्तियां थीं और कुल राजस्व निहितार्थ ₹9,824 करोड़ था।

इस प्रतिवेदन को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय, राजस्व विभाग एवं वाणिज्य विभाग के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयात एवं निर्यात, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का प्रदर्शन, सीमा शुल्क प्राप्तियों का बकाया तथा विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के बारे में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय जानकारी का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। द्वितीय अध्याय, सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश,

कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। तृतीय अध्याय, 'ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित कूरियर, सामान और डाक वस्तुओं के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाएं' विषय पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

अध्याय I : विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

वि.व.22 के दौरान, सीमा शुल्क प्राप्तियों की वसूली ₹1,99,728 करोड़ थी, जबकि वि.व.21 में ₹1,34,750 करोड़ की वसूली हुई थी। वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियाँ वृद्धि वि.व. 22 में 48 *प्रतिशत* बढ़ी थी और पिछले पाँच वर्षों में सीमा शुल्क प्राप्तियाँ 55 *प्रतिशत* बढ़ी हैं। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों (वि.व.18 से वि.व.22) में सकल घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियाँ 0.76 से बढ़कर 0.85 *प्रतिशत* हो गई हैं। जीटीआर (सकल कर राजस्व) के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियाँ भी 6.72 *प्रतिशत* (वि.व. 18) से बढ़कर 7.37 *प्रतिशत* (वि.व. 22) हो गई हैं।

{पैराग्राफ 1.6.1 और 1.6.2}

वि.व.22 में आयात में 56.82 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 45.76 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7.1 और 1.7.2}

विदेशी मुद्रा अर्जित करने और बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग पैटर्न और सामाजिक जीवन में बदलाव के मामले में स्थानीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल किया है। वि.व. 22 में एसईजेड से निर्यात (₹9.91 लाख करोड़) में वि.व.18 में किए गए निर्यात की तुलना में कुल 71 *प्रतिशत* (₹5.81 लाख करोड़) की वृद्धि हुई। वि.व.22 में निर्यात वृद्धि *प्रतिशत* वि.व. 21 की तुलना में 30 *प्रतिशत* बढ़कर ₹9.91 लाख करोड़ हो गया।

{पैराग्राफ 1.9.2}

वि.व.22 के दौरान एसईजेड में कुल ₹6.50 लाख करोड़ का निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 26.96 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व.22 में निवेश में वि.व.18 में किए गए ₹4.92 लाख करोड़ के निवेश की

तुलना में 32 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, सृजित रोजगार में 35 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

मार्च 2022 तक लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया (₹51,784 करोड़ रुपये) मार्च 2021 तक लंबित (₹42,601 करोड़ रुपये) की तुलना में 22 *प्रतिशत* बढ़ गया था। वि.व.18 की तुलना में सीमा शुल्क की कुल बकाया राशि वि.व.22 में 60 *प्रतिशत* बढ़ी है। अविवादित बकाया राशि के आयु विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹9,867 करोड़ रुपये में से ₹2,200 करोड़ रुपये (22.30 *प्रतिशत*) पांच साल से अधिक समय से अप्राप्य पड़े थे।

{पैराग्राफ 1.11.3 और 1.11.8}

दिनांक 31 मार्च 2022 तक 20 ज़ोन में 11,322 डिफॉल्टर थे, जिन पर ₹5,960 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क बकाया था। बकाया राशि के लंबित रहने और धीमी वसूली के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर रिक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 1.11.9}

अध्याय II: सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश तथा लेखापरीक्षा का विस्तार क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में, वि.व.22 के दौरान देखे गए ₹831 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 119 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है। शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय ने जारी 119 मामलों में से 80 में प्रतिउत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त, 38 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों से प्रतिउत्तर प्राप्त हुए थे। मंत्रालयों/विभागों ने 118 पैराग्राफ स्वीकार किए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में ₹76 करोड़ के राशि मूल्य को सम्मिलित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 83 मामलों में ₹69 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III: 'कूरियर, सामान एवं ई-कॉमर्स माल सहित डाक वस्तुओं के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

निम्नलिखित विषयों के संबंध में तीव्रतर स्वीकृति के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की गई थी:

- अंतर्राष्ट्रीय कूरियर माल
- अनएक्म्पनीड सामान सहित सामान
- ई-कॉमर्स माल सहित डाक वस्तुएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीव्र तथा उचित निर्धारण के लिए आवश्यक उपकरण जैसे एक्स-रे स्कैनर, कैरेट मीटर आदि या तो सीमित कार्यक्षमताओं के साथ मौजूद थे या उस संख्या में थे जो संचालन भार की मात्रा के अनुपातिक नहीं थे या उपयोग में नहीं लाए गए थे। कुछ मामलों में ये उपकरण मौजूद नहीं थे।
- मुंबई और अहमदाबाद में एक्स-रे मशीनें पुरानी थीं (वर्ष 2009-2011) और स्कैनिंग और इमेज मूवमेंट में धीमी थीं और इमेज या छिपे हुए माल के विशिष्ट आकार और प्रकृति के आधार पर अलर्ट भेजने में सक्षम नहीं थीं, इसके अलावा भारी उपयोग के कारण उन्हें बंद करना पड़ता था।
- कैरेट मीटर केवल दो इकाइयों (अहमदाबाद और कोलकाता विमानपत्तनों) में उपलब्ध थे। ड्रग डिटेक्शन किट केवल तीन इकाइयों (मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर) में उपलब्ध थीं। डॉग स्क्वॉड केवल चार इकाइयों (मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और कोच्चि) में उपलब्ध थे। ये अपर्याप्तता कूरियर टर्मिनलों को अवैध माल की तस्करी के लिए असुरक्षित बना रही है।
- श्रमबल की कमी, स्थान की कमी, जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत तंत्र का अभाव पोर्टो को अवैध यातायात और विलंबित स्वीकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है।

- विभाग अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अपूर्ण सामान घोषणा फॉर्म (बीडीएफ) स्वीकार कर रहा था, जिसमें अनिवार्य जानकारी जैसे कि यात्रा किया गया देश, जिस देश से आ रहे हैं, विदेश में ठहरने की अवधि, सामान की संख्या आदि का न तो सामान रसीद के साथ संलग्न बीडीएफ में उल्लेख किया गया था और न ही सामान के प्रकार दर्ज किए गए थे।
- डिजिटल एप्लिकेशन "ATITHI@IndianCustoms" का उपयोग कम था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शुल्क भुगतान विकल्प न होने की इसकी सीमा के कारण।
- डाक निर्यात के मामलों में, आरबीआई को वाणिज्यिक निर्यात रिपोर्टिंग तंत्र की अनुपस्थिति के कारण विदेशी मुद्रा प्राप्ति को निर्यात आय की प्राप्ति और बाद में वसूली के लिए कार्रवाई के लिए आरबीआई की निगरानी के दायरे से बाहर रखा गया, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और निर्यात लाभ (प्रतिअदायगी आदि) का खर्च प्रभावित हुआ।
- सीसीएसआईए-लखनऊ, एसजीआरडीजेआईए-अमृतसर में वर्ष 2019 से 22 के दौरान इन्वेंट्री तैयार न करने और गोदामों में जब्त माल जमा करने में देरी जैसे अनुचित देरी के उदाहरण थे। देरी की रेंज 5 से 528 दिनों तक है। जब्त किए गए सामान में अन्य बातों के अलावा सोना और उससे बनी वस्तुएं-110.85 किलोग्राम और आईफोन, हथियार, गोला-बारूद, लैपटॉप और अन्य सामान शामिल हैं। एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी और गैर-निकासी/अदावा/जब्त/सामान के उचित प्रबंधन के लिए निगरानी अपर्याप्त थी।
- ईडीआई मॉड्यूल और एफपीओ में सभी शुल्क योग्य और गैर-शुल्क योग्य वस्तुओं के डेटा रखरखाव के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के मानकीकरण, किए गए आकलन के ट्रेल, के अभाव में , लेखापरीक्षा यह आश्वासन देने में असहाय है कि एफपीओ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

(i) मंत्रालय मौजूदा एक्स-रे मशीनों/स्कैनरों की आवश्यकताओं और रखरखाव की समीक्षा कर सकता है और सभी कूरियर टर्मिनलों/विमानपत्तनों/यूबी टर्मिनलों/ विदेशी डाक कार्यालयों में इन अवसंरचनाओं को बनाते समय परिकल्पित

प्रभावी, त्वरित और सटीक आकलन के लिए तकनीकी रूप से उन्नत मशीनें स्थापित कर सकता है।

(ii) प्रभावी सीमा शुल्क सेवाओं/आकलन और व्यापार और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कूरियर टर्मिनलों/ विमानपत्तनों /यूबी टर्मिनलों/विदेशी डाक कार्यालयों में समान रूप से पालन किए जाने के लिए नीति स्तर पर उपकरण, स्थान मानदंड, जनशक्ति, प्रशिक्षण मानदंडों की आवश्यकताओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता थी। त्वरित निर्धारण की दिशा में अतिरिक्त स्थान की उपलब्धता के लिए लंबित निकासी की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(iii) सत्यापन नियंत्रण और ड्वैल समय की समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कूरियर माल की तेजी से निकासी सुनिश्चित हो सके। उपयोगकर्ता स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित भूमिकाओं के साथ लेखापरीक्षा और निगरानी मॉड्यूल की शुरूआत करके आंतरिक नियंत्रण उपायों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

(iv) डेटा सटीकता और उच्च प्रबंधन को सही रिपोर्टिंग के लिए ईबीआर मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग और मॉड्यूल में सभी मैनुअल बीआर को अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। डिजिटल ऐप "ATITHI@Indian Customs" की कार्यक्षमताओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। अग्रिम घोषणाओं के लिए और डिजिटल भुगतान कार्यक्षमता हेतु बैंकिंग प्रणाली के साथ डिजिटल ऐप "ATITHI@Indian Customs" को सीमा शुल्क निकासी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

(v) सामान के मूल्य के संबंध में सामान के आकलन से संबंधित दस्तावेज, विदेश में रहने की अवधि के आधार पर शुल्क लाभ का दावा करने के लिए पासपोर्ट की प्रति, सामान के आकलन में निगरानी और लेखापरीक्षा ट्रेल्स के लिए ईबीआर मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी चाहिए।

(vi) मंत्रालय एफपीओ में सीमा शुल्क व्यवसाय के प्रसंस्करण के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के विस्तार के साथ-साथ डाक आयात के लिए सीमा

शुल्क प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करने के लिए डाक आयात विनियम तैयार करने पर विचार कर सकता है। व्यक्तिगत वस्तुओं के निर्यात की प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 का विस्तार किया जा सकता है। आयात और निर्यात के लिए एसओपी को सुव्यवस्थित कर और सभी हितधारकों के लाभ के लिए आईसीएएन-लाइट टेम्पलेट को कार्यात्मक बनाया जा सकता है।

(vii) मंत्रालय निर्धारित सीमा शुल्क नियमों और अधिसूचना प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने आईटी प्लेटफार्मों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करके सीमा शुल्क की कम/गैर-उगाही के मुद्दे को संबोधित कर सकता है।

(viii) दावा न किए गए/अनिकासित/ कब्ज़ा किए गए/जब्ती किए गए माल की निगरानी, लेखांकन के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने वाला एक अलग डिजिटल मॉड्यूल, प्रभावी निगरानी और इस चिरस्थायी समस्या के समाधान के लिए एकल स्रोत के रूप में सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के साथ एकीकृत होना आवश्यक है।

(ix) दावा न किए गए/अनिकासित माल पर तेजी से कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय सीमा की आवश्यकता है, जहां विभाग स्वयं संरक्षक है। एफपीओ और आईसीटी में व्यक्तिगत उपहारों की लंबितता में वृद्धि (संभवतः आयात शुल्क में वृद्धि के कारण) की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि गतिरोध को कम किया जा सके।

(x) उपयोगकर्ता विभागों के बीच मौजूदा समन्वय तंत्र की समीक्षा और विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी की जाने वाली एक मजबूत इंटरैक्टिव प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

(xi) निर्धारण और रिपोर्टों में विसंगतियों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी), अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईए) टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों (एफपीओ) में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों का नियमित अंतराल पर आंतरिक ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा लंबित पड़े अनिकासित माल की समस्या से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.12.8)

अध्याय IV: विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

20 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा में निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के संबंध में विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को देखा। निर्यातकों/आयातकों से प्राप्त होने वाले कुल ₹773 करोड़ के राजस्व में से, एक मामले में, आईसीईएस 1.5 में उचित सत्यापन नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप गैर-हकदार निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों को अनियमित आईजीएसटी रिफंड हुआ, जिससे ₹736 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

{पैराग्राफ 4.3 और 4.3.10}

अध्याय V: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अनुपालत न किए गए मामलों को मुख्य तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयात का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 5.6.1 से 5.6. 5)**
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 5.7.1 से 5.7.7)**
- अन्य अनियमितताएं **(पैराग्राफ 5.8 से 5.8.1)**

लेखापरीक्षा ने आयातित माल के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग और लागू उद्ग्रहण एवं अन्य शुल्कों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 88 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹46 करोड़ का राजस्व जोखिम में था।

{पैराग्राफ 5.6 से 5.8}

शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
एए	अग्रिम प्राधिकार
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीडी	एंटी-डंपिंग शुल्क
एडीजीएफटी	अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
एओ	निर्धारण अधिकारी
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीई	बजट अनुमान
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीसेज	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	विकास आयुक्त
डीसी	सीमा शुल्क उपायुक्त
डीजीएफटी	महानिदेशालय विदेश व्यापार
डीजीओवी	महानिदेशालय मूल्यांकन
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईबीआर	इलेक्ट्रॉनिक सामान रसीद
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
ईसीसीएस	एक्सप्रेस कार्गो निकासी प्रणाली
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज

शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र
ईओयू	निर्यात उन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएं
एग्जिम	निर्यात और आयात
फ़ेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीओ	विदेशी डाकघर
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर अधिनियम	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	प्रक्रियाओं की हैंड बुक
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आइसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम
आईसीटी	अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
कासेज	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
लियो	निर्यात आदेश
एलओपी	अनुमति पत्र
एमईआईएस	भारत से वस्तु निर्यात योजना
एमओसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन

शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तृत रूप
एमटीआर	मासिक तकनीकी प्रतिवेदन
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एनसेज	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीएनसी	पूर्व सूचना परामर्श
प्र.सीसीए	प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरसी	वसूली प्रकोष्ठ
आरई	संशोधित अनुमान
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएडी	सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
सीप्ज़	सांताक्रूस इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात योजना
सेज	विशेष आर्थिक क्षेत्र
यूबी	अनएक्म्पनीड सामान
वीएसईज़ेड	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष

अध्याय I

सीमा शुल्क राजस्व

1.1 सीमा शुल्क का स्वरूप

1.1.1 भारत में माल के आयात तथा भारत से बाहर कुछ वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क उदग्रहीत किया जाता है, और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित होती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के साथ जारी आयातक और निर्यातक सम्मिलित हैं। मार्च 2022 तक, प्रत्येक आयातक को डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा 17,19,029 सक्रिय आईईसी जारी किए गए थे। वि.व.22 के दौरान, 406 सीमा शुल्क पोर्टो (ईडीआई, गैर-ईडीआई, मैनुअल और सेज पोर्ट) के माध्यम से ₹31.47 लाख करोड़ (2.37 करोड़ संव्यवहार- 1 अप्रैल 21 से दिसंबर 21 तक) का निर्यात और 437 सीमा शुल्क पोर्टो (ईडीआई, गैर-ईडीआई, मैनुअल और सेज पोर्ट) के माध्यम से ₹45.72 लाख करोड़ मूल्य के आयात (1. 93 करोड़ संव्यवहार - 1 अप्रैल 21 से दिसंबर 21 तक) हुए।

1.3 प्रशासनिक विभागों की संरचना एवं कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर) भारत सरकार का शीर्ष विभाग है, जो दो वैधानिक बोर्डों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, अर्थात् केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)।

1.3.2 सीमा शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, आयात पर आईजीएसटी और सीमा पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा देश भर में मुख्य आयुक्तों की अध्यक्षता में 11 ज़ोनो के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

देश भर में फैले सीमा शुल्क आयुक्तालयों के साथ सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) और नौ संयुक्त माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ज़ोनो के 11 ज़ोन हैं। इन ज़ोनो की अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त करते हैं। विशेष रूप से सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक), सीमा शुल्क (अपील) और सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) के 70 आयुक्तालय हैं।

1.3.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी), डीजीएफटी के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को लागू और उसकी निगरानी करता है, जो निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और रणनीति का मूल ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, तथा कुछ निर्यात उन्मुख उद्योगों और वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

1.3.4 एफ़टीपी को क्षेत्रीय प्राधिकारणों (आरए) के माध्यम से लागू किया जाता है जो आईईसी प्रदान करने और निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी हैं। वि.व.22 के दौरान, संपूर्ण भारत में 25 आरए थे। हालांकि, ऐसे लाइसेंसों का निष्पादन/कार्यान्वयन सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता है।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियां में, मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त शुल्क[1] और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) सम्मिलित थे। फरवरी 2018[2] से शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं

---

[1] सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(1) के अंतर्गत उदग्रहीत अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय करों और अन्य शुल्कों के बराबर होता है, जिसे आमतौर पर प्रतिकारी शुल्क के रूप में जाना जाता है।

[2] एसडब्ल्यूएस वित्त विधेयक (अधिनियम), 2018 के खंड 108 के तहत माल के आयात पर उदग्रहीत एक अतिरिक्त शुल्क है।

उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर सभी आयात सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) के अधीन हैं। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, एंटी-डंपिग शुल्क (एडीडी) एवं सुरक्षा शुल्क (एसडी) लगाया जा सकता है।

1.4.2 जीएसटी लागू होने के बाद दिनांक 1 जुलाई 2017 से, पेट्रोलियम उत्पादों और मानव उपभोग के लिए मादक पेय को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी एवं एसएडी, को एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तंबाकू उत्पाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आईजीएसटी दोनों के अधीन हैं। आईजीएसटी लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है। इसके अलावा, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कुछ विलासिता और दोषपूर्ण वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है। शिक्षा उपकर के साथ-साथ एडीडी तथा सुरक्षा शुल्क की वसूली अपरिवर्तित रहती है।

1.5 बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 केंद्र सरकार का प्राप्ति बजट सरकार के कर एवं कर से इतर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। वास्तविक प्राप्तियों के साथ बजट अनुमानों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक अनुमान या तो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण या अवास्तविक मान्यताओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

1.5.2 वि.व.18 से वि.व.22 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे **तालिका 1.1** में दी गई हैं:

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वित्त वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्ति ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बीई के मध्य अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बीई के मध्य *प्रतिशत* भिन्नता	वास्तविक एवं आरई के मध्य अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं आरई के मध्य *प्रतिशत* भिन्नता
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-)1,15,970	(-)47.33	(-)6,212	(-)4.59
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)12,225	(-)9.40
वि.व.20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57
वि.व.21	1,38,000	1,12,000	1,34,750	(-)3,250	(-)2.36	(+)22,750	(+)20.31
वि.व.22	1,36,000	1,89,000	1,99,728	(+)63,728	(+)46.86	(+)10,728	(+)5.68

स्रोत: *संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट एवं वित्त लेखा तथा वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी) पत्र संख्या 307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 05.06.2023*

1.5.3 वि.व. 18 से वि.व. 22 के दौरान संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता (-)12.57 *प्रतिशत* से 20.31 *प्रतिशत* की सीमा में थी। बजट अनुमान तथा वास्तविक के मध्य भिन्नता इसी अवधि के दौरान (-)47.33 *प्रतिशत* से 46.86 *प्रतिशत* की सीमा में थी।

1.5.4 वि.व. 21 के दौरान वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां अपने बजट अनुमान की तुलना में (-)2.36 *प्रतिशत* (₹3,250 करोड़) कम रहीं, जबकि वि.व. 22 के दौरान वे अपने बजट अनुमान की तुलना में (+)46.86 *प्रतिशत* (₹63,728 करोड़) अधिक रहीं। वि.व. 22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां आर्थिक पुनरुद्धार के कारण संशोधित अनुमान से अधिक हो गई हैं, जिसने वि.व. 22 की दूसरी छमाही के दौरान कोविड महामारी के प्रभाव और वि.व. 22 की पहली छमाही के दौरान प्रचलित व्यापक आर्थिक स्थितियों के बाद अपनी सामान्य गति पकड़ी है।

संशोधित अनुमान /बजट अनुमान में भिन्नता के लिए, राजस्व विभाग, ने बताया (मार्च 2022), कि सीमा शुल्क अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक कारकों जैसे कर नीति, कर दरों एवं कर आधार के साथ जीडीपी वृद्धि, आयात मात्रा, भारतीय रूपये (आईएनआर) के प्रति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर, वैश्विक आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। बजट अनुमान वर्ष 2021-22 के लिए सीमा शुल्क लक्ष्य फरवरी 2022 में बजट प्रस्तुत करते समय मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों और पिछले के राजस्व रुझानों, अनुमानित कर उछाल एवं विकास पर महामारी के कारण पड़ने वाले प्रभावों पर आधारित विभिन्न मान्यताओं के अंतर्गत निर्धारित किया गया था।

राजस्व विभाग ने वि.व. 22 के दौरान संशोधित अनुमान की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि का श्रेय इस तथ्य को भी दिया कि विभाग नियमित रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर सीमा शुल्क दर संरचना को समायोजित करके मानवीयक्षेप करता है। बजट की प्रस्तुति के बाद, शुल्क संरचना में उलटफेर को दूर करने के लिए सीमा शुल्क संरचना में परिवर्तन किए गए थे।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 निम्न **तालिका 1.2** वि.व.18 से वि.व. 22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) प्राप्तियों तथा सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की सापेक्ष वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्ति ₹ करोड में	वर्ष दर वर्ष वृद्धि *प्रतिशत*	जीडीपी ₹ करोड़ में	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	जीटीआर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष करों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,70,90,042	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व.19	1,17,813	(-)09	1,88,99,668	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97
वि.व.20	1,09,283	(-)07	2,01,03,593	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72
वि.व.21	1,34,750	23	1,98,54,096	0.68	20,27,102	6.65	10,76,891	12.51
वि.व.22	1,99,728	48	2,35,97,399	0.85	27,09,315	7.37	12,97,797	15.39

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट एवं वित्त लेखा, जीडीपी के आंकड़े संबंधित वर्षों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रेस नोट से अनंतिम हैं।

1.6.2 वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि वि.व. 22 में 48 *प्रतिशत* वृद्धि हुई थी और पिछले पांच वर्षों में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 55 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई । इ [illegible] छले पांच वर्षों (वि.व.18 से वि.व 22) में सकल घरेलू उत्पाद [illegible] प में सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.76 से बढ़कर 0.85 *प्रतिशत* हो [illegible] आर (सकल कर राजस्व) के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी 6.72 *प्रतिशत* (वि.व 18) से बढ़कर 7.37 *प्रतिशत* (वि.व 22) हो गई थीं।

जीएसटी (जुलाई 2017) की शुरूआत के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर आयात पर सीवीडी एवं एसएडी को सम्मिलित किया गया है तथा आईजीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आईजीएसटी को एक अलग लेखा शीर्ष (मुख्य शीर्ष 0008) के अंतर्गत संग्रहित किया जा रहा है। हालांकि, वि.व. 21 (23 *प्रतिशत*) की तुलना में वि.व. 22 (48 *प्रतिशत*) के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि दर दोगुनी हो गई थी। यह मुख्य रूप से आर्थिक पुनरुद्धार के कारण था, जिसने कोविड महामारी प्रभाव तथा प्रचलित व्यापक-आर्थिक स्थितियों से वि.व. 22 की पहली छमाही के बाद अपनी सामान्य गति पकड़ी।

1.6.3 वि.व. 22 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद में सीमा शुल्क प्राप्तियों का *प्रतिशत* वि.व. 21 में 0.68 *प्रतिशत* की तुलना में बढ़कर 0.85 *प्रतिशत* हो गया था। वि.व. 21 में 6.65 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 22 में जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 7.37 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। वि.व. 18 से वि.व. 20 के दौरान जीडीपी / जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* में कमी मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि जीएसटी की शुरूआत के बाद, जीएसटी को एक अलग लेखा शीर्ष (मुख्य शीर्ष 0008) के अंतर्गत संग्रहित किया जा रहा है।

1.6.4 वि.व. 22 के दौरान, जीडीपी अनुपात में सीमा शुल्क प्राप्तियां एक *प्रतिशत* (0.85 *प्रतिशत*) से कम थीं जबकि जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 7.37 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 15.39 *प्रतिशत* थीं।

1.7 भारत का आयात एवं निर्यात

1.7.1 **तालिका 1.3** वि.व. 18 से वि.व. 22 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: भारत का आयात एवं निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्यात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949
वि.व.20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100
वि.व.21	29,15,958	(-)13.24	21,59,043	(-)2.74	(-)7,56,915
वि.व.**22**	45,72,771	56.82	31,47,021	45.76	(-)14,25,750

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.7.2 वि.व. 21 में ₹21,59,043 करोड़ की तुलना में वि.व. 22 में, भारत का कुल निर्यात 45.76 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹31,47,021 करोड़ था। वि.व. 21 में ₹29,15,958 करोड़ की तुलना में वि.व. 22 में, भारत का समग्र आयात मूल्य ₹45,72,771 करोड़ था, जबकि इसमें भी 56.82 *प्रतिशत* की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

वि.व. 18 के दौरान आयात की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 16.44 *प्रतिशत* से बढ़कर 56.82 *प्रतिशत* हो गई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 18 में 5.62 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 22 में 45.76 *प्रतिशत* हो गई। वि.व. 21 की तुलना में वि.व. 22 में आयात में 56.82 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 45.76 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। हालांकि, वि.व. 22 के दौरान समग्र व्यापार के लिए व्यापार संतुलन पिछले चार वर्षों (वि.व. 18 से 21) की तुलना में और अधिक खराब हो गया है। यह मुख्य रूप से आर्थिक पुनरुद्धार के कारण था, जिसने कोविड महामारी के प्रभाव की दूसरी लहर तथा मौजूदा व्यापक-आर्थिक स्थितियों के बाद वि.व. 22 की पहली छमाही के दौरान अपनी सामान्य गति को पकडा।

1.7.3 शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 18 से वि.व. 22) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया थे। इनमें से, सभी 10 व्यापारिक भागीदारों से वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 22 में आयात की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

वि.व.21 की तुलना में वि.व.22 की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संदर्भ में, 10 देशों के शीर्ष से आयात में वृद्धि हुई है। शीर्ष 10 देशों से आयातित उपयोगी वस्तु समूह पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला कोक और ब्रिकिट, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दूरसंचार उपकरण, वनस्पति तेल, कार्बनिक रसायन तथा कंप्यूटर हार्डवेयर आदि थे।

इनमें से, वि.व. 21 में निर्यात की तुलना में वि.व. 22 में शीर्ष 10 देशों में निर्यात में वृद्धि हुई है। शीर्ष 10 भागीदारों के साथ मध्यम से महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि हुई।

वि.व. 22 के दौरान अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत का व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन का 81 *प्रतिशत* {(-) ₹14,25,749 करोड़} था। वि.व. 22 के दौरान शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात एवं निर्यात का विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: वि.व. 22 के लिए भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार

	वि.व. 22	मूल्य: ₹ करोड़ में			
रैंक	**देश**	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**	**व्यापार शेष**
1	यू एस ए	5,67,961	3,23,033	8,90,994	2,44,928
2	चीन	1,58,215	7,05,123	8,63,339	-5,46,908
3	यूएई	2,09,158	3,34,470	5,43,628	-1,25,312
4	सऊदी अरब	65,310	2,54,678	3,19,988	-1,89,368
5	इराक	17,970	2,38,418	2,56,388	-2,20,448
6	सिंगापुर	83,013	1,41,574	2,24,587	-58,561
7	हांगकांग	81,835	1,42,401	2,24,235	-60,566
8	इंडोनेशिया	63,197	1,32,049	1,95,246	-68,853
9	कोरिया	60,350	1,30,299	1,90,649	-69,950
10	ऑस्ट्रेलिया	61,841	1,25,030	1,86,871	-63,189
शीर्ष 10 देशों का कुल योग		**13,68,849**	**25,27,074**	**38,95,924**	**-11,58,225**
भारत का योग		**31,47,021**	**45,72,771**	**77,19,655**	**-14,25,749**
शीर्ष 10 देशों का % भाग		***43.50***	***55.26***	***50.47***	***81.24***

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (वि.व. 22 में ₹2,44,928 करोड़) के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार लाभ (अधिशेष) किया, जबकि अपने सभी अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार घाटा हुआ जिसमे चीन के साथ सबसे ज्यादा {(-) ₹5,46,908 करोड़ है वि.व. 22 में} घाटा हुआ।

वि.व. 21 और 22 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात की अवधि के दौरान किए गए कुल आयात का लगभग आधा था **(तालिका 1.5)**।

तालिका 1.5: वि.व. 21 की तुलना में वि.व. 22 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात

क्र. सं.	**नाम**	**वि.व. 21**	**वि.व.21 कुल आयात से % हिस्सा**	**वि.व. 22**	**वि.व.22 कुल आयात से % हिस्सा**	**वि.व.21 से वि.व.22 में % वृद्धि**
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	2,13,725	7.33	3,23,033	7.06	51.14
2	चीन	4,82,496	16.55	7,05,123	15.42	46.14
3	यूएई	1,96,351	6.73	3,34,470	7.31	70.34
4	सऊदी अरब	1,19,759	4.11	2,54,678	5.57	112.66

क्र. सं.	नाम	वि.व. 21	वि.व.21 कुल आयात से % हिस्सा	वि.व. 22	वि.व.22 कुल आयात से % हिस्सा	वि.व.21 से वि.व.22 में % वृद्धि
5	इराक	1,05,655	3.62	2,38,418	5.21	125.66
6	सिंगापुर	98,220	3.37	1,41,574	3.10	44.14
7	हांगकांग	1,12,218	3.85	1,42,400	3.11	26.90
8	इंडोनेशिया	92,325	3.17	1,32,049	2.89	43.03
9	कोरिया	94,476	3.24	1,30,299	2.85	37.92
10	ऑस्ट्रेलिया	60,971	2.09	1,25,030	2.73	105.07
	उप योग	**15,76,196**		**25,27,074**		
प्रतिशत			***54.05***		***55.26***	***60.33***
भारत का कुल आयात		**29,15,958**	**100**	**45,72,771**	**100**	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 22 के दौरान दस प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात में वि.व. 21 के दौरान किए गए आयात की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई थी। 126 *प्रतिशत* की प्रमुख महत्वपूर्ण वृद्धि वि.व. 22 के दौरान इराक से आयात में थी। इसी अवधि के दौरान अन्य नौ प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात में मामूली से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

1.8 वि.व. 22 के दौरान आयात एवं निर्यात में शीर्ष पांच उपयोगी वस्तु समूहों का हिस्सा

1.8.1 वि.व. 22 के दौरान, वस्तु 'खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद' के लिए ₹14,54,623 करोड़ का उच्चतम आयात दर्ज किया गया था, जो भारत के कुल आयात में 32 *प्रतिशत* का सबसे बड़ा हिस्सा है। *प्रतिशत* शेयर के साथ वि.व. 22 के दौरान आयात की शीर्ष पांच प्रमुख उपयोगी वस्तुएं, (i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)-32 *प्रतिशत*, (ii) प्राकृतिक या परिशोधित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, सोने एवं उसकी सामग्री (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)-13 *प्रतिशत*, (iii) विद्युत मशीनरी एवं उपकरण तथा पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)-10 *प्रतिशत*, (iv) मशीनरी एंव उपकरण तथा पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84)- 8 *प्रतिशत* और (v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)- 5 *प्रतिशत* हैं।

वि.व.22 के दौरान किए गए भारत के कुल आयात का 68 *प्रतिशत* हिस्सा इन उपयोगी वस्तु समूहों का था, जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: वि.व. 22 के दौरान आयात में शीर्ष पांच उपयोगी वस्तु समूहों का हिस्सा

क्र. सं.	उपयोगी वस्तु का नाम	आयात मूल्य (₹ करोड में)	कुल आयात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय-27)	14,54,623	32
2	प्राकृतिक या परिशोधित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कीमती धातु और उसकी सामग्री; नकली आभूषण; सिक्का। (अध्याय-71)	6,08,876	13
3	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण और उसके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि एवं ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, तथा पुर्जे। (अध्याय-85)	4,66,316	10
4	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उसके भाग। (अध्याय-84)	3,77,114	8
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय-29)	2,12,615	5
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 85, 84, 29 को छोड़कर)	14,53,227	32
	कुल	**45,72,771**	**100**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.8.2 वि.व. 22 के दौरान, ₹5,19,517 करोड़ का उच्चतम निर्यात 'खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद' में भी दर्ज किया गया था, जो भारत के कुल निर्यात में 17 *प्रतिशत* का सबसे बड़ा हिस्सा है। *प्रतिशत* शेयर के साथ वि.व. 22 के दौरान निर्यात की शीर्ष पांच प्रमुख वस्तुएं, (i) खनिज ईंधन और उनके आसवन के उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)-17 *प्रतिशत*, (ii) प्राकृतिक या परिशोधित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, सोने और उसकी सामग्री (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)- 9 *प्रतिशत*, (iii) मशीनरी एवं उपकरण तथा उसके हिस्से (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) -6 *प्रतिशत*, (iv) लोहा एवं इस्पात (अध्याय -72 सीमा शुल्क टैरिफ का)- 5 *प्रतिशत* और (v) कार्बनिक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) -5 *प्रतिशत* उनके संबंधित क्रम में हैं।

वि.व. 22 के दौरान निर्यात में पांच प्रमुख उपयोगी वस्तु समूहों का हिस्सा भारत के कुल निर्यात का 42 *प्रतिशत* था जैसा कि नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: वि.व.22 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच उपयोगी वस्तु समूहों का हिस्सा

क्र. सं.	वस्तु का नाम	निर्यात मूल्य (₹ करोड में)	कुल निर्यात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय-27)	5,19,517	17
2	प्राकृतिक या परिशोधित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कीमती धातु और उसकी सामग्री; नकली आभूषण; सिक्का। (अध्याय-71)	2,92,745	9
3	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उसके भाग। (अध्याय-84)	1,89,497	6
4	लोहा एवं इस्पात (अध्याय-72)	1,70,591	5
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय-29)	1,64,348	5
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 84, 72, 29 को छोड़कर)	18,10,323	58
	कुल	**31,47,021**	**100**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यप्रदर्शन

1.9.1 सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम, 2005, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एक ही स्थान पर (सिंगल विंडो) स्वीकृति का प्रावधान है। सेज अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा माल के निर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूज़ेड) के रूप में संयुक्त रूप से या अलग-अलग सेज की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर सेज के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा विचार किया जाता है।

सेज अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन

- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास

फरवरी 2006 में सेज नियमों की अधिसूचना के बाद, दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक, वाणिज्य विभाग ने सेज स्थापित करने के लिए 424 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए थे, जिनमें से 375 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 268 सेज चालू थे **(अनुलग्नक 1)** अर्थात कुल अनुमोदित सेज का 63 *प्रतिशत।*

1.9.2 सेज योजना ने भारत एवं विदेशों दोनों में निवेशकों के मध्य जबरदस्त प्रतिक्रिया सृजित की है, जो देश में निवेश के प्रवाह और अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, सेज ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, खपत पैटर्न में परिवर्तन तथा सामाजिक जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव प्राप्त किया है। वि.व. 18 से वि.व. 22 की अवधि के लिए सेज प्रदर्शन के तीन मानदंड (i) निर्यात प्रदर्शन, (ii) निवेश, तथा (iii) रोजगार नीचे **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

तालिका 1.8: सेज का प्रदर्शन

	वि.व.18	वि.व.19	वि.व.20	वि.व.21	वि.व.22
निर्यात प्रदर्शन (₹ करोड में)	5,81,033 (11%)*	7,01,179 (21%)*	7,96,669 (14%)	7,59,524 (-4.66%)	9,90,747 (30%)*
निवेश (₹ करोड में)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)	5,71,735 (13%)	6,17,499 (8%)	6,49,705 (5%)*
रोजगार (वैयक्तिक रूप से)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)	22,38,305 (8%)	23,58,136 (5%)	26,96,180 (14%)*

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*ब्रैकेट के आंकड़े वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाते हैं

सेज से निर्यात, जो वि.व. 22 में ₹9.91 लाख करोड़ था, में वि.व.18 में किए गए निर्यात की तुलना में 71 *प्रतिशत* (₹5.81 लाख करोड़) की समग्र वृद्धि हुई थी। वि.व. 21 की तुलना में वि.व. 22 में निर्यात वृद्धि *प्रतिशत* बढ़कर 30 *प्रतिशत* हो गई, जिसमें ₹9.91 लाख करोड़ का निर्यात हुआ। निर्यात में वर्ष दर

वर्ष वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में वि.व. 18 में 11 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 22 में 30 *प्रतिशत* हो गई थी **(तालिका 1.8, और अनुलग्नक 1)**। वि.व. 21 में कोरोना महामारी के प्रभाव में कमी आने के बाद वि.व. 22 में निर्यात वृद्धि में बढ़ती प्रवृत्ति देखने को मिली।

1.9.3 वि.व. 22 के दौरान सेज में कुल ₹6.49 लाख करोड़ का निवेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 26.96 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 18 में किए गए ₹4.92 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 22 में निवेश में 32 *प्रतिशत* की वृद्धिशील बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान, सृजित रोजगार में 35 **(तालिका 1.8)** *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.10 वि.व. 21 तथा वि.व. 22 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्क के संग्रह पर व्यय की गई लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में हस्तांतरण एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं।

1.10.2 वि.व. 22 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.42 *प्रतिशत* थी। वि.व. 18 से वि.व. 22 की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 21 एवं वि.व. 22 के दौरान संग्रहण की लागत

(₹ करोड में)

व्यय शीर्ष	वि.व.21	वि.व.22
राजस्व-सह-आयात/निर्यात एवं व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	783	833
निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	3,809	4,279
आरक्षित, निधि, जमा खाता एवं अन्य व्यय में अंतरण	21	19
निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट	उपलब्ध नहीं*	12,016
राज्य एवं केंद्रीय करों और उद्ग्रहण पर छूट	उपलब्ध नहीं*	9,176
विदेश मंत्रालय के अंतर्गत छूट	उपलब्ध नहीं*	23,051
एसईआईएस के अंतर्गत छूट	उपलब्ध नहीं*	4,099
टीपीएस के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन	उपलब्ध नहीं*	766

व्यय शीर्ष	वि.व.21	वि.व.22
अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट	उपलब्ध नहीं*	213
कुल व्यय	**4,611**	**54,452**
सीमा शुल्क प्राप्तियां	*1,34,750*	*1,99,728*
सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में संग्रहण की लागत	**3.42**	**27.26**

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखा , * इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय को वि.व. 21 के वित्त लेखों में नहीं दर्शाया गया।

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* के संदर्भ में व्यक्त, संग्रहण की लागत वि.व. 21 में 3.42 *प्रतिशत* तथा वि.व. 22 में 27.26 *प्रतिशत* थी। संग्रह की लागत में वृद्धि वि.व. 22 से अतिरिक्त व्यय शीर्षों के अंतर्गत व्यय के चित्रण के कारण थी। अतिरिक्त व्यय शीर्ष 'निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट, राज्य एवं केंद्रीय करों तथा उद्ग्रहण पर छूट, एमईआईएस के अंतर्गत छूट, एसईआईएस के अंतर्गत छूट, लक्ष्य प्लस योजना (टीपीएस) के अंतर्गत छूट / प्रोत्साहन एवं अन्य योजना के अंतर्गत छूट हैं।

1.11 बकाया सीमा शुल्क

1.11.1 सीमा शुल्क के बकाया की वसूली क्षेत्राधिकार आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। उन्हें आयुक्तालयों के भीतर कार्यरत वसूली प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आयुक्तालय के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वि.व. 22 में ₹3,767 करोड़ के वसूली लक्ष्य के प्रति, विभाग ने ₹1,673 (44 *प्रतिशत*) की वसूली की, जिससे शेष ₹2,094 करोड़ (56 *प्रतिशत*) की राशि बकाया रह गई।

बोर्ड ने समय-समय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमा शुल्क के अंतर्गत बकाया की वसूली से संबंधित निर्देश/परिपत्र जारी किए हैं। विशेष रूप से जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया को अद्यतन एवं संशोधित करना अनिवार्य हो गया है।

1.11.2 सीमा शुल्क की बकाया राशि विभाग द्वारा बताए गए शुल्क हैं, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे लंबित अधिनिर्णयन, विवादित दावों तथा अनंतिम निर्धारण के कारण वसूली नहीं की गई है। दिनांक 31 मार्च 2022 को कुल सीमा शुल्क

बकाया राशि ₹51,784 करोड़ है। वि.व.18 से वि.व. 22 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया **तालिका 1.10** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: बकाया सीमा शुल्क

वर्ष	विवाद के अंतर्गत बकाया सीमा शुल्क (₹ करोड में)	निर्विवाद बकाया सीमा शुल्क (₹ करोड में)	कुल बकाया (₹ करोड में)	कुल बकाया में विवादित बकाया *प्रतिशत*	कुल बकाया में निर्विवाद बकाया *प्रतिशत*
वि.व.18	18,836	5,849	24,685	76.31	23.69
वि.व.19	27,972	7,855	35,827	78.08	21.92
वि.व.20	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98
वि.व.21	34,215	8,386	42,601	80.32	19.68
वि.व.22	41,917	9,867	51,784	80.95	19.05

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा

1.11.3 वि.व.18 से वि.व. 22 के दौरान सीमा शुल्क का बकाया लगातार बढ़ता गया। मार्च 2022 (₹51,784 करोड़) को लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया मार्च 2021 (₹42,601 करोड़) की तुलना में 22 *प्रतिशत* बढ़ गया था। वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 22 में सीमा शुल्क में समग्र बकाया में 60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

1.11.4 कुल बकाया के अनुपात के रूप में विवाद के अंतर्गत बकाया राशि वि.व.18 में 76.31 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व.22 में 80.95 *प्रतिशत* हो गई, जो ₹41,917 करोड़ थी।

1.11.5 दिनांक 31 मार्च 2022 तक लंबित निर्विवाद बकाया (₹9,867 करोड़) कुल बकाया (₹51,784 करोड़) का 19.05 *प्रतिशत* था।

1.11.6 कुल 20 क्षेत्रों {11 सीमा शुल्क क्षेत्र एवं नौ संयुक्त (सीमा शुल्क और जीएसटी क्षेत्र)} में से, 10 क्षेत्रों में वि.व.22 के दौरान लंबित कुल बकाया (₹51,784 करोड़) का 83.42 *प्रतिशत* (₹43,203 करोड़) था। जैसा कि **तालिका 1.11** में दिखाया गया है।

तालिका 1.11: 31 मार्च 2022 को सीमा शुल्क राजस्व का क्षेत्रवार बकाया

रैंक	मुख्य आयुक्त क्षेत्र	विवादित राशि (₹ करोड में)	निर्विवाद राशि (₹ करोड में)	31.03.2022 तक लंबित राशि (₹ करोड में)
1	अहमदाबाद सीमा शुल्क	8,152	710	8,863
2	मुंबई - II सीमा शुल्क	5,802	562	6,363
3	बंगलौर सीमा शुल्क	5,957	387	6,344
4	दिल्ली सीमा शुल्क	3,159	2,473	5,632
5	मुंबई - III सीमा शुल्क	2,796	385	3,181
6	मुंबई - I सीमा शुल्क	2,467	639	3,106
7	चेन्नै सीमा शुल्क	2,554	255	2,809
8	भोपाल सीई और जीएसटी	1,338	1,073	2,411
9	कोलकाता सीमा शुल्क	1,824	505	2,329
10	भुवनेश्वर सीई और जीएसटी	1,935	229	2,165
	शीर्ष 10 का उप-योग	**35,985**	**7,218**	**43,203**
11	**अन्य का कुल योग**	5,932	2,649	8,581
	महायोग	**41,917**	**9,867**	**51,784**

स्रोत: वित्त मंत्रालय पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 26.06.2023

1.11.7 मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में वि.व.22 में सीमा शुल्क के बकाया की उच्चतम मात्रा थी, इसके बाद उस क्रम में मुंबई-II, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई-III और मुंबई-I, चेन्नई और भोपाल सीमा शुल्क क्षेत्र थे।

1.11.8 वि.व.18 से वि.व.22 के लिए सीमा शुल्क राजस्व का अवधि-वार बकाया नीचे **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: वि.व.18 से वि.व.22 के लिए सीमा शुल्क राजस्व के बकाया का अवधिवार लंबन

वर्ष	राशि - विवादों में (₹ करोड में)				विवाद रहित राशि (₹ करोड में)				महायोग *(कॉलम.5 +9)*
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल *(कॉलम.6+ 7+8)*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व.18	15,554	2,279	1,005	**18,836**	3,931	980	938	**5,849**	**24,685**
वि.व.19	24,670	2,373	929	**27,972**	5,361	831	1,663	**7,855**	**35,827**
वि.व.20	29,226	6,128	1,597	**36,951**	6,243	864	994	**8,101**	**45,052**
वि.व.21	25,077	7,599	1,539	**34,215**	6,285	918	1,183	**8,386**	**42,601**
वि.व.22	31,558	8,436	1,923	**41,917**	7,667	966	1,234	**9,867**	**51,784**

स्रोत: वि.व.22 के लिए वित्त मंत्रालय पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 26.06.2023

निर्विवाद बकाया की अवधि के विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹9,867 करोड़ में से ₹2,200 करोड़ (22.30 *प्रतिशत*) की पांच वर्ष से अधिक समय से वसूली नहीं की गई थी। ₹1,234 करोड़ की राशि दस वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित थी।

1.11.9 इसके अलावा, 20 ज़ोन (दिनांक 1 अप्रैल 2021 तक) में 10,920 बकाएदार थे, जिनसे ₹5,104 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व वसूली के लिए देय था। वि.व.22 के दौरान 1,987 नए बकाएदारओं के अलावा ₹1,351 करोड़ की राजस्व देयता थी। कुछ मामलों में वसूली के बाद, दिनांक 31 मार्च 2022 तक 11,322 बकाएदारओं के पास ₹5,960, करोड़ का बकाया था। बकाया तथा धीमी वसूली का श्रेय विभिन्न श्रेणियों के पद के अंतर्गत रिक्तियों को दिया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.11.10 बकाया की वसूली क्षेत्राधिकार आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आयुक्तालय के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वि.व.18 से वि.व.22 के दौरान सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13:वि.व.18 से वि.व.22 के दौरान निर्धारित एवं प्राप्त वसूली लक्ष्य

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹ करोड में)	लक्ष्य प्राप्त किया (₹ करोड में)	लक्ष्य में कमी (₹ करोड में)	लक्ष्य से अधिक प्राप्ति (₹ करोड में)	कमी का *प्रतिशत*	अतिरिक्त प्राप्ति का *प्रतिशत*
वि.व.18	1,000	1,092	-	92	-	9.25
वि.व.19	4,315	2,159	(-)2,156	-	(-)49.97	-
वि.व.20	4,044	1,952	(-)2,092	-	(-)51.73	-
वि.व.21	4,108	1,128	(-)2,980	-	(-)72.54	-
वि.व.22	3,767	1,673	(-)2,094	-	(-) 55.59	-

स्रोत: वि.व.22 हेतु वित्त मंत्रालय पत्र सं. एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 26.06.2023

उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि विभाग ने सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। वि.व.22 में लक्ष्य में कमी (-) 55.59 *प्रतिशत* थी। पिछले चार वर्षों से सीमा शुल्क बकाया

की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर कमी आई थी। कुल स्टाफ संख्या में रिक्तियों के कारण बकाया वसूली लक्ष्य प्रभावित हो सकते है। जुलाई 2022 तक कर्मचारियों की संख्या में कुल कमी 47 *प्रतिशत* थी।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा महानिदेशालय {महानिदेशक (लेखापरीक्षा)} द्वारा आयोजित तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा किए गए भुगतान एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करते हैं, जिसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में सात क्षेत्रीय इकाइयां हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता एक अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं। डीजीए की प्रत्येक ज़ोनल इकाई का मुख्य आयुक्त एवं उसके अंतर्गत आयुक्तालयों की जोनल इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार नियंत्रण है।

1.12.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 पश्च-निकासी लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने दो प्रकार की पश्च-निकासी लेखापरीक्षा अर्थात संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) एवं परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) की योजना बनाई थी।

1.12.3 संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) का अर्थ है सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि तथा किसी भी कम उद्ग्रहण या गैर-उद्ग्रहण की जांच करने के लिए बीई/एसबी की जांच। संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा के लिए आमतौर पर लेखापरीक्षक को परिसर का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसमें क्षेत्रीय लेखापरीक्षा भी शामिल हो सकती है। वि.व.22 के दौरान, टीबीए में कुल 6,03,484 बीई की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। इनमें से 10,64,167 बीई के लिए लेखापरीक्षा की गई थी जो लेखापरीक्षा की योजना से अधिक थे क्योंकि इसमें कुछ बीई पिछले वर्ष से सम्मिलित थे। डीजी (लेखापरीक्षा) ने ₹747.59 करोड़ के शुल्क अपवंचन का पता लगाया, जिसमें से ₹164.31 करोड़ का शुल्क वसूल किया गया है।

1.12.4 परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) का अर्थ है कि आयातकों और निर्यातकों के आधार पर सीमा शुल्क के कानूनी अनुपालन एवं सही निर्धारण को

सत्यापित किया जाएगा। पीबीए के लिए लेखापरीक्षिती की पहचान जोखिम मापदंडों के आधार पर की जाएगी। पीबीए क्रमशः दो/तीन/पांच वर्षों में एक बार अधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) टियर [3] -1 / टियर -2 / टियर -3 के लिए आयोजित किया जाएगा। वि.व.22 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 77 इकाइयों के प्रति, 152 इकाइयों में वास्तव में लेखापरीक्षा किया गया, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की कुछ इकाइयों को सम्मिलित किया गया था। पीबीए के दौरान महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹290.13 करोड़ के शुल्क अपवंचन का पता चला। जिसमें से, ₹27.67 करोड़ का शुल्क वसूल किया गया था।

1.12.5 प्र.सीसीए सीबीआईसी एवं उसके क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान एवं लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वि.व.22 के दौरान प्र.सीसीए द्वारा इंगित ₹2,80,353 करोड़[4] की राशि वाली 92 अभ्युक्तियां, दिनांक 31 मार्च 2022 को लंबित थी। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं सम्मिलित थीं:

(क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/निजी पक्षों/स्वायत्त निकायों से बकाया राशि की वसूली न होना- ₹1,30,063 करोड़ (11 मामले);

(ख) सरकारी राजस्व को अवरुद्ध करना- ₹128.31 करोड़ (15 मामले) ;

(ग) अन्य अनियमितताएं- ₹1,50,162 करोड़ (66 मामले) ;

वि.व.21 (₹3,335 करोड़) की तुलना में वि.व.22 (₹2,80,353 करोड़) में लंबित राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक ₹2,80,353 करोड़ रुपये के लंबित रहने के कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, प्रधान सीसीए ने बताया (जनवरी 2025) कि इन बकाया आंकड़ों में शामिल हैं; **(i)** लक्षित राजस्व संग्रह और वास्तविक संग्रह के बीच अंतर **(ii)** अधिनिर्णयन मामले और **(iii)** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में सरकारी राजस्व का अवरुद्ध होना, जिसे बकाया वसूली के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

---

[3] अधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) श्रेणी

[4] वि.व. 22 के लिए वित मंत्रालय पत्र सं एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 05.06.2023

उत्तर में अनियमितताओं की रिपोर्ट करने से पहले वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

1.13 कर अपवंचन एवं जब्ती

1.13.1 वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वि.व.22 के दौरान डीआरआई द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों के संबंध में सीबीआईसी शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व.18 में 940 से घटकर वि.व.22 में 605 हो गई, जबकि इसी अवधि (**अनुलग्नक** 2) के दौरान मूल्य ₹3,065 करोड़ से बढ़कर ₹4,604 करोड़ हो गया। हालांकि, पाए गए मामलों में की गई वसूली का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

1.13.2 वि.व.22 के दौरान वित्त मंत्रालय के अनुसार जब्त की गई प्रमुख वस्तुएं (मूल्य के अनुसार) 'मादक पदार्थों, सोना, वाहन/जहाज, सिगरेट, लाल सैंडर, भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा, वस्त्र, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स मद एवं अन्य' हैं। डीआरआई द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों का मूल्य कुल ₹17,008 करोड़ में से ₹15,966 करोड़ था।

1.14 मानव संसाधन

1.14.1 सीबीआईसी में सीमा शुल्क संरचनाओं के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन का संवर्ग वार युक्तिकरण/पुनर्गठन अंतिम बार वर्ष 2017-18 में किया गया था। वहां 12,532 सीमा शुल्क अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों (जुलाई 2022 तक) की समग्र रिक्तियां थीं। इन रिक्त पदों की कुल संस्वीकृत संख्या (26,681) का 47 *प्रतिशत* है। मंत्रालय रिक्तियों को न भरने के कारण प्रदान करे।

तालिका 1.14: सीबीआईसी में मानव संसाधन

तिथि अनुसार	संस्वीकृत संख्या			ग्रेड क, ख एवं ग का योग	कार्यकारी संख्या			ग्रेड क, ख एवं ग का योग
	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग		ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	
01.01.2022	1,280	16,811	8,588	**26,679**	814	9,530	3,791	**14,135**
01.07.2022	1,282	16,807	8,592	**26,681**	763	9,680	3,706	**14,149**

तिथि अनुसार	रिक्ति							
	ग्रेड क	%	ग्रेड ख	%	ग्रेड ग	%	ग्रेड क, ख एवं ग का योग	समग्र %
01.01.2022	466	36.41	7,281	43.31	4,797	55.86	12,544	47.02
01.07.2022	519	40.48	7,127	42.40	4,886	56.57	12,532	46.97

स्रोत: वि.व. 22 के लिए वित्त मंत्रालय पत्र सं एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 05.06.2023

1.15 निष्कर्ष:

वि.व.22 के लिए भारत के व्यापार आंकड़ों से पता चला है कि वि.व.22 में आयात एवं निर्यात में वि.व.21 की तुलना में क्रमशः 56.82 एवं 45.76 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है; हालांकि, वि.व.22 के दौरान समग्र व्यापार के लिए व्यापार संतुलन पिछले चार वर्षों (वि.व.18 से 21) की तुलना में और अधिक बिगड़ गया है।

सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 27, 71, 85, 84 एवं 29 के अंतर्गत आच्छादित की गई वस्तुओं का वि.व.22 के दौरान किए गए भारत के कुल आयात का 68 *प्रतिशत* हिस्सा था। जबकि वि.व.22 के दौरान निर्यात की गई पांच प्रमुख वस्तुओं का हिस्सा अध्याय 27, 71, 84, 72 एवं 29 के अंतर्गत कवर किया गया था। सीमा शुल्क टैरिफ भारत के कुल निर्यात का 42 *प्रतिशत* था।

कुल 20 ज़ोन {11 सीमा शुल्क ज़ोन तथा नौ संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी ज़ोन)} में से, वि.व.22 के दौरान लंबित कुल सीमा शुल्क बकाया (₹51,784 करोड़) में 10 ज़ोन का योगदान 83.42 *प्रतिशत* (₹43,203 करोड़) था। सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तालय, अहमदाबाद में वि.व.22 में सीमा शुल्क के बकाया की उच्चतम मात्रा थी, इसके बाद उसी क्रम में मुंबई-II, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई-III और मुंबई-I, चेन्नई एवं भोपाल सीमा शुल्क क्षेत्र थे।

विभाग ने सीमा शुल्क राजस्व बकाया की वसूली के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। वि.व.22 में लक्ष्य में कमी (-) 56 *प्रतिशत* थी। पिछले चार वर्षों (वि.व.19 से वि.व.22) से सीमा शुल्क राजस्व बकाया की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर कमी थी।

कुल ₹9,867 करोड़ निर्विवाद सीमा शुल्क राजस्व बकाया में से, ₹2,200 करोड़ (22.30 *प्रतिशत*) पांच वर्ष से अधिक समय से वसूल नहीं किए गए थे। मंत्रालय अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया में सुधार कर सकती है।

अध्याय II

सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश एवं लेखापरीक्षा का विस्तार क्षेत्र

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के प्राधिकार

2.1.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रावधान करता है कि सीएजी संघ और राज्यों के लेखाओं एवं किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित किए जा सकते हैं। संसद ने वर्ष 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया।

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, सीएजी को भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अधिकृत करती है कि नियम एवं प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर एक प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020, प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क की वसूली एवं संग्रहण, सीमा शुल्क के किसी भी अन्य उद्ग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात एवं निर्यात के संव्यवहारों तथा समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशिष्ट अनुपालन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित संव्यवहार वि.व.(वि.व.)22 से संबंधित हैं, लेकिन कुछ मामलों में, समग्र चित्रण करने हेतु पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.1 सीएजी आयात, निर्यात एवं प्रतिदाय से संबंधित सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं के संव्यवहार संबंधी अभिलेख के नमूने के साथ सीबीआईसी के विभिन्न कार्यात्मक विंगों की लेखापरीक्षा दल (समग्र अखिल भारतीय डेटा के

अभाव में) द्वारा जोखिम आधारित नमूने पर चुने गए अभिलेख की जांच करता है। सीएजी विभागीय कार्यों जैसे अधिनिर्णयन एवं बकाया की वसूली तथा निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 इसके अलावा, एफटीपी के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क छूट लाभों के संबंध में एमओसीआई के अंतर्गत डीजीएफटी के संबंधित आरए के अभिलेखों की जांच की जाती है। इसी प्रकार, सीएजी सेज/ईओयू व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एसटीपी) के विकास आयुक्तों (डीसी) की लेखापरीक्षा करता है, जिसमें केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सेज के लेखों का प्रमाणीकरण भी सम्मिलित होता है।

2.3 लेखापरीक्षा संसृति

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसृति में सीबीआईसी, उसके सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं एवं पोर्टों {इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) लिंक्ड, ईडीआई से इतर एवं सेज दोनों} तथा इसके अंतर्गत बीई और एसबी का निष्पादित संव्यवहार सम्मिलित हैं।

2.3.2 सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं को 11 सीमा शुल्क ज़ोनों और नौ संयुक्त {सीमा शुल्क एवं जीएसटी} ज़ोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें 20 ज़ोनों में 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त हैं, जिसमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक मुख्य आयुक्त करता है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुक्तालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय तथा चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा संसृति में डीजीएफटी, उसके आरए एवं सेज/ईओयू/एसटीपी के विकास आयुक्त सम्मिलित हैं। डीजीएफटी, एमओसीआई का एक संबद्ध कार्यालय है एवं इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (डीजीएफटी) करते हैं। डीजीएफटी भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ एफ़टीपी तैयार करने एवं लागू करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप्स/प्राधिकार जारी करता है तथा 25[5] क्षेत्रीय

[5] इंदौर में भोपाल का एक विस्तारित कार्यालय

कार्यालय के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 सेज एवं ईओयू के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाओं की सेज/ ईओयू के संबंधित डीसी के कार्यालयों में लेखापरीक्षा की जाती है।

2.4 लेखापरीक्षिती के आंकड़ों तक अभिगम

लेखापरीक्षा यह आश्वासन देने के लिए सीमा शुल्क संव्यवहार डेटा पर निर्भर करती है कि कानूनों को राजस्व की हानि को रोकने के लिए सही ढंग से लागू किया गया है। अखिल भारतीय डेटा तक पूर्ण अभिगम की कमी व्यक्तिगत सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं में चयनित संव्यवहारों की जांच एवं राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने में एक सीमित आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा जांच को परिसीमित करती है।

वि.व.18 से वि.व.22 की अवधि के लिए अखिल भारतीय आयात एवं निर्यात संव्यवहार डेटा मार्च 2015 में हस्ताक्षरित एक वचन-पत्र (एमओयू) के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा, बार-बार अनुरोधों (जून 2019/जुलाई/सितंबर 2020/2022/2023) के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ था। अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा 70 आयुक्तालयों में से 48 आयुक्तालयों का भौतिक रूप से दौरा करके, और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉड्यूल एवं आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (आईसीआरए) मॉड्यूल इंटरफ़ेस का उपयोग करके किया गया था, जिसकी अपनी परिसीमाएं थीं।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, जहां तक संभव हो सका, विभाग द्वारा सीआरए मॉड्यूल एवं आईसीआरए मॉड्यूल में प्रदान की गई सीमित पहुंच के माध्यम से, जोखिम पर संव्यवहार की कुल संख्या की मात्रा निर्धारित की है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वि.व.22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा कुछ मामलों वे है जो पूर्व के वर्ष के भी थे।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व.22 के दौरान, 70 आयुक्तालयों में से 48 (69 *प्रतिशत*) में संव्यवहारों की परीक्षण जांच की गई। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में 44 कार्यकारी आयुक्तालयों में से 32, 13 निवारक आयुक्तालयों में से 10, नौ अपील आयुक्तालयों में से दो और चार लेखापरीक्षा आयुक्तालयों को सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अपने आरए के माध्यम से विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंसों/प्राधिकारों की लेखापरीक्षा 25 आरए में से 20 में तथा आठ विकास आयुक्तों (डीसी) में से सात में की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा संसृति और नमूना

मंत्रालय	लेखापरीक्षित इकाई	लेखापरीक्षा संसृति	लेखापरीक्षा नमूना
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीआईसी)	**मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तालय और निवारक**	11[6]	10
	प्रधान आयुक्तालय/आयुक्तालय	70	48
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	32
	निवारक आयुक्तालय	13	10
	अपील आयुक्तालय	9	02
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	04
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग- डीजीएफटी)	क्षेत्रीय प्राधिकरण	25	20
	विकास आयुक्त	8	07

2.6 लेखापरीक्षा के प्रयास

2.6.1 वि.व.22 के दौरान, संबंधित आयुक्तालयों/आरए/डीसी को 251 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए, जिनमें 2,065 अभ्युक्तियां थी और जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹9,824 करोड़ था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय/ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) को टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। इस प्रतिवेदन में ₹831 करोड़ राजस्व निहितार्थ से जुड़ी 119 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

[6]सीमा शुल्क -11 (अहमदाबाद सीमा शुल्क, बेंगलुरु सीमा शुल्क, चेन्नई सीमा शुल्क, त्रिची निवारक, दिल्ली सीमा शुल्क, दिल्ली निवारक, कोलकाता सीमा शुल्क, पटना निवारक, मुंबई-I, II & III-सीमा शुल्क)।

शामिल है और जो मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान दोनों मंत्रालयों को लेखापरीक्षा जारी किए गए थी।

2.6.3 मंत्रालयों ने जारी की गई 119 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां में से 80 में जवाब दिया और मंत्रालय/विभागों ने 118 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां को स्वीकार कर लिया, जिसमें ₹76 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े मामलों में एससीएन जारी करने, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में सुधार उपायों को सूचित किया तथा सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 83 मामलों में ₹69 करोड़ की वसूली की सूचना दी गई थी।

2.6.4 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में ई-वाणिज्य और भंडारों के माध्यम से क्रय किए गए माल सहित व्यक्तिगत सामान, एक्म्पनीड अथवा अनएक्म्पनीड सामान, कूरियर और डाक संबंधी वस्तुए के कार्य-व्यवहार के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

लेखापरीक्षा ने (i) अंतर्राष्ट्रीय कूरियर सामान, (ii) एक्म्पनीड अथवा अनएक्म्पनीड सामान और (iii) ई-कॉमर्स माल सहित डाक वस्तुओं के संबंध में तीव्र निकासी के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच की है एवं तृतीय अध्याय में ₹12.15 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के परिणामों का उल्लेख किया है।

2.6.5 चतुर्थ अध्याय में, हमने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित एफटीपी प्रावधानों का अनुपालन न करने की अनियमितताओं की सूचना दी है, विशेष रूप से ₹736 के राजस्व निहितार्थ के साथ 'निर्यातोन्मुखी इकाइयों एवं अग्रिम प्राधिकार धारकों को आईजीएसटी का अनियमित प्रतिदाय' (पैराग्राफ 4.3 से 4.3.10) एवं अपात्र सेवाओं तथा निर्यात के लिए निर्यातकों को एसईआईएस/एमईआईएस स्क्रिप्स की स्वीकृति और ₹37 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ प्रतिअदायगी शुल्क का अनियमित/अधिक भुगतान (पैराग्राफ 4.4.1 से 4.8.2)।

2.6.6 पंचम अध्याय में, लेखापरीक्षा ने ₹46 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ चयनित आयुक्तालयों में बीई/एसबी और अन्य रिकार्डों की परीक्षण जांच के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणामों को प्रतिवेदित किया। लेखापरीक्षा के परिणाम 'आयात का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 5.6.1 से 5.6.5)', आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 5.7.1 से 5.7.5), 'छूट अधिसूचनाओं का गलत

अनुप्रयोग (पैराग्राफ 5.7.6 से 5.7.7)' और 'अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 5.8) से संबंधित थे। लेखापरीक्षा परिणामों में कुछ प्रणालीगत मुद्दे और स्थायी अनियमितताएं शामिल थीं।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान दिया जिनमें आरएमएस ने निर्धारित दरों से कम शुल्क दरों पर निकासी की अनुमति दी। आरएमएस को ऐसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके और बीई के एक बार प्रणाली से गुजरने के बाद लागू शुल्क स्वतः ही प्रभारित किया जा सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है और प्रतिवेदन के पंचम अध्याय में भी उन पर चर्चा की गई है।

(i) रेलवे के पुर्जों/चल स्टॉक के पुर्जों के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण (पैराग्राफ 5.7.1)।

(ii) एनिलिन तेल के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण (पैराग्राफ 5.7.2)।

(ख) स्थायी अनियमितताएं

आयातों के गलत वर्गीकरण और आयातों पर 'एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना / कम उद्ग्रहण किया जाना' के ऐसे ही मामलों की सूचना पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में मंत्रालय को दी गई थी, लेकिन सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे मामलों का पाया जाना जारी है, जबकि सीबीआईसी ने आश्वासन दिया है कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए जागरूक किया गया है।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) "मेंडारिन (किन्नू) रस का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 5.6.2)।

(ii) आइसक्रीम बनाने की मशीनरी का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 5.6.7)।

(iii) आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना / कम उद्ग्रहण किया जाना (पैराग्राफ 5.8.1)।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो का राजस्व प्रभाव

वि.व.18 से वि.व.22 से संबंधित पांच प्रतिवेदनो में, लेखापरीक्षा ने 567 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 2.2) को शामिल किया है जिसमें ₹16,764 करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल है। सरकार ने ₹568 करोड़ रुपये की राशि वाले 530 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में टिप्पणियों को स्वीकार किया है और जुलाई 2024 तक 374 पैराग्राफ में ₹246 करोड़ की राशि वसूल की है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का राजस्व प्रभाव

वर्ष	सम्मिलित किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूली	
	संख्या	राशि (₹करोड़ों में)	संख्या	राशि (₹करोड़ों में)	संख्या	राशि (₹करोड़ों में)
वि.व.18	92	4,795	85	225	56	31
वि.व.19	114	10,909	104	69	83	41
वि.व.20	137	143	130	127	93	40
वि.व.21	105	86	93	71	59	65
वि.व.22	119	831	118	76	83	69
कुल	**567**	**16,764**	**530**	**568**	**374**	**246**

स्रोत: पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और की गई कार्रवाई नोट

2.8 आभार

हम इस प्रतिवेदन के तृतीय अध्याय की **तालिका 3.1** और **अनुलग्नक 4** में उल्लिखित मामलों में एसएससीए से संबंधित अभिलेख के प्रस्तुत न किए जाने को छोड़कर एसएससीए के संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी प्रदान करके लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क विभाग, डीसी-एसईजेड और डीजीएफटी द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस आधार पर, इन मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन की जांच का क्षेत्र सीमित रह गया।

अध्याय III

'कूरियर, सामान और ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित डाक वस्तुओं के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

3.1 परिचय

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 77 से 90, व्यक्तिगत सामान, एक्म्पनीड या अनएक्म्पनीड सामान, कूरियर और डाक वस्तुएँ व ई-कॉमर्स व स्टोर के माध्यम से खरीदे गए सामान सहित, के प्रसंस्करण हेतु विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। सुविधा के लिए, सामान, कूरियर और डाक मार्ग के माध्यम से आयातित व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में एक विशेष वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले विविध सामानों को एक शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है जो एक समान शुल्क दर के अधीन है। यह मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और तेजी से निकासी सुनिश्चित करता है क्योंकि प्रत्येक आइटम को स्पष्ट रूप से वैकल्पिक वर्गीकृत करना होगा जो एक समान योग्यता शुल्क दर के अधीन है।

निम्नलिखित विषयों के संबंध में तेजी से निकासी के लिए विशेष सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करने के लिए एक एसएससीए आयोजित किया गया है:

- **अंतर्राष्ट्रीय कूरियर वस्तुएँ**
- **सामान, अनएक्म्पनीड सामान सहित**
- **डाक वस्तुएँ, ई- कॉमर्स वस्तुएँ सहित**

3.1.1 कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से आयात और निर्यात की निगरानी

कूरियर सेवाओं के माध्यम से भेजे जाने वाले खेपों के तीव्रतर आयात/निर्यात के लिए, सीबीआईसी (बोर्ड) ने भारत भर में 13 सीमा शुल्क विमानपत्तनों को

अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल[7] (आईसीटी) के रूप में नियुक्त किया था, जहां माल की जांच में सरल औपचारिकताओं के माध्यम से तीव्रतर आधार पर सीमा शुल्क निकासी दी जाती है (दिनांक 28 मार्च 2018 अधिसूचना संख्या 27/2018-सीमा शुल्क (एनटी))। कूरियर के जरिए किए जाने वाले आयात को तीन श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात

(i) नमूने[8] और मुफ्त उपहार[9]

(ii) दस्तावेज़[10] और

(iii) शुल्क योग्य या वाणिज्यिक माल ।

पंजीकृत कुरियर कंपनियों को जिन्हें 'अधिकृत कूरियर' भी कहा जाता है, को केवल कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से आयात और निर्यात करने की अनुमति है। अधिकृत कूरियर द्वारा किए गए आयात या निर्यात किए गए सामानों का मूल्यांकन और निकासी 'कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010' द्वारा विनियमित होती है { दिनांक 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना संख्या 74/2019-सीमा शुल्क (एनटी), द्वारा प्रतिस्थापित}।

हालांकि, ये विनियम आयातित/निर्यातित सामानों, निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना और विदेश व्यापार नीति के अध्याय 6 में संदर्भित इसी तरह की योजनाओं के अलावा किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत माल के आयात या निर्यात या माल के नमूनों परीक्षण की आवश्यकता वाले, भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआई), पांच लाख मूल्य तक की खेप वाले और कुछ अन्य वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

---

[7]1. मुंबई 2. दिल्ली 3. चेन्नई 4. कोलकाता 5. बेंगलुरु 6. हैदराबाद 7. अहमदाबाद 8. जयपुर 9. त्रिवेंद्रम 10. कोचीन 11. कोयंबटूर 12. कालीकट 13. तिरुचिरापल्ली।

[8]नमूना - निर्यात के लिए ' ₹50,000 और ' ₹10,000 से अनधिक मूल्य के नि:शुल्क आपूर्ति किए गए माल के किसी भी वाणिज्यिक नमूने और प्रोटोटाइप और आयात/निर्यात के लिए प्रतिबंधित और निषिद्ध नहीं है और इसमें विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण शामिल नहीं है।

[9]मुफ्त उपहार - व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई उपहार या वस्तु जिसका मूल्य निर्यात खेप के लिए '₹25,000 और आयात के लिए '₹5,000 से अधिक न हो और आयात/निर्यात के लिए प्रतिबंधित/निषिद्ध न हो और जिसमें विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण शामिल न हो। हालांकि, आयातित उपहारों पर शुल्क छूट 20 जनवरी 2020 से हटा दी गई थी।

[10]दस्तावेज में कागज, कार्ड या फोटोग्राफ पर दर्ज कोई संदेश, सूचना या डेटा शामिल है जिसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है और गैर-शुल्क योग्य है और आयात / निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है।

कूरियर परेषणों को सामान्यत यात्री/मालवाहक विमानों द्वारा ले जाया जाता है। स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) के माध्यम से निकासी के मामले में, परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है।

3.1.2 यात्रियों द्वारा सामान के रूप लाए आयातों की निगरानी

भारतीय सीमा में प्रवेश करने या छोड़ने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क जांच से गुजरना पड़ता है। सीमा शुल्क विभाग को यह सुनिश्चित करने का अनिवार्य है कि भारत में प्रवेश करने या छोड़ने वाले यात्री सामान नियम 2016 के अंतर्गत अनुमत मात्रा/मूल्य के अनुसार एक्म्पनीड सामान और/या अनएक्म्पनीड सामान ले जाएं और निषिद्ध या प्रतिबंधित या संवेदनशील सामान की तस्करी करने का प्रयास न करें। विमानपत्तनों/ पोर्टों/स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और कर-निर्धारणों के लिए संबद्ध कानूनों को लागू करते हुए तीव्रतर निकासी तथा यात्री सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।

3.1.3 ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित डाक वस्तुओं की निगरानी

सीबीआईसी ने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 28 विदेशी डाकघरों (एफपीओ) को अधिसूचित किया था। इन डाकघरों में जांच, मूल्यांकन, स्वीकृति के लिए सीमा शुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निर्यात को सुविधाजनक बनाने और विशेष रूप से ई-कॉमर्स (विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए) के माध्यम से भारत के निर्यातकों की वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, सभी आयात निर्यात कोड (आईईसी) धारकों को एफपीओ के माध्यम से माल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। डाक के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 4 जून 2018 के परिपत्र संख्या 14/2018-सीमा शुल्क में प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। एफपीओ के माध्यम से माल निर्यात करने वाला कोई आईईसी धारक निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी रिफंड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के निर्वहन के माध्यम से शून्य दर निर्यात के लिए पात्र होगा। एफपीओ में सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के अभाव में, ई-कॉमर्स निर्यात के लिए निर्यात के डाक बिल (पीबीई-I) को मैनुअल वातावरण में संसाधित किया जा रहा है। हालांकि, जीएसटी रिफंड के उद्देश्य से, डेटा को डीजी (सिस्टम्स)-सीबीआईसी

द्वारा प्रदान की गई ऑफ-लाइन यूटिलिटी (आईसीएएन) के माध्यम से एकत्र और अपलोड किया जाएगा।

3.2 कूरियर, सामान, ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित डाक वस्तुओं की निकासी के लिए कानूनी प्रावधान

3.2.1 कूरियर

कूरियर वस्तुओं की निकासी के लिए सरलीकृत सीमा शुल्क प्रक्रियाएं वर्तमान में मैनुअल मोड एवं इलेक्ट्रोनिक मोड, दोनों के अंतर्गत हैं, जो क्रमशः कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 और कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के अंतर्गत शासित होती हैं। उन्हें विदेश व्यापार नीति अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों द्वारा भी विनियमित किया जाता है।

कूरियर विनियमों के अंतर्गत निकासी के लिए, संव्यवहार की प्रत्येक श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल मोड के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार, निर्यात, दस्तावेजों, नमूने सहित शुल्क योग्य वस्तुओं और ई-कॉमर्स वस्तुओं की श्रेणी के तहत किया जा सकता है।

कूरियर वस्तुओं का मैनुअल और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण निम्नलिखित सीमा शुल्क स्टेशनों पर उपलब्ध है:

मैनुअल निकासी	त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर, कालीकट और तिरुचिरापल्ली तथा स्थल-सीमा शुल्क केन्द्र पेट्रापोल और गोजाडांगा (पश्चिम बंगाल)
इलेक्ट्रॉनिक निकासी	शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में, और बाद में अहमदाबाद, चेन्नई, कोचीन, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद तक बढ़ा दिया गया

स्रोत: एडीजी कार्यालय (सिस्टम) डब्ल्यूजेडयू, मुंबई उत्तर दिनांक 19 अप्रैल 2022

कूरियर बिल ऑफ एंट्री (सीबीई) फाइल करने की सरलीकृत प्रक्रिया निम्नलिखित श्रेणियों के सामानों पर लागू नहीं होती है: (i) निर्यातोन्मुखी इकाइयों और ईपीजेड में इकाइयों पर लागू शुल्क छूट योजना के अंतर्गत आयातित माल, (ii) ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात, (iii) एफटीपी के अंतर्गत जारी लाइसेंस के सापेक्ष आयातित वस्तुएं और (iv) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति द्वारा आयातित माल। आयातों की इन श्रेणियों के

लिए बिल ऑफ एंट्री (प्रपत्र) विनियमों में निर्धारित बिल ऑफ एंट्री (बीई) फाइल की जाती है।

3.2.2 यात्री सामान

एक यात्री या चालक दल के एक सदस्य का सामान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 9803 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और मोटर वाहनों, मादक पेय, और तंबाकू उत्पादों, तथा लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी अनुमति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं को छोड़कर एकल दर से शुल्क लगाया जाता है।

शुल्क मुक्त अनुमति की सीमा से बाहर **एक्म्पनीड सामान** पर सीमा शुल्क, व्यक्ति के विदेश में ठहरने की अवधि, सामान की प्रकृति (प्रयुक्त या अप्रयुक्त), सामान के रूप में उनकी पात्रता के अधीन या प्रतिबंधित या निषिद्ध माल के अंतर्गत आता है।

आने वाले यात्रियों की सीमा शुल्क निकासी के उद्देश्य हेतु, दो-चैनल प्रणाली अपनाई गई है:

1. **ग्रीन चैनल:** यदि ग्राहक के पास कोई शुल्क योग्य या निषिद्ध सामान नहीं है; वह ग्रीन चैनल के माध्यम से जा सकते हैं।
2. **लाल चैनल:** शुल्क योग्य या निषिद्ध सामान ले जाने वाले व्यक्ति को लाल चैनल से गुजरना चाहिए।

अनएक्म्पनीड सामान जो विदेश में यात्री के अधिकृत था और एक महीने के भीतर या भारत में उसके आगमन की ऐसी और अवधि के भीतर भेजा जाता है, यात्री के आगमन से दो महीने पहले तक या ऐसी अवधि के भीतर, एक वर्ष की सीमा से ज़्यादा नहीं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर दी गई अनुमति के रूप में भारत में उतारा जाता है। कोई भी वस्तु/ **अनएक्म्पनीड** सामान, जिसका मूल्य सामान नियम, 2016 के तहत स्वीकार्य शुल्क-मुक्त भत्ते से अधिक है, पर 38.5 *प्रतिशत* की दर से शुल्क लगता है।

3.2.3 ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित डाक वस्तुएं

एफटीपी के अनुसार आयात/निर्यात के लिए निषिद्ध या प्रतिबंधित न की गई सभी वस्तुओं को किसी भी निर्दिष्ट एफपीओ या इसके विस्तार पटलों के माध्यम से डाक द्वारा आयात/निर्यात किया जा सकता है। इन डाकघरों में जांच, मूल्यांकन

और निकासी के लिए सीमा शुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। पत्र, पैकेट या पार्सल पोस्ट द्वारा शुल्क योग्य माल का आयात निषिद्ध है, सिवाय इसके कि ऐसे पत्र या पैकेट में सामग्री की प्रकृति, वजन और मूल्य बताते हुए एक घोषणा की गई हो। यदि ऐसी घोषणा पत्र/पैकेट के साथ संलग्न नहीं है, तो सीमा शुल्क जांच के लिए खोला जा सकता है। वैध आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) रखने वाले किसी भी निर्यातक को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट (पीबीई-I) और अन्य वस्तुओं के लिए पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट (पीबीई-II) फाइल करके निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इन्हें विदेशी डाकघर में मैनुअल वातावरण में सीमा शुल्क द्वारा चेक किया जाएगा और 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' प्रदान किया जाएगा।

3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा नीचे के मुद्दों के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी:

(i) निर्धारण एवं निकासी हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा प्रशिक्षण की पर्याप्तता।

(ii) सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की दिशा में कूरियर/विमानपत्तनों/डाकघरों पर आंतरिक निर्धारणों का सीमाशुल्क आईसीईएस के साथ एकीकरण।

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, टैरिफ अधिसूचनाओं, नियमों और अन्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के प्रावधानों का अनुपालन।

(iv) अन्य एजेंसियों के साथ सीमा शुल्क का समन्वय।

(v) आंतरिक निगरानी तंत्र

3.4 लेखापरीक्षा आवृत्तक्षेत्र

इस एसएससीए में सीमा शुल्क के 70 में से 21 आयुक्तालय सम्मिलित हैं, जिनमें 44 इकाइयां यानी सात अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, 13 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल और दो स्थल सीमा शुल्क स्टेशन, 10 अनएक्म्पनीड सामान टर्मिनल और 12 विदेशी डाकघर शामिल हैं, जहां वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख की जांच की गई थी**(अनुलग्नक 3)** ।

एसएससीए में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि से संबंधित डीजी-सिस्टम (सीबीआईसी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक डेटा (कुल संव्यवहारों का 10 *प्रतिशत*) का विश्लेषण/सत्यापन भी शामिल था।

3.5 लेखापरीक्षा पद्धति:

- लेखापरीक्षा पद्धति में अनएक्म्पनीड सामान और कूरियर टर्मिनलों, एफपीओ, अभिरक्षकों और प्राधिकृत कूरियर एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्तालय में रखे गए अभिलेखों/फाइलों की परीक्षण जांच शामिल थी। इन टर्मिनलों और पोर्टस पर स्थानीय व्यवस्था से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक डेटा की भी परीक्षण जांच की गई।
- लेखापरीक्षा टिप्पणियों हेतु डाकघरों में अनुरक्षित मैनुअल डेटा के अतिरिक्त सीमा शुल्क आईसीईएस प्रणाली के संबंधित ग्रेनुलर डिजिटल डेटा, कूरियर ईडीआई सिस्टम और डीजी (सिस्टम) द्वारा आपूर्ति किए गए 10 *प्रतिशत* डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया गया।

3.6 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा के लिए 44 चयनित इकाइयों में कुल 18,434 अभिलेखों का चयन किया गया। इकाइयों में चयनित मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा संसृति, नमूना और प्रस्तुत किए/प्रस्तुत नहीं किए अभिलेखों का ब्यौरा **तालिका 3.1** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 3.1: नमूना चयन संसृति

लेखापरीक्षा योग्य इकाई	चयनित इकाइयाँ	चयनित इकाइयों में कुल मामले	लेखापरीक्षा द्वारा चयनित मामले	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत मामले	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामले	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का चयनित अभिलेखों के सापेक्ष *प्रतिशत*
आंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन	13	2,92,666	5,115	4,302	813	15.89
कूरियर टर्मिनल	7	3,57,13,450	3,178	2,993	185	5.82
अनएक्म्पनीड सामान	10	63,834	3,404	3,309	95	2.79
विदेशी डाकघर	12	10,29,79,030	6,536	4,911	1,625	24.86
स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीए)	2	250	201	48	153	76.12
कुल	**44**	**13,90,49,230**	**18,434**	**15,563**	**2,871**	**15.57**

मई 2022 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्राधिकार विभागीय अधिकारियों के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किए गए। क्षेत्रीय-लेखापरीक्षा 15 मई 2022 से 15 अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के संव्यवहारों को शामिल कर आयोजित की गई थी।

3.7 लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

एसएससीए के अंतर्गत, 21 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के सभी चयनित 44 इकाइयों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए संबंधित अभिलेख और सूचनाएं मांगी गई थी। तथापि, 18[11] इकाइयों द्वारा 12[12] सीमा शुल्क आयुक्तालयों की अभिलेखों/सूचना के कुल 18,434 में से चयनित 2,871 नमूनों के अभिलेख/सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षिती (सीमा शुल्क आयुक्तालय/एफपीओ) का यह दायित्व है कि वह शीघ्रता से अभिलेखों तथा संबंधित सूचनाओं को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराएं। प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों/सूचनाओं की आयुक्तालय-वार संख्या **अनुलग्नक 4** में दी गई है।

3.8 लेखापरीक्षा परिणाम

प्रतिवेदन में कुल 77 अभ्युक्तियां शामिल हैं जिनमें 11 प्रणालीगत और 10 अनुपालन मुद्दे तथा 07 आंतरिक निगरानी के मुद्दे शामिल हैं। प्रतिवेदन का राजस्व प्रभाव ₹12.15 करोड़ है। सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्तालय ने 44 अभ्युक्तियों के संबंध में उत्तर दिया और 40 अभ्युक्तियां स्वीकार कीं। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है।

[11] 18 इकाइयां (सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दो कूरियर टर्मिनल, एक बिना साथ वाला सामान टर्मिनल, सात एफपीओ, एक एलसीएस)

[12] 12 आयुक्तालयों [सीमा शुल्क आयुक्त-एसीसी और हवाई अड्डा-कोलकाता, कोलकाता (बंदरगाह), निवारक- पश्चिम बंगाल, एसीसी-दिल्ली, हवाई अड्डा-मुंबई, बेंगलुरु शहर, कोच्चि, एयर-चेन्नई, निवारक-अमृतसर, लुधियाना, अहमदाबाद]

तालिका 3.2: अभ्युक्तियों का सार

क्र. सं.	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या	मुद्दों की प्रकृति	शामिल किए गए मुद्दों की संख्या	अभ्युक्तियों की संख्या	उत्तर प्राप्त/ आंशिक उत्तर	राजस्व प्रभाव (₹ लाख में)
1	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 1	प्रणालीगत	03	06	06	शून्य
2	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 2	प्रणालीगत/ अनुपालन	07 (प्रणालीगत)/ 02 (अनुपालन)	37	18	645.13
3	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 3	अनुपालन	03	16	12	468.34
4	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 4	प्रणालीगत/ अनुपालन	01 (प्रणालीगत)/ 05 (अनुपालन)	03	02	शून्य
5	लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 5	आंतरिक नियंत्रण	07	15	06	101.06
	कुल		**28**	**77**	**44**	**1,214.53**

लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 1

3.8.1 निर्धारण एवं निकासी हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा प्रशिक्षण की पर्याप्तता।

सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो हैंडलिंग विनियम (एचसीसीएआर), 2009 के विनियम 5 के अनुसार, सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) (इसमें संचालक शामिल हैं) सभी सुविधाएं और अवसंरचना, उपकरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, सीमाशुल्क ईडीआई सेवा केन्द्रों, दस्तावेजों की प्रोसेसिंग और माल के लेखांकन के लिए स्थान पर कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं।

बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए मानदंडों का अस्तित्व, यदि कोई है, आईसीटी, आईए, एलसीएस, यूबी टर्मिनलों और एफपीओ प्राधिकरियों द्वारा बार-बार पूछने के बावजूद लेखापरीक्षा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

तदनुसार, मूल्यांकन और निकासी हेतु बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की पर्याप्तता और स्थिति का पता लगाने के लिए, चयनित इकाइयों में लेखापरीक्षा दलों और विभागीय अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था और परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- **अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल (आईसीटी)- पैरा 3.8.1.1**
- **अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईए) और स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) - पैरा 3.8.1.2**
- **अनएक्म्पनीड सामान (यूबी) टर्मिनल/एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स - पैरा 3.8.1.3**
- **विदेशी डाकघर (एफपीओ)- पैरा 3.8.1.4**

3.8.1.1 अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी) में बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता

कूरियर टर्मिनलों का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) हस्तक्षेप के आधार पर सीमित वास्तविक जांच के साथ एक्सप्रेस कार्गो का तीव्र संचलन करना है। वे शीघ्र निकासी के लिए पता-प्रमाण पत्र और कूरियर ऑपरेटरों को उनकी ओर से शुल्क का भुगतान करने के प्राधिकार सहित केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने के दायित्वों के साथ शीघ्र निकासी हेतु 24X7 संचालन भी प्रदान करते हैं।

सात[13] चयनित आईसीटी में संयुक्त सत्यापन के परिणामों से निम्नलिखित कमियों का पता चला **(अनुलग्नक 5)**:

- **एक्स-रे स्कैनर आवश्यकताओं के लिए मानदंडों का अस्तित्व न होना**

  जांच के बावजूद एक्स-रे स्कैनर आवश्यकताओं के लिए मानदंडों, यदि कोई हो, की मौजूदगी, को लेखापरीक्षा के संज्ञान में नहीं लाया गया।

- **एक्स-रे स्कैनरों की संख्या अभिरक्षित खेपों की मात्रा के अनुपात में नहीं थी**

i) अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली में, संचालक आयात पर एक एक्स-रे मशीन के साथ संचालन कर रहे थे। कोई भी खराबी ठीक होने में समय लेगी, जिससे कूरियर पार्सल की स्क्रीनिंग प्रभावित होगी। आईसीटी कोलकाता में, अक्टूबर 2021 **(अनुलग्नक 5)** में एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) के शुरू होने तक कूरियर पार्सल (आयात और निर्यात दोनों के लिए) को स्कैन करने के लिए कोई एक्स-रे मशीन नहीं थी। इसके अलावा, संचालक के साथ

[13] एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, एनसीटी-दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता और आईसीटी-मुंबई

एयर कार्गो निरीक्षण प्रणाली (एसीआईएस) की खरीद और संस्थापना के लिए कई पत्राचार किए जाने के बावजूद भी एयर कार्गो निरीक्षण प्रणाली (एसीआईएस) भी स्थापित नहीं की गई थी।

➢ **सीमित कार्यक्षमताओं के साथ पुरानी एक्स-रे मशीनें**

क) लेखापरीक्षा ने पाया कि मुम्बई और अहमदाबाद स्थित एक्स-रे मशीनें पुरानी (वर्ष 2009-2011) थीं और स्कैनिंग और छायाचित्रों की गति धीमी थी तथा छायाचित्रों के विशिष्ट आकार और प्रकृति या छिपी हुई खेपों के आधार पर अलर्ट उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे, इसके अलावा भारी उपयोग पर बंद करने की नौबत आ जाती थी।

मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि दोहरी दृश्य उन्नत एक्स-रे मशीनों में उन्नयन करने के लिए संचालकों के साथ उठाया गया था और निर्यात क्षेत्र में ऐसी दो मशीनें और आयात क्षेत्र में एक मशीन स्थापित की गई है।

ख) सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में निर्यात क्षेत्र में एक्स-रे मशीन कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण एक माह से अधिक समय तक खराब थी।

➢ **निकासी क्षेत्र का निगरानी में ना होना**

क) सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में, निर्यात के लिए एक्स-रे मशीन सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत नहीं थी। इसके अलावा, निर्यात के लिए भेजे गए सामान विमान में अपलोड हेतु एक सड़क से होकर गुजरते थे, लेकिन यह सड़क सीसीटीवी निगरानी में नहीं थी, जिससे चोरी का खतरा था।

➢ **विशेष उपकरणों/श्वान दल की अनुपस्थिति**

क) कैरेट मीटर केवल दो इकाइयों (अहमदाबाद और कोलकाता विमानपत्तन) पर उपलब्ध थे।

ख) ड्रग डिटेक्शन किट केवल तीन इकाइयों (मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर) पर उपलब्ध थे।

ग) श्वान दल केवल चार इकाइयों (मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और कोच्चि) पर उपलब्ध थे।

उपरोक्त सभी अपर्याप्तताएं कूरियर टर्मिनलों को अवैध माल की तस्करी के लिए असुरक्षित बना रही हैं।

जहां तक विमानपत्तन संचालकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आईटी बुनियादी ढांचे का संबंध है, सीबीआईसी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के अनुसार, परीक्षण में जांच किए गए सभी सात आईसीटी में यह पर्याप्त पाया गया, जहां ईसीसीएस चालू था।

3.8.1.2 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (आईएएस) और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) पर बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता

भारत में 31 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों[14] और 91 स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) हैं, तथा लेखापरीक्षा ने स्कैनिंग की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए 13 राज्यों[15] में फैले 13 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों और 02 एलसीएस को शामिल किया और निम्नलिखित को पाया:

(i) स्थापित उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था।

सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के सामान की स्कैनिंग के लिए दो एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) मशीनें लगाई गई थीं (**अनुलग्नक 6**)। सीमा शुल्क विभाग के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि एक समय में दो मशीनों में से केवल एक का उपयोग किया गया था क्योंकि प्रत्येक मशीन के कन्वेयर बेल्ट को संचालक-मैसर्स ए लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (एएलआईएएल) द्वारा जोड़ा गया था (मई 2022)। दूसरी मशीन को निष्क्रिय रखा गया। तदनुसार, दूसरी मशीन पर किए गए ₹63.20 लाख रुपए के व्यय का लाभप्रद उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मशीन का वारंटी/गारंटी कवर उपयोग के बिना समाप्त हो गया।

यह बताए जाने पर विभाग ने स्थापित मशीन के उपयोग न होने के लिए जगह की कमी और कर्मचारियों की कमी को उत्तरदायी ठहराया।

---

[14] परिपत्र संख्या 28/2001-सीमा शुल्क दिनांक 10 मई, 2001

[15] तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

तथ्य यह है कि बुनियादी ढांचे की आवश्यकता/उपयोग के लिए मानदंडों के मानकीकरण के न होने से ऐसी अव्यवस्था हुई।

इस प्रकार, यात्रियों के आवागमन के संदर्भ में मशीनों/उपकरणों/स्थापना आवश्यकताओं की संख्या के संदर्भ में मानदंडों का गैर-मानकीकरण और संरक्षक द्वारा अनुपालन की तुलना में जोखिम धारणाओं का आश्वासन नहीं दिया जा सकता था। इससे सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.8.1.3 यूबी टर्मिनलों/एयर कार्गो परिसरों में बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता

उपलब्ध बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन के लिए 10 अनएक्म्पनीड सामान टर्मिनलों[16] पर विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण से नीचे दिए गए अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई कमियों का पता चला:

i) आईसीडी सनथनगर, हैदराबाद में, एक्स-रे मशीन को संरक्षक-मेसर्स 'बी' लि. द्वारा सितंबर 2001 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे गलत स्थापित किया गया था, जो ट्रकों के लिए सुलभ नहीं था और इस प्रकार मशीन का बहुत कम उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप, अनएक्म्पनीड सामान का भौतिक सत्यापन करना पड़ा।

सीमा शुल्क हैदराबाद ने कहा कि सामान स्कैनिंग मशीन की उचित स्थापना और सीमा शुल्क स्कैनिंग कार्य के लिए इसकी उपलब्धता के बारे में संचालक के साथ बात की जाएगी।

ii) जेएनसीएच, मुंबई में, संदिग्ध के रूप में चिह्नित कंटेनरों की 100 *प्रतिशत* जांच के लिए आयुक्त (एनएस-I), जेएनसीएच के निर्देशों[17] के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 129 बीडी में से पांच सामान घोषणाओं (बीडी) के मामले में केवल 30 *प्रतिशत* जांच की गई थी।

---

[16] एसीसी- अहमदाबाद, एसीसी-बेंगलुरु, कस्टम हाउस, कोच्चि, यूबी टर्मिनल, चेन्नई-I कमिश्नरी, यूबी टर्मिनल-सीसीएसआई एयरपोर्ट, लखनऊ, आईसीडी सनथनगर-हैदराबाद, एसीसी-एनएससीबीआई कोलकाता, जेएनसीएच - मुंबई (मैसर्स 'सी' मल्टीमोड सीएफएस), अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-जयपुर। आयात शेड, एसीसी-दिल्ली,

[17] स्थायी आदेश संख्या 17/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 और सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2021 दिनांक 30 मार्च 2021

iii) एसीसी कोलकाता और अहमदाबाद में, माल को भौतिक परीक्षा के अधीन बताया गया था, लेकिन इस तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए कोई लेखा-सत्यापन साक्ष्य नहीं थे।

iv) एसीसी, लखनऊ में यूबी का निरीक्षण बिना सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के एक निजी एजेंसी द्वारा किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार संचालक को ऐसा करना अनिवार्य था, खतरनाक और विस्फोटक सामग्री का पता लगाना उन पर निर्भर था।

जेएनसीएच-मुंबई, एसीसी-कोलकाता और एसीसी-अहमदाबाद के मामले में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.8.1.4 विदेशी डाकघरों (एफपीओ) में बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता

एफपीओ में बुनियादी ढांचे/उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मानदंड/दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सीबीआईसी के लॉजिस्टिक्स निदेशक द्वारा गठित (जुलाई 2019)[18] एक समिति ने प्रत्येक एफपीओ को श्वान दस्ते के अलावा एक्सएमआईएस, एक्सबीआईएस स्कैनर, कैरेट मीटर, हस्त धारित संसूचक, नारकोटिक्स और विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर से लैस करने की अनुशंसा की।

(i) बुनियादी ढांचे के मानदंडों का न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमा शुल्क सुविधा के लिए डाक विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। वास्तव में, स्कैनिंग मशीन, जांच उपकरण, कंप्यूटर आदि जैसे अधिकांश बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सीमा शुल्क विभाग द्वारा स्वयं की गई थी।

बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में 12 स्थानों पर एफपीओ के संयुक्त निरीक्षण के परिणामों से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

(ii) अनुपलब्धता या अपर्याप्त स्कैनर

नमूना जांच किए गए 12 एफपीओ में से, चार एफपीओ (लुधियाना, भुवनेश्वर, कोच्चि और वाराणसी) में स्कैनर नहीं थे, जबकि दो एफपीओ (हैदराबाद और

---

[18] फाइल एफ सं. 441/ 37/ 2018/ ईक्यू/ एक्सएमआईएस में दिनांक 12.09.2019 को जारी किया गया लोजिस्टिक निदेशालय, सीबीआईसी का पत्र

जयपुर) की क्षमता सीमित थी, आयात और निर्यात खेपों की स्कैनिंग बिना उचित निर्धारण के निकासी जोखिम में थी, जो केवल निर्धारण अधिकारी की योग्यता पर निर्भर थी **(अनुलग्नक 7)**।

जिन एफपीओ में जहां स्कैनर और अन्य उपकरण उपलब्ध थे, वहां निम्नलिखित कमियां पाई गई थीं:

i) एफपीओ वाराणसी में, मशीन सात महीने (दिनांक 3 दिसंबर 2020 से 27 जुलाई 2021 की अवधि के दौरान) से अधिक समय से खराब़ थी और निकासी के लिए किए गए वैकल्पिक प्रबंध दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे।

ii) एफपीओ, हैदराबाद में, एक्सएमआईएस की स्कैन की गए छायाचित्र स्पष्ट और पहचानने योग्य नहीं थे।

iii) एफपीओ लुधियाना में, डाकघर-मिलरगंज को (दिसंबर 2019) एफपीओ के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया । नए एफपीओ, मिलरगंज में ₹18.81 लाख मूल्य की स्थापित एक्सएमआईएस मशीन को लगभग चार साल बीत जाने के बाद भी, नए स्थान एफपीओ, लुधियाना में सितंबर 2023 तक स्थानांतरित नहीं किया गया था और डाक-पार्सल को पुराने एफपीओ में मैन्युअल रूप से चेक किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, न केवल ₹18.81 लाख का व्यय निष्फल रहा, बल्कि एक्सएमआईएस की स्थापना और उसके लगाए जाने के इच्छित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा, विभाग ने मशीन जो बेकार पड़ी हैं, के रखरखाव के लिए (दिसंबर 2019) पांच साल की अवधि यानी 2024 तक के लिए केंद्रीकृत व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीसीएएमसी) प्रदान किया था। रखरखाव पर हुए व्यय की राशि ज्ञात नहीं है।

लुधियाना, सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि मशीन को अद्यतन और कार्यात्मक रखने के लिए, एक्सएमआईएस का रखरखाव आवश्यक था।

iv) एफपीओ, कोलकाता और दिल्ली में, मशीनें सेवा योग्य स्थिति में नहीं थीं।

v) अहमदाबाद, चेन्नई और दिल्ली में एफपीओ की मादक पदार्थ परीक्षण किट उपलब्ध नहीं थीं। जबकि भुवनेश्वर और कोलकाता में परीक्षण किट की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

vi) एफपीओ मुंबई में, वि.व.22 के दौरान मादक पदार्थों की 26 खेपें जब्त की गईं। प्रिंट मीडिया ने भी एफपीओ, मुंबई के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और गलत केवाईसी घोषणाओं को उजागर किया था।

vii)जांच की गई 12 इकाइयों में से केवल दो इकाइयों (दिल्ली और मुंबई) में श्वान दल उपलब्ध थे।

vii) इसके अलावा, एफपीओ, मुंबई में वर्ष 2021 से कैरेट मीटर काम नहीं कर रहा था। धातुओं की शुद्धता के लिए अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया गया था, जो कि वस्तुनिष्ठ न होकर निर्णयात्मक थे, हालांकि इस एफपीओ से आभूषणों का महत्वपूर्ण निर्यात हुआ था। अन्य 11 एफपीओ में कैरेट मीटर उपलब्ध नहीं थे, यद्यपि इन एफपीओ से आभूषणों का निर्यात किया गया था।

एफपीओ में खोज़ी श्वानों की सुविधा की अनुपस्थिति, ड्रग डिटेक्शन किट और नारकोटिक्स को अलग करने के लिए स्कैनिंग मशीनों की सीमाएं, एफपीओ को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए असुरक्षित बना दिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.8.1.5 सामान/कूरियर/डाक वस्तुओ की सावधानीपूर्वक जांच के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की पर्याप्तता।

एक्स-रे स्कैनर का उपयोग कर योग्य सामान, प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किया जाता है। छायाचित्र विश्लेषक को सीमित समय में विभिन्न ख़तरे वाली वस्तुओं को पहचानने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। कुशल स्क्रीन-जांचकर्ता अधिक कुशल तरीके से संदिग्ध छवियों की पहचान करने में सक्षम होंगे। दक्षता परीक्षण प्रणाली जैसे विशेष ग्रहण बोध, रंग पहचान, वस्तु पहचान और जटिल छायाचित्र परीक्षणों द्वारा संदिग्ध वस्तुओं की पहचान, स्क्रीन-जांचकर्ता को अपने ज्ञान को अद्यतन रखने में मदद करती है और सामान की निकासी पर त्वरित निर्णय लेने में उनकी मदद करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा में शामिल 13 अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में से नौ[19] में शुल्क योग्य/तस्करी/मादक पदार्थों आदि का पता लगाने के लिए सामान की जांच के लिए अप्रशिक्षित जांच अधिकारी तैनात किए गए थे।

हालांकि, विभाग ने मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे चार अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही है। हालांकि, ना किसी अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र ना ही विशिष्ट समय-अवधि के लिए कोई संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण के समापन के बाद दक्षता परीक्षा आयोजित करने के साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए।

तीन आईसीटी (मुंबई, चेन्नई और कोच्चि) और यूबी केंद्र (लखनऊ) की नमूना जांच के संबंध में विभाग ने कहा कि अधिकारियों को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) प्रशिक्षण केंद्रों में या प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान या अनुभवी कर्मचारियों से कौशल के आंतरिक आदान-प्रदान के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम और आयोजित दक्षता परीक्षा के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.8.1.6 जनशक्ति मानदंड और स्थान आवश्यकताएं

यात्रियों और कार्गो की निकासी को सही मूल्यांकन के साथ सुगम बनाने तथा तस्करी और मादक पदार्थों की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सीमा शुल्क की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क गतिविधियों के लिए जनशक्ति मूल्यांकन और स्थान आवश्यकताओं में कमियाँ पाई गईं, जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है:

- **अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल (पैरा 3.8.1.6; क और ख)।**
- **अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (पैरा 3.8.1.6 सी)।**

[19]सीसी अहमदाबाद, सीसी (एसीसी और विमानपत्तन) - बेंगलुरु, सीसी (निवारक) -अमृतसर, सीसी (वायु) चेन्नई-I, सीसी, विमानपत्तन -दिल्ली, सीसी (विमानपत्तन) हैदराबाद, सीसी (एसीसी और विमानपत्तन) -कोलकाता, सीसी (निवारक)-लखनऊ, और सीसी (विमानपत्तन) जोन- III, मुंबई

आईसीटी में जनशक्ति मानदंड और स्थान की कमी

(क) जनशक्ति मूल्यांकन:

माल के मूल्यांकन और जांच के लिए आईसीटी में सीमा शुल्क जनशक्ति को लागत वसूली के आधार पर तैनात किया जाता है। बोर्ड के दिनांक 10 अप्रैल 2013 के परिपत्र संख्या 16/2013-सीमा शुल्क के अनुसार आईसीटी-मुंबई में स्वीकृत जनशक्ति 37 थी और हाल ही के दिनों में बिना किसी समीक्षा के इसे जारी रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कूरियर कार्गो की बढ़ती मात्रा के अनुरूप स्वीकृत जनशक्ति की समीक्षा न करने के कारण आईसीटी-मुंबई में तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती की गई थी।

आईसीटी-मुंबई में आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति, ज्यादातर मूल्यांकनकर्ता और निरीक्षक संवर्ग में, तदर्थ आधार पर तैनात की गई थी, जो कभी-कभी उन संवर्गों में स्वीकृत शक्ति से दोगुनी से भी अधिक थी जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है। हालांकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान कूरियर कार्गो की मात्रा 10.24 लाख बिल से बढ़कर 34.13 लाख बिल हो जाने के साथ यह अतिरिक्त तैनाती उचित थी, लेकिन जनशक्ति का मानकीकरण और स्वीकृत जनशक्ति की समय-समय पर समीक्षा अभिलेख में नहीं पाई गई और न ही लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई। इसके अतिरिक्त, संचालक पर लागत वसूली शुल्क[20] का बकाया था, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैरा संख्या 3.10.1** में बताया गया है।

तालिका 3.3: आईसीटी मुंबई में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

तिथि के अनुसार	सहायक/ उप आयुक्त	मूल्यांकनकर्ता/ अधीक्षक	इंस्पेक्टर/ परीक्षक	एसटीए/ टीए	सिपाही	कुल
स्वीकृत संख्या	**4**	**9**	**12**	**4**	**8**	**37**
मार्च 2020 तक नियुक्त कार्मिक	4	23	26	2	6	**61**
मार्च 2021 तक नियुक्त कार्मिक	3	24	17	3	6	**53**
मार्च 2022 तक नियुक्त कार्मिक	4	29	12	2	5	**52**

[20]सीमा शुल्क क्षेत्र का संरक्षक आकलन के लिए तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों की लागत वहन करेगा।

(ख) स्थान की कमी कूरियर ऑपरेटरों की वृद्धि में बाधक

आईसीटी मुंबई में स्थान की कमी के कारण, विभाग ने वर्ष 2018 से कूरियर ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण के लिए 30 नए आवेदन लंबित थे। स्थान की कमी हेतु केवाईसी अनुपालनना के कारण माल की धीमी आवाजाही, सीबीई की खराब प्री-फिलिंग, और जांच व मूल्यांकन के लिए सीबीई (लगभग 16 *प्रतिशत*) का उच्च चिन्हांकन तथा लावारिस/अनिकासित माल के खराब निपटान को उत्तरदायी ठहराया गया था। किसी भी समय टर्मिनल में औसतन लगभग 12 मीट्रिक टन माल संग्रहीत किया जाता था और कभी-कभी माल सम्मेलन कक्षों, कार्यालय क्षेत्र और गलियारों में फैल जाता था।

इसके अलावा, 37 कर्मचारियों की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया स्थान मार्च 2022 को तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों (52 तक) के लिए पर्याप्त नहीं था, जिससे माल की बढ़ी हुई अनिवार्य जांच से समझौता होता है। उपलब्ध स्थान (भंडारण के लिए नहीं) पर अनिकासित सामानों का कब्जा बढ़ रहा था, जो 70,624 पैकेज (अगस्त 2020) से बढ़कर 1,19,794 पैकेज (मार्च 2022) हो गए।

अन्य किसी नमूना जांच किए गए कूरियर टर्मिनलों में स्थान की कमी और जनशक्ति मूल्यांकन के प्रतिवेदित नहीं किया गया। अन्य प्रमुख कूरियर टर्मिनलों- बेंगलुरू और दिल्ली में कई संचालक थे और प्रत्येक की अपनी अलग व्यवस्था थी।

तदनुसार, कूरियर टर्मिनलों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्पष्ट विनिर्देशों के साथ बुनियादी ढांचे के मानदंडों की अनुपस्थिति और स्थान की कमी ने मुंबई में नए एसीओ के पंजीकरण और मूल्यांकन को प्रभावित किया।

(ग) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क सुगमता में जनशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2020 तक विभिन्न संवर्गों में 14 से 75 *प्रतिशत* तक रिक्तियां थीं, जिससे प्रतिबंधित/अवैध वस्तुओं के प्रवेश के अलावा गलत और विलंबित मूल्यांकन का जोखिम बढ़ गया। मुंबई, लखनऊ और गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर जनशक्ति की कमी देखी गई।

i) सीएसएमआईए, मुंबई में कुल 664 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2020 तक कुल 297 पद रिक्त थे (45 *प्रतिशत* की कमी), हालांकि मुंबई विमानपत्तन दूसरा सबसे व्यस्त विमानपत्तन था और दिन-रात परिचालित रहता है और सीमा शुल्क अधिकारियों को 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था। विभाग ने पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/प्रतिनियुक्ति और नए कर्मचारियों की उपलब्धता से उत्पन्न रिक्त पदों की पूर्ति न करने के कारण कमी को उत्तरदायी ठहराया।

ii) सीसीएसआईए, लखनऊ में ग्रुप ए और बी अधिकारी संवर्ग में 44 *प्रतिशत* की कमी थी।

iii) गया-अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अधीक्षक, निरीक्षक और ग्रुप सी अधिकारी संवर्ग में यह कमी 14 से 75 *प्रतिशत* तक थी।

निष्कर्ष: विभाग के पास आईए, आईसीटी, यूबी सेंटर और एफपीओ के लिए सीमा शुल्क सुविधा हेतु कोई बुनियादी ढांचा मानदंड नहीं है। वे मोटे तौर पर एचसीसीए विनियम, 2009 के अंतर्गत आते हैं जो सभी पोर्टों के सभी संचालकों पर लागू होते हैं। हालांकि, आवश्यक मशीनों, उपकरणों और औजारों की मात्रा और उनकी तकनीकी विशिष्टताओं को समान रूप से निर्धारित नहीं किया गया था तथा न ही संचालकों पर जोर दिया गया था।

जनशक्ति की कमी, स्थान की कमी, जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र की अनुपस्थिति इन पोर्टों को न केवल अवैध यातायात के लिए असुरक्षित बना रही है बल्कि निकासी में भी विलंब करती है।

सिफारिश संख्या 1: मंत्रालय एक्स-रे मशीनों/स्कैनरों की आवश्यकताओं और रखरखाव की समीक्षा कर सकता है और सभी कूरियर टर्मिनलों/ विमानपत्तनों/यूबी टर्मिनलों/विदेशी डाक कार्यालयों में इन बुनियादी ढांचों का निर्माण करते समय परिकल्पित प्रभावी, त्वरित और सटीक आकलन हेतु तकनीकी रूप से उन्नत मशीनें स्थापित कर सकता है।

सिफारिश संख्या 2: मंत्रालय प्रभावी सीमा शुल्क सेवाओं/निर्धारण और व्यापार व यात्रियों को सुविधा हेतु सभी कूरियर टर्मिनलों/विमानपत्तनों/यूबी टर्मिनलों/विदेशी डाक कार्यालयों में एकसमान रूप से पालन किए जाने वाले उपकरण की आवश्यकताओं, स्थान मानदंडों, जनशक्ति, प्रशिक्षण मानदंडों के मानकीकरण की

आवश्यकता पर नीति स्तर पर विचार कर सकता है। तेजी से निर्धारण के लिए अतिरिक्त स्थान की उपलब्धता हेतु लंबित निकासियों की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या: 2

3.8.2. वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की दिशा में सीमा शुल्क आईसीईएस के साथ कूरियर/विमानपत्तन/डाकघर पर इन-हाउस सिस्टम का एकीकरण

कूरियर टर्मिनलों/विमानपत्तनों/विदेशी डाकघरों के माध्यम से की जाने वाली निकासी के लिए इन-हाउस सिस्टम को सीमा शुल्क आईसीईएस (ईडीआई सिस्टम) के साथ एकीकृत करने की जांच करते समय लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों को देखा। इन मुद्दों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क) एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) - **पैरा 3.8.2.1 से 3.8.2.2**

ख) इलेक्ट्रॉनिक सामान रसीद (ईबीआर) मॉड्यूल - **पैरा 3.8.3.1 से 3.8.3.10**

c) अनएक्म्पनीड सामान (यूबी) मॉड्यूल - **पैरा 3.8.4.1 से 3.8.4.7**

ग) डाक निकासी मॉड्यूल - **पैरा 3.8.5.1 से 3.8.5.9**

प्रणालीगत मुद्दे

3.8.2.1 एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) एवं कूरियर सिस्टम द्वारा किए गए मूल्यांकन का सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं के अनुरूप अनुपालन

आईसीटी में, वर्ष 2018 तक मैनुअल निकासी का अनुकरण किया जा रहा था। कूरियर विनियम (इलेक्ट्रॉनिक निकासी), 2010 ने कूरियर वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण प्रारम्भ में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और में शुरू किया गया था और ईसीसीएस अब केवल नौ आईसीटी[21] पर परिचालित है।

[21]शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में अब अहमदाबाद, चेन्नई तक विस्तारित किया गया। कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद और जयपुर (अपर महानिदेशक (एसवाईएस), डब्ल्यूजेडयू, सिस्टम उत्तर दिनांक 19 अप्रैल 2022)

ईसीसीएस सीमा शुल्क द्वारा कूरियर माल की इलेक्ट्रॉनिक निकासी के लिए एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है। अवसंरचना संबंधी बाधाओं के कारण ईसीसीएस को अन्य आईसीटी में परिचालित करने में विलंब हुआ। सीबीआईसी ने जून 2020 में ईसीसीएस एप्लिकेशन को सीबीआईसी डेटा केंद्रों में माइग्रेट किया और बाद में अन्य आईसीटी में विस्तारित किया गया था।

कूरियर बिलों ऑफ एंट्री के नमूने और संबंधित अभिलेखों की प्रणाली में जांच करने के लिए ईसीसीएस प्रणाली में अभिगम करने हेतु लेखापरीक्षा के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या ईसीसीएस सीमा शुल्क कानूनों और प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन करता है, तथा सीमा शुल्क ईडीआई प्रणालियों (आईसीईएस, आइसगेट) और एसईजेड ईडीआई प्रणाली (सेजऑनलाइन, एनएसडीएल) के साथ इसके एकीकरण की सीमा क्या है, साथ ही कूरियर टर्मिनलों से अन्य सीमा शुल्क पोर्टो तक माल के ऑनलाइन ट्रांसशिपमेंट की प्रक्रिया भी किस सीमा तक है।

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या अन्य समभागी सरकारी एजेंसियां (पीजीए) भी सहायता के लिए हैं क्योंकि कुछ आयातों के लिए पीजीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि क्या यह प्रणाली आयात और निर्यात आंकड़े साझा करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ एकीकृत है ताकि विदेशी मुद्रा लेन-देन और उनकी प्राप्तियों की निगरानी प्राधिकृत डीलर(एडी) बैंकों के जरिये की जा सके।

हालांकि**,** ईसीसीएस को शुल्क भुगतान के ऑनलाइन निर्वहन के लिए बैंकों के साथ एकीकृत किया गया था। विभाग ने कार्य में इसके स्टैंडअलोन प्रकृति होने की पुष्टि की थी।

3.8.2.2 डेटा विश्लेषण

महानिदेशक (प्रणाली)-सीबीआईसी ने देश के नौ विमानपत्तनों[22] से संबंधित 10 *प्रतिशत* ईसीसीएस कूरियर आयात डेटा (वर्ष 2019-22) डेटा प्रदान किया**,** जिसका विश्लेषण सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के प्रणालीगत अनुपालन का मूल्यांकन करने के

[22] अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई और कोलकाता

लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर (मुंबई और बेंगलुरु) पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया।

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के प्रणालीगत अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि:

- **कूरियर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की समय सीमा**
- **विलंबित सीमा शुल्क निकासी**
- **अन्य कमियाँ**

कुछ मुद्दों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) कूरियर बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं

नियमित मोड के माध्यम से आयात हेतु बिल ऑफ एंट्री वायु-यान के आगमन के दिन से पहले दिन के अंत तक फाइल किया जाए, अन्यथा अनुपालन न होने के मामले में विलंब शुल्क स्वतः ही लगाया जाएगा (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 जैसा कि परिपत्र संख्या 08/2021 दिनांक 29 मार्च 2021 द्वारा संशोधित किया गया है)। तथापि, कूरियर आयातों हेतु सीबीई के ऐसे कोई अनिवार्य पूर्व-फाइलिंग नियम निर्धारित नहीं किए गए है, इसलिए विलंब से फाइल करने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जा सकता था।

सीबीई की अनिवार्य अग्रिम फाइलिंग के लिए नियामक कानूनी तंत्र की अनुपस्थिति न केवल राजस्व के संग्रह को प्रभावित करेगी, बल्कि टर्नअराउंड समय पर भी असर डालेगी।

(ii) विलंबित सीमा शुल्क निकासी- ड्वेल टाइम विश्लेषण

ड्वेल टाइम सीमा शुल्क स्टेशन में कार्गो के आने के समय से लेकर सीमा शुल्क द्वारा इसकी निकासी प्रदान किए जाने तक का बीता हुआ समय है। ईसीसीएस ने प्राधिकृत कूरियर ऑपरेटरों (एसीओ) को माल की अपेक्षित लैंडिंग से 30 दिन पहले तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से कूरियर बिल ऑफ इम्पोर्ट (सीबीई) और कूरियर बिल ऑफ एक्सपोर्ट (सीएसबी) फाइल करने सक्षम बनाया है तथा सीमा शुल्क द्वारा बिलों के अग्रिम प्रसंस्करण में सक्षम बनाया है। चालान, पैकिंग सूची, लदान बिल, मैनिफेस्ट फाइलिंग और अन्य दस्तावेजों जैसे सहायक दस्तावेज सिस्टम में अपलोड किए जा सकते थे। ईसीसीएस ने कूरियर कार्गो के आयात

व निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्रसंस्करण अनुपालन और निकासी का डिजिटलीकरण किया था। इसके अलावा, कूरियर टर्मिनल 24 घंटे के भीतर लक्षित डिलीवरी के साथ 24X7 परिचालित रहता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत कूरियर डेटा के साथ चार[23] स्थानों पर रहने के समय विश्लेषण **(अनुलग्नक 8)** का प्रयास किया था और देखा था कि:

वर्ष 2019-20 के दौरान आईसीटी मुम्बई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में आयात खेपों की निकासी में क्रमशः 18, 26, 63 और 80 *प्रतिशत* में एक दिन से अधिक का समय लगा।

जवाब में, आईसीटी मुंबई के अधिकारियों ने घंटे के आधार पर ड्वेल टाइम विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए थे।

तालिका 3.4: आईसीटी, मुंबई से स्वीकृति मिलने का समय (घंटों में)

वर्ष	सीबीई के पूर्व फाइलिंग का ड्वेल टाइम)	सीबीई फाइल करने के बाद का समय घंटों में (कुल बिलों का *प्रतिशत*)	पृच्छा या परीक्षा के लिए समय घंटों में (कुल बिलों का *प्रतिशत*)	कुल निवास समय (घंटे) कोल.3 + कोल.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019-20	8.93 (51%)	21.85 (36%)	116.33 (13%)	49
2020-21	11.93 (44%)	44.42 (43%)	214.51 (13%)	90
2021-22	11.30 (46%)	26.50 (39%)	180.54 (15%)	73

आईसीटी मुंबई के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 24 घंटे की निकासी का लक्ष्य-समय केवल सीबीई को पूर्व फाइल करने के मामलों में ही प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान निकासी (पूर्व फाइलिंग) में 51 *प्रतिशत* से 46 *प्रतिशत* तक गिरावट की प्रवृत्ति थी। सीबीई की पूर्व फाइलिंग वि.व.20 से वि.व.22 के दौरान सभी आयात निकासियों के 50 *प्रतिशत* से कम थी।

हालांकि, आगमन के बाद फाइल सीबीई के मामलों में निकासी के लिए लिया गया समय (पोस्ट फाइल) वि.व.20 से वि.व.22 की अवधि के दौरान 24 घंटे के लक्ष्य-समय से अधिक था। 24 घंटे के लक्ष्य टर्नअराउंड समय की तुलना में

[23] अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई,

निकासी में 49 से 73 घंटे लग गए, जिसने तीव्रतर निकासी के लिए एक अलग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

(iii) संबंधित सीबीई फाइल करने पर कमजोर सत्यापन नियंत्रण

(क) गलत कूरियर बिल्स् ऑफ एंट्री की स्वीकृति

कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के विनियम 5 में निर्धारित किया गया है कि एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की खेप के लिए, कूरियर बिल ऑफ एंट्री फॉर्म 'डी' (सीबीई -XIII) में फाइल की जानी चाहिए और एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की अन्य शुल्क योग्य खेपों के लिए कूरियर बिल ऑफ एंट्री फॉर्म 'ई' (सीबीई-XIV) फाइल करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त घोषणाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि मूल देश, संबंधित पक्ष आदि। मैनुअल प्रक्रियाओं के अंतर्गत, कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 के विनियम 5 में दस्तावेजों के आयात के लिए सीबीई-III और वस्तुओं के आयात के लिए सीबीई-V निर्धारित किया गया।

क) बंगलुरू आईसीटी में यह पाया गया था कि आयातित खेपों के संबंध में जहां मूल्य एक लाख रुपए से अधिक था, फार्म सीबीई - XIV के स्थान पर फार्म सीबीइ - XIII (संख्या - 3,319) फाइल किए गए थे और ईसीसीएस प्रणालियों ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर ऐसे फार्मों को स्वीकार किया था।

ख) आईसीटी कोलकाता में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 265 सीबीई में से 15 सीबीई में यह देखा गया था कि दस्तावेजों के 56 आयातित खेपों के आयात के लिए सीबीई -V को प्रसंस्करण की मैनुअल पद्धति में सीबीई -III की तुलना में स्वीकार किया गया था।

(ख) वाणिज्यिक नमूने के रूप में व्यक्तिगत वस्तुओं का अनियमित आयात

₹10,000 तक के वाणिज्यिक नमूनों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है और इन्हें आईईसी कोड {कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010} उद्धृत करते हुए फार्म-सी में सीबीई - XII में फाइल करने की आवश्यकता होती है। तथापि, वैयक्तिक वस्तुओं के आयात को सीटीएच 9804 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए फार्म सीबीई-XIII में फाइल करने की आवश्यकता होती है और इस पर 42.08 *प्रतिशत* की दर से शुल्क लगता

है। आईईसी कोड की अनुपस्थिति में, माल आयात करते समय सामान्य आईईसी (एचबीपी 2015-20 का पैरा 2.07) का उपयोग किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन आईसीटी (बंगलुरू-144 सीबीई, मुंबई-62 सीबीई और कोलकाता-02 सीबीई) में जांचे गए नमूना परीक्षण में गलत सीबीई को फाइल करने और क्लियर करने की अनुमति दी गई थी। वाणिज्यिक नमूनों के आयात के लिए सीबीई व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए एवं विपरीततः फाइल किए गए थे एवं छूट का अनुचित लाभ उठाया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹0.65 लाख का नुकसान हुआ (बंगलुरु - ₹0.51 लाख एवं मुंबई ₹0.14 लाख)।

इससे पता चलता है कि ईसीसीएस में शुल्क योग्य व्यक्तिगत वस्तुओं और वाणिज्यिक नमूनों के आयात के लिए सही सीबीई फाइल करने पर उचित सत्यापन नियंत्रण का अभाव है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ग) आईसीटी मं विनिमय दर का गलत अनुप्रयोग

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(1) में प्रावधान है कि आयात और निर्यात का मूल्य ऐसे माल का लेन-देन मूल्य होगा जिसकी गणना विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि उस तारीख को लागू होता है जिस तारीख को धारा 46 के अंतर्गत प्रविष्टि बिल या धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निर्यात का शिपिंग बिल प्रस्तुत किया जाता है।

(i) आईसीटी मुंबई में, वि.व.21 से संबंधित दर्ज सीबीई सीबीई -XIII और XIV) के कूरियर आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 19,788 बीई (कुल 4,71,848 बीई का चार *प्रतिशत*) के मामले में, निर्धारण योग्य मूल्य की गणना के लिए अपनाई गई विनिमय दरें बोर्ड द्वारा अधिसूचित दरों से भिन्न थीं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक और कम मूल्यांकन हुए **(तालिका 3.5)**।

तालिका 3.5: वि.व. 21 की विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाना - आईसीटी, मुंबई

वि.व.	बीई का प्रकार	बीई की कुल संख्या	मूल्यांकन से अधिक बिलों की संख्या	कुल अधि-मूल्यांकन (₹ लाख में)	मूल्यांकन के अंतर्गत बिलों की संख्या	कुल कम मूल्यांकन (₹ लाख में)
वि.व.21	सीबीई - XIII	3,27,225	15,570	6.45	3,030	2.66
	सीबीई - XIV	1,44,623	1,163	39.87	25	0.69
	कुल	**4,71,848**	**16,733**	**46.32**	**3,055**	3.36

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण कुछ मामलों में ईसीसीएस में गलत विनिमय दरें दर्शाई गई थीं और अल्पमूल्यांकन वाले मामलों में मांग नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे। किए गए अधिमूल्यांकन के मामलों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

(ii) आईसीटी अहमदाबाद में, महानिदेशक (सिस्टम) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 10,844 सीबीई (68,765 सीबीई का 16 *प्रतिशत*) के संबंध में गलत विनिमय दरें लागू की गई थीं। इसमें से 1,117 मामलों में अतिरिक्त दरें लागू की गईं, जबकि शेष 9,727 मामलों में कम विनिमय दर लागू की गई।

तथ्य यह है कि इन मामलों का घटित होना कमजोर सत्यापन नियंत्रण का संकेत देता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने "आईसीईएस 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा (सीएजी की वर्ष 2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14 - विनिमय दरों के अद्यतन न होना का उप पैरा)" पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अपने एक उत्तर में कहा कि विनिमय दर अधिसूचनाओं के आधार पर, निर्देशिका अधिकारी-निर्देशिका प्रबंधन साइट (जो आईसीडी, पटपड़गंज है) के निर्देशिका प्रबंधक की स्वीकृति मिलने के बाद आईसीईएस में बदलाव करता है।

तदनुसार, डीजी-सिस्टम को आईसीटी (मुंबई और अहमदाबाद) के अंतर्गत उजागर की गई असंगतता के कारणों की जांच करनी चाहिए और आश्वासनों के बावजूद असंगतता के लिए संपूर्ण कूरियर डेटा की समीक्षा करनी चाहिए।

(घ) व्यक्तिगत वस्तुओं पर शुल्क का न लगाना / कम लगाया जाना

हवाई या डाक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग (निर्धारित अपवादों को छोड़कर) के लिए शुल्क योग्य वस्तुओं के आयात को सीटीएच 9804 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क के अनुसार 42.08 *प्रतिशत* की दर से कुल शुल्क लागू है।

आंकड़ों के विश्लेषण से दो आईसीटी (बंगलुरू- जीवन रक्षक औषधियों 173 मामले, कोलकाता-8 मामले) में शुल्क दर के गलत अनुप्रयोग, गलत वर्गीकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी से छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारणों से व्यक्तिगत वस्तुओं पर कम शुल्क लगाने के मामलों का पता चला है ।

इसके परिणामस्वरूप कुल ₹26.19 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण नहीं हुआ (बेंगलुरु में ₹24.94 लाख, कोलकाता में ₹1.25 लाख)।

(ङ) उपहारों के आयात पर शुल्क का कम उद्ग्रहण

'₹5,000[24] मूल्य तक के वास्तविक व्यक्तिगत उपहारों को आयात शुल्क से छूट दी गई थी। हालांकि, आयातकों द्वारा इस लाभ के दुरुपयोग को देखते हुए, डीजीएफटी ने दिनांक 12 दिसंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 35/2015-20 के अंतर्गत पूर्ण लागू शुल्क के भुगतान को छोड़कर उपहारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। बोर्ड ने दिनांक 21 जनवरी 2020 के परिपत्र संख्या 4/2020-सीमा शुल्क के अंतर्गत स्पष्ट किया कि पूर्ण लागू शुल्क का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार टैरिफ दरें यानी बीसीडी+ एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी (कुल निर्धारण योग्य मूल्य का 77.28 *प्रतिशत*)। इसलिए उपहारों, ₹5,000 तक मूल्य वाले जिन पर शुल्कों की छूट दी गई थी, वे अब दिनांक 12 दिसंबर 2019 से शुल्क मुक्त नहीं हैं।

---

[24]दिनांक 13.10.2017 अधिसूचना संख्या 77/2017-सीमा शुल्क के तहत अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क में क्रमांक 608A डाला गया।

सीटीएच 98049000 के अंतर्गत 4,447 सीबीई में आयातित व्यक्तिगत उपहारों के मामले में चार आईसीटी (बंगलुरू, दिल्ली, कोच्चि और मुम्बई) में ₹3.16 करोड़ के कम उद्ग्रहण/ गैर-उद्ग्रहण देखा गया था।

(i) इसी तरह, आईसीटी बेंगलुरु**,** कोलकाता और मुंबई के माध्यम से निकासी किए गए वाणिज्यिक उपहारों के विश्लेषण से पता चला कि 1,496 सीबीई (6,73,207 बिलों में से) में ₹36.68 लाख का अल्प शुल्क लगाया गया। शुल्को का कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण करना या तो संबंधित टैरिफ शीर्षों में वाणिज्यिक वस्तुओं को वर्गीकृत करने या उपहार के रूप में फाइल करने के कारण हुआ जो वाणिज्यिक नमूनों के लिए थी और इसके विपरीत क्रम में भी ऐसा होने के कारण हुआ (फॉर्म सीबीई -**XII**)।

आईसीटी मुंबई अधिकारियों ने बताया (2023) कि बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यह भी कहा गया है कि डीजी सिस्टम को एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें ऐसे मुद्दों की जांच के लिए ईसीसीएस में आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया गया है।

एनसीटी**,** दिल्ली ने उत्तर दिया (मई 2024) कि 15 सीबीई में से 05 में आयातक ने अनजाने में अपने एडब्ल्यूबी/चालान में उपहार शब्द का उल्लेख किया था। तथापि**,** इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शुल्कों की दरें अधिसूचना की तारीख से लागू होती हैं न कि जारी किए गए स्पष्टीकरण**,** यदि कोई हो**,** की तारीख से।

मंत्रालय ईसीसीएस प्रणाली में कमजोरी की जांच करे जो त्रुटि और परिणामस्वरूप शुल्क के गलत उद्ग्रहण को चिह्नित करने में विफल रहा।

(च) कूरियर के माध्यम से निर्यात पर मूल्य-सीमा का पालन न करना

राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। तदनुसार, सीमा शुल्क[25] विभाग ने कूरियर के माध्यम से निर्यात की जाने वाली प्रत्येक खेप के लिए ₹पांच लाख की सीमा तय की थी। हालांकि, निर्यात खेपों के लिए जहां गारंटीकृत धन प्रेषण

[25]दिनांक 3 अगस्त 2018 की अधिसूचना संख्या 69/2018-सीमा शुल्क

के लिए छूट या भारतीय रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति प्राप्त की गई हो, तो ₹ पांच लाख से अधिक की खेप की भी अनुमति दी जा सकती है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के कूरियर शिपिंग बिलों के 178 नमूनों की जांच से पता चला कि दो आईसीटी {मुंबई -54 सीएसबी (150 सीएसबी में से), कोलकाता 09 सीएसबी (28 सीएसबी में से)} में ₹पांच लाख की निर्धारित निर्यात सीमा सीमा का पालन नहीं किया गया था।

यह भी देखा गया कि प्रति खेप ₹पांच लाख की सीमा से बचने के लिए, निर्यातकों ने एक ही दिन में एक ही प्राप्तकर्ता के लिए और 15 निर्यात खेपों में एक ही गंतव्य के लिए एक से अधिक शिपिंग बिल (सीएसबी-V) फाइल किए थे।

(iv) उपयोगकर्ता स्तर पर ईसीसीएस अनुप्रयोग में अन्य कमियां

ईसीसीएस अनुप्रयोग में प्रयोक्ता स्तर पर निम्नलिखित सीमाएं भी देखी गईं थीं:

क) आईसीटी, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई फील्ड में प्रणाली से किसी भी प्रकार की प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सीमा शुल्क स्टाफ की कोई संगत भूमिका नहीं है। स्टाफ प्रतिवेदन तैयार करने के लिए रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत नियुक्त स्थानिक तकनीशियनों पर निर्भर करता है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत आंकड़ों में अनेक कमियां पाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:

एकल सीबीई में कई आयातक, आपूर्तिकर्ता, मूल देश आदि शामिल हैं, शुल्क की दरें, अधिसूचना संख्या एक ही प्रकार के माल के लिए अलग-अलग थी, आयातित वस्तुओं की विभिन्न मात्रा के लिए समान मूल्यांकन योग्य मूल्य, अनियमित बीसीडी दरें डेटा में देखी गई थीं,

ग) आईसीटी चेन्नई में, लेखापरीक्षा में सत्यापित 50 शिपिंग बिलों में से 14 में कोई प्रासंगिक दस्तावेज जैसे एयरवे बिल/ चालान अपलोड नहीं किए गए थे और न ही एसबी में चालान संख्या का उल्लेख किया गया था।

घ) आईसीटी अहमदाबाद के संबंध में महानिदेशक (प्रणाली) से प्राप्त आंकड़ों में निम्नलिखित त्रुटियां थीं:

भेजनेवाला और प्राप्तकर्ता के नाम और पते गायब थे। 'माल विवरण' कॉलम में उल्लिखित वस्तुओं का विवरण 'एचडब्ल्यूएबी विवरण' कॉलम में

उल्लिखित लोगों से अलग था। इसके अलावा, सीटीएच के अंतर्गत इन वस्तुओं का वर्गीकरण माल के विवरण के अनुरूप नहीं था तथा लगाया गया बीसीडी/आईजीएसटी या तो 'निल' या शून्य (जीरो) था। छूट का दावा करने के लिए उल्लिखित अधिसूचना संख्या व क्रम संख्या त्रुटिपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा परीक्षण के अभाव, अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करने, विश्वसनीय आंकड़े तैयार न करने के कारण लेखापरीक्षा कुरियर विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकी। यह भी आश्वासन नहीं दिया गया था कि ईसीसीएस के अनुसार समापन इन्वेंट्री, एक निश्चित समय में संचालक के पास उपलब्ध भौतिक इन्वेंट्री से मेल खाती है।

निष्कर्ष: ईसीसी के पास उपहार और व्यक्तिगत आयात के लिए शुल्क निर्धारण पर कमजोर सत्यापन नियंत्रण था। इसके परिणामस्वरूप विनिमय दरों का गलत अनुप्रयोग, आयात के लिए गलत रूपों की स्वीकृति, उच्च ड्वैल समय, निर्यात खेप हेतु मात्रात्मक और मूल्य सीमा पर कमजोर नियंत्रण हुआ। रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोगकर्ता स्तरों पर कर्मचारियों के लिए सक्रिय मॉड्यूल की अनुपलब्धता और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत डेटा में त्रुटियां ईसीसी एप्लिकेशन की कई अन्य सीमाओं का दर्शाती हैं। इन कमजोरियों के परिणामस्वरूप अनुचित निर्धारण और बाद में राजस्व की हानि हुई।

सिफारिश संख्या 3: ईसीसीएस को सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाने के लिए, सत्यापन नियंत्रण और ड्वेल समय की समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे तेजी से कूरियर सामान निकासी सुनिश्चित हो सके। प्रयोक्ता स्तर पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए समुचित भूमिका के साथ लेखापरीक्षा और निगरानी मॉड्यूलों को लागू करके आंतरिक नियंत्रण उपायों को भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.8.3 यात्री सामान के लिए सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान रसीद (ईबीआर) प्रणाली का अनुपालन

क. प्रणालीगत मुद्दे:

3.8.3.1 निर्धारित प्रपत्र में एक्मपनीड सामान की अनिवार्य सूचना की घोषणा न करना

सीमा शुल्क सामान घोषणा विनियम, 2013 (संशोधित)[26] के नियम 3 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में आगमन पर सभी यात्रियों के पास शुल्क योग्य या निषिद्ध सामान ले जाने या घोषित करने के लिए कुछ भी है, तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र[27] में अपने एक्म्पनीड सामान की घोषणा करनी होगी। इसी प्रकार, आयात मेनिफेस्ट (वायुयान) विनियम, 1976 के अनुसार, विमान के कैप्टन तथा कर्मीदल के सदस्यों को संपत्तियों/संपत्ति विवरणों की सूची प्रस्तुत करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने आठ[28] अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में पाया कि यात्रियों द्वारा भरा गया सामान घोषणा प्रपत्र (बीडीएफ) अपूर्ण था और विभाग ने बीडीएफ तथा संपत्ति विवरणों का कोई आंकड़ा नहीं रखा था। इसके अलावा, विभाग अपूर्ण बीडीएफ को स्वीकार कर रहा था, जिसमें अनिवार्य सूचना जैसे कि देश का दौरा, देश जहां से आना, विदेश में रहने की अवधि और न तो सामान रसीद के साथ संलग्न बीडीएफ में सामान की संख्या का उल्लेख किया गया था और न ही माल के प्रकार को दर्ज किया गया था।

यद्यपि ₹50,000 रुपये की सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले सभी यात्रियों के लिए सीमा शुल्क को सामान घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है**,** फिर भी विभाग की जानकारी **(अनुलग्नक 9)** के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान सीमा शुल्क द्वारा प्रस्तुत और मूल्यांकन की गई घोषणाएं बहुत कम थीं, जो कुल घोषणाओं की 0.1 से 2.38 *प्रतिशत* तक थीं। देय शुल्क/वास्तविक वसूली के बारे में अपेक्षित सूचना के अभाव में और कमियों के मामले में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के अभाव में यात्रियों पर लगाए गए शुल्क की सत्यता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। इससे पता चलता है

---

[26]अधिसूचना संख्या 31/2016-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2016

[27] अधिसूचना संख्या 31/2016- सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2016

[28] अमृतसर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और गया विमानपत्तन,

कि विमानपत्तन पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्रियों द्वारा बीडीएफ को उचित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया।

सीमा शुल्क, चंडीगढ़ ने उत्तर दिया कि उन्होंने घोषणाओं का रखरखाव किया हुआ था, लेकिन सत्यापन के दौरान (जुलाई 2024) के दौरान लेखापरीक्षा को ऐसी कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई थी। अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

3.8.3.2 ईबीआर मॉड्यूल में सामान घोषणाओं को जारी न करना और अपलोड न करना

सितंबर 2019 से पहले, बीडीएफ की फाइलिंग और प्रसंस्करण मैनुअल था, और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को तीव्रतर सुविधा और सीमा शुल्क कर्मचारियों के शिफ्ट वार रोटेशन के दबाव में इसका अभिलेखन अत्यधिक अनियमित था। सीबीआईसी ने दिनांक 27 सितंबर 2019 को सामान रसीद मॉड्यूल (ईबीआर) में घोषणाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू की थी, जिससे सीमा शुल्क अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणाओं को संसाधित करने और स्वचालित रूप से शुल्क मांग उत्पन्न करने और सामान रसीद (बीआर) जारी करने में सक्षम हो गए थे। इसका उद्देश्य रसीदें जारी करने के मानवीय तरीके को बदलना भी था जिनमें गणना संबंधी त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश विमानपत्तनों की जांच में विभाग ईबीआर मॉड्यूल पर पूर्ण स्विच करने के बजाय अभी भी बीआर मैनुअल रूप से जारी कर रहा है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि रात्रि के समय यात्रियों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ती है, तथा सामान की घोषणा की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण लंबी कतारें लग जाती हैं, जबकि मैनुअल चालान ईबीआर चालान की तुलना में तेजी से तैयार होते हैं।

यह 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीआर/ईबीआर जारी करने के विवरण से स्पष्ट था (**अनुलग्नक 10** में सारांकित) कि:

i) बड़े विमानपत्तनों (मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता) में सामान रसीद जारी करने का मैनुअल मोड अधिक प्रचलन में था।

ii) अनुदेशों के अनुसार, जारी की गई मैनुअल सामान रसीदों को बाद में ईबीआर मॉड्यूल में अपलोड किया जाना अपेक्षित है। तथापि, मैनुअल बीआर प्रणाली में मैनुअल बीआर अपलोड न किए जाने की दर, गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 100 *प्रतिशत* से लेकर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर शून्य *प्रतिशत* तक भिन्न-भिन्न थी।

iii) इसके अलावा, एसजीआरडीजेआई विमानपत्तन, अमृतसर में ईबीआर मॉड्यूल अभी तक शुरू नहीं हुआ था (सितंबर 2023) और आईजीआईए, दिल्ली में रेड चैनल पर सामान रसीदों के लिए और वि.व.2020-21 के दौरान अवरोधक रसीदें जारी करने के लिए मैनुअल रसीदें अभी भी जारी की गई थीं।

जवाब में, सीमा शुल्क (विमानपत्तन), मुंबई और बैंगलुरु आयुक्तालय ने कहा कि आईसीईएस नेटवर्क कभी-कभी बहुत धीमी गति से काम करता है और अब-तब विलंब करता है, जिसके लिए यात्री की त्वरित निकासी को पूरा करने के लिए मैनुअल बीआर का उपयोग करने का सहारा लिया गया था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, अमृतसर ने ईबीआर मॉड्यूल के शुरू न होने की बात स्वीकार की और कहा (फरवरी 2024) कि इसे दिसंबर 2022 से चालू किया गया था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, विमानपत्तन, आईजीआईए, दिल्ली और अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मई 2023) कि यथासंभव ईबीआर में डेटा फीड करने के निर्देश जारी किए गए थे।

आयुक्तालयों से प्राप्त उत्तर इस तथ्य को स्वीकृति है कि बोर्ड स्तर पर माड्यूल की शुरूआत/वास्तविक चलन की निगरानी नहीं की जा रही है। परिचालन संबंधी मुद्दों का भी समाधान नहीं किया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे/बाद के रखरखाव पर किए गए व्यय को लाभकारी उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली लागू होने के तीन वर्षों के बाद भी वांछित यात्री भार को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से स्थिर नहीं हुई थी। इससे यात्रियों को मिलने वाली स्वीकृति प्रभावित होगी और विमानपत्तन पर प्रतीक्षा समय में वृद्धि होगी।

मंत्रालय ईबीआर मॉड्यूल के माध्यम से बीआर जारी करने में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करे और इसके प्रभावी उपयोग की निगरानी कर सकता है।

3.8.3.3 ईबीआर मॉड्यूल में भुगतान की स्थिति को अद्यतन न करना।

दिनांक 27 सितंबर 2019 को लॉन्च किए गए ईबीआर मॉड्यूल ने भुगतान रजिस्टर को अपडेट करने के लिए मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से जारी सामान रसीदों को अपलोड करने की कार्य-सुविधा (फरवरी 2021) की शुरुआत की थी। (परामर्शिका संख्या: ईबीआर/01/2021 दिनांक 27 सितंबर 2021)

यह देखा गया है कि तीन सीमा शुल्क आयुक्तालयों (विमानपत्तन); हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई, में सामान पर लगाए गए शुल्क को वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ईबीआर रजिस्टर में भुगतान के रूप में नहीं दिखाया गया था। तीनों आयुक्तालयों में सामान शुल्क भुगतान के प्रदर्शित न होने की प्रतिशतता तीन से 27 *प्रतिशत* के मध्य है जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: ईबीआर मॉड्यूल में भुगतान स्थिति अद्यतन नहीं

क्र.सं.	एयरपोर्ट आयुक्तालय	वित्तीय वर्ष	ईबीआर (आईटी सिस्टम के अनुसार)	भुगतान की स्थिति		भुगतान नहीं किए गए मामलों की प्रतिशतता
				भुगतान किया	भुगतान नहीं किया गया	
1	मुंबई	2019-20 to 2021-22	4,134	3,028	1,106	27
2	दिल्ली		5,237	4,621	616	12
3	हैदराबाद		9,789	9,450	339	3
	कुल				**2,061**	

लेखापरीक्षा द्वारा सामान शुल्क का भुगतान न करने/भुगतान न किए जाने के कारणों की मांग की गई थी।

एसीसी, हैदराबाद ने उत्तर दिया कि नामित शाखा से स्क्रॉल नंबर प्राप्त करने और चालान को अपडेट करने के प्रयास किए जा रहे थे। मुंबई और दिल्ली आयुक्तालयों से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

3.8.3.4 सामान विवरणों के अग्रिम फाइलिंग के लिए डिजिटल एप्लिकेशन का कम उपयोग

सीमा शुल्क विभाग ने सीमा शुल्क प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सामान की अग्रिम घोषणा के लिए दिनांक 4 नवंबर 2019 को "ATITHI@IndianCustoms" नामक एक डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च[29] किया था। इसे भारत में डिजिटल गवर्नेंस को चलाने के लिए महानिदेशालय-सिस्टम, सीबीआईसी, डीओआर, एमओएफ द्वारा विकसित किया गया था। यह एप्लिकेशन विश्व स्तर पर भारत की यात्रा करने वाले सभी आगंतुकों को अपना सामान, आइटम और मुद्रा घोषणाएं और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह परिकल्पना की गई थी कि इससे सीमा शुल्क घोषणा में लगने वाले समय में कमी आएगी और भारतीय विमानपत्तनों पर आगमन प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के उन यात्रियों की संख्या के बारे में संबंधित आंकड़ों को मांगा, जिन्होंने स्वेच्छा से सामान की घोषणा की और उन यात्रियों की संख्या जिन्होंने पकड़े जाने के बाद घोषणा की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उन यात्रियों का विवरण भी मांगा जिन्होंने अग्रिम सामान घोषणा के लिए डिजिटल ऐप "ATITHI@IndianCustoms" का उपयोग किया था और ईबीआर मॉड्यूल में संसाधित वास्तविक संख्या का भी विवरण मांगा था।

हालांकि, विभाग द्वारा सांख्यिकीय जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, जो इस ऐप के बहुत कम उपयोग को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिजिटल अनुप्रयोग "ATITHI@IndianCustoms" के कम उपयोग को इलेक्ट्रॉनिक शुल्क भुगतान करने के विकल्प नहीं होने की इसकी सीमा के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसा कि अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है। डिजिटल भुगतान सुविधा नहीं होने के तथ्य की पुष्टि सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), मुंबई और हैदराबाद ने लेखापरीक्षा जांच के अपने जवाब में की थी।

[29] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=194236

तदनुसार, डिजिटल अनुप्रयोग की चलन और परिचालन पर किए गए व्यय का उपयोग इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाभप्रद रूप से नहीं किया जा रहा है।

विभाग को व्यापक उपयोग हेतु अनुकूल और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस एप्लिकेशन की कार्यक्षमता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.8.3.5 बैंक से असम्बद्ध ईबीआर मॉड्यूल

मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ एयरपोर्ट की जांच से पता चला कि ईबीआर मॉड्यूल ड्यूटी के भुगतान के लिए नामित बैंक के साथ एकीकृत नहीं था। यात्री को बैंक काउंटर पर मैन्युअल रूप से ड्यूटी डिमांड का भुगतान करना पड़ता था और सामान की रिहाई के लिए इसे सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता था। सीमा शुल्क विभाग ईबीआर मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से भुगतान विवरण दर्ज करते हैं। इसके अलावा, बैंक ईबीआर नंबर/डीडीआर नंबर, यात्री का नाम और दैनिक आधार पर जमा की गई ड्यूटी की राशि का उल्लेख करते हुए सीमा शुल्क विभाग के एडमिन (टेक) अनुभाग को एक दैनिक रिपोर्ट भी भेजता है।

तदनुसार, यह प्रक्रिया शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा की अनुपस्थिति और इस उद्देश्य के लिए ईबीआर मॉड्यूल और बैंक के मध्य एकीकरण की अनुपस्थिति को इंगित करती है। विमानपत्तन के क्षेत्र में मैनुअल शुल्क भुगतान पद्धति जिसके परिणामस्वरूप भीड़ और यात्री सुविधा में निकासी /प्रतीक्षा समय बढ़ जाता है।

जवाब में, सीमा शुल्क विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ईबीआर मॉड्यूल के भुगतान को वास्तविक समय के आधार पर बैंक के साथ नहीं जोड़ा गया था।

मंत्रालय बेहतर यात्री सुविधा सेवाओं और छवि निर्माण उपायों के लिए इस मुद्दे पर ध्यान दे, जिसके बड़े दीर्घकालिक परिणाम होंगे।

3.8.3.6 ईबीआर मॉड्यूल में अन्य कमियां

उपर्युक्त अपर्याप्तताओं के अतिरिक्त, ईबीआर मॉड्यूल में अन्य कमियां भी देखी गई हैं:

क) ईबीआर मॉड्यूल ने यात्री विवरण अनुभाग में तारांकन (*) से चिह्नित अनिवार्य फ़ील्ड, जैसे 'यात्री का वर्गीकरण (पैक्स)' और 'विदेश में रहने की अवधि' को भरे बिना भी लेनदेन को पूरा करने की अनुमति दी।

ख) अनिवार्य फ़ील्ड 'विदेश में रहने की अवधि' को 'ड्यूटी विवरण' अनुभाग के साथ लिंक नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भले ही फ़ील्ड 'विदेश में रहने की अवधि' शून्य (0) से भरी गई हो, सिस्टम ने शुल्क की रियायती दर का लाभ दिया है जो केवल उन यात्रियों के लिए लागू है जो विदेश में छह महीने से कम समय तक रहने के बाद भारत लौटते हैं।

ग) ड्यूटी फ्री अलाउंस (डीएफए) की सीमा भारतीय यात्रियों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होती है। लेकिन सिस्टम ने डीएफए की अनुमति दे दी, भले ही अनिवार्य फ़ील्ड 'पैक्स का वर्गीकरण' भरा न हो।

घ) मॉड्यूल के एक भाग में इनपुट को दूसरे भाग की प्रक्रिया से क्रमिक रूप से नहीं जोड़ा गया था और परिणामस्वरूप मॉड्यूल ने अनिवार्य फ़ील्ड को मान्य/पुष्टि किए बिना लेनदेन को पूरा करने की अनुमति दी। यह अपर्याप्त अंतर्निहित सत्यापन को इंगित करता है और मानवीय हस्तक्षेप एवं गणना त्रुटियों के लिए पर्याप्त संभावनाएं छोड़ता है।

ङ) आभूषण, सेल फोन, लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम आदि जैसे कीमती सामान के साथ विदेश यात्रा करने वाले यात्री इनको घोषित कर सकते हैं और सीमा शुल्क विभाग से निर्यात-प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, ताकि शुल्क से छूट पाने के लिए तीन साल के भीतर वापसी पर आयात करते समय इसे दिखाया जा सके। यह देखा गया है कि ऐसे निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ईबीआर मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया था, जो आगमन पर शुल्क के आकलन के लिए उपयोगी होगा।

सीमा शुल्क विभाग ने स्वीकार किया कि ईबीआर मॉड्यूल सीमा शुल्क की आईसीईएस प्रणाली के साथ सहज रूप से एकीकृत नहीं है।

3.8.3.7 डीजी सिस्टम द्वारा प्रस्तुत अनुपयुक्त और अपर्याप्त ईबीआर डेटा

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर डीजी सिस्टम ने दिनांक 1 जनवरी 2019 से 9 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए सामान मूल्यांकन का ईबीआर डेटा (कुल डेटा का 10 *प्रतिशत*) उपलब्ध कराया था। प्रस्तुत किए गए अखिल भारतीय ईबीआर डेटा में केवल 31 प्रविष्टियाँ हैं, जिसका तात्पर्य है कि दिनांक 1 जनवरी 2019 से 9 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान सिस्टम में कुल डेटा केवल 310 प्रविष्टियाँ थीं, जो अनुचित प्रतीत होती हैं। क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि मुंबई एयरपोर्ट में ही वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान कुल सामान ईबीआर डेटा 4,137 था।

इसके अलावा, ईबीआर डेटा में, तीन प्रविष्टियों ने ₹986 लाख (हैदराबाद एयर कार्गो- वस्तु- प्रोटीन परफ्यूम), ₹35 लाख (चेन्नई एयर कार्गो- वस्तु -एलईडी टीवी) और ₹30 लाख (बॉम्बे एयर कार्गो- वस्तु -एलईडी टीवी) के उच्च कर योग्य मूल्यों को दर्शाया था, लेकिन इन पर लगाए गए शुल्क को शून्य दिखाया गया था, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए डेटा की अविश्वसनीय प्रकृति को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया ईबीआर डेटा अपर्याप्त था, वैकल्पिक रूप से, डेटा की विश्वसनीयता और सत्यापनीयता का अभाव पाया गया।

सिफारिश संख्या 4: नेटवर्क और सिस्टम संबंधी समस्याओं (यदि कोई हो) को हल करने के बाद ईबीआर मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग, तथा मॉड्यूल में सभी मैनुअल बीआर को अनिवार्य रूप से अपलोड करना, डेटा की सटीकता और उच्च प्रबंधन को सही रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है। सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने के लिए अग्रिम घोषणाओं के लिए मॉड्यूल को डिजिटल ऐप "ATITHI @Indian Customs" के साथ और डिजिटल भुगतान कार्यक्षमता के लिए बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग को डिजिटल ऐप के उपयोग की समीक्षा करने और यात्रियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और निर्यात प्रमाणपत्रों को कवर करने के लिए ईबीआर मॉड्यूल का विस्तार किया जा सकता है।

3.8.3.8 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के अनुसार सामान मूल्यांकन के अनुपालन के लिए विमानपत्तनों पर आंतरिक सिस्टम का एकीकरण

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सामान का मूल्यांकन

विमानपत्तन/समुद्रीपत्तन/स्थल सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमा शुल्क में सामान मूल्यांकन के लिए भी सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 लागू हैं।

(i) आगमन स्थान पर सामान का मूल्यांकन

लेखापरीक्षा निम्नलिखित आवश्यक रिकार्डों के अभाव में, जो उपलब्ध नहीं कराये गए थे, चार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (भुवनेश्वर, लखनऊ, चेन्नई और गया विमानपत्तन) की परीक्षण जांच के अंतर्गत आगमन स्थान पर सामान के मूल्यांकन पर सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के अनुपालन की जांच नहीं कर सका:

क) फ्री-एलाउंस की उचित निगरानी के लिए भारत से बाहर रहने की अवधि दर्शाने वाले पासपोर्ट की फोटोप्रतियां 219 बीडी (लखनऊ-20 बीडी, गया विमानपत्तन-199 बीडी) में उपलब्ध नहीं थीं।

ख) एआईए, चेन्नई में जांचे गए 150 नमूनों में माल का लेन-देन मूल्य निर्धारित करने के लिए तथा छूट प्रदान करने के लिए आधार एवं मूल्यह्रास का दावा करने के लिए उनके उपयोग की अवधि अथवा पुराने माल का मूल्य निर्धारण करने के लिए चालान प्रति/ई-खोज मूल्य/सामान घोषणा की प्रति अभिलेखों मे उपलब्ध नही थी।

आयुक्त (सीमा शुल्क), लखनऊ ने रिपोर्ट दी (मार्च 2023) कि बीडीएफ यात्री द्वारा प्रस्तुत एक घोषणा है और लखनऊ विमानपत्तन पर पहुंचने वाले अधिकांश यात्री, अशिक्षित होने या बहुत कम शिक्षित होने के कारण फॉर्म को सही ढंग से नहीं भरते हैं। हालांकि, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं (फरवरी 2023) कि वे यह सुनिश्चित करें कि यात्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी बीडीएफ पूरे हों, जैसा कि लेखापरीक्ष द्वारा बताया गया है।

हालाँकि विभाग ने स्वीकार किया था कि बीडीएफ अधूरे थे, तथापि, घोषणा पत्र भरवाना सीमा शुल्क अधिकारियों का कर्तव्य है। सीमा शुल्क नियमावली 2018, (पैरा 2.3-अध्याय 26) के अनुसार, यदि फॉर्म अधूरा है, तो सीमा शुल्क अधिकारी

यात्री की मौखिक घोषणा को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा और तत्पश्चात यात्री के हस्ताक्षर लेने के बाद उस पर प्रतिहस्ताक्षर/मुहर लगाएगा।

इस प्रकार, सही मूल्यांकन के संबंध में दस्तावेजों (जैसे चालान, बीडीएफ आदि) के पुष्टिकारक ट्रेल के अभाव में लेखापरीक्षा सीमा शुल्क सामान मूल्यांकन नियमों के अनुपालन के बारे में आश्वासन नहीं दे सकी। सामान का किया गया मूल्यांकन पूरी तरह से सीमा शुल्क अधिकारियों के विवेक से किया प्रतीत होता है।

(ii) प्रस्थान स्थान पर सामान का मूल्यांकन (निर्यात प्रमाणपत्र जारी करना)

सीबीआईसी ने बार-बार विदेश जाने वाले व्यापार यात्रियों, जो आमतौर पर अपने साथ महंगे उपकरण ले जाते हैं, को निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा के लिए (जनवरी, 2002)[30] प्रमाणपत्र के एक निर्धारित प्रारूप[31] की उपलब्धता को दोहराया ताकि ये यात्री अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या पोर्ट से प्रस्थान से काफी पहले प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें।

एनएससीबीआई विमानपत्तन कोलकाता, एआईए चेन्नई और केआईए बेंगलुरु में, नमूना निर्यात प्रमाणपत्रों के लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि निर्यात प्रमाणपत्र बिना चालान या मूल्यांकन प्रमाण पत्र के जारी किए गए थे, सोने के आभूषणों के मामले में फोटो के बिना जारी किए गए थे। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा किए गए मूल्यांकनों जो विवेकाधीन प्रतीत होते हैं, की शुद्धता या असत्यता के बारे में टिप्पणी करने में असहाय है ।

ख. अनुपालना संबन्धित मुद्दे:

ईबीआर (एक्म्पनीड सामान) रिकॉर्ड की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनुपालना संबन्धित मुद्दे देखे जिन पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गयी है:

---

[30] परिपत्र सं 2/2002-सीयूएस दिनांक 8 जनवरी 2002

[31] सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), कोलकाता - सार्वजनिक सूचना संख्या 7/2016 दिनांक 18 जनवरी और सीमा शुल्क आयुक्तालय (वायु), चेन्नई की वेबसाइट ने निर्यात प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया।

3.8.3.9 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सोने और आभूषणों पर गलत शुल्क लगाना

सामान नियम, 2016 के नियम 5 में एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले यात्री के भारत लौटने पर को ₹50,000 (महिला यात्री के लिए ₹1 लाख मूल्य के साथ 40 ग्राम) के मूल्य कैप के साथ 20 ग्राम वजन तक के आभूषणों के शुल्क मुक्त भत्ते (डीएफए) का प्रावधान है। भारतीय मूल के यात्री, जो छह माह या उससे अधिक समय तक रुकने के बाद भारत लौट रहे हैं, द्वारा लाए गए सोने के बार/सिक्के और जड़ित आभूषणों के अलावा अन्य आभूषणों पर शुल्क की निर्धारित रियायती दरें लागू होंगी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सामान शुल्क के अंतर्गत सोने के आभूषणों के कुल 106 मामलों (एसजीआरडीजीआईए अमृतसर -23 मामलें, बीपीआईए भुवनेश्वर-24 मामलें, सीसीएसआईए लखनऊ-25 मामलें और एनएससीबीआईए कोलकाता-34 मामलें) में, ₹71.70 लाख का शुल्क कम लगाया था क्योंकि छः महीने से अधिक रहने और विदेशी मुद्रा में शुल्क निर्वहन की निर्धारित शर्त पूरी नहीं हुई थी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लखनऊ ने 25 मामलों में ब्याज सहित ₹0.31 लाख की वसूली की सूचना दी।

अमृतसर विमानपत्तन सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने आठ मामलों में एस.सी.एन. जारी करने की सूचना दी तथा बताया कि 15 मामलों में वसूली सही थी, यद्यपि इसके समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अलावा, सीसीएसआईए लखनऊ के अंतर्गत अन्य 105 मामलों में शुल्क दर के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹3.25 लाख का अतिरिक्त शुल्क लगाना पाया गया।

3.8.3.10 सोने के आभूषणों के अलावा अन्य वस्तुओं पर गलत शुल्क लगाना

सामान की शुल्क प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि डीएफए (भारतीयों के लिए ₹50,000 और विदेशियों के लिए ₹15,000) से अधिक मंजूरियों (शराब/इत्र आदि) के परिणामस्वरूप तीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों (मुंबई, अमृतसर और लखनऊ) के अंतर्गत 17 बीडीएफ में ₹1.64 लाख का शुल्क कम लगाया गया था **(अनुलग्नक 11)**।

अमृतसर में सीमा शुल्क अधिकारियों ने (फरवरी 2024) ₹0.33 लाख और ₹0.11 लाख का ब्याज की वसूली की सूचना दी।

सिफारिश संख्या 5: सामान के आकलन की निगरानी और उचित लेखापरीक्षा ट्रेल्स के लिए, खरीद बीजक/ई-सर्च मूल्य/सामान के मूल्य का उल्लेख करते हुए सामान की घोषणा की प्रति, विदेश में रहने की अवधि के आधार पर शुल्क लाभ का दावा करने के लिए पासपोर्ट की प्रति जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से ईबीआर मॉड्यूल में अपलोड किए जा सकते हैं।

3.8.4 अनएक्म्पनीड सामान (यूबी) यात्री मॉड्यूल का एकीकरण

सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं के साथ अनएक्म्पनीड सामान मॉड्यूल की जांच से निम्नलिखित प्रणालीगत और अनुपालन संबंधी कमियां सामने आईं, जिनका वर्णन आगे के पैराग्राफों में किया गया है।

क. प्रणालीगत मुद्दे:

3.8.4.1 अनएक्म्पनीड सामान की निकासी के लिए बीडीएफ प्रपत्रों का मैनुअल प्रसंस्करण

सामान घोषणा फॉर्म (बीडीएफ) सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के यूबी मॉड्यूल में वांछनीय विवरण के साथ ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। बीडीएफ को माल के एक निर्दिष्ट *प्रतिशत* की जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाना है। चूंकि अधिकांश वस्तुएं घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, इसलिए मूल्यांकन उचित मूल्य/मूल्यह्रास मूल्य पद्धति पर किया जाता है। वस्तुएं शुल्क के भुगतान पर मुक्त की जाती हैं।

यूबी निकासी को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात निवास का स्थानांतरण (टीआर- न्यूनतम दो वर्ष या अधिक का प्रवास), मिनी टीआर (एमटीआर- तीन महीने से एक वर्ष तक) और टीआर/एमटीआर के अलावा अर्थात निवास का गैर-हस्तांतरण (एनटीआर)। अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि बीडीएफ का प्रसंस्करण अभी भी मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, जिसके कारण विवेकाधिकार और दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

3.8.4.2 तीन साल के भीतर एक ही यात्री को कई टीआर भत्तों का गलत लाभ

निवास स्थानांतरण (टीआर) श्रेणी के अंतर्गत ₹5 लाख तक के शुल्क मुक्त सामान की अनुमति है बशर्ते कि पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री ने ऐसा लाभ न लिया हो।

जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान यूबी केंद्रों, जेएनसीएच-मुंबई, एसीसी-दिल्ली, एएसी-हैदराबाद, आईसीडी-सनथनगर, हैदराबाद और एसीसी-बेंगलुरु में फाइल किए गए 27,321 बीडीएफ के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 38 यात्रियों[32] ने तीन वर्षों के भीतर दो बार टीआर लाभ उठाया था, जैसा कि फाइल किए गए 86 बीडीएफ में देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क मुक्त भत्ते का लाभ लिया गया जिससे ₹41.22 लाख के शुल्क का नुकसान हुआ **(अनुलग्नक 12)**।

यह मॉड्यूल उस यात्री को रोकने में अप्रभावी रहा जिसने टीआर श्रेणी के अंतर्गत नया बीडीएफ स्वीकार करने से पहले पिछले तीन वर्षों में टीआर लाभ लिया था। यह सत्यापन नियंत्रण में कमजोरी को इंगित करता है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (एनएस-I) जेएनसीएच, मुंबई ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 23 यात्रियों में से 12 में लागू देय राशि (₹9.14 लाख) पहले ही एकत्र कर ली गई थी और शेष बीडीएफ में वसूली चल रही थी और इस संबंध में बीडीएफ मॉड्यूल में कमियों पर भी सहमति व्यक्त की। विभाग ने आगे कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए, यूबी सेंटर जेएनसीएच, मुंबई दिसंबर 2022 से डीजी सिस्टम से यूबी मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित पैन इंडिया बीडीएफ दैनिक आधार पर प्राप्त करता है और टीआर श्रेणी के अंतर्गत उसी यात्री द्वारा फाइल किए गए दूसरे बीडीएफ की जांच करता है।

तथ्य यह है कि यूबी मॉड्यूल बिना किसी सत्यापन जांच के भारत में उसी पोर्ट या भारत के किसी अन्य पोर्ट में तीन साल पूरा होने से पहले दोहरा डीएफए लाभ फाइल करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, जेएनसीएच मुंबई का यह कथन कि अखिल भारतीय स्तर पर संसाधित बीडीएफ

---

[32] जेएनसीएच मुंबई -23 यात्री, एसीसी, बेंगलुरु -2 यात्री, प्लस डेटा विश्लेषण -13 यात्री (एसीसी-दिल्ली, एएसी-हैदराबाद -02, आईसीडी सनथ नगर- हैदराबाद को कवर करते हुए)

को यात्री द्वारा दूसरा बीडीएफ फाइल करने की जांच के लिए डीजी सिस्टम से प्राप्त किया जाता है, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से स्वचालित प्रणाली संरचित नियंत्रण के बजाय मूल्यांकन अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। इसके अलावा, यह अहमदाबाद, लखनऊ के मामलों में पूर्ण प्रामाणिक विधि नहीं है जहां बीडीएफ को अभी भी में मैन्युअल रूप से संसाधित किया जा रहा है जो डीजी सिस्टम डेटा से बाहर हैं।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन और एसीसी), बेंगलुरु ने दोहरे टीआर लाभ के कारण एक यात्री को दिया अतिरिक्त मुफ्त भत्ता स्वीकार किया और ब्याज एवं जुर्माना सहित ₹0.28 लाख की वसूली की सूचना दी।

एसीसी हैदराबाद ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि एक मामले में ₹2.02 लाख की राशि वसूल की गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति डीजी-सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल 10 *प्रतिशत* आंकड़ों पर आधारित था, तदनुसार, मंत्रालय किए गए आकलन की सत्यता की जांच करने के लिए संपूर्ण अखिल भारतीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर सकता है।

3.8.4.3 एक ही तारीख पर आगमन और छोटी अवधि के आगमन के लिए एक ही समय पर टीआर और एमटीआर भत्तों का गलत लाभ

टीआर लाभ तीन साल में एक बार लिया जा सकता है और एमटीआर लाभ तीन से छह महीने विदेश में रहने के लिए लिया जा सकता है। परीक्षण में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला

जांच से पता चला कि यूबी मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण न होने के कारण टीआर और एमटीआर दोनों के लाभों की अनुमति दी गई थी।

i) आईसीडी सनथनगर, हैदराबाद और यूबी टर्मिनल बेंगलुरु में, 25 यात्रियों (सनथ नगर में 18 और बेंगलुरु में 7) ने टीआर और एमटीआर श्रेणी के अंतर्गत दो-दो बीडीएफ (कुल 36 बीडीएफ) फाइल किए हैं, जिसमें दोनों बीडीएफ के मध्य समय अंतराल 0 से 351 दिनों तक है और छः यात्रियों ने अपने पहले नाम, उपनाम में जंबलिंग करके अलग-अलग पोर्टों में प्रत्येक

द्वारा दो-दो बीडीएफ फाइल किए हैं, और निर्दिष्ट मूल्य सीमा से अधिक लाभ प्राप्त किया।

ii) इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क के छः[33] आयुक्तालयों में, डीजी (सिस्टम) के 10 *प्रतिशत* आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 14 यात्रियों (8,081 बीडीएफ में से 28 बीडीएफ[34]) ने आगमन की समान तारीख के लिए टीआर और एमटीआर या एमटीआर और एनटीआर श्रेणी के अंतर्गत दो-दो बीडीएफ फाइल किए और दोनों बीडीएफ का कुल सामान शुल्क मुक्त भत्ते से अधिक हो गया , जिससे ₹24.18 लाख का राजस्व घाटा हुआ।

हैदराबाद यूबी केंद्र के अधिकारियों ने जवाब दिया कि सामान नियम, 2016 के नियम 3 में विदेश से आने वाले किसी प्रामाणिक यात्री को बिना किसी शर्त के एमटीआर का लाभ देने का प्रावधान है और छः यात्रियों के मामले में जिन्होंने दो-दो बार टीआर लाभ उठाया था, वसूली की कार्यवाही पूरी हो गई है और शेष मुद्दों में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आईसीडी तुगलकाबाद ने एक बीडीएफ में ₹1.93 लाख की वसूली सूचित की (अक्टूबर 2023)।

बेंगलुरु यूबी केंद्र के अधिकारियों ने जवाब दिया कि शुल्क के भुगतान पर एक यात्री द्वारा एक से अधिक बार एनटीआर सुविधा का लाभ उठाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और आगे कहा (दिसंबर 2023) कि विदेश में तीन महीने से कम प्रवास के बाद लौटने वाले यात्रियों के लिए कोई अन्य श्रेणी नहीं थी तथा उन्हें केवल एनटीआर के अंतर्गत ही फाइल करना पड़ता है और ऐसे यात्रियों को नियमित भत्ते के साथ अनुमति दी गई थी।

बेंगलुरु का जवाब आंशिक रूप से स्वीकार्य है कि विदेश में तीन महीने से कम के प्रवास से लौटने वाले यात्रियों को एनटीआर श्रेणी के अंतर्गत फाइल करना पड़ता है। हालांकि, एनटीआर के अंतर्गत, टीआर श्रेणी के अंतर्गत के भत्ते के

---

[33] बेंगलुरु, हैदराबाद, आईसीडी-तुगलकाबाद, चेन्नई सागर, और एसीसी मुंबई, जेएनसीएच मुंबई

[34] आईएनएनएसए1(4), आईएनबीओएम4(1), आईएनबीएलआर4(3), आईएनडब्ल्यूएफडी6(2), आईएनएचआईडी4(3), आईएनएसएनएफ6(4), आईएनटीकेडी6(8), आईएनएमए1(3)

अतिरिक्त ₹60,000 तक के स्वचल भत्ते को अप्रासंगिक या नियमविरुद्ध नहीं कहा जा सकता है।

3.8.4.4 यूबी मॉड्यूल में गलत आकलन

अनएक्म्पनीड सामान (यूबी) को एकल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 9803 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा शुल्क-मुक्त सीमा से अधिक व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुओं के कुल मूल्य पर 38.50 *प्रतिशत* की समग्र शुल्क दर लगाई जाती है, जबकि प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं शुल्क-मुक्त हैं तथा उन्हें मूल्य सीमा में नहीं गिना जाता है।

इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना संख्या 27/2016-सीमा शुल्क ने विदेश में कम से कम एक वर्ष रहने वाले यात्री को तालिका-I[35] के अंतर्गत सूचीबद्ध वस्तुओं को शुल्क मुक्त और तालिका-II[36] के अंतर्गत कवर किए गए सामानों को 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के भुगतान पर लाने की अनुमति दी है। टीआर श्रेणी के अंतर्गत, कुल मूल्य से ₹पांच लाख तक का शुल्क मुक्त भत्ता काटने के बाद प्राप्त कुल मूल्य पर शुल्क लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से तीन यूबी केन्द्रों {मुम्बई (120 बीडीएफ), एनएससीबीआई विमानपत्तन, कोलकाता (4 बीडीएफ), चेन्नई एयर (4 बीडीएफ)} में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के मामलों का पता चला।

पाई गई अनियमितताओं में आवास हस्तांतरण (टीआर) मामलों में शुल्क निर्धारण का कम अधिरोपण (₹2.47 लाख), कुल मूल्य की गलत गणना के कारण अधिक अधिरोपण (₹27.03 लाख), वस्तुओं का कुल मूल्य अनुमत डीएफए सीमा से अधिक होना शामिल है। इसके अलावा, प्रतिबंधित वस्तुओं (उपयोग किए गए कंप्यूटर/लैपटॉप सहित नवीनीकृत / पुनर्निर्मित, अनब्रांडेड हेडफ़ोन) को बिना किसी

---

[35] वीडियो प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एसी, माइक्रो-ओवेन, वॉशिंग मशीन, 300 लीटर तक फ्रिज, लैपटॉप

[36] होम थिएटर, डिशवॉशर, टीवी, 300 लीटर से ऊपर का फ्रिज, वीडियो रिकॉर्डर, गहने के अलावा किसी भी रूप में सोना या चांदी

अनुमति[37] के शुल्क के भुगतान के बाद निकासी दे दी गई थी और प्रणाली सचेत करने में विफल रही।

यह यूबी मॉड्यूल में सामान में माल के मूल्य के आधार पर स्वचालित रूप से शुल्क की गणना करने या प्रतिबंधित आयात को चिह्नित करने में कमजोरी को इंगित करता है।

यूबी सेंटर जेएनसीएच मुंबई ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि मॉड्यूल डीएफए सीमा पार होने के बाद शुल्क सृजित करता है। हालांकि, शुल्क की सही दर लगाने के लिए प्रत्येक आइटम के लिए दिए गए कोड को दर्ज करने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विभाग ने आगे बताया कि मैनुअल हस्तक्षेप से कभी-कभी त्रुटियां होती हैं, और लेखापरीक्षा में इंगित 20 बीडीएफ को कोड के संदर्भ में सत्यापित किया जा रहा था।

यूबी प्राधिकारी, कोलकाता ने बताया कि प्रणाली समग्र छूट मूल्य पार हो जाने के मामले में बीडीएफ को चिन्हांकित करने में विफल रहती है।

यूबी, चेन्नई के प्राधिकारियों ने अपने उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-47/28/2020-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 10 नवंबर 2020 के साथ डीजीएफटी अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2015 के अंतर्गत लैपटाप को व्यक्तिगत उपयोग के लिए मानते हुए जुर्माना और मोचन जुर्माना लगाने के बाद निकासी को उचित ठहराया।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एमईआईटीवाई परिपत्र 'केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामानों की निकासी' के लिए है, इसलिए भारी मात्रा में निकासी किए गए इन सामान पर लागू नहीं होता है। तदनुसार, भारी मात्रा में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप (10/23/24 नंबर) को व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं माना जा सकता है, बल्कि एफटीपी के अंतर्गत

[37] एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.31 में नवीनीकरण/पुन: वातानुकूलित सहित पर्सनल कंप्यूटरों/लैपटॉप का आयात प्रतिबंधित है लेकिन प्राधिकरण के तहत आयात योग्य है।

प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के रूप में माना जा सकता है, परिणामस्वरूप निकासी नहीं दी जानी चाहिए थी।

प्रणाली में सत्यापन जांच के अभाव में, यात्रियों को निर्धारित मूल्य सीमा तक सीमित किए बिना विभिन्न पोर्टो के माध्यम से कई टीआर / एनटीआर का दावा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, आगमन की एक ही तारीख को फाइल किए गए कई बीडीएफ के मामलों में टीआर/एनटीआर लाभ के लिए यात्रियों की स्व-घोषणा उनके दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अहमदाबाद, लखनऊ और अन्य पोर्टो पर बीडी के मैनुअल प्रसंस्करण को डिजिटल प्रसंस्करण के साथ प्रतिस्थापित किये जाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों द्वारा डिजिटल पोर्ट और मैनुअल पोर्ट दोनों के माध्यम से लाभ का दावा करने के संभावित जोखिम से बचा जा सके।

3.8.4.5 विदेशियों के अनएक्म्पनीड सामान का कम मूल्यांकन

सामान नियमों के अनुसार, भारत में आने वाले विदेशी, जो भारत में निवास नहीं करते हैं, सामान भत्तों में किसी भी रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10(2) में यह निर्धारित किया गया है कि आयातित माल का मूल्य आयात के समय व स्थान पर सुपुर्दगी के लिए ऐसे माल का मूल्य होगा और इसमें परिवहन लागत, बीमा आदि शामिल होंगे।

एसीसी, अहमदाबाद में लेखापरीक्षा ने अपात्र विदेशियों को अनएक्म्पनीड सामान की निकासी पर शुल्क मुक्त लाभ की अनुमति देने में विसंगतियां पाईं। विसंगतियां इस प्रकार हैं: मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करते समय मालभाड़ा और बीमा को शामिल न करना (70 बीडीएफ में ₹19.43 लाख का कम उद्ग्रहण), माल का भुगतान किए गए मालभाड़े (40 बीडीएफ) से कम घोषित मूल्य स्वीकार करना, 180 दिनों से कम अवधि के लिए वीजा होने और रोजगार, छात्र, आश्रित, पर्यटक आदि के पुनः प्रवेश पर अनियमित शुल्क मुक्त लाभ। हालांकि, किए गए आकलन के लिए रिकॉर्ड में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

इन वस्तुओं के संबंध में पूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा कुछ मामलों में विभाग द्वारा कम उद्ग्रहीत शुल्क की राशि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

3.8.4.6 अनएक्म्पनीड सामान में उपयोग की गई वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए मानक प्रक्रियाओं का अभाव।

अनएक्म्पनीड सामान के रूप में पुरानी वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना के लिए, उपयोग के प्रत्येक वर्ष के लिए तिमाहीवार मूल्यह्रास दरें निर्धारित की जाती हैं (सीबीआईसी परिपत्र संख्या 495/16/93-सीमा शुल्क दिनांक 26 मई 1993) जो अधिकतम 70 *प्रतिशत* के अधीन है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि मानक प्रक्रियाओं के अभाव में सीमा शुल्क कार्यालय अनएक्म्पनीड सामान का अलग-अलग मूल्यांकन कर रहे हैं। पांच सीमा शुल्क संरचनाओं[38] के अंतर्गत 857(133+144+29+215+31) मामलों में ₹16.48 लाख (₹2.99 +₹13.37 +₹0.12) का कम उद्ग्रहण शामिल था।

एक मामले में त्रैमासिक आधार के स्थान पर वार्षिक आधार पर मूल्यह्रास की अनुमति दी गई, या अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के स्थान पर रियायती मूल्यों पर विचार किया गया, या व्यक्तिगत वस्तुओं (स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर) को बीडीएफ में किसी घोषणा/साक्ष्य के बिना प्रयुक्त मान लिया गया तथा शुल्क मुक्त अनुमति से परे वस्तुओं के मूल्य पर 38.50 *प्रतिशत* की दर से शुल्क वसूलने में विफल रहे।

आईसीडी सनथनगर प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि वे अवमूल्यन के संबंध में बीडीएफ के सत्यापन की प्रक्रिया में थे।

उत्तर में, उप-आयुक्त-सीमा शुल्क, आईसीडी सनथनगर-हैदराबाद ने कहा कि जिन मामलों में वस्तु का चालान उपलब्ध नहीं था, वहां ऑनलाइन कीमतें अपनाई गईं, हालांकि यह रियायती मूल्य था, पर यह वास्तव में एमआरपी के मुकाबले लेन-देन मूल्य को दर्शाता है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑनलाइन रियायती मूल्य गतिशील मूल्य है, जो मौसम, त्योहारों आदि के आधार पर प्रचार अभियानों के अनुसार

[38] (1) आईसीडी सनथ नगर, हैदराबाद, (2) यूबी टर्मिनल, चेन्नई, (3) सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), लखनऊ, (4) यूबी टर्मिनल, एनएससीबीआई विमानपत्तन कोलकाता (5) यूबी टर्मिनल, जेएनसीएच मुंबई (1)

बदलता है और यह लेन-देन मूल्य को नहीं दर्शाता है, और जबकि कुछ अन्य मामलों में सीमा शुल्क ने एमआरपी आधारित मूल्य को अपनाया है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), यूबी टर्मिनल, चेन्नई ने उत्तर दिया कि चालान के अभाव में, मूल्य स्व-घोषणा/सर्वोत्तम निर्णय/बाजार पूछताछ/माल की स्थिति पर आधारित थे।

मुंबई में सीमा शुल्क जोन-II (जेएनसीएच) यूबी मॉड्यूल में मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामले में कोई निर्धारित विवरण नहीं दिखाया, जो यह दर्शाता है कि मॉड्यूल इस तरह के विवरण को पकड़ने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, यात्रियों द्वारा पारगमन बीमा के लिए घोषित मूल्य, माल के मूल्य का पता लगाने में मदद करेंगे। हालांकि, सत्यापित नमूने में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

तदनुसार, लेखापरीक्षा का विचार है कि यूबी मॉड्यूल को अद्यतित करने की आवश्यकता है ताकि उचित और सत्यापन योग्य आकलन के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी और स्कैन किए गए आवशयक दस्तावेज एकत्र किए जा सके। व्यक्तिगत निर्णयों और उसके परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन से बचने के लिए सामान में पुरानी वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु एक समान दिशानिर्देश की आवश्यकता है।

3.8.4.7 व्यक्तिगत सामान के रूप में वाणिज्यिक मात्रा में माल का गलत निर्यात

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए बड़ी संख्या में माल को नियमित निर्यात के बजाय सीटीएच 9803 के अंतर्गत व्यक्तिगत सामान के रूप में निर्यात किया गया था, ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्ति की निगरानी और शुल्क लगने से बचा जा सके। लेखापरीक्षा ने सीटीएच 9803 के अंतर्गत निर्यातों को वाणिज्यिक मात्रा में वर्गीकृत करने के कारणों की मांग की थी, तथापि, यूनिट द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.8.5 डाक प्रणाली के अंतर्गत की गई निकासी का सीमा शुल्क मॉड्यूल के साथ एकीकरण

डाक माल की सीमा शुल्क निकासी के लिए मैनुअल प्रक्रियाएं अभी भी प्रचलित हैं। सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में डाक निकासी के लिए डिजिटल मॉड्यूल अभी विकसित किया जाना है। लेखापरीक्षा में डाक निकासी में निम्नलिखित कमियां देखी।

3.8.5.1 डाक द्वारा आयातों की निकासी के लिए सीमा शुल्क प्रावधानों की कमी

डाक अधिकारी शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से उचित अधिकारी को आयातित वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत करते हैं। शुल्क और टैरिफ की दरें का मूल्यांकन माल का ऐसी प्रस्तुति की तिथि पर पर लागू होता हैं।

लेखापरीक्षा ने ईडीआई माड्यूल के अभाव में डाक आयातों की मैन्युअल रूप से की गयी निकासियों में कमियां देखी। डाक के माध्यम से आयातित/निर्यातित माल पर शुल्क से बच निकालने का संभावित जोखिम होता है। पाई गई कमियों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.8.5.2 एफपीओ में सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रस्तुत आयातों के लिए प्रक्रियाएं की कमी ।

मुख्य सीमा शुल्क पत्तनों पर बैगों में आयातित मेल/पार्सल/पैकेट को डाक सर्किलों के क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग किया जाता है और डाक कर्मचारियों द्वारा डाक वाहनों में एफपीओ को स्थानांतरित किया जाता है। ये कार्य सीमा शुल्क विभाग के पर्यवेक्षण के बिना ही डाक कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। किसी विशेष सर्किल (जैसे मुंबई पोस्टल सर्कल[39]) से संबंधित सामान एक्स-रे स्कैनिंग के लिए एफपीओ, मुंबई में सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस सर्किल से संबंधित लेकिन अन्य सर्किलों में प्राप्त आयात भी स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क निकासी के लिए इस एफपीओ में लाए जाते हैं।

[39] महाराष्ट्र सर्किल, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के हैदराबाद, हुबली और धारवाड़, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डाकघरों पर क्षेत्राधिकार

लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रस्तुत माल के लिए एफपीओ में प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कमियां देखीं:

i) **एफपीओ, मुंबई में,** अधिनिर्णयन फाइलों के लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि उच्च मूल्य की शुल्क योग्य वस्तुओं (फोन/एप्पल घड़ियां/ड्रोन- ₹2.76 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य) वाले पैकेज/पार्सल को सीमा शुल्क विभाग द्वारा शुल्क जिसकी राशि ₹1.99 करोड़ थी, के उद्ग्रहण के बिना निकासी दे दी गई थी, या कोई स्टांप (या तो लाल या नीला[40]) नहीं था, जो यह दर्शाता है कि पैकेज सीमा शुल्क स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

ii) **लुधियाना के एफपीओ** में लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमा शुल्क और डाक विभाग के मध्य सूचना के उचित प्रवाह और आंकड़ों के मिलान की कमी थी।

एफपीओ लुधियाना में सीमा शुल्क विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया।

उपर्युक्त घटनाएं अनुपालन तंत्र में कमजोरी दर्शाती हैं जिसके परिणामस्वरूप माल सीमा शुल्क जांच से बच गया। इसका कारण डाक माल की निकासी के लिए आयात विनियमों और सीमाशु ल्क प्रक्रियाओं के लिए ईडीआई मॉड्यूल की कमी भी है। इस परिदृश्य में लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सका कि डाक मार्ग के माध्यम से किए गए सभी आयातों को स्क्रीनिंग/आकलन के लिए सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया जाता है जिससे राजस्व संग्रहण प्रभावित हो सकता है।

3.8.5.3 एफपीओ में आयात प्रक्रियाओं और रजिस्टरों का अमानकीकरण

पार्सल/पैकेट पर चिपकाए गए डाक फॉर्म, सीएन-22 और सीएन-23 में दिए गए आयात विवरण को मैन्युअल रूप से मूल्यांकन के लिए वे बिल/बिल शीट या जांच शीट में दर्ज किया गया था। हालांकि, एफपीओ मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लुधियाना और भुवनेश्वर में लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉर्म में विवरण अपर्याप्त थे और उनमें माल की प्रकृति, मूल्य, आयातित माल का वर्गीकरण, मूल देश और निर्यातक विवरण आदि के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी,

[40] सीमा शुल्क जांच के लिए प्रस्तुत माल को क्रमशः लाल और नीले रंग की स्याही से मुहर लगाकर संभावित शुल्क योग्य और गैर-शुल्क योग्य माल में अलग किया जाता है

जिससे मूल्यांकन प्रभावित हुआ। इसके अलावा रजिस्टरों का उचित रखरखाव नहीं किया गया था, जिसमें उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे।

ईडीआई मॉड्यूल और एफपीओ में सभी शुल्क योग्य और गैर-शुल्क योग्य वस्तुओं के डेटा रखरखाव के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के मानकीकरण, किए गए आकलन के ट्रेल, के अभाव में , लेखापरीक्षा यह आश्वासन देने में असहाय है कि एफपीओ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे थे।

3.8.5.4 वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात के लिए नियमित बीई फाइल न करना

वाणिज्यिक वस्तुएं संबंधित सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत लागू शुल्क की दरों के लिए उत्तरदायी हैं। यदि ये विवरण जैसे आईईसी, विदेशी मुद्रा प्रेषण, सीमा शुल्क और आईजीएसटी का भुगतान उपलब्ध नहीं होंगे तो वाणिज्यिक आयातों के लिए आयातक को क्रेडिट देना संभव नहीं होगा। तदनुसार, यह अधिदेशित किया गया है कि व्यावसायिक संस्थाएं शुल्कों के भुगतान के लिए ईडीआई सुविधा के साथ निकटतम क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क स्टेशन पर नियमित बिल ऑफ एंट्री फाइल करें (दिनांक 4 जून 2018 के परिपत्र संख्या 14/2018-सीमा शुल्क के पैरा सं.13)।

एफपीओ, मुंबई और **एफपीओ, कोलकाता** में वाणिज्यिक आयातों के सत्यापन से पता चला कि व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आयातित माल को संबंधित टैरिफ शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करके या तो डाक फॉर्म सीएन-22/सीएन-23 के अंतर्गत निकासी दी गई थी, या उन्हें सीमा शुल्क टैरिफ के अनुसार वर्गीकृत करके और ईडीआई पर नियमित बीई फाइल करने के बजाय व्यक्तिगत माल के रूप में निकासी दी गई थी।

यह वाणिज्यिक आयातों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन था। इससे आरबीआई द्वारा आयात पर विदेशी मुद्रा भुगतान की गैर-निगरानी या आयात इकाइयों को आईजीएसटी क्रेडिट की अनुपलब्धता भी हो सकती है।

3.8.5.5 एफपीओ द्वारा व्यक्तिगत वस्तुओं के निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्रावधान की कमी

डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 में ई-कॉमर्स वस्तुओं सहित वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में पालन किए जाने वाले आवश्यक घोषणा प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, यह व्यक्तिगत वस्तुओं के निर्यात के बारे में मौन है। दिनांक 13 जून 2018 के परिपत्र संख्या 18/2018-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित दिनांक 4 जून 2018 के परिपत्र संख्या 14/2018-सीमा शुल्क में डाक के माध्यम से ई-कॉमर्स के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

i) विनियमों में फॉर्म पीबीई-I (ई-कॉमर्स निर्यात के लिए) और पीबीई-II (ई-कॉमर्स वस्तुओं के अलावा अन्य वाणिज्य निर्यात) निर्धारित किए गए हैं। डेटा प्रबंधन के लिए कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है और निर्यातकों के डेटा की कोई प्रोफाइलिंग नहीं की गई है तथा क्षेत्र गठन स्तर या बोर्ड स्तर पर जांच के लिए मैनुअल जोखिम प्रबंधन विकसित नहीं किया गया है।

ii) व्यक्तिगत निर्यातों के मामले में, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं था कि सीमा शुल्क द्वारा इनकी जांच या निगरानी की जाती है तथा इन निर्यातों के आंकड़े भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे जैसा कि एफपीओ, मुंबई और अहमदाबाद में देखा गया है। अतः वैयक्तिक निर्यातों के मामले में सीमा शुल्क निर्धारण अधिकारियों की भागीदारी के अभाव में वैयक्तिक निर्यातों के रूप में निषिद्ध वस्तुओं के निर्यात से इंकार नहीं किया जा सकता।

3.8.5.6 एफपीओ में उपहार वस्तुओं सहित व्यक्तिगत आयात पर गलत शुल्क लगाना

दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत व्यक्तिगत वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी सहित कुल शुल्क प्रभार्य हैं।

₹5,000[41] मूल्य तक के व्यक्तिगत वास्तविक उपहारों को आयात शुल्क से छूट दी गई थी। हालांकि, डीजीएफटी ने दिनांक 12 दिसंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 35/2015-20 के अंतर्गत पूर्ण लागू शुल्कों के भुगतान को छोड़कर उपहारों

---

[41] अधिसूचना संख्या 77/2017-सीमा शुल्क दिनांक 13.10.2017 के तहत अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क में क्रम संख्या 608ए सम्मिलित किया गया था।

के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तदनुसार, सीआईएफ मूल्यों के 77.28 *प्रतिशत* की दर से कुल शुल्क लागू था (बोर्ड के दिनांक 21 जनवरी 2020 के परिपत्र संख्या 4/2020-सीमा शुल्क के अनुसार)।

i. एफपीओ, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि और कोलकाता में, प्रत्येक स्थान पर 300 नमूनों के सत्यापन से पता चला कि व्यक्तिगत वस्तुओं और उपहारों के 58 आयात बिलों में, शुल्क क्रमशः 42.08 *प्रतिशत* और 77.28 *प्रतिशत* की दर से नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹9.71 लाख **(अनुलग्नक 13)** का शुल्क कम लगाया गया था।

ii. इसी तरह, वर्ष 2019-22 के लिए एफपीओ, मुंबई के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्तिगत वस्तुओं और उपहारों के 1,15,303 बिलों में से 533 बिलों में क्रमशः 42.08 *प्रतिशत* और 77.28 *प्रतिशत* की दर से शुल्क नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹14.17 लाख **(अनुलग्नक 13)** की कम उगाही हुई।

3.8.5.7 निर्यात के डाक बिल और सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्रों की फाइलिंग में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ एफपीओ (भुवनेश्वर, हैदराबाद) में फाइल किए गए निर्यात बिल सत्यापन के लिए सीमा शुल्क के पास उपलब्ध नहीं थे। एफपीओ, लुधियाना, कोच्चि, वाराणसी, कोलकाता में, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रपत्रों में टैरिफ हेडिंग, आईईसी कोड/प्रमाणपत्र, गंतव्य देश, आईजीएसटी छूट प्राप्त मामलों में एलयूटी/बॉन्ड का विवरण जैसे अपेक्षित विवरण गायब थे।

एफपीओ वाराणसी में, गलत पीबीई फाइल किया गया था (सीएन 22 के बजाय सीएन 23) और एफपीओ, दिल्ली में वर्ष 2019 से 2022 की अवधि के लिए डाक के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात के बारे में जानकारी और एमईआईएस योजना के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

एफपीओ, लुधियाना ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि इस मुद्दे को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था।

एफपीओ, कोच्चि ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि सात पीबीई में वैध एलयूटी था, दो में कोई वैध एलयूटी नहीं था और शेष 4 पीबीई में सत्यापन किया जा रहा है।

एफपीओ, नई दिल्ली ने बताया कि अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा निर्यात शर्तों के अनुपालन और प्रदान किए गए निर्यात प्रोत्साहन की जांच नहीं कर सकी।

3.8.5.8 नमूनों और प्रोटोटाइप के निर्यात के लिए शर्तों का पालन न करना

सीमा शुल्क मैनुअल 2018 के पैरा 9.3 व 9.4 के अनुसार, ₹50,000 तक के माल के वाणिज्यिक नमूने और प्रोटोटाइप और ₹25,000 तक के वास्तविक उपहार भी निर्धारित घोषणा[42] के फाइल होने के अधीन डाक द्वारा निर्यात किए जा सकते हैं।

एफपीओ, वाराणसी में, लेखापरीक्षा ने एक निर्यातक द्वारा ₹50,000 की मूल्य सीमा का उल्लंघन देखा, जिसने उसी दिन एक ही प्राप्तकर्ता को चार खेपों में विभाजित कर निर्यात किया गया, जिसका संचयी मूल्य ₹0.87 लाख था।

एफपीओ ने उत्तर दिया कि डीजीएफटी की दिनांक 26 जुलाई 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2015-20 के अनुसार, एफटीपी के पैरा 2.47 में संशोधन किया गया है और डाक के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा ₹5 लाख तक बढ़ा दी गई है। सभी चार मामलों में, निर्यातक द्वारा अलग-अलग चालान जारी किए गए थे और आईजीएसटी के भुगतान पर माल को निकासी दे दी गई थी। अतः किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

एफपीओ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक नमूनों के लिए मूल्य सीमा, सीमा शुल्क नियमावली के पूर्वोक्त पैरा के प्रावधानों द्वारा विनियमित होती है। डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा माल के निर्यात के लिए थी न कि वाणिज्यिक नमूनों के लिए। निर्यातक ने एक ही प्राप्तकर्ता

[42] अधिसूचना संख्या 48/2018-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 4 जून 2018 परिपत्र संख्या 14/2018-सीमा शुल्क दिनांक 4 जून 2018 के साथ पढ़ा गया

को नमूनों का निर्यात किया था और मूल्य सीमा से बचने के लिए एक ही तारीख (31 जुलाई 2019) को कई पीबीई फाइल किए थे।

3.8.5.9 एफपीओ में ऑफ़लाइन रिपोर्टिंग उपयोगिता ICAN-lite की गैर-कार्यात्मक

सीबीआईसी ने दिनांक 4 जून 2018 के परिपत्र संख्या 14/2018-सीमा शुल्क के माध्यम से एक ऑफलाइन उपयोगिता, 'ICAN-lite, (गैर-ईडीआई साइटों के लिए आईसीईएस कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन)' शुरू की, जिसे गैर-ईडीआई साइटों जहां से निर्यात हुआ था, के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर करने हेतु डिज़ाइन किया गया था। यह एक एमएस एक्सेल टेम्पलेट है जिसे निर्यात के डाक बिल (पीबीई) में प्रस्तुत निर्यात विवरण के साथ भरा जाना है। इसके बाद, इस टेम्पलेट को पास के सीमा शुल्क ईडीआई पोर्ट में अपलोड करने की आवश्यकता है, ताकि निर्यातकों के आईजीएसटी रिफंड[43] दावों को ईडीआई प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जा सके।

i) लेखापरीक्षा ने चुने गए सभी 12 एफपीओ से 'ICAN-lite' के बारे में लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड मांगे और पाया कि इन सभी एफपीओ में ICAN-lite उपयोगिता कार्यात्मक नहीं थी।

क) **एफपीओ दिल्ली में**, टेम्प्लेट में कैप्चर किया गया डेटा और आईजीएसटी रिफंड के लिए आइसगेट पर अपलोड करने के लिए आयुक्तालय के सिस्टम मैनेजर के माध्यम से डीजी सिस्टम को ईमेल किया गया डेटा अधूरा था और निर्यातक के नाम, बॉन्ड/एलयूटी, निर्यात वस्तुओं का विवरण, आईजीएसटी दरें और लागू अधिसूचना के बारे में जानकारी का अभाव था। जीएसटीआईएन नंबर के सामने या तो एन/ए दर्ज किया गया था या आधार नंबर/पैन का उल्लेख किया गया था।

इस प्रकार, अपूर्ण टेम्पलेट और डेटा त्रुटियों के कारण ICAN-Lite अनुप्रयोग गैर-कार्यात्मक हो गया और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि एफपीओ

[43] आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 निर्यातकों के लिए दो विकल्प प्रदान करती है। या तो वे एलयूटी/बॉन्ड दाखिल करके आईजीएसटी के भुगतान के बिना माल का निर्यात करते हैं या आईजीएसटी के भुगतान पर निर्यात करते हैं और उसी के रिफंड का दावा करते हैं।

दिल्ली में 30,382 निर्यात खेपों में भुगतान की गई कुल ₹110.00 लाख की आईजीएसटी राशि निर्यातकों को वापस कर दी गई थी।

एफपीओ, दिल्ली ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि डीजी (प्रणाली) को संशोधित डेटा प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा में सत्यापन के बाद भी बताए गए संशोधित आंकड़ों में गलत/अधूरा डेटा पाया गया।

ख) एफपीओ, मुंबई जोन I में, वि.व.20 के दौरान निर्यातकों द्वारा निर्यात पर आईजीएसटी के दावे किए गए थे। हालांकि, इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था कि उन्हें उपरोक्त उपयोगिता का उपयोग करके रिफंड प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष : मैनुअल प्रक्रियाओं, प्रलेखन, आकलन, संग्रह/लेखा/एकत्र किए गए सीमा शुल्क के मिलान में कमियों के कारण डाक वस्तुओं (आयात और निर्यात) की सीमा शुल्क निकासियों का दुरुपयोग किया जा सकता है जिसका राजस्व निहितार्थ भी था।

आयात के लिए ईडीआई अनुप्रयोगो की अनुपस्थिति और सीमा शुल्क विभाग की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली (आईसीईएस) के साथ पूर्ण एकीकरण के बिना गैर-कार्यात्मक वाणिज्यिक निर्यात ईडीआई अनुप्रयोग (आईसीएएन लाइट) ने एफपीओ के माध्यम से निकासी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को विफल कर दिया था और निर्यातकों को आईजीएसटी रिफंड में देरी की संभावना भी थी।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा प्राप्ति से संबंधित वाणिज्यिक निर्यात रिपोर्टिंग तंत्र की अनुपस्थिति के कारण डाक निर्यात, निर्यात आय की प्राप्ति के लिए आरबीआई की निगरानी के दायरे से बाहर रहा तथा गैर-प्राप्ति के मामलों में बाद में वसूली से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और निर्यात लाभ (प्रतिअदायगी आदि) का व्यय प्रभावित हुआ।

सिफारिश संख्या 6: मंत्रालय डाक आयात के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करने के लिए डाक आयात विनियम (धारा 84 में वर्ष 2017 के संशोधन के अनुसार) तैयार करने पर विचार कर सकता है, साथ ही एफपीओ में सीमा शुल्क कार्य के प्रसंस्करण के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का विस्तार भी कर सकता है। डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 को व्यक्तिगत वस्तुओं के निर्यात की प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

सभी हितधारकों के लाभ के लिए आयात और निर्यात के लिए एसओपी को सुव्यवस्थित करना तथा आईसीएएन-लाइट टेम्पलेट को कार्यात्मक बनाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 3

3.9. सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, टैरिफ अधिसूचनाओं, नियमों और अन्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के प्रावधानों का अनुपालन।

सीमा शुल्क के पांच आयुक्तालयों[44] के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से निकासी की परीक्षण जांच के दौरान ₹5.80 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ सीमा शुल्क अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं, नियमों और अन्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां देखी गईं।

नोटिस किए गए मामले अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार, आयात शुल्क का कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण, माल के गलत वर्गीकरण के कारण गलत उद्ग्रहण, लागत बीमा और भाड़ा को निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल करने में विफलता से संबंधित हैं जिनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई थी।

3.9.1 सूचनाओं के लाभ का गलत विस्तार

विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या (i) 24/2005, (ii) 05/2018 और 22/2018 के अंतर्गत रियायती शुल्क दरें लागू हैं, जिन्हें (क) एनसीटी दिल्ली-ईथरनेट स्विच, (ख) आईसीटी मुंबई- "यूवीबी के लिए 2सीसीडी वेफर्स" और "हेडफोन और ईयरफोन" पर अयोग्य वस्तुओं पर गलत तरीके से विस्तार कर दिया गया था, जिसमें ₹61.32 लाख का शुल्क शामिल था (**अनुलग्नक 14**)।

एनसीटी**,** दिल्ली ने बताया (अक्टूबर 2023) कि 52 सीबीई में से दो में अल्प शुल्क पहले ही वसूल कर लिया था। शेष 50 सीबीई में उत्तर की प्रतीक्षित था (जनवरी 2025) ।

[44] एनसीटी दिल्ली, आईसीटी मुंबई जोन-III, एफपीओ मुंबई जोन- I, एसीसी-बेंगलुरु, अहमदाबाद,

3.9.2 आयातों पर आईजीएसटी की अल्प/गैर-वसूली

एनसीटी-दिल्ली, आईसीटी-बेंगलुरु और एफपीओ अहमदाबाद के माध्यम से किए गए आयात पर ₹1.18 करोड़ की आईजीएसटी की अल्प/गैर-उगाही देखी गई।

3.9.3 माल के गलत वर्गीकरण के कारण गलत शुल्क उगाही

परीक्षण जांच में गलत वर्गीकरण के कारण आईसीटी मुंबई और एनसीटी दिल्ली के माध्यम से किए गए आयात पर ₹2.76 करोड़ की गलत शुल्क उगाही का पता चला।

आईसीटी मुंबई प्राधिकारियों ने (जुलाई 2023) 'इंकजेट प्रिंट हेड' के मामलों में आपत्ति किए गए ₹2.05 करोड़ में से ब्याज सहित ₹55.65 लाख की वसूली की सूचना दी और आगे बताया कि अन्य मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3.9.4 जुर्माना का गलत आरोपण

धारा 77 के अंतर्गत की गई गलत घोषणा वाले सामान के मामले में, घोषित मूल्य और उसके मूल मूल्य के मध्य अंतर से अधिक न हो या पांच हजार रुपये तक, जो भी अधिक हो, जुर्माना लगाया जा सकता है।

i) आईसीटी, बेंगलुरु, यूबी टर्मिनल-एसीसी बेंगलुरु, एफपीओ, मुंबई जोन-1 के अंतर्गत जुर्माना लगाने में विचलन (गैर-शुल्क उगाही/कम शुल्क उगाही /अतिरिक्त शुल्क उगाही) के मामले देखे गए, जिनमें ₹62.14 लाख का शुल्क शामिल था।

निष्कर्ष : यद्यपि विभाग ने परीक्षण जांच के दौरान उजागर किए गए मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटि, चाहे वह आरएमएस आधारित या मैनुअल मूल्यांकन में हो, कई और मामलों में मौजूद हो सकती है।

सिफारिश संख्या 7: मंत्रालय निर्धारित सीमा शुल्क नियमों और अधिसूचना प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने आईटी प्लेटफार्मों के माध्यम से निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करके सीमा शुल्क की कमी/गैर/गलत वर्गीकरण के मुद्दे का समाधान कर सकता है।

3.10 अन्य मुद्दे:

3.10.1 सीमा शुल्क लागत प्रभारों की वसूली के संबंध में अस्पष्टता

एचसीसीएआर, 2009 के विनियम 5(2) और 6(1)(ओ) में निर्धारित किया गया है कि सीमा शुल्क क्षेत्र का संरक्षक लागत वसूली आधार (सीआरसी) पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों की लागत वहन करेगा और ऐसी दरों पर और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करेगा जब तक कि उक्त मंत्रालय के आदेश द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो। इन विनियमों के लागू होने की तिथि को या उससे पहले अनुमोदित संरक्षकों को इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर या एक वर्ष की अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर इन विनियमों की शर्तों का अनुपालन करना होगा, जिसे सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दे।

इन नियमों से पहले, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि जिन संरक्षकों को दिनांक 26 जून 2002 से पहले अधिसूचित किया गया था, उन्हें दिनांक 06 अप्रैल 2004 के परिपत्र संख्या 27/2004-सीमा शुल्क के माध्यम से सीआरसी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और इसे बोर्ड के परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांक 19 जनवरी 2021 के पैरा 4.2 में दोहराया गया था। एचसीसीएआर की अधिसूचना के बाद, सीबीआईसी ने दिनांक 10 अप्रैल 2013 के परिपत्र संख्या 16/2013-सीमा शुल्क के माध्यम से कूरियर टर्मिनलों/विमानपत्तनों के लिए लागत वसूली प्रभार (सीआरसी) के आधार पर पदों की स्वीकृति के लिए कार्मिक मानदंड निर्धारित किए थे, और प्रदर्शन मानदंड भी निर्धारित किए थे, जिसके आधार पर टर्मिनल (सुविधा) सीआरसी से मुक्त हो जाते हैं।

परीक्षण जांच में संरक्षक द्वारा वर्ष 2012 की शुरुआत में और बाद की अवधि के लिए सीआरसी शुल्क का भुगतान न करने और कम भुगतान करने के उदाहरणों का पता चला, जैसा कि **तालिका 3.7** में बताया गया है। विभाग ने इकाइयों से देय सीआरसी प्रभारों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था।

तालिका 3.7: इकाइयों से देय लागत वसूली प्रभार

इकाई का नाम	संरक्षक	लंबित/कम वसूली गई सीआरसी	टिप्पणियां
एसीसी, अहमदाबाद	मेसर्स 'डी' एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जनवरी 2012	संरक्षक ने लाइसेंस के नवीनीकरण (वर्ष 2014 से 2016) के बिना भी काम किया और अप्रैल 2021 से सीआरसी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व का नुकसान हुआ।
लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन	मेसर्स 'ए' लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	नवंबर 2020	संभाले गए कार्गो की मात्रा सीआरसी की छूट के लिए निर्धारित बेंचमार्क से कम थी। अगस्त 2021 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट के लिए संरक्षक के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। हालाँकि, संरक्षक ने छूट के लिए फिर से एक अभ्यावेदन (अक्टूबर 2021) दिया था, जिस पर निर्णय प्रतीक्षित है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व में देरी हुई जिससे अंततः राजकोष को नुकसान हो सकता है।
बीपीआई विमानपत्तन, भुवनेश्वर	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	जुलाई 2015	सीआरसी की छूट के लिए सुविधा का प्रदर्शन निर्धारित मानदंडों से कम था।
आईसीटी, मुंबई	मेसर्स मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लि.	अगस्त 2020	विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि सीआरसी (₹12.94 लाख) की कम वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है।

3.10.2 विदेशी डाकघरों से सीआरसी की वसूली पर स्पष्टता नहीं

एफपीओ चंडीगढ़ को (दिसंबर 2018) आयात और निर्यात की सीमा शुल्क निकासी के लिए अधिसूचित किया गया था और तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसे अभी तक चालू नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने कहा कि लागत वसूली शुल्क के संबंध में प्रक्रियाओं के गैर-नियमन के कारण एफपीओ को चालू नहीं किया जा सकता है। आगे कहा गया कि एफपीओ से शुल्क की वसूली या उन्हें सरकारी

संगठन होने से पर छूट देने की नीति तैयार की जा रही है। इस संबंध में नीति तैयार होने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।

डाक माल के आयात और निर्यात की परीक्षण, मूल्यांकन और निकासी करने के लिए विदेशी डाकघरों में तैनात सीमा शुल्क कर्मचारियों के सीआरसी पर कोई स्पष्टता नहीं थी, हालांकि एफपीओ को एचसीसीएआर 2009 के तहत एक संरक्षक के कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। दूसरी ओर, एफपीओ एक सरकारी कार्यालय है जो अपने स्वयं के विदेशी पोस्ट मैनुअल 1980 के तहत कार्य करता है जो ऐसे शुल्कों का भुगतान निर्धारित नहीं करता है।

3.10.3 निकासी न दिए गए/दावा न किए गए/ हिरासत में लिए गए/जब्त/ अधिहृत माल के निपटान में देरी

निपटान मैनुअल 2019 के अध्याय 2 में यह निर्धारित किया गया है कि विभाग की अभिरक्षा में जब्त/अधिकृत माल के पूरे स्टॉक को, प्रत्येक श्रेणी के माल के निपटान के लिए निर्धारित विभिन्न समय-सीमाओं के भीतर सात श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया जाना चाहिए, जो माल की शीघ्र नष्ट होने वाली/ खराब होने वाली प्रकृति या मूल्य में तेजी से गिरावट का सामना करने वाले माल या अनिवार्य नष्ट वाले माल या ऐसे माल जिनका रखरखाव बहुत महंगा है, पर निर्भर करता है।

यह पाया गया कि निकासी न दिए गए/दावा न किए गए/ हिरासत में लिए गए/जब्त/ अधिहृत माल के निपटान में देरी हुई, देरी दो से दस वर्ष तक की थी, जिससे न केवल उनके मूल्य पर असर पड़ा, बल्कि निकासी न किए गए माल द्वारा अधिकृत स्थान के कारण इकाइयों की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीटी, मुंबई में स्थान की कमी के कारण नए प्राधिकृत कूरियर ऑपरेटरों (एसीओ) को पंजीकृत नहीं किया जा सका।

देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

- **अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल (आईसीटी) - पैराग्राफ 3.10.3.1 से 3.10.3.4**
- **अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन /एलसीएस - पैराग्राफ 3.10.4.1 से 3.10.4.3**
- **अनएक्म्पनीड सामान केंद्र - पैराग्राफ 3.10.5.1**
- **विदेशी डाकघर - पैराग्राफ 3.10.6.1 से 3.10.6.2**

3.10.3.1 अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल (आईसीटीज) - विलंबित निपटान और लापता खेप

i) तीन आईसीटी[45] में अभिलेखों की जांच से, यह पाया गया कि 2,20,722 दावा न किए गए /निकासी न किए गए/जब्त सामान दिनांक 31 मार्च 2022 तक दो से दस साल की अवधि से पड़े थे, जो महत्तवपूर्ण स्थान पर कब्जा कर रहे थे (**अनुलग्नक 15**)। अभिलेखों से पता चलता है कि विभाग ने इस संबंध में खराब प्रदर्शन के लिए संरक्षक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

आईसीटी, अहमदाबाद ने सूचित किया कि कोई अनिकासित माल नहीं था और आईसीटी, चेन्नई ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। लेकिन लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखा कि कुछ सामान हिरासत में लिए गए/दावा न किए गए/जब्त किए गए/ कब्जा किए गए माल के लिए निर्धारित क्षेत्र में पड़े थे।

(ii) इसके अलावा लेखापरीक्षा में नए संरक्षक (मेसर्स 'ई' मुंबई) द्वारा कार्यभार संभालते समय दर्ज किए गए शिपमेंट (87,262 संख्या) और दिनांक 1 अगस्त 2020 तक निपटान के लिए आयुक्तालय को प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट में दर्शाए गए शिपमेंट के मध्य 10,946 शिपमेंट की विसंगति देखी गई (**तालिका 3.8**)।

तालिका 3.8: दिनांक 1 अगस्त 2020 तक निपटान हेतु तैयार लंबित शिपमेंट

कुल शिपमेंट	एक वर्ष	1-5 वर्ष	>5 वर्ष
76,316	10,360	63,891	2,065

लेखापरीक्षा ने मेसर्स एमआईएएल द्वारा लिए गए शिपमेंट और मासिक रिपोर्ट में दर्शाई गई संख्या के मध्य 10,946 शिपमेंट (87,262-76,316) के अंतर के कारणों, उनके घोषित मूल्य और समाधान के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। लेखापरीक्षा को सूचना नहीं दी गई थी।

[45] आईसीटी (i) मुंबई, (ii) दिल्ली, (iii) बेंगलुरु, (iv) अहमदाबाद और (v) चेन्नई

(iii) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिकृत कूरियर ऑपरेटरों (एसीओ) ने आरोप लगाया था कि नए संरक्षक यानी मेसर्स 'ई' मुंबई से ₹2.79 करोड़ मूल्य के 249 पैकेज पुनर्प्राप्त नहीं किए गए हैं और उन्हें अभिलेखों में इसे खो जाने के रूप में घोषित किया गया है। खोए हुए 249 पैकेजों में से, 18 पैकेजों में एक एसीओ (मेसर्स 'एफ') द्वारा ₹2.20 लाख के शुल्क का भुगतान किया गया था। अगस्त 2020 से खोया हुआ घोषित किए गए शेष पैकेजों की कीमत ₹2.60 करोड़ है।

(iv) उपरोक्त नुकसान के अलावा, ₹2.21 करोड़ मूल्य के अन्य 1,533 पैकेज पुनर्प्राप्त नहीं किए गए और इसलिए एसीओ को आयातकों को क्रेडिट नोट जारी करना पड़ा। अन्य दो एसीओ, फेडेक्स और यूपीएस ने भी माल की पुनर्प्राप्ति में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था।

विभाग ने कहा कि वर्ष 2020 से निपटान के लिए लंबित शिपमेंट के महीनेवार डेटा को संरक्षक के साथ मिलान किया जाएगा और संबंधित अभिलेखों को अपडेट किया जाएगा

(v) आईसीटी, मुंबई में, वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त ₹13.64 करोड़ के आयात मूल्य वाले 7,130 अनिकासित शिपमेंट को अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता/ एफएसएसएआई/औषधि नियंत्रक द्वारा मार्च 2021 से मार्च 2022 के दौरान बिक्री के लिए अनुपयुक्त या शून्य वाणिज्यिक मूल्य घोषित किया गया है।

माल सौंपने और हानियों की सूचना देने में विसंगतियां इन वस्तुओं पर विभाग की निगरानी की कमजोरी को दर्शाती हैं जिसके लिए संरक्षक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया गया था। ईसीसीएस के अनुसार इन्वेंट्री, संरक्षक के पास मौजूद भौतिक स्टॉक से मेल खाती है या नहीं, इसका भी सत्यापन नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया कि 23,257 शिपमेंट (₹153.86 करोड़) को नष्ट किया गया और कहा कि दिनांक 6 जुलाई 2022 को 1,242 शिपमेंट की नीलामी की गई और ₹6.00 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। शेष शिपमेंट नष्ट करने /निपटान के लिए लंबित हैं।

आईसीटी दिल्ली ने कहा (फरवरी 2023) कि सभी 23,095 शिपमेंट का निपटान किया गया था।

तथापि, तथ्य यह है कि माल के विलम्ब से निपटान के कारण उसका मूल्य कम हो गया तथा नीलाम किये गये माल की मात्रा की तुलना में प्राप्त राजस्व नगण्य था। अनिकासित/लावारिस माल के बढ़ते संचय के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया है (दिसंबर 2023)।

अनिकासित माल की बढ़ती प्रवृत्ति के कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं:

क) कूरियर आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क पर विवाद। उपहार आयात पर 77.28 *प्रतिशत* का असामान्य रूप से उच्च शुल्क।

ख) संरक्षक द्वारा प्राप्तकर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता, सीमा शुल्क जांच के लिए अनिकासित माल के लॉट तैयार करने में देरी या अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं से माल का लंबित मूल्यांकन।

ग) अनिकासित माल के निपटान के लिए संरक्षक की जांच करने और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में सीमा शुल्क विलंब।

3.10.3.2 संरक्षक द्वारा अनिकासित कार्गो का गलत निपटान/विनाश

i) दिनांक 3 दिसंबर 2018 के सीमा शुल्क परिपत्र सं. 49/2018 के अनुसार, संरक्षक को क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क-आयुक्त को सीमा शुल्क स्टेशन के अधिकृत क्षेत्र में लावारिस/अनिकासित कार्गो, सीमा शुल्क स्टेशन में ऐसे कार्गो के आगमन की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक की एक सूची भेजी जाएगी ताकि यह सूचित किया जा सके कि क्या सूचीबद्ध माल/कार्गो को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान हेतु लिया जा सकता है। माल के निपटान हेतु अनुमत कुल समय विभिन्न हितधारकों जैसे शिपिंग लाइन, सीमा शुल्क-संरक्षक व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ड्रग कंट्रोलर, भारतीय मानक ब्यूरो आदि जैसे अन्य विभागों से मंजूरी मिलने के बाद 3.5 महीने का है।

आईसीटी, चेन्नई में, लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2020 में सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनिकासित माल की ई-नीलामी को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, संरक्षक ने जनवरी 2021 में 10 महीने के अंतराल के बाद माल की ई-नीलामी

की, जिसमें नीलामी के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य का विवरण संरक्षक द्वारा विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, एक अन्य लॉट में 'ईयरफोन के साथ मोबाइल, 16 जीबी पेन ड्राइव, कंप्यूटर पार्ट्स, डब्ल्यूपीसी एटमाइज़र डिवाइस, एलसीडी मॉनिटर, यूएसबी रीडर, कार्ड रीडर, बिजली सप्लाई वाला आईफोन, घड़ी, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव' जैसे सामानों के लिए वस्तुओं का मूल्य शून्य तय किया गया और इन सामानों को नष्ट कर दिया गया।

पूछताछ करने पर मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुशंसित 'आरक्षित मूल्य/शून्य मूल्य' के लिए प्रासंगिक दस्तावेज संरक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा की सत्यता का आश्वासन नहीं दे सका।

ii) आईसीटी, मुंबई में यह पाया गया था कि नीलाम किए गए अनिकासित वैयक्तिक सामानों को गलत वर्गीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹0.48 लाख की राशि के सीमा शुल्क का कम संग्रहण हुआ। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.10.3.3 आईसीटी पर जब्त और अधिहृत माल पर निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से कार्यवाही न करना

आईसीटी बेंगलुरु, मुंबई और एनसीटी, नई दिल्ली में, लेखापरीक्षा ने जब्त और अधिहृत किए गए सामानों के मामलों में निर्धारित समय सीमा से परे कार्रवाई करने में अत्यधिक देरी देखी, जिसमें वर्ष 2010 और 2022 के दौरान की प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे लाल चंदन, ड्रोन (आईसीटी बेंगलुरु), हथियार और गोला-बारूद, मुद्रा (आईसीटी मुंबई) और जब्त सामान (एनसीटी नई दिल्ली) शामिल हैं।

पूछताछ करने पर, आईसीटी बेंगलुरु अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में लिए गए सामानों की कोई मासिक रिपोर्ट और संबंधित बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल, और अन्य संबंधित दस्तावेज संरक्षक/अधिकृत कूरियर से प्राप्त नहीं किया गया है। संरक्षक को अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

आईसीटी-मुम्बई के लिए विभाग ने बताया कि दो मामलों में जब्त की गई मुद्राएं बैंकों में जमा कराई गई थीं और ट्यूनीशियाई दीनार के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने इस मुद्रा को स्वीकार नहीं किया था। तथापि,

विभाग ने प्रत्येक मामले में अधिनिर्णयन की स्थिति और जब्त अल्जीरियाई दीनार की स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी।

3.10.3.4 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों/एलसीएस पर निपटान के लिए लंबित जब्त किया गया माल

सीबीआईसी के अनुदेशों के अनुसार, नियमित आधार पर ऐसे माल का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना क्षेत्राधिकारी-आयुक्तों की जिम्मेदारी थी।

लेखापरीक्षा ने नौ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों[46] और एक एलसीएस[47] पर सामान की काफी लंबित पड़ा देखा तथा जो वर्ष 1990 से 2022 तक अपनी जब्ती के बाद से निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से कार्रवाई का इंतजार कर रहे है। देरी छः महीने से 32 साल तक है। निपटान के लिए लंबित सामान विदेशी मुद्रा, सोना और चांदी, आभूषण, सिगरेट, शराब, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि थे।

सीबीआईसी के निर्देशों के बावजूद, निपटान के लिए पड़े माल की बड़ी मात्रा के कारण राजस्व बकाया/हानि अवरुद्ध हो गई, जो उचित निगरानी और नियंत्रण तंत्र के अभाव को दर्शाता है। माल के विवरण और लंबन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.10.3.5 जब्त माल को गोदाम में जमा करने में देरी

सीमा शुल्क निपटान मैनुअल, 2019 के अध्याय 3 के पैरा 3.1.1 और 3.1.3 में जब्ती इकाई की भूमिका और जब्त माल को गोदाम में जमा करने की प्रक्रिया/समय सीमा का वर्णन किया गया है। यह निर्धारित करता है कि जब्त माल को माल की रोकथाम/जब्ती के 24 घंटे के भीतर गोदाम में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(1बी) में यह प्रावधान है कि जब्त किए गए माल की एक सूची जब्त करने वाला अधिकारी तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार की गई मालसूची की सत्यता को प्रमाणित करने के प्रयोजन से मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।

---

[46] अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन- अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली,

[47] एलसीएस पेट्रापोल, पश्चिम बंगाल

i) लेखापरीक्षा ने सीसीएसआईए-लखनऊ (75+127 मामले), एसजीआरडीजेआईए, अमृतसर (16 मामले) के 218 मामलों में इन्वेंट्री तैयार न करने और गोदामों (वर्ष 2019 से 2022) में जब्त माल को जमा करने में देरी जैसे अनुचित देरी के उदाहरण देखे। जब्त किए गए सामान में 1,10.85 किलोग्राम सोना और उससे बनी वस्तुएं, आईफोन, हथियार, गोला-बारूद, लैपटॉप और अन्य सामान शामिल हैं। देरी 5 दिनों से 528 दिनों तक है।

ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीएसएमआईए-मुंबई के नियंत्रणाधीन नौ गोदामों में गैर-निकासी/अप्रत्याशित/जब्त सामान/माल (10,047 मामले) की विस्तृत भौतिक जांच से विसंगतियां सामने आईं, जो जमा किए गए माल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे सामान सील खंडित/क्षतिग्रस्त थीं (1,448 मामले), गोदाम में जमा करने की तारीख उपलब्ध नहीं थी (3,829 सामान) या अज्ञात सामान (73 मामले)।

iii) डीएस-I और डीएस-V गोदामों (सीएसएमआईए-मुंबई) में, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार और वास्तविक सत्यापन के अनुसार पैकेजों/सामान की संख्या अलग-अलग है जो वेयरहाउस स्टॉक रजिस्टर के अनुचित रखरखाव को दर्शाती है। छः महीने से अधिक समय से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे गोदाम में रखे सामान की लंबितता 6 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक है।

iv) दिल्ली में सीमा शुल्क और केंद्रीय भंडारण निगम के मध्य समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 से सामान/माल का निपटान लंबित था। आईजीआई विमानपत्तन, नई दिल्ली और सीडब्ल्यूसी के मध्य हुए समझौते के अनुसार, एयरलाइनों या संबंधित यात्रियों द्वारा 30 दिनों के भीतर निकासी न किए माल को सीमा शुल्क विभाग द्वारा उनके निपटान इकाइयों में ले जाया जाएगा और जब ऐसा माल निपटान के लिए उपयुक्त हो जाएगा, तो सीडब्ल्यूसी सीमा शुल्क विभाग को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएगा। हालांकि, सीडब्ल्यूसी के पास वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि से संबंधित हिरासत में लिए गए सामान/गलत तरीके से संभाले गए सामान/मूल्यवान सामान पड़े थे। यह दर्शाता है कि न तो सीडब्ल्यूसी और न ही सीमा शुल्क विभाग, नई दिल्ली ने 64 महीने (जुलाई 2024 तक)

बीत जाने के बाद भी माल की निकासी/निपटान के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

लखनऊ में सीमा शुल्क विभाग ने जब्त सोने को जमा करने में देरी के लिए सीमा शुल्क गोदाम के अधीक्षक (कीमती सामान) के साथ समन्वय, वाहन की उपलब्धता, सुरक्षा मुद्दे और केवल कार्य दिवसों पर इस कार्य को करने की आवश्यकता जैसी लॉजिस्टिक समस्याओं को उत्तरदायी ठहराया। विभाग ने आगे कहा कि गिरफ्तारी के मामलों में, मामले की कार्यवाही पूरी करने में 48 घंटे लगते हैं।

एसजीआरडीजेआईए, अमृतसर के प्राधिकारियों ने स्वीकार किया कि पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्थिति के कारण कोई/न्यूनतम निपटान नहीं हुआ। तथापि, जब कभी निपटान किया गया है, उचित प्रमाणीकरण के बाद ऐसा किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को तैनात कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा कि भविष्य में अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए।

अन्य इकाइयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी थी और क्लियर न किए गए /क्लेम न किए गए/जब्त/सामान के उपयुक्त प्रबंधन के लिए निगरानी अपर्याप्त थी। इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क द्वारा सीडब्ल्यूसी के भंडारण स्थान के परिहार्य अधिभोग के अलावा सरकारी राजस्व अवरुद्ध हुआ जिससे त्वरित निकासी प्रभावित हो सकती हैं।

3.10.3.6 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कीमती सामान, जब्त की गई वस्तुओं का तिमाही/छमाही निरीक्षण नहीं किया गया

सीमा शुल्क निपटान मैनुअल 2019 के पैराग्राफ 3.14 में जब्त/अधिहृत मूल्यवान वस्तुओं के साथ स्ट्रांग रूम में पड़े माल का त्रैमासिक निरीक्षण; और मूल्यवान वस्तुओं के गोदाम के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त (डीसी/एसी) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सभी हिरासत में लिए गए पैकेजों के स्टॉक का सत्यापन निर्धारित किया गया है। निरीक्षण की कार्यवाही रिकार्ड की जाएगी तथा फाइल में रखी जाएगी। त्रैमासिक निरीक्षणों की वीडियोग्राफी की जाएगी, और ऐसी

वीडियो रिकॉर्डिंग की एक सॉफ्ट कॉपी सिस्टम यूनिट के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी।

इसके अलावा, हर छह महीने में, एक सक्षम अधिकारी 'क़ीमती सामानों के अलावा अन्य वस्तुओं' वाले सभी पैकेजों का पूरा जायजा लेगा (निपटान मैनुअल का पैरा 4.2.1)। स्टॉक का सत्यापन करने वाले अधिकारी मालसूची और स्टॉक रजिस्टरों के संदर्भ में और 'हैंड-ओवर और टेकिंग-ओवर चार्ज' के रजिस्टरों (निपटान नियमावली का पैरा 4.2.2) के संदर्भ में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेंगे।

प्रस्तुत अभिलेखों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएसएमआईए-मुंबई, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय-भुवनेश्वर, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, आईजीआई विमानपत्तन -दिल्ली और एनएससीबीआई विमानपत्तन-कोलकाता द्वारा अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान अनिवार्य स्टॉक लेने/भौतिक सत्यापन/वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। तथापि, केआईए विमानपत्तन-बैंगलुरू तथा बीपीआईए भुवनेश्वर ने गोदामों में कीमती वस्तुओं का तिमाही निरीक्षण किया।

ये सभी कमियां उचित आंतरिक नियंत्रण और निगरानी की कमी का संकेत देती हैं। सभी प्रकार के सामान-हिरासत में लिए गए/जब्त/क्लेम न किए गए सामान के प्रति प्रत्येक चरण में अत्यधिक देरी और निष्क्रियता स्पष्ट है। इससे केवल वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के बहुमूल्य स्थान पर अवांछित घेराव होता है।

3.10.4 अनएक्म्पनीड सामान केंद्र

3.10.4.1 यूबी सेंटरों पर क्लेम न किए गए / क्लियर न किए गए सामान

i) यूबी टर्मिनल-जेएनसीएच, मुंबई में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010 से 2022 की अवधि से संबंधित क्लेम न किया गया सामान (113 कंटेनर) संरक्षक के पास निपटान के लिए लंबित पड़ा था।

ii) आईसीडी सनथनगर, हैदराबाद में छः अनिकासित यूबी को आईसीडी सनतनगर द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई अनिकासित यूबी की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

यूबी सेंटर, मुंबई ने बताया (जुलाई 2023) कि दावा न किए गए कंटेनरों का समय पर निपटान संरक्षक पर निर्भर करता है और विभाग ने संरक्षक पर इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक व्यवस्था करने पर जोर दिया था। निपटान अनुभाग (जेएनसीएच, मुंबई) का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

आईसीडी सनथनगर के अधिकारियों ने जवाब दिया कि चार यूबी को मैन्युअल रूप से निकासी दे दी गई थी और दो यूबी (दिनांक 04 जुलाई और 07 जुलाई 2020) को निकासी नहीं दी गई थी।

सीबीआईसी के निर्देशों तथा आदेशों[48] के बावजूद कि लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए संरक्षकों और सीमा शुल्क के मध्य तिमाही बातचीत के लिए एक औपचारिक तंत्र होगा, वर्ष 2010 से पड़े अनिकासित यूबी ने तंत्र की कार्यप्रणाली में कमी को उजागर किया। विभाग का उत्तर नहीं मिला है (जनवरी लाई 2025)।

3.10.5 विदेशी डाकघर- हिरासत में लिए गए/अनिकासित/जब्त किए गए माल का निपटान

3.10.5.1 एफपीओ द्वारा माल निपटान अनुभाग को सौंपने में अत्यधिक देरी

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के अनुसार, यदि माल जब्त करने योग्य पाया जाता है या दस्तावेजों के आगे सत्यापन की आवश्यकता होती है, तो सीमा शुल्क अधिकारी डाक मेल/पार्सल/पैकेट को रोक सकते हैं। अपेक्षित अनुपालन के लिए आयातक को कारण बताओ नोटिस-सह-एससीएन जारी किया जाता है। प्रतिबंधित माल वाले पार्सल रोके जाते हैं और कानून के अनुसार उनसे निपटा जाता है। शुल्क निर्धारित कर डिलीवरी के लिए डाक विभाग को सौंपे गए माल को कभी-कभी विभिन्न कारणों से बिना डिलीवरी के ही एफपीओ को वापस कर दिया जाता है। इन सभी निरुद्ध/असुपुर्द वस्तुओं को निपटान के लिए एफपीओ में भंडारित किया जाता है। यद्यपि एफपीओ एचसीसीएआर, 2009 के अंतर्गत ऐसे माल का संरक्षक है और इन सभी वस्तुओं का लेखा-जोखा रखने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी विदेशी डाक मैनुअल, 1980 के अनुसार सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क द्वारा रोके गए माल या एफपीओ को

---

[48] परिपत्र सं 11/2006-सीमा शुल्क, दिनांक 16.02.2006 और अनुदेश एफ सं 450/97/2010-सीमा शुल्क IV, दिनांक 22.07.2010।

बिना वितरित वापस किए गए शुल्क योग्य माल के निपटान के लिए उत्तरदायी है।

इसलिए सीमा शुल्क को ऐसे सामानों की जांच और सूची तैयार करनी थी और बोर्ड के दिनांक 10 जनवरी 2007 के परिपत्र संख्या 03/2007-सीमा शुल्क में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कॉल सह एससीएन का फैसला करना था और ऐसे सामानों के अंतिम निपटान के लिए सीमा शुल्क के निपटान अनुभाग को सौंपना था। निपटान अनुभाग को इस प्रकार सौंपे जाने तक एफपीओ केवल संरक्षक है।

नौ एफपीओ में[49], लेखापरीक्षा ने देखा कि दिनांक 31 मार्च 2022 तक, वर्ष 2005 से 2022 तक कुल 95,513 हिरासत/जब्त/निषिद्ध/प्रतिबंधित सामान जैसे ड्रग्स, ड्रोन, सिगरेट, कीड़े (मकड़ियों), एक्सप्लीसिट सामान, हथियार, एंटीक सामान, विदेशी मुद्राएं और अन्य अनिकासित सामान बिना किसी दावे के पड़े थे। एफपीओ, चेन्नई (वायु) ने सूचना नहीं दी।

जब्त ड्रोन/यूएवी के मामलों में एफपीओ, मुंबई और बेंगलुरु में लेखांकन ठीक से नहीं रखा गया था और इसलिए इस संबंध में कुल लंबित मामलों की जानकारी नहीं दी जा सकी। एफपीओ, कोलकाता के मामले में निपटान अनुभाग को सौंपने में विसंगति थी। इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर देरी से कार्रवाई करने से उनमें गिरावट और अंततः विनाश ही होता है।

इतने लंबे समय तक लंबित रहने का कारण या तो एफपीओ द्वारा निपटान विंग (सीमा शुल्क) को नहीं सौंपा जाना था या कुछ मामलों में, सीमा शुल्क विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के कारण लंबित था। यह मुद्दा लगातार बना हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को कुछ मामलों में निपटान न किए गए माल को नष्ट करना पड़ा जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

एफपीओ, मुंबई अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2023) कि वर्ष 2018 से 2022 की अवधि से संबंधित 5,742 पैकेटों के संबंध में अधिनिर्णयन किया गया था

[49] एफपीओ- मुंबई (जोन- I), दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, कोच्चि

और उन्हें निपटान के लिए भेजा जा रहा था। हालांकि, जवाब में 2005 से अनिकासित माल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

एफपीओ-बेंगलुरु ने कहा कि अनियंत्रित आयातित कीड़े (मकड़ियों) को भारतीय विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था और गांजा के बीज को प्लांट क्वारंटाइन प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर आयात किया जा सकता है। हालांकि, नोटिस जारी करने (एससीएन) या निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तुओं के मामलों में उनके अधिनिर्णयन के बारे में जवाब मौंन था।

परित्यक्त वस्तुओं के संबंध में, एफपीओ-बेंगलुरु ने सूचित किया कि क्लेम न किए गए, अनिकासित या परित्यक्त माल को एफपीओ द्वारा निकासी दी जानी है।

एफपीओ, भुवनेश्वर ने देरी के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तरदायी ठहराया।

एफपीओ, अहमदाबाद ने बताया कि दावा न किए गए आयात/निर्यात पार्सल का निपटान अंतर्देशीय डाक से संबंधित डाकघर गाइड भाग I (नियम और विनियम) के अनुसार किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क द्वारा निकासी नहीं दी गई वस्तुएं सीमा शुल्क नोटिसों के अनुपालन के लिए लंबित थीं। इसके अतिरिक्त, विदेशी डाक नियमावली शुल्क के लिए मूल्यांकित सभी वस्तुओं के निपटान की जिम्मेदारी सीमा शुल्क पर डालती है चाहे उसका परित्यक्त/क्लेम न किया गया/अनिकासित प्रकृति का माल क्यों न हो। तदनुसार, प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क विभाग उन वस्तुओं के निपटान के लिए उत्तरदायी है।

शेष एफपीओ के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.10.5.2 एफपीओ में अनिकासित माल का कोई भौतिक सत्यापन / लेखांकन नहीं होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि एफपीओ जयपुर, बेंगलुरु और नई दिल्ली की परीक्षण जांच में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा जब्त गए/क्लेम न किए गए/ क्लियर न किए गए माल की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन या मिलान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, एफपीओ, जयपुर में

डी-कॉल रजिस्टर[50] में उल्लिखित संख्याओं और एफपीओ, जयपुर द्वारा तैयार की गई हिरासत में लिए गए/अदावा किए गए/अस्वीकृति प्राप्त पार्सल की सूची के बीच 906 पार्सल की विसंगतियां थीं।

एफपीओ, जयपुर अधिकारियों ने अपने स्वयं के रजिस्टरों में जारी/प्रेषक को लौटाए गए पार्सल (आरटीएस) की प्रविष्टि न होने के कारण के अंतर को उत्तरदायी ठहराया। लेकिन विभाग का जवाब भौतिक सूची के मिलान पर मौन था।

एफपीओ दिल्ली ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि एफपीओ में कीमती सामानों वाले पैकेजों का स्टॉक लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

चूंकि भंडार/स्टॉक/मालसूची का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा रहा था, इसलिए लेखापरीक्षा अवधि से पहले के वर्षों से संबंधित और अधिक निपटान न किए गए माल की संभावना हो सकती है।

निष्कर्ष: **अनिकासित/अदावाकृत माल/जब्त एवं जब्त माल के निपटान में अभिरक्षकों के साथ-साथ विभागीय प्राधिकारियों द्वारा की गई अत्यधिक देरी के कारण माल के मूल्य में गिरावट आई और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।**

इसके अलावा, मैनुअल इन्वेंट्री प्रबंधन या अनियमित भौतिक सत्यापन के साथ युग्मित इन्वेंट्री के लिए एकीकृत डिजिटल मॉड्यूल की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप खराब निगरानी तंत्र और चोरी के जोखिम के साथ माल की लंबितता को टाला जा सकता है।

सिफारिश संख्या 8: इस चिरस्थायी समस्या की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के साथ एकीकृत एक अलग डिजिटल मॉड्यूल की आवश्यकता है, जिसमें क्लेम न किए गए / क्लियर न किए गए / जब्त/ अधिहृत किए गए माल की निगरानी के सभी पहलू शामिल हो।

[50] एफपीओ में आयातित पार्सल प्राप्त करने के बाद, जहां कहीं भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो (अनुचित घोषित मूल्य, प्रतिबंधित/निषिद्ध या संदिग्ध वस्तुएं), आगे स्पष्टीकरण के लिए रिसीवर को डी-कॉल पत्र जारी किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क विभाग और डाक अधिकारियों द्वारा बनाए गए संबंधित डी-कॉल रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की जाती है।

सिफारिश संख्या 9: क्लेम न किए गए/क्लियर न किए गए माल पर तेजी से कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय-सीमा की आवश्यकता है जहां विभाग स्वयं संरक्षक है। एफपीओ और आईसीटी में व्यक्तिगत उपहारों के लंबित मामलों में वृद्धि (संभवतः आयात शुल्क आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण) की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि गतिरोध को कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 4

3.11 अन्य विविध मुद्दे:

सीमा शुल्क विभाग और अन्य एजेंसियों/विभागों के मध्य समन्वय तंत्र की जांच तथा संग्रहित सीमा शुल्क के समाधान के अलावा क्लियर न किए गए माल की समय पर निकासी /निपटान के लिए इसकी प्रभावकारिता से अपर्याप्त समन्वय का पता चला, जिसके कारण विभिन्न विसंगतियां उत्पन्न हुईं। ध्यान में आए मुद्दों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.11.1 एफपीओ द्वारा वसूले गए सीमा शुल्क का गैर-मिलान

नियमित आयात के विपरीत जहां आयात शुल्क का भुगतान करने पर माल की निकासी की जाती है, डाक माल पर शुल्क लगाया जाता है तथा एक वे-बिल बनाकर उसे डाक कर्मियों को सौंप दिया जाता है। सीबीआईसी सीमा शुल्क मैनुअल[51] के प्रावधानों के अनुसार, बिल में सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क, माल की डिलीवरी के समय डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा। सीमा शुल्क मूल्यांककर्ता द्वारा प्रमाणित शुल्क की कुल राशि का डाकघर द्वारा सीमा शुल्क विभाग को जमा करना दोनों विभागों के मध्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने डाक विभाग द्वारा जमा किए गए राजस्व के साथ-साथ सभी 12[52] चयनित एफपीओ से डाक और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों से इसके मिलान और प्रमाणीकरण की मांग की थी। तथापि, एफपीओ द्वारा

---

[51]अध्याय 17, सीबीआईसी के सीमा शुल्क मैनुअल के उप-पैरा 8.1 (के) (डाक आयात के मामले में प्रक्रिया)

[52] अहमदाबाद, जयपुर (जोधपुर), बेंगलुरु, लुधियाना, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई

लेखापरीक्षा को ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह शुल्क नागपुर स्थित डाक लेखा कार्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से सीमा शुल्क के लेखा शीर्ष में सुपुर्दगी न किए या लौटाए गए माल से संबंधित शुल्क को समायोजित कर, जमा किया गया था।

किसी अवधि के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया गया था, तथा उस अवधि के लिए जमा किया गया शुल्क, न डिलीवर किए गए/वापस किए गए माल को छोड़कर, क्या ऐसे शुल्क का संबंधित लेखा शीर्षों अर्थात सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार, आईजीएसटी में विधिवत हिसाब-किताब किया गया था, तथा क्या दोनों विभागों के मध्य कोई मिलान तंत्र था या राजस्व आंकड़ों की पुष्टि थी, ये विवरण उपलब्ध नहीं थे। तदनुसार, प्रासंगिक अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा के लिए राजस्व संग्रहण में दक्षता के बारे में आश्वासन प्राप्त करना कठिन था।

एफपीओ अहमदाबाद ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि एकत्र किए गए शुल्क का मिलान अब से किया जाएगा। अन्य एफपीओ से उत्तर की प्रतीक्षा था (जनवरी 2025)।

3.11.2 डाक निर्यातों पर विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति न होना।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैरा 2.54 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई निर्यातक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय की प्राप्ति करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे निर्यात के सापेक्ष प्राप्त सभी लाभों / प्रोत्साहनों को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एफपीओ-एनसीएच मुंबई में नमूना निर्यात बिलों के सत्यापन से पता चला कि उच्च मूल्य के निर्यात में ज्यादातर आभूषण थे। माल का निर्यात पीबीई-II फॉर्म (गैर-ई-कॉमर्स निर्यात) के अंतर्गत किया गया था, जिसमें चालान, मूल्यांकन प्रमाणपत्र, एक्सचेंज घोषणा पत्र (ईडीएफ) संलग्न किया और एलयूटी प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्यात किया गया था। वर्ष 2019 से 2022 के दौरान, ₹376.51 करोड़ मूल्य के वाणिज्य वस्तुओं का कुल निर्यात हुआ। तथापि, डाक निर्यातों में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात आय की प्राप्ति हुई थी और निर्यात आय /निर्यातों की वापसी की प्राप्ति न होने के

मामले में निर्यात के समय अदा न किए गए आईजीएसटी को ब्याज सहित वसूल कर लिया गया था।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा वसूली सहित भारतीय रिजर्व बैंक को निर्यातों की सूचना देने के तंत्र के अभाव ने डाक निर्यातों को निर्यात आय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा और प्राप्ति न होने के मामलों में बाद में वसूलियों से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन, यदि कोई हो, की वसूली नहीं की जा सकी। यह विभाग को सूचित किया गया था (अगस्त 2022), उनका उत्तर की प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

3.11.3 रिकॉर्ड रखने और सूचना के प्रवाह में अंतर विभागीय व्यवस्था का अभाव

सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 20 के पैरा 6.1 में निर्धारित किया गया है कि क्लेम न किए गए/क्लियर न किए गए कार्गो के निपटान के लिए बातचीत के लिए एक औपचारिक तंत्र होगा। क्लियर न किए गए माल की लंबन स्थिति की समीक्षा करने तथा संरक्षक के साथ लंबित कार्गो की स्थिति का मिलान/अद्यतन करने के लिए संरक्षक और सीमा शुल्क के मध्य तिमाही बैठक आयोजित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने एनसीटी-दिल्ली के अंतर्गत एफपीओ-नई दिल्ली से अंतर-विभागीय समन्वय बनाए रखने के लिए वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान संरक्षकों और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे कि केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए), डीजी प्रणाली, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस), वन्यजीव विभाग आदि के साथ आयोजित आवधिक बैठकों के संबंध में विवरण (संबंधित रिकॉर्ड के साथ) प्रदान करने का अनुरोध किया।

सीमा शुल्क अधिकारियों, एनसीटी दिल्ली ने इस तरह के किसी भी अंतर विभागीय समन्वय की अनुपस्थिति को स्वीकार किया और एफपीओ दिल्ली ने भी इस तरह के तंत्र की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

निष्कर्ष : सीमा शुल्क और उपयोगकर्ता विभागों (संरक्षक, एफपीओ) के मध्य अपर्याप्त समन्वय के परिणामस्वरूप संग्रहित शुल्क का मिलान नहीं हो पाया,

प्राप्त विदेशी आय की निगरानी नहीं हो पाई, सरकारी राजस्व में रुकावट आई तथा सीमा शुल्क द्वारा मूल्यवान भंडारण स्थान पर कब्जे के अलावा क्लियर न किए गए माल के लंबित रहने में विसंगतियां उत्पन्न हुईं, जिससे त्वरित निकासी प्रभावित हो सकती है।

सिफारिश संख्या 10: मंत्रालय विभागों के मध्य मौजूदा समन्वय तंत्र की समीक्षा कर सकता है तथा एक मजबूत अंतःक्रियात्मक तंत्र स्थापित कर सकता है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जा सके तथा जिसके माध्यम से सूझ-बूझ भरे निर्णय लिए जा सकें।

लेखापरीक्षा उद्देश्य संख्या 5

3.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

किसी भी इकाई में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की सुदृढ़ता, समय-समय पर रिपोर्टिंग, लेखा-परीक्षण, उचित दस्तावेजीकरण और रिकार्ड रखने, सूचना और आंकड़ों का प्रवाह तथा आवश्यक निर्देश आदि जैसे उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, तथा एक ओर राजस्व के सर्वोत्तम हित में इकाई के समग्र कार्य और दूसरी ओर हितधारकों को सेवाओं का सुचारू वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

कुछ आंतरिक नियंत्रण उपायों में आंतरिक आदेशों/दिशानिर्देशों, एमपीआर/क्यूपीआर/ अर्धवार्षिक रिपोर्ट/एमआईएस रिपोर्ट, रजिस्टर और आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य का अनुपालन शामिल है।

3.12.1 क्लियर न किए गए माल के निपटान के लिए एमटीआर/एमपीआर/ डिआईजीआईटी मॉड्यूल[53] के माध्यम से कारण बताओ नोटिस की गैर-निगरानी

एफपीओ मुंबई जोन-I में, लेखापरीक्षा ने मार्च 2023 की मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) से देखा कि पिछले तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2019 से 2022 के दौरान केवल 10 एससीएन जारी और अधिनिर्णयन किए गए थे। हालांकि, एक्सेल शीट के रिकॉर्ड के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसी अवधि के दौरान

---

[53] डिआईजीआईटी भारत का राष्ट्रीय सीमा शुल्क अपराध डेटाबेस है और सीबीआईसी द्वारा लागू किए जा रहे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य अधिनियमों के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों के आधिकारिक भंडार के रूप में कार्य करता है।

12,631 कॉल सहित एससीएन जारी किए थे। ये कॉल-सहित-एससीएन आयातकों से कुछ अन्य स्पष्टीकरण/ अनुपालन प्राप्त करने के लिए जारी किए गए थे। नोटिस के अनुपालन के बाद अधिनिर्णयन या माल जारी करने के माध्यम से आगे की कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं की गई थी। ये सभी कार्रवाइयां एमटीआर का हिस्सा नहीं थीं और न ही किसी अन्य आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से उच्च प्रबंधन द्वारा इनकी निगरानी की जा रही थी। अतः लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि एफपीओ में लंबित माल लंबित कॉल-सहित-एससीएन से मेल खाता है या नहीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीआईसी के निर्देश[54] के बावजूद नोटिस जारी करने के लिए प्रक्रियात्मक प्रणाली का पालन नहीं किया गया था, जिसमें सभी एससीएन जारी करने और उनके निर्णय को डिआईजीआईटी मॉड्यूल के माध्यम से जारी करने का आदेश दिया गया था, ताकि जांच एजेंसियों के लिए सभी सीमा शुल्क अपराधों के लिए एक ही स्रोत के रूप में कार्य किया जा सके। यदि आयातकों से कोई अनुपालन प्राप्त नहीं होता है या अनुपालन संतोषजनक नहीं है, तो माल को एफपीओ में तब तक रोक कर रखा जाता है जब तक कि माल की सूची तैयार नहीं कर ली जाती है और उसे निपटान अनुभागों को नहीं सौंप दिया जाता है। यह एफपीओ में लंबितता का एक मुख्य कारण बन गया है।

3.12.2 तलाशी/जब्ती मामलों के लिए एससीएन और अधिनिर्णयन समय-सीमा का पालन न करना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के अनुसार, जिस व्यक्ति से माल जब्त किया जाता है, उसे सामान्यतः छः माह के भीतर एससीएन जारी किया जाता है, अन्यथा माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, जिसके कब्जे से उसे जब्त किया गया था। अधिनियम की धारा 111 में अनुचित रूप से आयातित वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान है।

दिनांक 10 जनवरी, 2007 के परिपत्र सं 3/2007-सीमा शुल्क के अनुसार, एसी/डीसी की क्षमता के भीतर आने वाले मामलों का अधिनिर्णयन एससीएन

---

[54] सीबीआईसी अनुदेश संख्या 5/2018-सीमा शुल्क दिनांक 28.03.2018; फाइल संख्या 391/40/2017-सीमा शुल्क (एएस)

सोंपने की तारीख से छः माह के भीतर और एसी/डीसी से नीचे के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा तीन माह के भीतर किया जाना होता है। लेखापरीक्षा ने आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई खामियों को देखा जो विभाग के मामलों को कमजोर कर सकती हैं।

क. एफपीओ में विचलन

i) अहमदाबाद, जयपुर और बेंगलुरु स्थित एफपीओ में 167 एससीएन में से 48 एससीएन जारी करने में निर्धारित छः महीने से अधिक के समय से 71 दिनों से लेकर 624 दिनों तक की देरी देखी गई।

इसके अलावा, एफपीओ, बेंगलुरु में, सीमा शुल्क के डीसी/एसी की स्वीकृति के बिना अधीक्षक/मूल्यांकनकर्ता स्तर पर 46 एससीएन जारी किए गए थे। एफपीओ जयपुर और कोलकाता में मामलों का अधिनिर्णयन करते समय 30 मूल-आदेशों (ओआईओ) के संबंध में 176 दिनों से 1,263 दिनों तक की देरी हुई थी।

एफपीओ, बेंगलुरु में, 50 ओआईओ परीक्षण जांच के अनुसार अधिहृण से पहले माल की जब्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

जवाब में, बेंगलुरु सीमा शुल्क ने स्वीकार किया कि जब्ती रजिस्टर के रूप में कोई जब्ती विवरण नहीं रखा गया था और भविष्य में इसे बनाए रखा जाएगा।

ख. आईसीटी में विचलन:

i) आईसीटी बेंगलुरु में, माल की रिहाई से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और अन्य 85 ओआईओ में अधिहृण से पहले माल की जब्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं था।

ii) आईसीटी, मुंबई (66 मामले), बेंगलुरु (26 मामले), कोच्चि (2 मामले) और दिल्ली (7 मामले) में 94 मामलों के अधिनिर्णयन में 32 दिन से 2,429 दिन तक की देरी हुई। आईसीटी, कोच्चि और दिल्ली में, छः मामले अभी भी जेसी/एडीसी स्तर पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

ग. विमानपत्तनों पर विचलन:

i) छह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (मुंबई-21 मामले, अहमदाबाद-07 मामले, भुवनेश्वर-01 मामला, कोच्चि-39 मामले, कोलकाता-01 मामला और दिल्ली-

625 मामले) पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 694 एससीएन अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित थे।

ii) छः अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लखनऊ और कोलकाता) और एक स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (पेट्रापोल, कोलकाता) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से 21 दिनों से 733 दिनों की देरी के साथ 87 अधिनिर्णयन आदेश जारी किए गए थे। एसवीपीआईए, अहमदाबाद में दो मामलों में अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) की तारीख से 113 दिन और 175 दिन बीत जाने के बाद ओआईओ जारी किए गए तथा अन्य छः मामलों में तीन से अधिक पीएच आयोजित किए गए, यद्यपि कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, तथा मामलों को एकपक्षीय आधार पर तय किया गया।

घ. यूबी केंद्रों में विचलन:

यूबी यूनिट, एसीसी, बेंगलुरु में जब्त ड्रोन मामलों में चार मामलों में बिना अधिनिर्णयन के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिए गए थे। अन्य 18 जब्त ड्रोन मामलों में, 335 दिनों से 2,536 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद एनओसी जारी किए गए तथा 12 ड्रोन मामलों में 1,167 दिनों तक की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई एनओसी जारी नहीं की गई।

एसीसी बेंगलुरु ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि निपटान प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है।

विमानपत्तनों, कूरियर और एफपीओ पर सीमा शुल्क इकाइयों को समयबद्ध समाधान तंत्र की आवश्यकता होती है, जब तक कि मामले में आगे की जांच की आवश्यकता न हो, क्योंकि विवाद उन यात्रियों के निजी सामान से संबंधित होते हैं, जो सीमा शुल्क प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होते हैं। निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन करने में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार समय पर और उचित कार्रवाई की गई है।

3.12.3 आवधिक रिपोर्टिंग के माध्यम से निगरानी तंत्र

बोर्ड (अक्टूबर 2014[55]) ने राजस्व, कर चोरी, लेखापरीक्षा, अधिनिर्णयन, मुकदमेबाजी और बकाया जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से सभी तकनीकी जानकारी एकत्र करने के लिए मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) निर्धारित की थी । जब्त/अधिहृत तथा निपटान के लिए तैयार माल के निपटान हेतु लंबित मामलों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी थी। एकत्रित की गई जानकारी विश्वसनीय, सटीक और अद्यतन होनी चाहिए ताकि वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के निर्णय लेने और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता मिल सके।

लेखापरीक्षा ने एमपीआर में निम्नलिखित कमियां पाईं:

क. आईसीटी में कमियां।

i) आईसीटी मुंबई में, क्लियर न किए गए/क्लेम न किए गए माल के लंबित रहने पर संरक्षक की मासिक रिपोर्ट {एमटीआर-सीएसयू (अनुलग्नक-IIIसी)} में, फरवरी 2021 के महीने का समापन मूल्य ₹612 करोड़ घोषित किया गया था, जबकि मार्च 2021 के महीने का शुरुआती मूल्य ₹481 करोड़ दर्ज किया गया था, जिसमें ₹131 करोड़ का बड़ा अस्पष्ट अंतर दिखाई दिया।

इसी प्रकार, अगस्त 2020 के महीने में ₹410.11 करोड़ के घोषित मूल्य के साथ 25,961 पैकेज प्राप्त हुए, हालांकि बाद के महीनों में पैकेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद घोषित मूल्य काफी कम थे। मार्च 2022 में, 62,243 पैकेज प्राप्त हुए, लेकिन उनका घोषित मूल्य केवल ₹32.04 करोड़ था। इस प्रकार, घोषित मूल्यों पर रिपोर्ट असंगत और अविश्वसनीय थी।

iii) आईसीटी कोलकाता में कूरियर टर्मिनलों के संबंध में कोई एमपीआर तैयार नहीं किया गया था, जैसा कि आयात और निर्यात अनुभाग विभाग द्वारा पुष्टि की गई है।

सीमा शुल्क विभाग या संरक्षकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

---

[55] सीबीआईसी पत्र संख्या एफ.नं.296/127/2013-सीएक्स-9, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

ख. अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में कमियाँ:

i) सीएसएमआईए, मुंबई में, मार्च 2022 के महीने के लिए एमपीआर ने एपीडी और वेयरहाउस (एडमिन) प्राधिकारी द्वारा ₹1.10 लाख मूल्य के 80 पैकेजों का प्रारंभिक शेष राशि की सूचना दी और जबकि एडमिन-टेक विंग, जिसने एपीडी निपटान अनुभाग से आंकड़े एकत्र किए थे, ₹6.92 लाख के मूल्य अंतर के साथ (-)₹5.82 लाख मूल्य के 230 पैकेजों का प्रारंभिक शेष राशि को दर्शा रहा था।

इसके अतिरिक्त, सीएसएमआईए, मुंबई द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सामान से संबंधित सूचना/डेटा/आंकड़ों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:

क. वर्ष 2021-22 के दौरान रिपोर्ट किए गए स्पॉट अधिनिर्णयन मामलों की संख्या वर्ष के दौरान रोकथाम के 29 मामलों में से 58 बताई गई। अधिनिर्णयन मामलें रोकथाम मामलों से अधिक नहीं हो सकते है।

ख. जाँच किए गए सामान के बारे में दी गई जानकारी ईबीआर मॉड्यूल के अंतर्गत डेटा के अनुरूप नहीं थी।

ii. बीपीआईए, भुवनेश्वर में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी:

क) कैश बुक के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 की अवधि के लिए कुल नकदी ₹47.76 लाख थी, जबकि एमपीआर में केवल ₹45.51 लाख की नकदी दिखाई गई।

ख) इसके अलावा एससीएन रजिस्टर के अनुसार, वर्ष 2019-21 के दौरान कुल 35 मामलों का अधिनिर्णयन किया गया, जबकि एमपीआर में केवल पांच अधिनिर्णयन मामलों को दिखाया गया था। इस प्रकार, 30 बेमेल मामलें पाए गए थे।

ग) इसके अलावा, प्रमुख शीर्ष 0037 के अंतर्गत जमा की गई ₹2.60 लाख (जुर्माना) और ₹0.51 लाख (अदावा की गई राशि) की राशि को सीमा शुल्क आयुक्तालय की कैश बुक और एमपीआर में नहीं दर्ज किया गया।

विभाग ने विसंगति को स्वीकार किया और कहा कि इसका समाधान किया जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

iii) आरजीआईए, हैदराबाद में, जुलाई 2022 के महीने के लिए बकाया कर रिपोर्ट से पता चला कि 50 मामलों में से 11 में, ₹9.31 लाख की वसूली योग्य बकाया राशि को बकाया कर रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

विभाग ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2022 के महीने में बकाया कर पर विचार किया और वसूली लंबित थी।

iii) एनएससीबीआई कोलकाता, सीसीएसआईए लखनऊ, पेट्रापोल और घोजाडांगा स्थल सीमा शुल्क स्टेशन-पश्चिम बंगाल में सीमा शुल्क विभाग की जानकारी और कार्य को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न केंद्रीकृत सीमा शुल्क (सीयूएस) रिपोर्ट बोर्ड को प्रेषित करने के लिए तैयार की जाती हैं, लेकिन राजस्व आंकड़ों के साथ जारी किए गए सामान रसीदों की संख्या, जारी/बंद/लंबित हिरासत रसीद की संख्या, जारी की गई मुद्रा घोषणा की संख्या और निपटान के लिए लंबित माल की स्थिति को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

ग. एफपीओ में कमियां:

i) सभी 12 चयनित एफपीओ (अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, लुधियाना, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व संग्रह और हिरासत में लिए गए/जब्त किए गए/कुर्क किए गए/निपटान के लिए तैयार माल के संबंध में कोई एमपीआर वरिष्ठ प्रबंधन को नहीं भेजी जा रही।

एफपीओ, जयपुर अधिकारियों ने कहा कि माल की जाँच केवल एफपीओ में की गई, डाक विभाग द्वारा वास्तविक संग्रह और जमा किया गया, और इसलिए, राजस्व के एमपीआर का पालन नहीं किया गया। एफपीओ में दावा न किए गए/जब्त/जब्त किए गए माल के मामले में लंबित एमपीआर के संबंध में, उन्होंने कहा कि यह एफपीओ के लिए निर्धारित नहीं था।

एफपीओ दिल्ली ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि उन्होंने एमपीआर में निर्धारित राजस्व संग्रह, वसूली,अधिनिर्णयन और माल के निपटान से संबंधित डेटा की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया।

एफपीओ लुधियाना के प्राधिकारियों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा भविष्य में उचित रिकॉर्ड और एमपीआर/एमटीआर बनाए रखने का आश्वासन दिया।

ii) बेंगलुरु में एमपीआर ने वर्ष 2021-22 के एमपीआर में प्रारंभिक शेष राशि के गलत आंकड़े, "निपटान के लिए परिपक्व"[56] के रूप में दिखाए गई वस्तुओं और जब्त/ परिपक्व माल में स्थानांतरित वस्तुओं के मध्य बेमेल आंकड़ें, "निपटान के लिए परिपक्व" के अंतर्गत गैर-राजस्व प्रतिफल सामानों के निपटान की गलत रिपोर्टिंग, दवाओं को निपटान के लिए परिपक्व नहीं दिखाया गया, हालांकि मूल्य, हिरासत की तारीख और दवाओं के विवरण का उल्लेख डीओएल-सीयूएस 3 विवरण[57] में नहीं किया गया।

विभाग ने गलती को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह लिपिकीय त्रुटि के कारण था और रिपोर्ट एसी/डीसी के अनुमोदन के बिना तकनीकी अनुभाग को भेजी गई। इसके अलावा, यह कहा गया कि जब्ती रजिस्टर का रखरखाव न होने के कारण वस्तुओं का विवरण उपलब्ध नहीं था।

iii) एफपीओ, मुंबई ने अधिनिर्णयन पर एमपीआर में केवल एसी/डीसी और उच्च स्तरों पर किए गए अधिनिर्णयनों का विवरण ही दिया। माल की रोकथाम/जब्ती या कुर्की के लिए निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कॉल सह एससीएन और उनके अधिनिर्णयनों को एमपीआर में रिपोर्ट नहीं किया गया, हालांकि वि.व.2019-20 से 2021-22 के दौरान 12,631 कॉल सह एससीएन जारी किए गए।

घ. यूबी टर्मिनलों पर देखी गई कमियां:

कोलकाता सीमा शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत यूबी टर्मिनलों पर अनएक्म्पनीड सामान के संबंध में कोई एमपीआर/एमटीआर नहीं रखा जाता जैसा कि विभाग द्वारा पुष्टि की गई है।

इस प्रकार, कई क्षेत्रीय संरचनाओं में रिपोर्टों की शुद्धता और पर्याप्तत में कमी पाई गई। ईडीआई प्रणालियों के संदर्भ में मूल्यांकन किए गए सामान, राजस्व

[56] निपटान के लिए तैयार - ऐसे मामले जिनके लिए न्यायनिर्णयन पूरा हो चुका है और न्यायनिर्णयन आदेशों के खिलाफ कोई अपील लंबित नहीं है।

[57] डॉल-सी.शु. 3- गैर-राजस्व देने वाले माल का निपटान।

और इसके मिलान किए गए आंकड़ों पर बुनियादी रिपोर्ट, प्रारंभिक नोटिस और स्पॉट अधिनिर्णयनों/उन पर कार्रवाई सहित दावा न किए गए/कब्जा किए गए/जब्त किए गए या रिहाई किए गए सामानों को समय-समय पर एमटीआर में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अपर्याप्त और अपूर्ण रिपोर्ट, उच्च प्रबंधन को उचित उपाय करने और प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए इकाई का समग्र निष्पादन प्रदान करने में विफल रहती है।

3.12.4 उचित और अद्यतित रिकॉर्ड और रजिस्टरों के रखरखाव के माध्यम से निगरानी

पूर्ण और अद्यतित अभिलेखों का रखरखाव न केवल विभाग को अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन में सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने में भी मदद करता है, जो आगे प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने में मदद करता है और इससे राजस्व के सर्वोत्तम हित में इकाई के कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण करने और उचित उपाय करने में मदद मिलेगी। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियां देखी गई :

क. एफपीओ में पाई गई कमियां

i) एफपीओ, कोलकाता में एल/एम आयात रजिस्टर, एल/एम निर्यात रजिस्टर, तीव्र आयात रजिस्टर, तीव्र निर्यात रजिस्टर और सीआर आयात रजिस्टर जैसे कॉल ज्ञापन रजिस्टर बनाए गए, जो केवल कॉल ज्ञापन जारी करने को दर्शाते थे और बाद में ऐसे कॉल ज्ञापन के अधिनिर्णयन का विवरण नहीं दिखाते। एससीएन जारी करने वाले रजिस्टर और अधिनिर्णयन/ओआईओ रजिस्टर में कॉल ज्ञापन/एससीएन नंबर और तारीख का कोई संदर्भ नहीं है और ओआईओ नंबर बिना तारीख के दर्ज किया गया है। रजिस्टर में कई अधिनिर्णयन आदेश संख्याएँ गायब पाई गईं, जैसे कि अधिनिर्णयन आदेश संख्या 1883 से 2982 के मध्य 408 आदेश गायब पाए गए, लेकिन इस आशय की कोई टिप्पण/टिप्पणी रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई।

ii) एफपीओ, मुंबई में, हिरासत में लिए गए सामानों के लिए एक्सेल शीट में 12,631 कॉल-कम-एससीएन अनुरक्षित किए गए, लेकिन एक्सेल शीट में माल के अधिनिर्णयन या रिलीज पर उनकी आगे की कार्यवाही दर्ज नहीं थी।

ख. विमान पत्तनों में पाई गई कमियां:

(i) एटीए कारनेट[58] प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्दिष्ट[59] उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से भारत में आयात किए गए माल को सीमा शुल्क से छूट दी गई है बशर्ते कि उन्हें आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो, उचित आधार पर सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा और छः महीने की अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

सीएसएमआईए, मुंबई में एटीए की जांच अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के लिए कार्नेट रजिस्टरों (कार्नेट का आयात) से पता चला है कि 29 कार्नेट आयातकों ने पुन: निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, न ही विभाग ने ब्याज के साथ ऐसे सामानों में शामिल ₹101.06 लाख के शुल्क की वसूली की **(अनुलग्नक 16)**।

सीएसएमआई, मुंबई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने अपने उत्तर में कहा कि इन 29 कार्नेट के संबंध में शुल्क के भुगतान की मांग करते हुए एफ़आईसीसीआई के साथ पत्राचार किया गया। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

(ii) आईजीआई विमान पत्तन, नई दिल्ली में, एटीए कारनेट रजिस्टर अधूरा था और इसमें आयात/पुन: निर्यात विवरण दर्ज नहीं थे। मूल विवरण जैसे आयात की तारीख, माल का विवरण और उनके मूल्य और संबंधित एसी/डीसी के प्रतिहस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, यदि माल निर्धारित समय के भीतर फिर से निर्यात नहीं किया गया तो विभाग द्वारा शुल्क भुगतान की कोई मांग नहीं की गई । आवश्यक विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा एटीए कारनेट नियमों के अंतर्गत आयात और उनके बाद के निर्यात की जांच नहीं कर सका।

एयरपोर्ट आयुक्तालय, नई दिल्ली ने कहा कि भविष्य में लेखापरीक्षा आपत्ति का अनुपालन किया जाएगा।

---

[58]एटीए कार्नेट एक अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दस्तावेज है जो एक वर्ष तक के लिए माल के शुल्क-मुक्त और कर-मुक्त अस्थायी आयात की अनुमति देता है। इसमें प्रत्येक सीमा शुल्क सीमा कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले पहले से तैयार एकीकृत सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र शामिल हैं और यह सीमा शुल्क और करों की गारंटी के रूप में कार्य करता है।

[59]अधिसूचना संख्या 157/90-सीमा शुल्क, दिनांक 28.3.1990 संशोधित रूप में।

(iii) एसवीपीआईए-अहमदाबाद, एसजीआरडीजेआईए-अमृतसर, सीसीएसआईए, लखनऊ, जीआईए-गया, एआईए-चेन्नई, आईजीआईए-नई दिल्ली, बीपीआईए-भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल में घोजाडंगा और पेट्रापोल में दो स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों पर कई रजिस्टरों का अनुचित रूप से रखरखाव किया गया और कुछ अन्य रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था।

(iv) केआईए विमानपत्तन बेंगलुरु में दिनांक 18 अक्टूबर 2014 को हिरासत में लिए गए 30.920 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी अभी भी 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निपटान के लिए लंबित है।

इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5(2) के तहत मामलों के लिए निर्धारित मूल्य सीमा के उल्लंघन में अधिनिर्णयन शक्तियों का प्रयोग किया गया था।

सीमा शुल्क विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकारियों को दिसंबर 2021 के सीबीआईसी निर्देशों में निर्धारित निपटान की प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है और आगे कहा गया है कि अधिकारियों को अधिनिर्णयन की मूल्य सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

(v) त्रुटि, गोदाम (कीमती वस्तुएं), गोदाम (गैर-कीमती वस्तुएं), जब्ती, मूल आदेश, कारण बताओ नोटिस आदि के लिए रजिस्टरों का ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है

(vi) सीसीएसआईए लखनऊ (02 मामले) और जीआईए जयपुर (08 मामले) में, एक से अधिक यात्रियों को एक जैसी सामान रसीद संख्या जारी की गई, जो खराब आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती है।

(vii) एनएससीबीआई, कोलकाता में मैनुअल रिपोर्ट एमटीआर-सीयूएस-1 में दिनांक 31 मार्च 2022 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित 20 मामलों को दिखाया, जबकि डीआईजीआईटी में निर्मित रिपोर्ट में उसी तारीख पर 46 लंबित मामले दिखाए गए।

एनएससीबीआई, कोलकाता, अधिकारियों ने कहा (जुलाई 2022) कि दिनांक 31 मार्च 2022 तक अधिनिर्णयन किए गए मामलों को अभी तक डीआईजीआईटी में

अपलोड नहीं किया गया। फिर भी, छः (06) मामलों की विसंगतियों को रिपोर्ट के उक्त दो समूहों में स्पष्ट नहीं किया गया।

(viii) स्थल सीमा शुल्क स्टेशन, पेट्रापोल, पश्चिम बंगाल में डीआईजीआईटी के माध्यम से अपराध के मामलों का कोई डेटाबेस तैयार नहीं किया जा रहा। जांच किए जाने पर, विभाग (सितंबर 2022) ने सूचित किया कि इकाई के किसी भी अधिकारी को अभी तक डीआईजीआईटी प्रणाली में मैप नहीं किया गया।

3.12.5 सरकारी लेखा शीर्ष के अनुसार सीमा शुल्क राजस्व का गैर-वर्गीकरण/गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा प्रणाली के अनुसार, सीमा शुल्क राजस्व को भारत की समेकित निधि के मुख्य शीर्ष 0037 और विभिन्न अन्य लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, जमानत बांड और अन्य जमा आदि जैसे सार्वजनिक जमा को सार्वजनिक खाता शीर्ष 8443- सिविल जमा में जमा किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों-अहमदाबाद, अमृतसर और लखनऊ में सीमा शुल्क राजस्व, जो मुख्य रूप से मैनुअल रसीद जारी करके एकत्र किया गया, को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया। सभी राजस्व जैसे बीसीडी, उपकर, स्वास्थ्य उपकर, कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर (एआईडीसी), जमानत बांड जमा आदि केवल प्रमुख शीर्ष-0037 के अंतर्गत दिखाया गया है और लघु शीर्ष तक वर्गीकृत नहीं किया गया। इसके अलावा जमानत बांड जमा जैसी जमा राशि को भी इस उद्देश्य के लिए सिविल जमा-8443 के बजाय प्रमुख शीर्ष-0037 के अंतर्गत दिखाया गया। गैर-वर्गीकरण/अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क राजस्व को त्रुटिपूर्ण दिखाया जाएगा।

जेएनसीएच, मुंबई और आईसीटी, मुंबई के यूबी सेंटरों में भी गलत वर्गीकरण संबंधी त्रुटियाँ देखी गई, जिसमें दावा न किए गए/अनिकासित माल की ई-नीलामी पर एकत्र की गई राजस्व आय को गलत वर्गीकृत किया गया।

3.12.6 प्रेषिती के केवाईसी के रिकॉर्ड का रखरखाव और निरीक्षण

i) कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 के विनियमन 12 में अधिकृत कूरियर[60] पर आयातक और निर्यातक के केवाईसी विवरण, डिलीवरी के प्रमाण को सत्यापित करने और पांच साल तक सभी संबंधित दस्तावेजों को बनाए रखने का दायित्व दिया गया है ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया का पूरा लेखापरीक्षा ट्रेल स्थापित किया जा सके।

आईसीटी, बेंगलुरु में मांगे जाने पर केवाईसी और अन्य दस्तावेजों के रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

आईसीटी बेंगलुरु में, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पारित 20 ओआईओ के नमूने की जांच की, जिसमें विमुद्रीकरण के समय भारतीय मुद्रा का आयात किया गया। आठ मामलों में माल प्राप्तकर्ताओं ने उनके पते पर माल स्वीकार नहीं किया, जबकि अन्य आठ माल प्राप्तकर्ताओं ने इसे स्वीकार किया और जुर्माना अदा किया, अन्य चार मामलों में माल प्राप्तकर्ताओं ने एससीएन का जवाब नहीं दिया। हालाँकि दिनांक 12 जनवरी 2018 के परिपत्र संख्या 02/2018-सीमा शुल्क ने कूरियर के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के केवाईसी सत्यापन से छूट दी है, विभाग ऐसे संदिग्ध मामलों में सत्यापन का सहारा ले सकता है, ताकि बीई फाइल करने के लिए केवाईसी सत्यापन की अनुपस्थिति के कारण ऐसे शिपमेंट भेजने के लिए नकली प्राप्तकर्ता नाम/पते के उपयोग की घटनाओं से बचा जा सके।

ii) बोर्ड ने परिपत्र संख्या 23/2006-सीमा शुल्क के अंतर्गत आयात/निर्यात खेपों की 100 *प्रतिशत* जांच और कुल आयात/निर्यात या विशिष्ट खुफिया जानकारी की 10 *प्रतिशत* तक भौतिक जांच निर्धारित की है। इस प्रकार चयनित खेपों की 100 *प्रतिशत* जांच की जानी है। इसके अलावा, रसद निदेशालय (दिनांक 14 नवंबर 2012) के दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है कि फील्ड संरचनाओं में एक्स-रे मशीनों के लिए मशीन लॉग बुक, दिन-प्रतिदिन वास्तविक समय रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए।

---

[60] सीबीआईसी के परिपत्र i) 09/2010 दिनांक 8 अप्रैल 2010, (ii) 33/2010 दिनांक 7 सितंबर 2010, (iii) 07/2015 दिनांक 12 फरवरी 2015, (iv) 13/2016 दिनांक 26 अप्रैल 2016, (v) 02/2018 दिनांक 12 जनवरी 2018 और (vi) 47/2020 दिनांक 20 अक्टूबर 2020

आईसीटी बेंगलुरु और कोलकाता में, लेखापरीक्षा ने मशीन लॉगबुक, मशीनों का समय रजिस्टर, भौतिक जांच के अधीन माल के लेखापरीक्षा ट्रेल का गैर-रखरखाव देखा। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

3.12.7 आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियाँ

सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 को दिनांक 24 मई 2018 की अधिसूचना संख्या 45/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जो सीमा शुल्क आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक अलग कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सीमा शुल्क लेखा परीक्षा मैनुअल 2018 ने तीन प्रकार की सीमा शुल्क लेखापरीक्षा यानी लेन-देन आधारित लेखापरीक्षा, थीम आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) और परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) आयोजित करने के लिए नियमों, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को संकलित किया है।

सीबीआईसी के लेखा परीक्षा महानिदेशक (लेखा परीक्षा) और अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इसकी सात क्षेत्रीय इकाइयां प्रत्येक अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में प्रत्येक ज़ोनल के अंतर्गत आने वाले मुख्य आयुक्त और आयुक्तालयों की सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेंगी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एफपीओ, आईसीटी, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों और अनएक्म्पनीड इकाइयों की जांच में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

i) एफपीओ मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लुधियाना, जयपुर, कोलकाता, वाराणसी और हैदराबाद में, लेखापरीक्षा ने देखा कि उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, विदेशी डाकघरों के कार्यालय की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं हुई। अन्य एफपीओ (अहमदाबाद, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई) में, विभाग ने यह जानकारी प्रस्तुत नहीं की कि क्या आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

एफपीओ दिल्ली ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया।

ii) लेखापरीक्षा ने आईसीटी में आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण मांगे। तीन आईसीटी (बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता) ने पुष्टि की कि कोई आंतरिक

लेखापरीक्षा नहीं की गई जबकि दो आईसीटी अर्थात मुंबई और कोच्चि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आईसीटी, बेंगलुरु ने कहा कि फरवरी 2020 में "कूरियर कंपनियों पर मुख्य रूप से उपहार और कम मूल्य शिपमेंट को क्लियर करने के लिए" विषयगत लेखापरीक्षा की गई। बेंगलुरु आईसीटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक विषय पर विषयगत लेखापरीक्षा नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा का विकल्प नहीं है।

iii) सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र वाले में अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों-अमृतसर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और दो एलसीएस-पेट्रापोल व घोजादंगा सहित कोलकाता में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। अहमदाबाद, कोच्चि और मुंबई आयुक्तालयों में विभाग द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा किए जाने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

iv) यूबी इकाइयों-बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है। हालांकि, सभी यूबी केंद्रों पर फाइल बीडीएफ पर आधारित एक डेटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) द्वारा जोखिम भरी खेपों जिनका मूल्यांकन गलत सकता है, को लक्षित करके डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग (एमएल)का उपयोग करके की गई थी, दिनांक 31 मार्च 2021 की अपनी रिपोर्ट[61] में इस तरह के दुरुपयोग के बारे में सीमा शुल्क को सचेत करने के लिए यूबी मॉड्यूल की कमियों के अलावा यूबी आयात चैनल के दुरुपयोग और अल्प-मूल्यांकन की संभावित गलत घोषणाओं पर प्रकाश डाला गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक निरीक्षण के अभाव में, उद्देश्यों को प्राप्त करने, नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, रिकॉर्ड की पूर्णता और समय पर विश्वसनीय जानकारी तैयार करने में इकाइयों की प्रभावकारिता के विषय पर लेखापरीक्षा के लिए आश्वासन प्राप्त करना मुश्किल है।

[61] प्रतिवेदन सं. 11/2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021

जांच परीक्षण किए गए अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों, आईसीटी, एफपीओ और यूबी इकाइयों में देखी गई कमियों/चूक के बारे में उपरोक्त लेखापरीक्षा परिणाम नियमित आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक निरीक्षण के प्रमाण हैं।

3.12.8 शिकायत निवारण

निरंतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण की निगरानी की जाती है। जन शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नागरिक चार्टर में शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसका समाधान करने तथा 30 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम उत्तर देने का प्रयास करने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। एक करदाता एक सामान्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश भर के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने एफपीओ में शिकायत निवारण कक्ष की व्यवस्था की जानकारी मांगी। विभाग ने उत्तर दिया कि एफपीओ के लिए कोई अलग शिकायत निवारण सेल नहीं था। करदाता केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के रूप में सीमा शुल्क मुख्यालय कार्यालय से संपर्क करेंगे।

निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी), अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (आईए) टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों (एफपीओ) में कमजोर आंतरिक नियंत्रण उपाय के स्पष्ट साक्ष्य थे, जहां उच्च प्रबंधन द्वारा निगरानी छिटपुट थी, अभिलेखों का खराब रखरखाव, आयात और निर्यात का अपर्याप्त विवरण, और इन इकाइयों में रिकॉर्ड रखरखाव का कोई मानकीकरण नहीं था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने परीक्षण-जांच की गई इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप गलत मूल्यांकन, हिरासत में लिए गए सामानों के निपटान पर विलंबित कार्रवाई, एससीएन के विलंबित मुद्दे और उनके अधिनिर्णयन, दंड के अनुचित उद्ग्रहण, अंतर विभागीय समन्वय की कमी देखी गई।

सिफारिश संख्या 11: अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी), अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईए) टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों (एफपीओ) में निर्धारणों और रिपोर्टों में विसंगतियों का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाना

चाहिए और अनिकासित वस्तुओं की पेंडेंसी से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए

3.13. निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क के मूल्यांकन और संग्रह पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने की दृष्टि से अभिलेखों की जांच की, और यह जांच की कि एससीएन/न्यायनिर्णयन आदेश जारी करने के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन किया जाता है। इस एसएससीए में, 21 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन, बिना सामान टर्मिनलों और विदेशी डाकघरों की चयनित सभी 44 इकाइयों से वर्ष 2019 से 2022 की अवधि के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड और जानकारी मांगी थी।

इस मसौदा रिपोर्ट में कुल 77 अभ्युक्तियां शामिल हैं जिनमें 11 प्रणालीगत और 10 अनुपालन मुद्दे तथा 07 आंतरिक नियंत्रण मुद्दे शामिल हैं। इस अध्याय का राजस्व प्रभाव ₹12.15 करोड़ है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों ने 44 अभ्युक्तियों के संबंध में जवाब दिया और 40 अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के पास आईएएस, आईसीटी, यूबी केंद्रों और एफपीओ के लिए अलग-अलग सीमा शुल्क सुविधाओं हेतु कोई बुनियादी ढांचा मानदंड नहीं है।

श्रम बल की कमी, जगह की कमी, स्क्रीनर्स के प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र की अनुपस्थिति पोर्टों को अवैध यातायात के प्रति संवेदनशील बनाती है और निकासी में देरी भी करती है।

ईसीसीएस के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ईसीसीएस में उपहारों और व्यक्तिगत आयातों के लिए शुल्क के निर्धारण पर कमजोर सत्यापन नियंत्रण था, जो व्यक्तिगत वस्तुओं को वाणिज्यिक नमूने के रूप में अनुमति दे रहे थे, जिससे कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण हुआ। विनिमय दरों को गलत तरीके से अपनाने, आयात के गलत फॉर्म स्वीकार करने, निकासी के लिए अधिक ड्वैल समय होने, निर्यात खेपों पर मात्रात्मक और मूल्य सीमाओं के कमजोर नियंत्रण के उदाहरण देखे गए।

इसके अलावा, डाक वस्तुओं (आयात और निर्यात) की सीमा शुल्क निकासी, मैनुअल प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ीकरण, मूल्यांकन, संग्रहण/लेखांकन/शुल्कों के मिलान में कमियों के कारण दुरुपयोग की संभावना है, जिसका राजस्व पर भी असर पड़ा। आयात के लिए ईडीआई अनुप्रयोगो की अनुपस्थिति और सीमा शुल्क विभाग की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली (आईसीईएस) के साथ पूर्ण एकीकरण के बिना गैर-कार्यात्मक वाणिज्यिक निर्यात ईडीआई अनुप्रयोग (आईसीएएन लाइट) ने एफपीओ के माध्यम से निकासी को बढ़ावा देने के उद्देश्य को विफल कर दिया था और निर्यातकों को आईजीएसटी रिफंड में देरी की संभावना भी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि लंबित मामलों पर निगरानी विफलताओं के साथ संरक्षकों और सीमा शुल्क के बीच बातचीत की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से साक्ष्य है, जिससे अंततः माल का विनाश और राजस्व नुकसान होता है। इसके अलावा, इन्वेंट्री प्रबंधन में मैनुअल तरीके या इन्वेंट्री और अनियमित भौतिक सत्यापन के लिए एकीकृत डिजिटल मॉड्यूल की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप खराब निगरानी तंत्र और अनिकासित/अदावाकृत /जब्त और अधिहृण किए गए सामानों के निपटान में लंबितता हुई।

अध्याय IV

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

4.1 प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुगमता में सुधार और व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान देने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) {एफटीडीआर} अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एफटीपी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसका कार्यान्वयन डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(I) भारत से निर्यात योजनाएं: इनका उद्देश्य निर्यातकों को वस्तुओं के निर्यात में शामिल अवसंरचना संबंधी अक्षमताओं और संबंधित लागतों की भरपाई करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना और निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। इस श्रेणी के अंतर्गत दो मुख्य योजनाएँ हैं भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना[62] (एसईआईएस)।

(II) शुल्क माफ़ी और रियायत योजनाएं: ये निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं और अन्य इनपुट के शुल्क मुक्त आयात या रियायती दरों पर आयात को सक्षम बनाते हैं या निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान निर्यातकों द्वारा हानि-वहन वाले करों और शुल्कों से राहत प्रदान करने के लिए शुल्क छूट देते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और डीजीएफटी द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण योजनाएं- अग्रिम प्राधिकार, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार,

[62]एमईआईएस को 1 जनवरी 2021 से वापस ले लिया गया।

शुल्क प्रतिअदायगी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट की योजना (आरओएससीटीएल) हैं। निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी) योजना प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए शून्य/रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है।

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को स्क्रिप्स/लाइसेंस जारी करता है तथा 25[63] क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के नेटवर्क के माध्यम से उनके संगत दायित्वों की निगरानी करता है। सभी 25 आरए कम्प्यूटरीकृत हैं तथा डीजीएफटी केंद्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ अन्य निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने का वचन देते हैं, जिसके विफल होने पर छूट प्राप्त शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूलनीय हो जाता है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4.2 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

इस अध्याय में शामिल 30 उच्च मूल्य के मामलों में राजस्व निहितार्थ कुल ₹773 करोड़ था, जहां 'अपात्र ईओयू और एए धारकों को एकीकृत कर (आईजीएसटी) की वापसी' और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में निर्यात प्रोत्साहन अनियमित रूप से जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, एफटीपी और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के प्रावधानों को पूरा किए बिना रियायत का लाभ उठाया गया।

प्रतिवेदित 30 मामलों में से एक मामला 'आईजीएसटी की वापसी' का है, 12 मामले एसईआईएस से संबंधित हैं, पांच मामले एमईआईएस के हैं, अन्य पांच मामले अग्रिम प्राधिकार योजना से संबंधित हैं, तीन मामले एसईजेड/ईओयू इकाइयों से संबंधित हैं और चार मामले शुल्क प्रतिअदायगी योजना से संबंधित

[63] आरए-भोपाल के एक विस्तार-पटल के साथ

हैं। मंत्रालय/विभाग ने 30 मामलों को स्वीकार किया और 25 मामलों (जुलाई 2024 तक) में ₹36.21 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी।

कुल 30 मामलों में से 21 मामलों में ₹771.42 करोड़ रुपये का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है, पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है। शेष नौ मामलों में ₹1.58 करोड़ रुपये का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है, जिसका सारांश **अनुलग्नक 17** में दिया गया है।

4.3 निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और अग्रिम प्राधिकार (एए) धारकों को एकीकृत माल एवं आपूर्ति कर (आईजीएसटी) की अनियमित वापसी

4.3.1 आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) के अनुसार, शून्य-दर आपूर्ति[64] करने वाला पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किसी के अंतर्गत शुल्क वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, यथा:

(i) पंजीकृत व्यक्ति जो शून्य-दर आपूर्ति कर रहा है, बांड या वचन पत्र के अंतर्गत, एकीकृत कर के भुगतान के बिना,वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का दावा कर सकता है, बशर्तो, सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं; या

(ii) एकीकृत कर के भुगतान पर शून्य-दर आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किए गए कर वापसी का दावा कर सकता है।

4.3.2 इसके अलावा, सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 96 भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं (या सेवाओं) पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी को शासित करता है। संशोधित नियम 96 के उप-नियम[65] 10 के अनुसार, माल या सेवाओं के निर्यात पर चुकाए गए एकीकृत कर की वापसी का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपूर्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, जिस पर निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत लाभ उठाया गया हो:

---

[64]"शून्य दर आपूर्ति" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित आपूर्ति में से कोई भी, अर्थात् (क) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; या (ख) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को अधिकृत माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति.

[65]अधिसूचना संख्या 53/2018-सीटी दिनांक 09.10.2018 और 54/2018-सीटी दिनांक 9.10.2018

क) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमा शुल्क, जो आयात पर सीमा शुल्क और एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट के लिए निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) पर लागू है (जिसकी मुख्य अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क के अंतर्गत जारी की गई) या

ख) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमा शुल्क, जो आयात पर सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से छूट के लिए अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों पर लागू है (जिसकी मुख्य अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015 और 45/2016 दिनांक 13 अगस्त 2016 के अंतर्गत जारी की गई)।

नियम 96(10) के अंतर्गत ईओयू और एए धारकों पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, क्योंकि वे क्रमशः अधिसूचना संख्या 78/2017 या 79/2017 के अंतर्गत आपूर्ति प्राप्त करते हैं, ईओयू और एए धारक सीमा शुल्क अधिकारियों से एकीकृत कर की वापसी का दावा करने के पात्र नहीं हैं। लेकिन उनके पास आरएफडी 01ए[66] में रिफंड आवेदन फाइल करने के बाद संबंधित जीएसटी आयुक्तालय से सीजीएसटी, एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने का विकल्प है।

इसके बाद, दिनांक 23 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या 16/2020-सीजीएसटी के माध्यम से नियम 96(10) में एक स्पष्टीकरण शामिल किया गया, जिसके अनुसार ऐसे इनपुट से निर्मित माल जिसके संबंध में केवल बीसीडी से छूट का दावा किया जाता है जबकि आयात पर आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान किया जाता है, पर नियम 96(10) के अंतर्गत प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इस स्पष्टीकरण के कारण, बीसीडी से छूट का दावा करने वाले और आयातित इनपुट पर आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने वाले निर्यातक कर के भुगतान के साथ निर्यात के विकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं और भुगतान किए गए ऐसे करों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी की गई।

---

[66] आरएफडी-01ए जीएसटी के तहत रिफंड के लिए आवेदन पत्र है मैन्युअल प्रोसेसिंग के, कुछ रिफंड मामलों के लिए अधिसूचित।

4.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई कि -

(i) उपर्युक्त संशोधित सीजीएसटी नियम प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्यातकों की अयोग्य श्रेणियों (ईओयू और एए) को कोई आईजीएसटी रिफंड प्रदान किया गया; और

(ii) क्या उन अयोग्य निर्यातकों (अर्थात ईओयू और एए) को निर्यात पर आईजीएसटी भुगतान करने और ऐसे भुगतान किए गए आईजीएसटी पर रिफंड प्राप्त करने से रोकने के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5) में कोई सत्यापन नियंत्रण प्रभावी थे।

4.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस लेखापरीक्षा के दौरान, चयनित ईओयू और अग्रिम प्राधिकार धारकों से संबंधित बिल्स ऑफ एंट्री (बीई) / शिपिंग बिल (एसबी) को 'योजना कोड' के संदर्भ में सत्यापित किया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे आयात / निर्यात किए गए और जिनके लिए दिनांक 9 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2022 तक आईसीईएस 1.5 के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग द्वारा आईजीएसटी रिफंड मंजूर किए गए। आईजीएसटी रिफंड करने के लिए बनाई गई सीमा शुल्क की ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5) की व्यावसायिक प्रक्रिया का भी विश्लेषण किया गया।

4.3.5 लेखापरीक्षा आवृत्तक्षेत्र

नमूना चयनित ईओयू और अग्रिम प्राधिकार धारकों के संबंध में निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी रिफंड की लेखापरीक्षा अखिल भारतीय आधार पर की गई। प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं के अंतर्गत, दो प्रमुख सीमा शुल्क आयुक्तालय चुने गए। चयनित दो सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, 25 ईओयू और 15 अग्रिम प्राधिकार धारकों[67] के आयात और निर्यात को आयात / निर्यात डेटा से सत्यापित किया गया और एसएसओआईडी[68] के माध्यम से पुष्टि की गई। शिपिंग बिलों (एसबी) के सत्यापन के लिए, प्रत्येक ईओयू / एए धारकों के

[67] स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के माध्यम से चयनित

[68] एसएसओआईडी- अधिकृत सिंगल साइन ऑन आईडी के माध्यम से सीबीआईसी के वेब पोर्टल तक पहुँच।

संबंध में अधिकतम 75 एसबी के अधीन वास्तविक संख्या को आईजीएसटी रिफंड से सत्यापित किया गया। जहां भी निर्यात डेटा उपलब्ध कराया गया, वहां 75 से अधिक एसबी भी सत्यापित किए गए।

4.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

परिणामों को पुष्ट करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम 2017, सीजीएसटी अधिनियम 2017 और सीजीएसटी नियम 2017 में दिए गए रिफंड प्रावधानों का संदर्भ लिया गया। संबंधित सीजीएसटी अधिसूचनाओं और संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के माध्यम से रिफंड प्रावधानों में किए गए आवधिक संशोधनों को भी इस उद्देश्य हेतु संदर्भित किया गया।

4.3.7 लेखापरीक्षा पद्धति

यह लेखापरीक्षा दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान की गई। संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के साथ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आगमन और प्रस्थान बैठकें आयोजित की गईं।

लेखापरीक्षा में दिनांक 23 मार्च 2020 की सीजीएसटी अधिसूचना 16/2020 के साथ पठित सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 96(10) के साथ संरेखित आईसीईएस की व्यावसायिक प्रक्रिया की गैर-मैपिंग के कारण आईजीएसटी रिफंड की अनियमित स्वीकृति को मापने का प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा परिणाम जहां दिनांक 09 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान अयोग्य ईओयू/एए को आईजीएसटी का रिफंड मंजूर किया गया, इस रिपोर्ट में संकलित किए गए हैं।

4.3.8 सीमा शुल्क द्वारा आईजीएसटी रिफंड की प्रक्रिया

दिनांक 01 जुलाई 2017 से निर्यात पर आईजीएसटी लागू होने के बाद, यदि कोई निर्यातक निर्यातित वस्तुओं पर आईजीएसटी का भुगतान करने के बाद मोड 1 का विकल्प चुनकर आईजीएसटी रिफ़ंड के लिए आवेदन करता है, तो निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी रिफ़ंड जीएसटीएन प्रणाली द्वारा संसाधित

किए जाते है। जीएसटीएन प्रणाली, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर) 1[69] और जीएसटीआर 3बी[70] में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को मान्य करती है और निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के मद में रिफंड के लिए मान्य आंकड़ों को आइसगेट को प्रेषित करती है। यदि डेटा को जीएसटीएन की ओर से ही मान्य नहीं किया जाता है, तो अमान्य मामलों को "गैर-एकीकृत मामलों" के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए, "गैर-एकीकृत मामलों" के लिए जीएसटी पक्ष में त्रुटि को सुलझाना संबंधित निर्यातकों की जिम्मेदारी है।

यदि निर्यातक ने जीएसटीआर फॉर्म 1 और 3बी में सही जानकारी प्रदान की है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से आइसगेट को प्रेषित किया जाएगा, जिसमें जीएसटी रिटर्न डेटा शिपिंग बिल डेटा के साथ मेल खाता है। यदि मिलान सफल होता है, तो आईसीईएस 1.5 रिफंड के दावे को संसाधित करता है और संबंधित राशि पीएफएमएस[71] के माध्यम से निर्यातक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

4.3.9 योजना कोड का महत्व और आईजीएसटी रिफंड हेतु इसकी प्रयोज्यता

प्रत्येक बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में, वह योजना जिसके अंतर्गत ऐसे आयात/निर्यात किए जाते हैं, उसमें दर्ज 'योजना कोड' से पता लगाया जा सकता है। ईओयू के लिए योजना कोड 21 है और अग्रिम प्राधिकार धारकों के लिए यह 03 या 17 है।

आयात क्षेत्र पर, दिनांक 09 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान योजना कोड 21 (ईओयू) और 03 या 17 (एए के लिए) के साथ चयनित ईओयू/एए धारकों द्वारा फाइल किए गए सभी बिल ऑफ एंट्री (जिन्होंने निर्यात पर आईजीएसटी का रिफंड प्राप्त किया) को जांचा/ टिप्पणी की गई।

---

69 जीएसटीआर 1 रिपोर्टिंग का रिटर्न है। इसे करदाताओं द्वारा मासिक या त्रैमासिक रूप से दाखिल किया जाता है। यह रिटर्न बाहरी आपूर्ति पर आपके रिटर्न को दर्शाता है, जो बिक्री रिटर्न के अलावा और कुछ नहीं है।

70 जीएसटीआर-3बीएक करदाता द्वारा महीने के दौरान की गई आपूर्ति पर कर भुगतान का रिटर्न है, जिसमें भुगतान किया जाने वाला जीएसटी, दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, खरीद जिस पर रिवर्स चार्ज लागू है, आदि शामिल हैं, और संबंधित महीने के लिए करों के भुगतान के लिए भी प्रावधान करता है, यदि कोई हो।

71 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफ़एमएस) एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार की योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

4.3.10 लेखापरीक्षा परिणाम

4.3.10.1 प्रणालीगत मुद्दे

आईसीईएस 1.5 में उचित सत्यापन नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ईओयू और एए धारकों को अनियमित आईजीएसटी रिफंड हुआ।

हालांकि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 96(10) में संशोधन मुख्य रूप से ईओयू और अग्रिम प्राधिकार धारकों के लिए आईजीएसटी रिफंड को विनियमित करने हेतु, आईजीएसटी रिफंड को लागू करने के लिए बनाई गई सीमा शुल्क की ईडीआई प्रणाली की व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किए गए जो उन संशोधनों जिनको सीजीएसटी नियमों[72] द्वारा लाया गया था, के अनुरूप नहीं थे। नतीजतन, जब ईओयू/एए धारकों द्वारा अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमा शुल्क या अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमा शुल्क के अंतर्गत आईजीएसटी छूट का लाभ उठाकर दिनांक 09 अक्टूबर 2018 के बाद माल आयात किया और निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी रिफंड को प्राथमिकता दी, तो इस अनियमितता के बारे में विभागीय अधिकारियों को सचेत करने के लिए आईसीईएस 1.5 में कोई सत्यापन जांच अंतर्निहित नहीं थी। आईसीईएस 1.5 जीएसटी सर्वर से प्राप्त आंकड़ों (जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी में निर्यातकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर) को मान्य करता है और निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी का रिफंड ईओयू/एए धारकों पर बिना कोई प्रतिबंध लगाए स्वचालित रूप से संसाधित किया जाता है।

कुल 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से, 21 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के 50 पोर्टस् को शामिल करते हुए कुल 479 ईओयू और 9535 एए धारकों के सापेक्ष चयनित 241 ईओयू और 298 एए धारकों से संबंधित आयात और निर्यात को सत्यापन के लिए चयन किया गया, जिन्होंने दिनांक 9 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी का रिफंड प्राप्त किया **(अनुलग्नक 18)**।

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि सत्यापन के लिए चयनित 241 ईओयू में से, 21 आयुक्तालयों के 148 ईओयू में, योजना कोड 21 या 03 के अंतर्गत कुल

[72] दिनांक 9 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 53/2018-सीजीएसटी और 54/2018-सीजीएसटी

निर्धारण मूल्य (एवी) ₹26,021 करोड़ आयात के (कुल 55,900 बीई) दर्ज किए गए। इन 55,900 बीई में से, 50,447 बीई (90 *प्रतिशत*) में ईओयू द्वारा कोई आयात शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। शेष 5,453 बीई में, योजना कोड 21 के अंतर्गत आईजीएसटी के रूप में ₹264.35 करोड़ का भुगतान किया गया **(अनुलग्नक 19)**।

इसी अवधि के दौरान, निर्यात क्षेत्र पर, इन ईओयू द्वारा योजना कोड 21 के अंतर्गत कुल 32,075 एसबी दर्ज किए गए और सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा ₹1,238.06 करोड़ **(अनुलग्नक 19)** की राशि के आईजीएसटी रिफंड स्वीकृत और भुगतान किया गया। इन 32,075 एसबी में से, लेखापरीक्षा ने डेटा/एसएसओआईडी के माध्यम से 7,031 एसबी (21 *प्रतिशत)* का सत्यापन किया और पाया कि 5,989 एसबी में ₹333.11 करोड़ का आईजीएसटी रिफंड अनियमित रूप से भुगतान किया गया था, जिसे इंगित किया गया **(अनुलग्नक 19)**।

(ii) इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान, सत्यापन के लिए चुने गए 298 एए के सापेक्ष, लेखापरीक्षा ने देखा कि 21 आयुक्तालयों के 142 एए में, आयात हेतु कुल निर्धारण मूल्य ₹19,885.78 करोड़ के कुल 25,031 बीई दर्ज किए। कुल 25,031 बीई में से, 15,098 बीई (60 *प्रतिशत)* स्कीम कोड 03 या 17 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जहां कोई आयात शुल्क नहीं चुकाया गया। शेष 9,933 बीई में, स्कीम कोड 03 या 17 के अंतर्गत आईजीएसटी के रूप में ₹579.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

निर्यात क्षेत्र पर, स्कीम कोड 03 या 17 के अंतर्गत कुल 14,346 एसबी दर्ज किए गए और ₹1,009 करोड़ रुपये की आईजीएसटी रिफंड राशि को सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा स्वीकृत और भुगतान किया गया। इन 14,346 एसबी में से, लेखापरीक्षा ने डेटा/एसएसओआईडी के माध्यम से 6,047 एसबी (42 *प्रतिशत)* का सत्यापन किया और पाया कि 3,730 एसबी में ₹402.96 करोड़ रुपये का आईजीएसटी रिफंड दिया गया, जो अनियमित था **(अनुलग्नक 20)**।

4.3.10.2 मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2025)। हालांकि, अवलोकन को स्वीकार करने वाली क्षेत्रीय संरचनाओं ने कुछ वसूली (₹13.58 करोड़) की सूचना दी और अन्य मामलों में वसूली कार्रवाई शुरू की।

सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा आगे यह भी कहा गया था कि गलत रिफंड को रोकने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को आईसीईएस प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, भारी राजस्व से जुड़े अखिल भारतीय प्रभाव के साथ मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, इस मुद्दे के समाधान के लिए मामले को महानिदेशालय सिस्टम और डेटा प्रबंधन (आईसीईएस) के समक्ष उठाया गया। इसके अलावा, गलत मार्ग से इसी तरह के रिफंड का लाभ उठाने से रोकने के लिए व्यापार/सीमा शुल्क अधिकारियों सहित सभी संबंधितों को संवेदनशील बनाने के लिए एक अलर्ट तैयार किया गया है।

4.3.10.3 निष्कर्ष

यद्यपि सीमा शुल्क विभाग द्वारा आईजीएसटी का गलत रिफंड दिया गया, लेकिन एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी करने की शक्ति केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी जीएसटी आयुक्तालय के पास ही निहित है। इसलिए, इस मुद्दे को सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया गया ताकि क्षेत्राधिकारी जीएसटी आयुक्तालयों के साथ इस मुद्दे को उठाकर ब्याज सहित आईजीएसटी रिफंड की वसूली की जा सके।

नमूना जांच के दौरान उपरोक्त लेखापरीक्षा परिणामों ने सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में प्रणालीगत खामियों को उजागर किया जिसके परिणामस्वरूप ₹736 करोड़ रुपये का अनियमित रिफंड दिया गया।

4.3.10.4 सिफारिशें

I. बोर्ड गलत आईजीएसटी रिफंड से बचने के लिए जीएसटी संशोधन को प्रभावी करने हेतु आईसीईएस 1.5 के निर्यात मॉड्यूल में उपयुक्त संशोधन लाने पर विचार कर सकता है।

II. चूंकि सीमा शुल्क अधिकारी गलत रिफंड के मामले में धारा 73 को लागू करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (91) के अंतर्गत प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार उचित अधिकारी नहीं हैं, इसलिए बोर्ड सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत गलत आईजीएसटी रिफंड के मामलों में वसूली को प्रभावी करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है। वर्तमान में, वे केवल क्षेत्राधिकार वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों को सूचित करके ऐसी वसूली कर सकते है,

जो समय लेने वाली और बोझिल प्रक्रिया है और इसके लिए उचित निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है।

III. लेखापरीक्षा ने केवल 21 सीमा शुल्क आयुक्तालयों की नमूना जांच की। यह कार्यवाही सभी आयुक्तालयों के अंतर्गत आईजीएसटी रिफंड के अखिल भारतीय मामलों के लिए की जा सकती है ताकि रिफंड राशि वसूल की जा सके जो मौजूदा नियमों/आदेशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी।

4.4 भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैराग्राफ 3.08 के अनुसार, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता परिशिष्ट 3डी में अधिसूचित दरों पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के अंतर्गत 'ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप' के पात्र होंगे। एसईआईएस के अंतर्गत रिवॉर्ड एफटीपी 2015-20 की अधिसूचना की तारीख यानी 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद दी गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य होगा। एसईआईएस के अंतर्गत, एफटीपी के पैरा 9.51 (i) और 9.51 (ii) में दिए गए तरीके से दी गई सेवाएं ही ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होंगी।

पैरा 9.51 के अनुसार, सेवा प्रदाता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

(i) भारत से किसी अन्य देश को सेवा की आपूर्ति (मॉडल 1-सीमा पार व्यापार)

(ii) भारत से भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ताओं को सेवा की आपूर्ति (मॉडल 2-विदेश में उपभोग)

लेखापरीक्षा में अतिरिक्त डीजीएफटी-मुंबई (आरए-मुंबई), जोनल डीजीएफटी-चेन्नई (आरए-चेन्नई), अतिरिक्त डीजीएफटी-कोलकाता (आरए-कोलकाता), मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण और संयुक्त डीजीएफटी-जयपुर (आरए-जयपुर) द्वारा एसईआईएस स्क्रिप जारी करने में अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें 12 मामलों में ₹11.31 करोड़ का क्रेडिट शुल्क शामिल था। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों को स्वीकार कर लिया और 10 मामलों में ₹13.88 करोड़ (ब्याज सहित) वसूल किए। शेष दो मामलों में वसूली प्रतीक्षित है। इनमें से आठ मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई और शेष चार मामलों का सारांश **अनुलग्नक 17 (क्रमांक 1 से 4)** में दिया गया है।

4.4.1 प्रदान की गई अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस लाइसेंस जारी करना

मेसर्स 'जी' प्रा. लि. को 'समुद्री परिवहन सेवा' श्रेणी के अंतर्गत वि.व.18 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए आरए, मुंबई द्वारा ₹9.79 करोड़ के एसईआईएस स्क्रिप (मार्च 2019) प्रदान की गई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्यातक ने भारतीय सरकार के अंतर्गत दुनिया भर में व्यापार करने वाले दो कच्चे तेल के टैंकर खरीदे। इन दो तेल टैंकरों के माध्यम से निर्यातक ने एक देश से दूसरे देश में तेल परिवहन की सेवाएं प्रदान की। आवेदक ने एसईआईएस रिवॉर्ड के लिए दावा प्रस्तुत करते समय भारतीय कंपनियों अर्थात मेसर्स 'एच', मेसर्स 'आई',, मेसर्स 'जे', को प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित एफई (7.63 लाख अमेरिकी डॉलर) शामिल किया और राशि भारतीय रुपये में प्राप्त हुई। चूंकि भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई सेवाएं एफटीपी के पैरा 9.5 (i) और 9.5 (ii) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, इसलिए एसईआईएस लाभों के लिए अपात्र हैं। इसके अलावा, प्रदान की गई सेवाओं की राशि विदेशी मुद्रा में प्राप्त होनी चाहिए थी। हालाँकि, ये दोनों शर्तें पूरी नहीं की गई, लेकिन विभाग ने निर्यातक द्वारा दावा किए गए एसईआईएस पात्रता की अनियमित रूप से गणना की। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत किए गए कुल ₹9.79 करोड़ के स्क्रिप मूल्य में से ₹4.89 करोड़ रुपये के एसईआईएस स्क्रिप का अनियमित अनुदान हुआ।

आरए, मुंबई (मई 2023) ने निर्यातक से ₹4.89 करोड़ के शुल्क और ₹2.80 करोड़ के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.4.2 अपात्र सेवाओं पर अतिरिक्त एसईआईएस प्रदान करना

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.09 में यह प्रावधान है कि अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा प्रेषण को पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा।

मेसर्स 'के' (इंडिया) प्रा. लि. ने (मार्च 2019) दो सेवाओं (1) इंजीनियरिंग सेवाओं और (2) प्रबंधन परामर्श सेवाओं के अंतर्गत एसईआईएस लाभों के लिए दावा पेश किया था जो कि वि.व.17 के दौरान क्रमशः केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड 8672 और परिशिष्ट 3डी के 865 के अंतर्गत निर्यात की गई। अर्जित कुल एनएफई 81.51 लाख अमेरिकी डॉलर में से 45.26 लाख अमेरिकी डॉलर

इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए एकत्र किए गए बताए गए। आरए, मुंबई ने (जनवरी 2020) ₹2.05 करोड़ के एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान किए, जिसमें देरी से फाइल करने के लिए लेट कट[73] काटने के बाद प्रबंधन सेवाओं (₹0.67 करोड़) के लिए इनाम के अलावा इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए ₹1.38 करोड़ का इनाम शामिल था।

सीपीसी कोड 8672 की विस्तृत व्याख्या में यह निर्दिष्ट किया गया है कि इंजीनियरिंग सेवाओं में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा की प्रकृति से संबंधित सेवाएँ शामिल हैं।

दावेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विवरण की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वे एप्लीकेशन इंजीनियरिंग यानी जावा, एंड्रॉइड, विंडोज के लिए विकास और रखरखाव मॉड्यूल, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जैसे नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद के उपयोगकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान प्रदान करना और टेलीफोन पर या रिमोट एक्सेस रिपेयर का उपयोग करके बुनियादी सॉफ्टवेयर समस्याओं का समाधान करना और व्यक्तिगत रूप से जटिल हार्डवेयर समस्याओं का समाधान करना, के क्षेत्र में तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने में शामिल थे। आवेदक कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ विशेष रूप से सीपीसी कोड 8421- सिस्टम और सॉफ्टवेयर परामर्श सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, जो परिशिष्ट 3डी में शामिल नहीं है, इसलिए एसईआईएस लाभों के लिए अयोग्य है। तदनुसार, आवेदक द्वारा सीपीसी कोड 8672 के अंतर्गत किया गया एसईआईएस दावा अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.38 करोड़[74] की अतिरिक्त एसईआईएस स्क्रिप प्रदान की गई।

विभाग ने (अगस्त 2022) निर्यातक को अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट का भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी किया। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

[73] लेट कट- जहां भी एफटीपी के तहत किसी भी वित्तीय/वित्तीय लाभ के लिए सभी तरह से पूर्ण आवेदन ऐसे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है, तो आवेदन पर लेट कट लगाने के बाद विचार किया जा सकता है।

[74] (यूएसडी 2.26 लाख * 64.5) - 5% लेट कट = ₹1.38 करोड़

4.4.3 'विमान पत्तन प्राधिकरण शुल्क' के रूप में एकत्र किए गए अपात्र प्रभारों पर एसईआईएस स्क्रिप का अनियमित अनुदान

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 21 जुलाई 2016 की व्यापार अधिसूचना संख्या 11/2015-20 के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के आधार पर एसईआईएस स्क्रिप क्रेडिट के हक की गणना के लिए एफटीपी प्रावधानों के अनुपालन को दोहराया जो एकत्र किए गए कर को शामिल नहीं करता हैं।

मेसर्स 'एल', ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. ने वि.व.17 के दौरान निर्यात की गई सेवाओं के सापेक्ष एसईआईएस लाभ के लिए एक आवेदन (अप्रैल 2018) फाइल किया, जिसमें कुल एनएफई आय 3.11 करोड़ अमेरिकी डॉलर (₹200.51 करोड़) घोषित की गई। आरए, मुंबई ने (सितंबर 2019) कुल अर्जित एनएफई के पांच *प्रतिशत* की दर से 15.54 लाख अमेरिकी डॉलर (₹10.02 करोड़ के बराबर) का दावा मंजूर किया।

उपलब्ध नमूना चालानों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आवेदक कंपनी ने ग्राहक से सेवा शुल्क, सेवा कर (एसटी), एसटी पर उपकर और 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शुल्क' एकत्र किए। अर्जित विदेशी मुद्रा के विवरण से यह देखा गया कि एसईआईएस लाभ का दावा करते समय, आवेदक कंपनी ने सकल एफई अर्जित राशि से केवल सेवा कर और उपकर राशि को बाहर रखा, लेकिन एकत्र किए गए 'एयरपोर्ट शुल्क' को नहीं। इस प्रकार, कंपनी ने ग्राहक से एकत्र की गई कुल ₹26.06 करोड़ की 'भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण शुल्क[75]' पर अनियमित रूप से एसईआईएस लाभ का दावा किया। चूंकि 'भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण शुल्क' (₹26.06 करोड़) जो ग्राहक से एकत्र करने के बाद विमान पत्तन प्राधिकरण को देय है, इसलिए इसे एसईआईएस पात्रता की गणना के लिए ₹200.51 करोड़ की घोषित एनएफई आय से बाहर रखा जाना आवश्यक है। हालांकि, आरए, मुंबई ने 'विमान पत्तन प्राधिकरण शुल्क' प्रभारों को काटे बिना ₹10.02 करोड़ के एसईआईएस स्क्रिप प्रदान किए। इसके परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ के एसईआई का अतिरिक्त अनुदान हुआ।

---

[75] एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेवी @14.89% (मई 2016 तक) और @14.95% (जून 2016 से आगे)

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और ₹1.30 करोड़ व ब्याज (₹56.18 लाख) की वसूली की सूचना दी।

4.4.4 खर्चों की कटौती न होने के कारण एसईआईएस स्क्रिप का अधिक अनुदान

निर्यातकों को प्रोत्साहन पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित एनएफई के एक निर्दिष्ट *प्रतिशत* पर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, योजना के लिए एनएफई आय को वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित विदेशी मुद्रा के कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण को घटाकर विदेशी मुद्रा की सकल आय के रूप में परिभाषित किया गया है।

मेसर्स 'एल', ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. (मार्च 2018) ने वि.व.17 के दौरान निर्यात की गई एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं के सापेक्ष एसईआईएस लाभ के लिए दावा फाइल किया। 3.11 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निवल विदेशी मुद्रा आय को पांच *प्रतिशत* के पुरस्कार की राशि 15.54 लाख अमेरिकी डॉलर (₹10.02 करोड़ के बराबर) के दावे के सापेक्ष बताया और इसे आरए, मुंबई द्वारा प्रदान किया गया।

एसईआईएस अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, आवेदक कंपनी ने संबंधित व्यवसाय के लिए किए गए किसी भी एफई व्यय की घोषणा नहीं की थी और सकल विदेशी मुद्रा आय के आधार पर एसईआईएस का दावा किया तथा विभाग द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई। । लाइसेंसधारक के वार्षिक खातों के साथ दावे का परस्पर सत्यापन करने पर, यह पाया गया कि आवेदक का मुख्य व्यवसाय भारत के अधिकांश विमान पत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा था और संबंधित वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर 35.80 लाख अमेरिकी डॉलर का व्यय किया गया है। हालांकि, एसईआईएस लाभ का दावा करते समय, अर्जित सकल एफई से विदेशी मुद्रा व्यय की कटौती नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप एनएफई का बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया और परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ के एसईआईएस की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और ₹1.15 करोड़ व ब्याज (₹49.77 लाख) की वसूली की सूचना दी।

4.4.5 अयोग्य सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान

परिशिष्ट 3डी के क्रम संख्या 1बीए में अधिसूचित सीपीसी 851 के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों पर अनुसंधान और विकास सेवाएं एसईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। हालांकि, सीपीसी 89210 के अंतर्गत आविष्कारों के लिए लाइसेंस के संबंध में पेटेंट का उपयोग करने के अधिकार के लिए रॉयल्टी यानी आवधिक शुल्क एसईआईएस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

मेसर्स 'एम', लि. ने प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधान और विकास सेवाओं (सीपीसी 851 के परिशिष्ट 3डी के क्रम संख्या 1बीए) की श्रेणी के अंतर्गत वि.व.2017-18 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के अनुदान के लिए आवेदन किया (मार्च 2019) और 2.39 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निवल विदेशी मुद्रा आय घोषित की। दावा कुल 14.39 लाख अमेरिकी डॉलर के प्रोत्साहन के लिए था, जो ₹9.23 करोड़[76] के बराबर था। आरए, मुंबई ने (जनवरी 2020) 10 विभाजित एसईआईएस स्क्रिप्स में ₹9.23 करोड़ का प्रोत्साहन दिया।

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मेसर्स 'एल', लि. ने कोस्ट-प्लस-मार्क-अप के आधार पर नौ विभिन्न सेवा समझौतों के अंतर्गत अपनी स्वयं की सहायक विदेशी कंपनियों मेसर्स 'एमए', होल्डिंग, एसए, (एलएएचएसए) को सेवाएं प्रदान की। एक समझौते के अंतर्गत, आवेदक ने विभिन्न अध्ययनों की अवधारणा के आधार पर विभिन्न उत्पाद डोजियर भी डिजाइन किए थे और डोजियर में जानकारी का उपयोग करने के अधिकार भी भारत के बाहर सेवा प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित किए। आवेदक उत्पाद अनुमोदन, डोजियर प्रस्तुत और उत्पाद वितरण के लिए अग्रिम और महत्वपूर्ण भुगतान के लिए पात्र था। हालांकि, पेटेंट और जानकारी सहित उत्पाद डोजियर पर अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदक की अनन्य संपत्ति बने रहेंगे, जिसके लिए प्राप्तकर्ता को सेवा निर्यातक (मेसर्स 'एम', लि.) को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना चाहिए। पेटेंट का उपयोग करने के अधिकार के लिए रॉयल्टी / लाइसेंस शुल्क सीपीसी -8921 श्रेणी के अंतर्गत आता है जो एसईआईएस के परिशिष्ट 3 डी के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए एसईआईएस लाभों के लिए अपात्र है। इस मामले में, आवेदक को डोजियर अधिग्रहण, पेटेंट, तकनीकी जानकारी आदि

---

[76] 1 यूएसडी = ₹64.15

से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में 16.30 लाख अमेरिकी डॉलर मिले और उसने 15.71 लाख अमेरिकी डॉलर (₹62.37 लाख के बराबर) का एसईआईएस लाभ का दावा किया। हालाँकि, ये सभी सेवाएँ एसईआईएस लाभों के लिए अपात्र थीं, लेकिन विभाग ने अपात्र सेवाओं पर अर्जित एफ़ई को बाहर किए बिना एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान किए। इसके परिणामस्वरूप ₹62.37 लाख के एसईआईएस प्रोत्साहन का गलत अनुदान हुआ।

विभाग ने फर्म को कारण बताओ नोटिस् (अक्टूबर 2022) जारी किया। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.4.6 अतिरिक्त एसईआईएस स्क्रिप का अनुदान

मेसर्स 'जी', प्रा. लि. ने (अगस्त 2019) 5.59 करोड़ अमेरिकी डॉलर की एनएफई के लिए "9एबी- मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज - फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन-सीपीसी 7212 और 9डीए - सभी प्रकार के परिवहन के लिए सहायक सेवाएं - कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज (सीपीसी 741) श्रेणी" के अंतर्गत वि.व.19 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं पर प्रोत्साहन के लिए अनुदान हेतु आवेदन किया। आरए, मुंबई ने (अक्टूबर 2019) एसईआईएस ड्यूटी स्क्रिप को स्वीकृति दी, जो अर्जित एनएफई पर सात *प्रतिशत* की दर से ₹26.76 करोड़ प्रोत्साहन जो 39.15 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है ।

आवेदक के एसईआईएस दावा रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्यातक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. के एक अयोग्य चालान को हटाने के बाद दिनांक 7 अक्टूबर 2019 को संशोधित एनएफई आय विवरण (एएनएफ 3बी) फाइल किया। इस प्रकार, ऐसे अयोग्य चालान को बाहर करने के बाद, आरए द्वारा विचार किए गए 5.59 करोड़ अमरीकी डॉलर के बजाय एनएफई घटकर 5.47 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। तदनुसार, 38.27 लाख अमरीकी डॉलर (₹26.16 करोड़ के बराबर) का एसईआईएस लाभ ही स्वीकार्य था। हालांकि, आरए ने संशोधित एनएफई आय पर विचार किए बिना ₹26.76 करोड़ का एसईआईएस प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹60 लाख के एसईआईएस स्क्रिप अधिक जारी किए गए।

विभाग ने ब्याज(₹26.44 लाख)के साथ ₹60 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.4.7 अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट का गलत अनुदान

मेसर्स 'एन', (इंडिया) प्रा. लि. ने वि.व.18 के दौरान प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं (सीपीसी 8672) के लिए एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अनुदान के लिए आरए-चेन्नई को आवेदन किया। फर्म ने 22,53,990 अमेरिकी डॉलर की सकल विदेशी मुद्रा अर्जित की थी और 3,26,674 अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च की। आरए-चेन्नई द्वारा (नवंबर 2018) फर्म को ₹72.51 लाख की एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई। 225 चालानों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 87 चालानों में, जिनके सापेक्ष विदेशी मुद्रा (14,07,625 अमेरिकी डॉलर) अर्जित की गई, फर्म ने थर्मल इंजीनियरिंग/निर्माण प्रबंधन सेवाओं/थर्मल पावर प्रोजेक्ट आदि के लिए विभिन्न देशों में पर्यवेक्षी कार्य के लिए ऑनसाइट कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की।

अन्य देशों में पर्यवेक्षी/निरीक्षण यात्राओं के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा मोड 4 (अन्य देशों में प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति) के अंतर्गत आएगी और इसलिए योजना के अंतर्गत एसईआईएस लाभ के लिए अपात्र थी। कुल अपात्र राशि ₹41.95 लाख रुपये थी।

विभाग ने बताया कि फर्म ने ₹52.62 लाख रुपये (₹10.67 लाख रुपये के ब्याज सहित) का भुगतान किया था। हालांकि, फर्म ने ₹15.41 लाख रुपये की राशि का विरोध किया था और अतिरिक्त डीजीएफटी, चेन्नई के समक्ष अपील फाइल की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.4.8 दिनांक 1 अप्रैल 2015 से पहले प्रदत्त सेवाओं पर जारी गलत एसईआईएस लाभ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 1 अप्रैल 2015 से एसईआईएस योजना को अधिसूचित किया था।

मेसर्स 'ओ', प्रा. लि. ने (मार्च 2019) वि.व.2016 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए एसईआईएस लाभ के लिए एक आवेदन फाइल किया और दो प्रकार की सेवाएं - i) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं (सीपीसी 8676, क्रम संख्या 1, डीई) और (ii) प्रबंधन परामर्श सेवाएं (सीपीसी 865, क्रम संख्या 1, डीसी), प्रदान करने के लिए 1.87 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय घोषित की।

निर्यातक ने दोनों सेवाओं के लिए 5.61 लाख अमेरिकी डॉलर (₹3.72 करोड़ के बराबर) के तीन *प्रतिशत* की दर से एसईआईएस रिवॉर्ड का दावा किया। आरए, मुंबई ने 10 *प्रतिशत* की 'लेट कट' लगाने के बाद ₹3.35 करोड़ की निवल प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

चालानों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि प्रोत्साहन में ₹36.46 लाख की राशि शामिल थी जो वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित एफई से संबंधित थी, यानी एसईआईएस (1 अप्रैल 2015) की शुरूआत से पहले, इसलिए यह अपात्र है। इसके परिणामस्वरूप ₹36.46 लाख की राशि के बराबर एसईआईएस स्क्रिप का अतिरिक्त अनुदान हुआ।

आरए, मुंबई ने (जुलाई 2023) ₹36.47 लाख और ₹20.80 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.5 भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)

एफटीपी, 2015-20 के अध्याय 3 के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजना, भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)[77] परिशिष्ट 3बी प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), खंड-I में निर्धारित दरों पर क्रेडिट शुल्क प्रदान करती है। प्रोत्साहन की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात से प्राप्त फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य पर या शिपिंग बिल में दिए गए निर्यात के एफओबी मूल्य पर होगी, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

4.5.1 अयोग्य उत्पादों के निर्यात पर एमईआईएस स्क्रिप की अनियमित स्वीकृति

डीजीएफटी ने दिनांक 22 सितंबर 2016 को सार्वजनिक सूचना (पीएन) संख्या 32/2015-20 के जरिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण- हार्मोनाइज्ड सिस्टम आईटीसी (एचएस) कोड 13021919 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात पर परिशिष्ट 3बी की क्रम संख्या 510 के अंतर्गत एमईआईएस लाभ लागू किया। यह आईटीसी (एचएस) 13021919 के अंतर्गत वर्गीकृत आंवला, पालक, करकुमा लोंगा, क्लोरोफिल, प्याज, बोसवेलिया सेराटा, तुलसी और कुछ अन्य के अर्क शामिल को शामिल नहीं करता हैं। डीजीएफटी ने दिनांक 16 फरवरी 2018 के पीएन

[77] 1 जनवरी 2021 से एमईआईएस को वापस ले लिया गया

संख्या 62/2015-20 के जरिए सभी आरए को एमईआईएस दावों के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश जारी किए।

पीएन ने निर्धारित किया कि इस पीएन से जुड़े अनुबंध में निर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के संबंध में, आरए परिशिष्ट 3बी की तालिका 2 में प्रदान किए गए निर्यात उत्पाद विवरण के साथ शिपिंग बिल के विवरण के मिलान के बाद मैनुअल मोड में एमईआईएस दावों के लिए आवेदन को संसाधित करना जारी रखेगा। आईटीसी (एचएस) कोड 13021919 के साथ क्रम संख्या 510 को पीएन के अनुबंध में शामिल किया गया है जिसका अर्थ है कि दावे को निर्यात उत्पाद के विवरण को एमईआईएस के परिशिष्ट 3बी में दिए गए विवरण के साथ मिलान करके मैनुअल रूप से संसाधित किया जाना है।

4.5.1.1 आंवला, पालक, करकुमा लोंगा, क्लोरोफिल, प्याज और अन्य के अर्क के निर्यात के लिए एमईआईएस स्क्रिप की अनियमित स्वीकृति

मेसर्स 'पी', इंडस्ट्रीज और सात अन्य ने अप्रैल 2017 से मई 2019 की अवधि के दौरान आईटीसी (एचएस) 13021919 के अंतर्गत आंवला, पालक, करकुमा लोंगा, क्लोरोफिल, प्याज, बोसवेलिया सेराटा, तुलसी, सेसमिन आदि के अर्क के ₹58.56 करोड़ के निर्यात के लिए एमईआईएस दावा आवेदन फाइल किए। आरए, कोच्चि और डीसी, कोचीन, एसईजेड ने ₹3.84 करोड़ राजस्व वाले 112 एमईआईएस लाइसेंस जारी किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात किए गए सामान परिशिष्ट 3बी के क्रम संख्या 510 में निर्दिष्ट नहीं थे और इसलिए आईटीसी (एचएस) कोड 13021919 के अंतर्गत एमईआईएस लाभ के लिए पात्र नहीं थे। हालांकि, आरए, कोच्चि और डीसी, सीएसईजेड-कोचीन ने शिपिंग बिलों में उल्लिखित मद विवरण को परिशिष्ट 3बी की तालिका 2 में उल्लिखित क्रम संख्या 5071/510 के मद विवरण के साथ सत्यापित और मिलान नहीं किया, जैसा कि दिनांक 16 फरवरी 2018 के पीएन संख्या 62/2015-20 में आवश्यक था और ₹3.84 करोड़ मूल्य के एमईआईएस लाइसेंस जारी कर दिए। इसके परिणामस्वरूप ₹3.84 करोड़ रुपये की अयोग्य एमईआईएस राशि को स्वीकृति दी गई।

आरए, कोच्चि ने (फरवरी 2024) चार निर्यातकों[78] से ₹1.49 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी और एक निर्यातक (मेसर्स 'क्यू', प्रा. लि.) को नोटिस जारी किया। शेष तीन निर्यातकों[79] के संबंध में आरए, कोच्चि से उत्तर प्रतीक्षित था। डीसी, सीएसईजेड, कोचीन की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.5.1.2 वेनिला ओलियोरेसिन के निर्यात के लिए एमईआईएस स्क्रिप्स का अनियमित जारी करना

सीबीईसी ने दिनांक 24 फरवरी, 2000 के परिपत्र संख्या 15/2000-सीमा शुल्क, एफ़ सं. 609/443/97-डीबीके के माध्यम से स्पष्ट किया कि वेनिला अर्क का सही वर्गीकरण उप-शीर्षक 130219 के अंतर्गत है और तदनुसार शुल्क लगाया जाता है। तदनुसार वेनिला ओलियोरेसिन या वेनिला अर्क को सीटीएच "13021919-अन्य अर्क" के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।

मेसर्स 'पी ', इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ने कोचीन सी पोर्ट/कोचीन एयरपोर्ट के माध्यम से 'वेनिला अर्क और ओलियोरेसिन' का निर्यात किया और एमईआईएस लाइसेंस का दावा किया। निर्यात को सही वर्गीकरण सीटीएच 13021919 के अंतर्गत के बजाय सीटीएच 33019029-'अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं मसालों के ओलियोरेसिन' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। शिपिंग बिलों में किए गए निर्यात का गलत वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया गया और अपात्र निर्यात उत्पादों के लिए ₹9.20 करोड़ रुपये के एमईआईएस लाइसेंस जारी किए गए।

वर्ष 2015 से 2020 के दौरान जारी किए गए एमईआईएस लाइसेंस से संबंधित डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि कोचीन समुद्री पोर्ट में फाइल 111 एसबी और कोचीन एअरपोर्ट में 335 एसबी के अन्तर्गत 'वेनिला अर्क और ओलियोरेसिन' का निर्यात किया गया था। यद्यपि निर्यातित उत्पाद (सीटीएच 13021919) एमईआईएस लाभों के लिए पात्र नहीं था, फिर भी जेडीजीएफटी-कोच्चि और डीसी, सीएसईजेड, कोच्चि द्वारा क्रमशः ₹4.12 करोड़ (147 लाइसेंस) और ₹5.08 करोड़ (81 लाइसेंस) के क्रेडिट शुल्क स्क्रिप जारी किए गए थे।

[78] मेसर्स 'पी', इंडस्ट्रीज, मेसर्स 'पीए' लि., मेसर्स 'पीबी', प्रा. लि., मेसर्स 'पीसी', प्रा. लि.

[79] मेसर्स 'पीडी', मेसर्स 'पीई', एक्सट्रैक्ट्स और मेसर्स 'पीएफ', प्रा. लि.

स्वीकृत किए गए कुल अयोग्य एमईआईएस क्रेडिट ₹9.20 करोड़ (₹4.12 करोड़ +₹5.08 करोड़) का बाद में विभिन्न पोर्टों के माध्यम से किए गए आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क राजस्व की हानि हुई।

सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2023) कि आरए-कोचीन और डीसी-कोच्चि को लाइसेंस रद्द करने के लिए सूचित किया गया है। हालांकि, आरए-कोचीन या डीसी-सीएसईजेड से जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.5.2 भारतीय रुपए में प्राप्त अयोग्य निर्यात आय पर एमईआईएस प्रोत्साहन प्रदान करना

एफ़टीपी 2015-20 के पैरा 2.52 में यह प्रावधान है कि नीति के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए निर्यात आय को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, विशिष्ट निर्यातों के सापेक्ष निर्यात आय को भारतीय मुद्रा में भी प्राप्त किया जा सकता है, यदि यह एशियाई क्लियरिंग संघ[80] (एसीयू) या नेपाल या भूटान के सदस्य देश के अलावा किसी अन्य देश में स्थित किसी अनिवासी बैंक के स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो[81] खाते के माध्यम से है।

एमईआईएस से संबंधित डीजीएफ़टी डेटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि मेसर्स 'आर', इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और 110 निर्यातकों को भारतीय रुपए में प्राप्त निर्यात आय के सापेक्ष नेपाल, भूटान और एसीयू के सदस्य देशों को किए गए निर्यात (नवंबर 2018 से मार्च 2020) के लिए आरए, मुंबई द्वारा अनियमित रूप से एमईआईएस प्रोत्साहन प्रदान किए गए। चूंकि नेपाल, भूटान और एसीयू[82] के सदस्य देशों को किए गए निर्यात के लिए निर्यात आय भारतीय रुपये में भेजी जाती है, इसलिए इन निर्यातकों को एमईआईएस प्रोत्साहन देने की विभाग

[80]एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) एक भुगतान व्यवस्था है जिसके तहत प्रतिभागी शुद्ध बहुपक्षीय आधार पर भाग लेने वाले केंद्रीय बैंकों के बीच अंतर-क्षेत्रीय लेनदेन के लिए भुगतान का निपटान करते हैं।

[81]वॉस्ट्रो खाता एक बैंक खाता है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की ओर से रखा जाता है, आमतौर पर विदेशी मुद्रा में। यह प्रतिवादी बैंकों को विदेशी बाजारों में अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।

[82] बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार

की कार्रवाई गलत थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.61 करोड़ रुपये की एमईआईएस स्क्रिप का अतिरिक्त अनुदान दिया गया।

विभाग ने (दिसंबर 2023) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए 68 निर्यातकों से ₹76.72 लाख और ₹38.28 लाख का ब्याज वसूलने की सूचना दी । शेष मामलों में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

डीजीएफटी रिपोर्ट किए गए सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है और अयोग्य निर्यात आय के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने में प्रणालीगत विफलता के बारे में टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है। लेखापरीक्षा को भविष्य में इसी तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4.5.3 शॉल, मफलर और मानव निर्मित फाइबर के समान वस्तुओं के निर्यात के लिए अतिरिक्त एमईआईएस प्रोत्साहन

"शॉल, मफलर और मानव निर्मित फाइबर के समान वस्तुएं" सीटीएच 62149060 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और दो *प्रतिशत* (दिसंबर 2016 तक; पी.एन. संख्या 02/2015-20 दिनांक 1 अप्रैल 2015), चार *प्रतिशत* (जनवरी 2017 से आगे; सार्वजनिक सूचना संख्या 61/2015-20 दिनांक 7 मार्च 2017, जैसा कि संशोधित है) की दर से एमईआईएस प्रोत्साहन के पात्र हैं।

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि मेसर्स 'एस' इम्पेक्स और 31 अन्य ने (नवंबर 2015 से जुलाई 2019 तक) "शॉल, मफलर और मानव निर्मित फाइबर के समान वस्तुएं" निर्यात की। आरए-मुंबई ने निर्यातित वस्तुओं को सीटीएच 62141020, 62141030 और 62142010 के अंतर्गत क्रमशः "रेशम/हथकरघा के शॉल, स्कार्फ (60 सेमी से अधिक)" और 'ऊन या महीन पशु बाल के शॉल' के रूप में गलत वर्गीकृत किया और दो/चार *प्रतिशत* की लागू दर के बजाय एफओबी मूल्य के तीन *प्रतिशत* और पांच *प्रतिशत* की उच्च दर पर एमईआईएस प्रोत्साहन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹63.99 लाख की सीमा तक अतिरिक्त एमईआईएस स्क्रिप प्रदान की गई।

विभाग ने 11 आयातकों से ₹0.89 लाख और ₹0.43 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी, और 13 निर्यातकों को मांग नोटिस् जारी किए। शेष निर्यातकों के संबंध में उत्तर और जारी किए गए मांग नोटिस् की स्थिति की प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.5.4 मानव निर्मित रेशों की ड्रेस सामग्री के निर्यात पर अतिरिक्त एमईआईएस प्रोत्साहन देना

सीटीएच 63079013 के अंतर्गत वर्गीकृत "मानव निर्मित रेशों की ड्रेस सामग्री" के निर्यात को दो *प्रतिशत* की दर से एमईआईएस प्रोत्साहन की अनुमति है।

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि मेसर्स 'टी' एक्सपोर्ट और अन्य ने जुलाई 2015 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान किए गए 'मानव निर्मित रेशों की ड्रेस सामग्री' के निर्यात को सीटीएच 63079019[83] के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए एमईआईएस लाभ का दावा किया। आरए-मुंबई द्वारा 213 एमईआईएस स्क्रिप्स में एफओबी मूल्य के पांच *प्रतिशत* और सात *प्रतिशत* की दर से एमईआईएस लाभ की अनुमति दी गई। निर्यात की गई वस्तुएं 'मानव निर्मित रेशों' की ड्रेस सामग्री थीं और सीटीएच 63079019 के अंतर्गत वर्गीकृत होने के बजाय सीटीएच 63079013 के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य थी। इसलिए, निर्यातक उन देशों के समूह के आधार पर जिन्हें लेट-एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) तिथि[84] पर निर्यात किया गया, पांच/सात *प्रतिशत* अनुमत एमईआईएस लाभ के बजाए शून्य/दो/तीन *प्रतिशत* की दर से एमईआईएस लाभ के लिए पात्र थे। गलत वर्गीकरण और एमईआईएस दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹54.06 लाख के शामिल क्रेडिट शुल्क के अतिरिक्त एमईआईएस स्क्रिप प्रदान किए गए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने (जनवरी 2024) 19 निर्यातकों से ₹7.18 लाख और ₹4.92 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी और 47 निर्यातकों को मांग नोटिस् जारी किए। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.6 अग्रिम प्राधिकार योजना

4.6.1 समय-समाप्त आवेदनों के लिए अनियमित रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार जारी करना

एचबीपी खंड I (2015-20) के पैराग्राफ 4.59 (बी) में प्रावधान है कि रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार के लिए आवेदन उस महीने के बाद जिसमें निर्यात आय प्राप्त

[83] ड्रेस मटीरियल; अन्य

[84] एलईओ सीमा शुल्क द्वारा जारी अंतिम अनुमोदन है जो माल को भारत से बाहर भेजने की अनुमति देता है

हुई हो, के छः महीने के भीतर फाइल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एचबीपी खंड-I के पैरा 9.02 के अनुसार, जब भी कोई आवेदन ऐसे आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है, तो आवेदन जमा करने में देरी की अवधि के अनुसार पात्रता में निर्धारित विलंब कटौती लगाने के बाद आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

मेसर्स 'यू' एक्सपोर्ट्स, जयपुर ने (नवंबर 2018) 18 शिपिंग बिलों के लिए रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार के लिए दो आवेदन फाइल किए, जिनके सापेक्ष निर्यात आय अप्रैल 2016 में प्राप्त हुई। यद्यपि आवेदन फाइल करने की अवधि आय प्राप्ति महीने से अधिकतम दो वर्ष, जो दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को ही समाप्त हो गई, फिर भी आरए-जयपुर ने अनियमित रूप से दो रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार जारी किए, जिनके आवेदन दिनांक 26 नवंबर 2018 को फाइल किए जाने के कारण समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व वाले दो प्राधिकार अनियमित रूप से जारी किए गए। आरए-जयपुर ने ₹2.50 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

4.6.2 विलंबित और समय-समाप्त आवेदनों के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का अत्यधिक/अनियमित जारी करना

मैसर्स 'वी' जेम्स और 10 अन्य को रत्न एवं आभूषण योजना के अंतर्गत आरए-जयपुर द्वारा ₹19.94 करोड़ मूल्य के 11 रत्न पुनःपूर्ति लाइसेंस (मई से दिसंबर 2019) जारी किए गए थे। पुनःपूर्ति लाइसेंस का दावा करने के लिए आवेदन मई से दिसंबर 2019 के दौरान निर्यातकों द्वारा निर्धारित अवधि की देरी के बाद फाइल किए गए थे। विभाग ने दो *प्रतिशत* (तीन लाइसेंस), पांच *प्रतिशत* (छः लाइसेंस) और 10 *प्रतिशत* (दो लाइसेंस) की दर से विलंब शुल्क लगाते हुए 11 लाइसेंसों प्रदान किए।

जारी किए गए लाइसेंसों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आरए-जयपुर द्वारा लगाया गया विलंब शुल्क निर्यातकों द्वारा आवेदन फाइल करने में देरी के अनुरूप नहीं है। तीन लाइसेंसों में, जहां आवेदन छः महीने से 12 महीने तक की देरी से फाइल किए गए, पांच *प्रतिशत* के बजाय दो *प्रतिशत* की दर से विलंब कटौती लागू की गई। 12 महीने से दो साल तक की देरी से फाइल किए गए अन्य छः लाइसेंसों में, लागू 10 *प्रतिशत* के बजाय पांच *प्रतिशत* की दर से

विलंब शुल्क लगाया। जबकि, शेष दो लाइसेंसों में, विभाग ने अनियमित रूप से आरईपी लाइसेंस जारी किए, हालांकि, आवेदन दो साल की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद फाइल किए जाने के कारण समय बाधित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.34 करोड़ (₹28.27 लाख-नौ लाइसेंस और ₹1.06 करोड़ दो लाइसेंस) के क्रेडिट शुल्क वाले प्राधिकारों को अतिरिक्त/अनियमित रूप से जारी किया गया, जो निर्यातकों से वसूलना था।

विभाग ने नौ लाइसेंसों के सापेक्ष ₹1.26 करोड़ की वसूली की सूचना दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.6.3 अग्रिम प्राधिकार (एए) धारक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा न करना

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.22 में प्रावधान है कि एए धारक द्वारा निर्धारित निर्यात दायित्व प्राधिकार जारी होने की तिथि से 18/24 महीनों में पूरा किया जाना चाहिए। एए धारक को निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से दो महीने के भीतर किए गए निर्यात के साक्ष्य के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करना होगा। इसके अलावा, एचबीपी, खंड I पैरा 4.44 के साथ पठित पैरा 4.20 में प्रावधान है कि समय सीमा के भीतर निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में प्राधिकार धारक को आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर ब्याज सहित सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मेसर्स 'डब्ल्यू' इंडिया प्रा. लि., बेंगलुरु ने (फरवरी से जून 2018) इनलैंड कंटेनर डिपो, बेंगलुरु के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयात किया, जिसमें ₹2.43 करोड़ की शुल्क छूट राशि शामिल थी। हालांकि, एए धारक वैधता अवधि बीत जाने के बाद भी निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा और न ही निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। तदनुसार, लाइसेंसधारक ₹2.43 करोड़ के सीमा शुल्क और लागू ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

विभाग ने सूचित किया कि शुल्क और ब्याज की वसूली के लिए बांड प्रवर्तन आदेश जारी किया गया और आईसीईएस प्रणाली में एक अलर्ट दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंक कुर्की के माध्यम से ₹1.35 लाख की राशि वसूल की गई थी। आगे की वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

हालांकि, वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी ने कहा (अप्रैल 2024) कि आयातक अपने प्रस्तुतीकरण पर डीजीएफटी से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। तदनुसार, डीजीएफटी द्वारा इसे तय किए जाने तक, मई 2017 के सीमा शुल्क परिपत्र के कारण ऐसे मामले को स्थगित रखते हुए वसूली की कार्यवाही रोक दी गई।

सीबीआईसी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस मामले में, मानदंड समिति, डीजीएफटी दिल्ली ने मानदंड आवेदन को खारिज कर दिया (अक्टूबर 2019) और आरए-बेंगलुरु को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। एफटीपी और एचबीपी खंड I के प्रावधानों के अनुसार, स्व-घोषित मानदंडों के आधार पर जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार के लिए मानदंडों के निर्धारण के लिए मानदंड समिति को आवेदन करना होगा। आवेदक को मानदंड समिति के निर्णय का पालन करने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। यदि मानदंड समिति मानदंडों को स्वीकृति नहीं देती है, तो प्राधिकार धारक को डीजीएफटी वेबसाइट पर मानदंड समिति के निर्णय को दर्शाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.6.4 अग्रिम प्राधिकार के सापेक्ष आईजीएसटी से अनियमित छूट

एए के सापेक्ष आयात को अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) और (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है। यह छूट इस शर्त के अधीन दी गई थी कि ईओ को केवल भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा (दिनांक 1 अप्रैल 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18/2015 जैसा कि दिनांक 13 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 79/2017 द्वारा संशोधित किया गया)।

आरए, सूरत ने मेसर्स 'एक्स' प्रा. लि. को (फरवरी 2020) आवंटित ₹2.97 करोड़ मूल्य के दो एए के सापेक्ष निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एए के अंतर्गत किए गए आयात पर छूट प्राप्त आईजीएसटी का भुगतान किए बिना, डीम्ड निर्यात (ईओयू को आपूर्ति) को प्रभावित करके ईओ को पूरा किया गया था। चूंकि ईओ को भौतिक निर्यात द्वारा पूरा नहीं किया गया, इसलिए आईजीएसटी की वसूली के बिना प्रदान किया गया ईओडीसी अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹44.11 लाख की अनुचित आईजीएसटी छूट दी जो वसूली योग्य थी।

आरए-सूरत ने (सितंबर 2023) ₹35.83 लाख और ₹29.81 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी । आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.7 विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाइयां

4.7.1 घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निकासित किए गए 'बिना-बुने हुए वस्त्रों' पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार, एसईजेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में ले जाए जाने वाले किसी भी माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सुरक्षा शुल्क सहित सीमा शुल्क लागू होंगे, जहां लागू हो, जैसा कि आयात किए जाने पर ऐसे माल पर लगाया जाता है।

इसके अलावा, 150 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) से अधिक वजन वाले 'बिना-बुने हुए' मानव निर्मित फिलामेंट सीटीएच 56031400 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं और उन पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है (दिनांक 27 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क जो दिनांक 16 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 53/2018-सीमा शुल्क के अनुसार संशोधित)। जबकि, 70 जीएसएम से अधिक लेकिन 150 जीएसएम से अधिक नहीं वजन वाले 'बिना-बुने हुए' मानव निर्मित फिलामेंट सीटीएच 56031300 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं और उन पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

निर्दिष्ट अधिकारी, एपीएसईजेड मुंद्रा के अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मेसर्स 'वाई' इंडिया प्रा. लि. मुंद्रा, (एसईजेड यूनिट II) ने डीटीए में 'नॉन-वोवन जियो टेक्सटाइल्स' की विभिन्न खेपों को स्वीकृति दी थी। माल को सीटीएच 56031300 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाकर निकासित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीए में निकासित किए गए माल 150 से अधिक जीएसएम का था और सीटीएच 56031400 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था, जिस पर 10 *प्रतिशत* की बजाय 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹59.26 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

विभाग ने ₹59.26 लाख के पूरे कम लगाए गए शुल्क और ₹14.61 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.7.2 एसआईओएन मानदंडों से अधिक रद्द/ अपशिष्ट पर शुल्क का भुगतान न करना

निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की उपलब्धि के अधीन शुल्क का भुगतान किए बिना डीटीए से इनपुट आयात/खरीद करने की अनुमति है। एचबीपी खंड I, 2015-20 के पैराग्राफ 6.06 (ई) में यह प्रावधान है कि ईओयू द्वारा इनपुट की खपत मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (एसआईओएन) और एसआईओएन में अनुमत अपव्यय पर आधारित होगी। निर्धारित सीमाओं से अधिक अपव्यय के मामले में, ईओयू को ऐसे अतिरिक्त अपशिष्ट पर आयात के समय प्राप्त सीमा शुल्क लाभ को वापस करना आवश्यक है।

मेसर्स 'जेड़' इंडिया प्रा. लि. को अप्रैल 2015 में 'कृत्रिम आभूषण' के विनिर्माण और निर्यात के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया। एलओपी 2015-16 से 2019-20 की ब्लॉक वर्ष अवधि के लिए वैध था। एक किलोग्राम तैयार आउटपुट उत्पाद के निर्यात के लिए निर्धारित एसआईओएन (के30) के अनुसार, ईओयू को 1.20 किलोग्राम इनपुट की अनुमति थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि जनवरी 2015 से नवंबर 2019 के दौरान इकाई ने एसआईओएन के अंतर्गत अनुमत 20 *प्रतिशत* से अधिक रद्द/अपशिष्ट उत्पन्न किया। हालांकि, इकाई को उत्पन्न अतिरिक्त अपशिष्ट पर सीमा शुल्क की वसूली के बिना सीमा शुल्क अधिकारियों से अनुमोदन के बाद रद्द माल को नष्ट करने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹42.97 लाख रुपये का शुल्क कम लगाया गया।

विभाग ने ₹42.97 लाख तथा ₹26.29 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.8 प्रतिअदायगी शुल्क योजना

4.8.1 हेपरिन और उसके लवणों के निर्यात पर अनियमित प्रतिअदायगी का भुगतान

प्रतिअदायगी शुल्क अनुसूची के अनुसार, "हेपरिन और उसके लवणों" को प्रतिअदायगी क्रम संख्या 3001बी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इसके उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिअदायगी शुल्क की अनुमति नहीं है।

मेसर्स 'एबी' प्रा. लि. और 31 अन्य ने (जनवरी से अक्टूबर 2021) एसीसी-निर्यात नई दिल्ली के माध्यम से 83 शिपिंग बिलों के अंतर्गत 'हेपरिन सोडियम इंजेक्शन और एनोक्सापारिन सोडियम इंजेक्शन' का निर्यात किया। माल को डीबीके अनुसूची के क्रम संख्या 3001बी के बजाय प्रतिअदायगी क्रम संख्या 3004बी के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया और एफओबी मूल्य के 1.3 *प्रतिशत* की दर से अनियमित रूप से प्रतिअदायगी शुल्क की अनुमति दी। हालांकि, इन वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रतिअदायगी शुल्क की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, डीबीके अनुसूची के गलत प्रतिअदायगी क्रमांक के अंतर्गत निर्यात उत्पाद के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल ₹42 लाख की प्रतिअदायगी राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

विभाग ने (मई 2023) नौ निर्यातकों से ब्याज सहित ₹12.81 लाख की वसूली की, चार निर्यातकों के खिलाफ मांग की पुष्टि की और 19 निर्यातकों को एससीएन जारी करने की सूचना दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.8.2 रेडीमेड दुपट्टों के निर्यात पर अतिरिक्त प्रतिअदायगी का भुगतान

प्रतिअदायगी अनुसूची के अनुसार 'रेडीमेड परिधान-मानव निर्मित फाइबर से बने दुपट्टे' को प्रतिअदायगी क्रम संख्या 62140203बी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ₹36 प्रति किलोग्राम की अधिकतम सीमा के साथ एफओबी के तीन *प्रतिशत* की दर से प्रतिअदायगी के लिए पात्र हैं।

मेसर्स 'एसी' और पांच अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद (निर्यात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से 19 एसबी के अंतर्गत ₹26.09 करोड़ के कुल निर्यात के साथ 'रेडीमेड गारमेंट-दुपट्टे मानव निर्मित फाइबर से बने' का निर्यात किया है। माल को प्रतिअदायगी क्रम संख्या 62140103बी- को 'शॉल, स्कार्फ, मफलर,

मेंटिला और घूंघट, मानव निर्मित फाइबर के' के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया और ₹12 प्रति पीस की सीमा के साथ एफओबी मूल्य के 2.7 *प्रतिशत* की दर से गलत तरीके से प्रतिअदायगी की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्यात की गई वस्तुएं प्रतिअदायगी क्रम संख्या 62140203बी के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य थीं और ₹36 प्रति किलोग्राम की सीमा के साथ एफओबी के तीन *प्रतिशत* की दर से प्रतिअदायगी के लिए पात्र थीं, जो अनुमत प्रतिअदायगी दर से कम है। गलत वर्गीकरण और परिणामस्वरूप गलत प्रतिअदायगी दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹37.74 लाख रुपये की वापसी का अधिक भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2023) कि सभी छः निर्यातकों के विरुद्ध कुल ₹37.74 लाख का भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रतिअदायगी की वसूली के लिए मांगों की पुष्टि (मई 2022) की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

4.9 निष्कर्ष

20 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों की नमूना लेखापरीक्षा में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने और निर्यात दायित्वों की पूर्ति के संबंध में विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किए गए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले सामने आए। लेखापरीक्षा की नमूना जांच के आधार पर उपरोक्त पैराग्राफों में बताए गए मामलें उदाहरणात्मक हैं। तदनुसार, लाइसेंस जारी करने और उन्हें जारी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं के समान उल्लंघन तथा भूल व चूक की ऐसी अन्य त्रुटियों से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों के अलावा स्वीकृत सभी स्क्रिप्स की समीक्षा कर सकती है और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने आईटी प्लेटफार्मों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है।

अध्याय V

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

5.1 भारत में पोत/विमान से आयातित माल पर सीमा शुल्क लगता है और जब तक ये आगमन पोर्ट/विमानपत्तन पर सीमा शुल्क निकासी हेतु नहीं आते हैं तथा इन्हे किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर पारगमन करना है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना है । आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क, और अन्य आवश्यक जानकारी का विवरण देने के लिए एक बिल ऑफ एंट्री (बीई) फाइल करना आवश्यक है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई को आईसगेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली जिसे आईसीईएस के रूप में जाना जाता है, में दर्ज किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के एक निर्धारित सेट के साथ मैन्युअल रूप से फाइल किया जाता है।

5.2 सीमा शुल्क प्राधिकारियों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत दावा किए गए किसी भी छूट या लाभ को ध्यान में रखते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होता है कि आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है या नहीं एवं क्या उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/आज्ञापत्र आदि की आवश्यकता है एवं यदि हां, तो क्या ये आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण शामिल है, जिसमें व्याख्याओं के नियम, अध्याय एवं खंड-नोट आदि का उचित ध्यान रखकर, शुल्क देयता का निर्धारण किया जाता है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है जहां वस्तुओं का निर्धारण यथामूल्य के आधार पर किया जाता है।

5.3 कस्टम हाउस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आइसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए बीई को आईसीईएस द्वारा

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) में प्रेषित किया जाता है। आरएमएस स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करता है एवं परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन निर्धारित करता है कि क्या बीई पर कार्रवाई की जाएगी, अर्थात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअल मूल्यांकन या माल की जांच, या दोनों, या शुल्क के भुगतान के बाद स्वीकृति दे दी जाएगी तथा निर्धारण एवं जांच के बिना सीधे ऑउट-ऑफ-चार्ज दिया जाएगा। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या ऑउट-ऑफ-चार्ज अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) समिति आयातों के प्रतिबंध के लिए स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त हस्तक्षेप करने का निर्णय ले सकती है। आरएमएस आधारित आईसीईएस एवं/या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण के माध्यम से आयातों की स्वीकृति की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान करने से पहले लागू अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तें पूर्णरूप से पूरी हो जाएं।

5.4 सीमा शुल्क डेटा तक सीमित पहुंच

आइसगेट की पूर्ण स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक एवं कागज रहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में सृजित अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी आंकड़े सीबीआईसी के अंतर्गत प्रणाली महानिदेशालय (डीजी/ प्रणाली) में बनाए गए केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

वि.व.18-19 के बाद के अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी आंकड़े बार-बार अनुरोध करने के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। अखिल भारतीय संव्यवहार संबंधी आंकड़ों के अभाव में, आईसीईएस के सीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए मॉड्यूल की सीमाओं के बारे में सीबीआईसी को भी सूचित किया गया था। तदनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय में निष्कर्ष 48 आयुक्तालयों का प्रत्यक्ष रूप से दौरा करके की गई सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे।

5.5 लेखापरीक्षा नमूना

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 1.93 करोड़ बीई एवं 2.37 करोड़ एसबी का सृजन किया गया, जिसमें से क्षेत्राधिकार लेखापरीक्षा कार्यालयों ने, स्थानीय जोखिमों के आधार पर प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा के लिए 8.33 लाख बीई (5.14 *प्रतिशत*) एवं 4.83 लाख एसबी (2.45 *प्रतिशत*) का नमूना चयन किया। अखिल भारतीय आंकड़ों के अभाव में स्थानीय लेखापरीक्षा के माध्यम से नमूनों का चयन किया गया, जो कि उप-सर्वोत्तम है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (88 मामले) इस अध्याय में शामिल की गई। छोटी-छोटी अभ्युक्तियाँ निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जारी की गईं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए गैर-अनुपालन के मामलों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. आयात का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 5.6.1 से 5.6.5)**

II. अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

क. आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 5.7.1 से 5.7.5)**

ख. छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 5.7.6 से 5.7.7)**

III. अन्य अनियमितताएं **(पैराग्राफ 5.8.1)**

5.6 आयात का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होता है। लागू शुल्कों का उद्ग्रहण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 39 मामलों में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। गलत वर्गीकरण के ये 39 मामले जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹21.67 करोड़ है, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व निहितार्थ शामिल है, इस

अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं। ₹10 लाख से कम मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्ट स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सूचना दी गई है।

18 आयुक्तालयों में पाए गए गलत वर्गीकरण के 39 मामलों में से, 6 मामले जिनमें कुल ₹9.47 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था, की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है तथा शेष 33 मामले जिनमें कुल ₹12.20 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था, **अनुलग्नक 21** में सूचीबद्ध हैं। विभाग ने सभी 39 मामलों को स्वीकार कर लिया था तथा 17 मामलों में ₹17.17 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

5.6.1 'मोटर वाहनों (मोपेड सहित) के पार्ट्स एवं सहायक उपकरणों' को 'दिव्यांग व्यक्तियों के वाहनों के पार्ट्स/साइकिलों के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण' के रूप में गलत वर्गीकृत करना।

'मोटर वाहनों (मोपेड सहित) के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 871410 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं एवं इन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगेगा (02 फरवरी 2018 से)।

मैसर्स 'बीए' मोटर्स लि. एवं 21 अन्य ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रमशः 123 बीई (एवी- ₹ 29.02 करोड़) एवं 117 बीई (एवी- ₹35.12 करोड़) के अंतर्गत चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क के माध्यम से 'मोटरसाइकिल/इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण' आयात किए। आयातित माल को सीटीएच 87142090, 87149100, 87149290, 87149400 एवं 87149990 के अंतर्गत 'दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन के पार्ट्स-अन्य'/साइकिल एवं अन्य साइकिलों के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। आयातित माल को छूट अधिसूचनाओं {(i) अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमा शुल्क, क्रमांक 1487 दिनांक 1 जून 2011 एवं (ii) अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, क्रमांक 528/532 दिनांक 30 जून 2017} के अंतर्गत 'शून्य दर'/10 *प्रतिशत* की रियायती दर पर बीसीडी लगाकर स्वीकृति दी गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित माल छूट अधिसूचनाओं के लाभ के लिए अयोग्य

है एवं 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लागू करने योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹5.11 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ,

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने (जुलाई 2024) 10 आयातकों से ₹8.25 करोड़ की वसूली की सूचना दी, अन्य 10 आयातकों के विरुद्ध मांगों की पुष्टि की तथा दो मामलों में एस.सी.एन. जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.6.2 "मैंडरिन (कीनू) जूस का 'संतरे के जूस' के रूप में गलत वर्गीकरण

किसी भी अन्य खट्टे फल का जूस, जैसे "मैंडरिन (कीनू) जूस" को सीटीएच - 20093900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है एवं इस पर लागू शुल्कों के साथ 50 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मैसर्स 'बीबी' बेवरेजे लिमिटेड एवं एक अन्य ने (फरवरी से नवंबर 2021) जेएनसीएच आयुक्तालय के माध्यम से "मैंडरिन (कीनू) जूस/ मैंडरिन फ्रोजन कंसन्ट्रेट" की 15 खेपें आयात कीं। आयातित माल को सीटीएच 20093900- किसी अन्य खट्टे फल का जूस के रूप में वर्गीकृत करने के बजाए सीटीएच 20091100/20091900 के अंतर्गत 'ऑरेंज जूस (फ्रोजन/अन्य)' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। विभाग ने आयातित जूस पर लागू 50 *प्रतिशत* दर की जगह 35 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाते हुए निकासी की। चूंकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संतरा एवं मैंडरिन फलों के लिए अलग-अलग सीटीएच निर्दिष्ट किए गए हैं, इसलिए उनके रस को भी दो अलग-अलग सीटीएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें एक जैसा नहीं माना जा सकता। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.42 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2024) कि दोनों आयातकों के विरुद्ध ₹2.42 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

मंत्रालय ने पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सीमा शुल्क) वर्ष 2022 की संख्या 30 (उप पैरा संख्या 3.6.1) में उठाई गई इसी तरह की अभ्युक्तियों पर अपने

एटीएन प्रतिक्रिया में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया था एवं कथित तौर पर आयातकों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए थे।

5.6.3 "अल्ट्राज़िन टेक्निकल- एक शाकनाशी" का 'खरपतवारनाशक[85] एवं खरपतवार नाशक घटक' के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 38089390 के अंतर्गत वर्गीकृत 'अल्ट्राज़िन टेक्निकल[86] - एक शाकनाशी' के आयात पर, जब चीन से आयात किया जाता है, तो लागत, बीमा, माल ढुलाई (सी.आई.एफ.) मूल्य के 9.52 *प्रतिशत* की दर से काउंटरवेलिंग शुल्क लगती है। इसके अलावा, 'अल्ट्राज़िन टेक्निकल' के आयात पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया जाता है।

मैसर्स 'बीसी' केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि. ने (दिसंबर 2019) जेएनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के माध्यम से 'अल्ट्राज़िन टेक्निकल' की एक खेप आयात की । माल को सीटीएच 38089350 के अंतर्गत 'खरपतवारनाशक एवं खरपतवार नाशक घटक' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं काउंटरवेलिंग शुल्क लगाए बिना ही निकासी दे दी गई थी। गलत वर्गीकरण के कारण के परिणामत: काउंटरवेलिंग शुल्क एवं फलस्वरूप आईजीएसटी, कुल ₹70.60 लाख का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि आयातक को एससीएन जारी कर दिया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.6.4 'खाना पकाने या गर्म करने की अन्य मशीनरी (फूड फ्रायर्स) का फलों, नट्स या सब्जियों की तैयारी की मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकरण

''फ्रायर्स' को सीटीएच 84198110 के अंतर्गत 'खाना पकाने या गर्म करने की अन्य मशीनरी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं इस पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है, जबकि उनके पार्ट्स को सीटीएच 84199090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

---

[85]शाकनाशी पौधों की वृद्धि को रोकते हैं जबकि खरपतवारनाशी खरपतवारों को नष्ट करते हैं।

[86] अल्ट्राज़िन ट्राइज़ीन वर्ग का क्लोरीनयुक्त शाकनाशी है। इसका उपयोग मक्का, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलों में तथा गोल्फ कोर्स एवं आवासीय लॉन जैसे मैदानों में उगने से पहले ही चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को रोकने के लिए किया जाता है।

मैसर्स 'बीडी' फूड्स लि. एवं छः अन्य ने (जुलाई 2019 से फरवरी 2021 तक) 12 बीई के अंतर्गत जेएनसीएच-जोन-II के माध्यम से 'फ्रायर्स एवं उनके पार्ट्स' आयात किए। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 84386000/84388090-'खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, फलों, मेवों या सब्जियों की तैयारी के लिए अन्य मशीनरी जो इस अध्याय में कहीं ओर निर्दिष्ट या शामिल नहीं है' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था एवं पांच *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी लगाने के बाद स्वीकृति दी गई थी। आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹46.68 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने (जनवरी 2024) सभी सात आयातकों को एससीएन जारी करने की सूचना दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।

5.6.5 'विशिष्ट ऑटोमोटिव पार्ट्स एवं सहायक उपकरण (क्लच/स्टीयरिंग/ रेडिएटर/शॉक एब्जॉर्बर/एक्सल/ब्रेक/बम्पर) का 'मोटर वाहनों के पार्ट्स' के रूप में गलत वर्गीकरण

शीर्ष 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष 8708 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 8708 में विशिष्ट मोटर वाहनो के पार्ट्स शामिल हैं, जैसे 'बंपर / ब्रेक / एक्सल / शॉक एब्जॉर्बर / रेडिएटर / क्लच / स्टीयरिंग के पार्ट्स को क्रमशः सीटीएच 87081090/87083000/87085000/87088000/87089100/ 87089300/87089400 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हैं। जब इन पार्ट्स का आयात किया जाता है तो इन पर बीसीडी एवं आईजीएसटी क्रमसः15 *प्रतिशत* एवं 28 *प्रतिशत*[87] की दर से लगता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालयों के माध्यम से क्लच/स्टीयरिंग/ रेडिएटर/शॉक एब्जॉर्बर/एक्सल/ब्रेक/बम्पर के पार्ट्स के आयातो के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹76.99 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इन मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।.

---

[87] अधिसूचना संख्या 1/2017-आईटी (दर), अनुसूची IV एस.सं.170 दिनांक 28 जून 2017।

(क) 'विशिष्ट ऑटोमोटिव पार्ट्स एवं सहायक उपकरणों का 'मोटर वाहनों के पार्ट्स' के रूप में गलत वर्गीकरण

मैसर्स 'बीई' इंडिया लि. एवं चार अन्य ने क्लच/स्टीयरिंग/रेडिएटर/शॉक एब्जॉर्बर/ एक्सल/ ब्रेक/बंपर के ऑटोमोटिव पार्ट्स की 47 खेपें कोरिया से चैन्नई (समुंद्र) आयुक्तालयों से आयात की। माल को सीटीएच 87089900 के अंतर्गत 'मोटर वाहनों के पार्ट्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था एवं दिनांक 31 दिसंबर 2009 को संशोधित अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क के अंतर्गत 5 *प्रतिशत* बीसीडी की रियायती दर पर निकासी दी गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सीटीएच 87081090/8708 3000/5000/8000/ 9100/9300/9400 के अंतर्गत वर्गीकृत 'शीर्ष 8702 से 8704 के मोटर वाहनों के पार्ट्स एवं सहायक उपकरणों' पर बीसीडी की रियायती दर लागू नहीं थी। तदनुसार, आयातित वस्तुओं पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹41.23 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने चार आयातकों को एससीएन जारी करने की सूचना दी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

(ख) क्लच के कुछ पार्ट्स का 'लोहे या स्टील की अन्य वस्तुओं/ रिवेटस्' के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 87089300 के अंतर्गत वर्गीकृत "क्लच एवं उसके पार्ट्स" जब आयात किए जाते हैं तो उन पर 15 *प्रतिशत* बीसीडी एवं 28 *प्रतिशत* आईजीएसटी लगता है।

मैसर्स 'बीएच' क्लच प्रा. लि. चेन्नई ने 18 बीई के अंतर्गत ₹1.97 करोड़ के कुल एवी सहित "क्लच के पार्ट्स- स्पेसर (डिस्टेंजियाल) एवं पिन (बैरेटा)" का चैन्नई समुद्र सीमा शुल्क द्वारा आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 73182990/73182300 के अंतर्गत 'लोहे या स्टील की अन्य वस्तुओं /रिवेटस्' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया एवं 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी {दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क का क्रमांक संख्या 377 (उन पार्ट्स को सामान्य उपयोग के रूप में मानते हुए)} एवं आईजीएसटी

{ दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-आईटी (दर), अनुसूची III} 18 *प्रतिशत* की दर से लगाकर स्वीकृति दी गई।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित वस्तुएं क्लच के पार्ट्स थे एवं सीटीएच 87089300 के अंतर्गत "शीर्ष 8702 से 8704 के मोटर वाहनों के पार्ट्स एवं सहायक उपकरण" के रूप में वर्गीकरण के योग्य थे, जिस पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इस प्रकार आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹35.76 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि ₹35.76 लाख की मांग की पुष्टि की गई है एवं ₹35.76 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आयातक ने मांग आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है।

5.7 अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

नमूना जांच के 43 मामलों में विभिन्न अधिसूचनाओं का अनुचित अनुप्रयोग पाया गया, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹20.35 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित अनुप्रयोग के व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्ट स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से दी गई है। विभाग ने सभी 43 मामलों को स्वीकार कर लिया एवं 37 मामलों में ₹12.21 करोड़ की वसूली की सूचना दी, जिसमें ब्याज भी शामिल है। ₹10.44 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 7 मामलों (आईजीएसटी अधिसूचना-5 मामले एवं अन्य छूट अधिसूचनाएं- 2 मामले) पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है एवं ₹9.91 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले शेष 36 मामलों को **अनुलग्नक 22** (17 मामले) एवं **अनुलग्नक 23** (19 मामले) में शामिल किया गया है।

आईजीएसटी अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण कम उद्ग्रहण/गैर- उद्ग्रहण

सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा एवं तदनुसार लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयात पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया जाएगा जब सीमा शुल्क लगाया जाता है।

आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (7) के अंतर्गत दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) की अनुसूचियों (यथा संशोधित) के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा आयात पर आईजीएसटी लगाने से छूट दे सकती है।

5.7.1 रेलवे के पार्ट्स/रोलिंग स्टॉक के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के पार्ट्स को सीटीएच 8607 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकता है एवं इन पर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगेगा { दिनांक 28 जून 2017 की आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 01/2017- आईटी (दर) की अनुसूची II की क्रम संख्या 205जी, जैसा कि दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019- आईटी (दर) द्वारा किया गया है}। संशोधन से पहले, सीटीएच 8607 के अंतर्गत वर्गीकृत इन वस्तुओं पर आईजीएसटी 5 *प्रतिशत* की दर से लगाया जाता था (दिनांक 28 जून 2017 की आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची-I की क्रम संख्या 241)।

मैसर्स 'बीएच' इंजीनियरिंग लि. एवं पांच अन्य ने (अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 तक) आयुक्तालय सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता के माध्यम से सीटीएच 8607 के अंतर्गत "रेलवे/ रोलिंग स्टॉक के पार्ट्स" की 33 खेपों का आयात किया । विभाग ने आयातित वस्तुओं को सही ढंग से वर्गीकृत किया, लेकिन सितंबर 2019 के संशोधन के बाद लागू 12 *प्रतिशत* की दर की जगह पांच *प्रतिशत* की पूर्व संशोधित दर पर आईजीएसटी लगाते हुए उन्हें स्वीकृति दे दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 33 बीई के अंतर्गत आयातों में से 31 मामलों में, उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची I की पूर्व क्रम संख्या 241 के अनुसार पांच *प्रतिशत* आईजीएसटी लगाया गया था। मैसर्स 'बीएच' इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा आयातित दो अन्य मामलों में, अनुसूची I की क्रम संख्या 257 के अंतर्गत पांच *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था, जो पूरी तरह से अनुचित

था, चूंकि यह प्रविष्टि अनुसूची से संलग्न 'सूची 3 में निर्दिष्ट विकलांगों के लिए सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और अन्य सामान' के लिए लागू है। इसके परिणामस्वरूप ₹1.87 करोड़ की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए छः आयातकों से कुल ₹2.17 करोड़ की वसूली की सूचना दी (जुलाई 2024)। हालांकि, एक आयातक (मैसर्स 'बीएचए' लि.) से ब्याज की वसूली प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.7.2 एनिलीन तेल के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

सीटीएच 29214110 के अंतर्गत आने वाले 'एनिलिन तेल' पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लागू है {दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) की अनुसूची-III की क्रम संख्या 40}।

मैसर्स 'बीआई' डस्ट्रीज लि. ने (मई 2020) सीमा शुल्क आयुक्तालय, कस्टम हाउस कांडला के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत 'एनिलिन तेल' की दो खेप आयात की थी। विभाग ने आयातक की घोषणा को स्वीकार कर लिया एवं पांच *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाते हुए माल को स्वीकृति दे दी (क्रमांक 257, पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची 1) जो "अध्याय 90 या अन्य अध्याय के अंतर्गत आने वाली अनुसूची में संलग्न सूची 3 में निर्दिष्ट विकलांगों के लिए सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता एवं अन्य सामान" के लिए लागू है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित माल "सूची 3 में निर्दिष्ट विकलांगों के लिए सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता एवं अन्य सामान" नहीं थे, बल्कि 'एनिलिन ऑयल' थे, जिस पर पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची III, क्रमांक 40 के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹1.60 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसे आयातक से लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए ₹1.60 करोड़ एवं ₹47.22 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी (मई 2023)।

5.7.3 मशीनों/स्पेयर पार्ट्स के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

'अलग-अलग काम करने वाली मशीनें एवं यांत्रिक उपकरण (कम्पोस्टिंग मशीनों के अलावा) एवं उनके पार्ट्स, जो सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 84 में कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं, उन्हें सीटीएच 8479 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं उन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अनुसूची III, अधिसूचना संख्या 01/2017-आईटी (दर) दिनांक 28 जून 2017 की क्रम संख्या 366}। हालांकि, कम्पोस्टिंग मशीनों पर 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मैसर्स 'बीजे' लि. एवं 17 अन्य ने चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क के माध्यम से 21 बीई के अंतर्गत मशीनों/मशीनों के स्पेयर पार्ट्स का आयात किया (मई 2018 से मार्च 2020 तक)। आयातित माल को 'कम्पोस्टिंग मशीनों' पर लागू उपरोक्त आईजीएसटी अधिसूचना के क्रम संख्या 201/अनुसूची II के अंतर्गत 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाकर गलत तरीके से स्वीकृति दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित माल 'कम्पोस्टिंग मशीन' नहीं थे एवं उन पर लागू 12 *प्रतिशत* की जगह 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 17 आयातकों से ₹1.63 करोड़ की वसूली की सूचना दी, जिसमें ब्याज और एक आयातक के विरुद्ध पुष्टि की गई मांग शामिल है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.7.4 मेट्रो रेल/रेल कोच के पार्ट्स के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के पार्ट्स को सीटीएच 8607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीटीएच 8607 के अंतर्गत माल के आयात पर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 12 *प्रतिशत* की बढ़ी हुई दर से आईजीएसटी लगेगा, जो संशोधित अधिसूचना संख्या 14/2019 - आईटी (दर) दिनांक 30 सितंबर 2019 के अंतर्गत लागू है।

मैसर्स 'बीके' इंडिया लि. एवं अन्य ने (दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के बाद) चेन्नई (समुद्री सीमा शुल्क) एवं चेन्नई (वायुमार्ग-सीमा शुल्क) के माध्यम से क्रमशः मेट्रो रेल/रेल कोच के पार्ट्स की 24 खेपें एवं 19 खेपें आयात कीं। आयातित माल को दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से लागू संशोधित दर 12 *प्रतिशत* की जगह पांच *प्रतिशत* की पुरानी दर पर आईजीएसटी लगाकर स्वीकृति दी गई। हालांकि, आयात दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के बाद की अवधि के थे। आईजीएसटी दर को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप कुल ₹1.06 करोड़ के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

चेन्नई (वायुमार्ग- सीमा शुल्क) अधिकारियों ने 19 खेपों में ब्याज सहित ₹12.64 लाख की वसूली की सूचना दी।

चेन्नई (समुद्री सीमा शुल्क) के माध्यम से किए गए आयातों के संबंध में, आयुक्तालय ने 11 खेपों में ₹46.24 लाख की वसूली की सूचना दी एवं 13 खेपों के संबंध में एससीएन जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.7.5 'ईंधन वितरण या लुब्रीकेंट्स के लिए पंप' एवं 'उसके पार्ट्स' के आयात पर आईजीएसटी दर का कम उद्ग्रहण

"फिलिंग स्टेशन या गैरेज में इस्तेमाल होने वाले 'ईंधन वितरण या लुब्रीकेंट्स के लिए पंप' एवं 'आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, लूब्रीकेटिंग या कूलिंग मीडियम पंप' को क्रमशः सीटीएच 841311 एवं 841330 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन वस्तुओं पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है { दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV की क्रम संख्या 117} एवं उनके पार्ट्स पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मैसर्स 'बीके' इंडिया लि. एवं 22 अन्य ने (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक) चेन्नई (वायुमार्ग- सीमा शुल्क) आयुक्तालय के माध्यम से "डीजल इंजन के लिए इंजेक्शन पंप, ईंधन पंप, बफर पंप, ट्रिगर पंप एवं पंप के पार्ट्स" आदि का आयात किया। माल को उप शीर्ष 841311/841330/841340/ 841350/841360/841370 एवं 841391 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था,

लेकिन उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-III की क्रम संख्या 453 के अंतर्गत आईजीएसटी (18 *प्रतिशत*) की निचली दर पर निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अनुसूची III की क्रम संख्या 453 उन वस्तुओं पर लागू होती है जो उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची I, II, IV, V या VI में निर्दिष्ट नहीं हैं। हालांकि, आयातित माल को विशेष रूप से सीटीएच 841311/841330/841391 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो पंपों एवं उनके पार्ट्स पर क्रमशः 28/18 *प्रतिशत* (अनुसूची IV/III) की दर से आईजीएसटी के उद्ग्रहण योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹49.77 लाख की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने आठ आयातकों से ब्याज सहित ₹19.76 लाख की वसूली की सूचना दी। हालांकि, विभाग ने अपने अनुपूरक उत्तर में मैसर्स 'बीके' इंडिया लि. (7 बीई; ₹26.26 लाख) को छोड़कर आयातकों से ₹23.51 लाख के कम उद्ग्रहण को स्वीकार किया। मैसर्स 'बीके' इंडिया लि. द्वारा किए गए आयातों के लिए विभाग ने अभ्युक्तियों को अस्वीकार करते हुए कहा कि आयातों का विवरण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उल्लिखित विवरणों से मेल नहीं खाता है।

मैसर्स 'बीके' इंडिया लि. के बारे में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयातित वस्तुएँ " पंप कूलेंट ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पंप" थी, लेकिन सीटीएच 84133030 के अंतर्गत सही वर्गीकरण की जगह सीटीएच 84137099 के अंतर्गत 'अन्य पंप' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिस पर 18 *प्रतिशत* की जगह 28 *प्रतिशत* आईजीएसटी लगता है। विभाग को जुलाई 2023 में आयातित वस्तुओं की फिर से जांच करने के लिए इसकी जानकारी दी गई। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

5.7.6 अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस के लिए मोटर के आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

शीर्ष 8702, 8703, 8704 एवं 8711 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों में उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर एवं जनरेटर (जनरेटिंग सेट को छोड़कर) को सीटीएच 8501 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। हालाँकि, शीर्ष 8702, 8703, 8704 और 8711 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त को छोड़कर 'इलेक्ट्रिक मोटर्स' के लिए अधिसूचना संख्या 50/2017 के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की रियायती दर पर बीसीडी लगाया जाता है।

मैसर्स 'बीएल' इंडिया प्रा. लि. एवं 34 अन्य ने (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक) आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस के लिए विभिन्न प्रकार की मोटर्स की 80 खेपें आयात कीं। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 85011019 से 85015390 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था एवं उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी लगाकर उन्हें स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित माल ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस आदि में उपयोग के लिए था, जो सीटीएच 8703, 8704 एवं 8711 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्हें उपरोक्त छूट के लाभ से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹2.16 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने 20 आयातकों से ₹1.35 करोड़ तथा ₹28.85 लाख ब्याज सहित वसूली की सूचना दी (जुलाई 2024) तथा शेष 15 आयातकों के विरूद्ध मांगों की पुष्टि की (जनवरी 2025)।

5.7.7 अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण “विद्युत चालित बैटरी होलर्स के पार्ट्स” के आयात पर बीसीडी के शुल्क का कम उद्ग्रहण

सीटीएच 8702 या 8704 के अंतर्गत वर्गीकृत विद्युत चालित वाहन: यदि नॉक डाउन किट के अलावा अन्य रूप में आयात किया जाता है तो दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 525 (2) के अनुसार 25 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी देय है, जिसे दिनांक 29 जनवरी 2019 की अधिसूचना संख्या 03/2019-सीमा शुल्क के अनुसार संशोधित किया गया है। जबकि 'पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी)' वाहन पर उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 15 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी लगता है।

इसके अलावा, न्यायिक रूप से {सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्त सीमा शुल्क, नई दिल्ली बनाम सोनी इंडिया-2008(231) ईएलटी385 (एससी) के मामले में} यह माना कि यदि माल को एक ही आयातक द्वारा विभिन्न खेपों में आयात किया जाता है, तो भी वे पूर्ण वस्तु नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्हें सीकेडी स्थिति में एक पूर्ण वस्तु के रूप में एक साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

मैसर्स ‘बीएम‘ प्रा. लि. ने (अप्रैल 2019) आयुक्तालय सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता के माध्यम से सीटीएच 87049099 के अंतर्गत सीकेडी स्थिति में पूर्ण वस्तु के रूप में नहीं बल्कि आंशिक शिपमेंट के रूप में “विद्धुत चालित बैटरी हॉलर्स के पार्ट्स” की दो खेपों का आयात किया। विभाग ने आयातित माल का मूल्यांकन ‘सीकेडी’ के रूप में किया एवं उक्त अधिसूचना के अंतर्गत 15 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी लगाने के बाद उसे स्वीकृति दे दी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि माल को सीकेडी स्थिति में पूर्ण वस्तु के रूप में नहीं बल्कि आंशिक शिपमेंट के रूप में आयात किया गया था, जैसा कि प्रत्येक शिपमेंट में माल के घोषित वजन से पता चलता है। तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण मे, बैटरी हॉलर्स के पार्ट्स के आयात को सीकेडी स्थिति में आयातित पूर्ण वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता। तदनुसार, उद्ग्रहण योग्य बीसीडी 15 *प्रतिशत* की जगह 25 *प्रतिशत* की दर से लगाया गया।

बीसीडी की रियायती दर के अनियमित अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹1.79 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जो लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूल करने योग्य था।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2024) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (दिसंबर 2023)। निर्णय की स्थिति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.8 अन्य अनियमितताएं

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी देश से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात की जाती है, तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, सिरेमिक टेबलवेयर/किचनवेयर, 'टोल्यूनि डाइ-आइसोसाइनेट', 'पवन संचालित बिजली जनरेटर के लिए कास्टिंग', 'शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड', 'पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन उत्पाद' जैसी वस्तुओं पर एडीडी लगाया गया था, जब इन्हें निर्दिष्ट देशों से आयात किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन आयुक्तालयों के माध्यम से किए गए आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) की गैर/कम उद्ग्रहण है, जिसमें ₹3.97 करोड़ का राजस्व शामिल है। मंत्रालय/विभाग ने पांच मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं तीन मामलों में ₹2.34 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)। इनमें से ₹3.60 करोड़ के राजस्व वाले तीन मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है एवं शेष तीन मामले **अनुलग्नक 24** में सूचीबद्ध हैं।

5.8.1 आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का गैर/कम उद्ग्रहण

टोल्यूनि डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआ)', 'पवन चालित बिजली जनरेटर के लिए कास्टिंग' एवं 'सिरेमिक टेबलवेयर/किचनवेयर; अन्य घरेलू सामान एवं शौचालय के सामान, चीनी मिट्टी या चीन के अलावा' क्रमशः सऊदी अरब, चीन एवं मलेशिया में उत्पन्न या वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित पर निर्धारित दरों पर एडीडी लगता है।

मैसर्स 'बीएन' इंटरनेशनल प्रा. लि. एवं चार अन्य ने (अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2021 तक) जेएनसीएच, मुंबई जोन-II के माध्यम से 26 बीई के अंतर्गत उपरोक्त माल का आयात किया । विभाग ने निर्धारित दरों पर बिना एडीडी लगाए /कम लगाए आयातित माल को स्वीकृति दे दी। लागू एडीडी उद्ग्रहण में चूक के परिणामस्वरूप कुल ₹3.60 करोड़ का गैर/कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय/विभाग ने एक आयातक (15 बीई) से ₹2.21 करोड़ एवं ब्याज की वसूली की सूचना दी तथा दो अन्य आयातकों को एससीएन/लैस चार्ज नोटिस जारी किया। शेष एक मामले (टोल्यूनि डाइ-आइसोसाइनेट-दो आयातक) में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2025)।

5.9 निष्कर्ष

इस अध्याय में आयातों के मूल्यांकन में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए गए मौजूदा अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क टैरिफ़ शुल्कों एवं उद्ग्रहण के गैर-अनुपालन के 88 मामलों पर प्रकाश डाला गया है। आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग या अन्य शुल्कों के गैर-उद्ग्रहण के कारण शुल्क के गैर उद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के कारण ₹45.99 करोड़ का राजस्व जोखिम था।

मंत्रालय/विभाग ने इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय तक 87 मामले (₹42.65 करोड़) स्वीकार किए हैं एवं ₹31.72 करोड़ (57 मामले) की वसूली की है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय तक एक मामले में मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरह की भूल एवं चूक, चाहे आरएमएस आधारित आकलन में हो या मैनुअल आकलन में, कई और मामलों में मौजूद हो सकती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांची गई बड़ी संख्या में बीई का मूल्यांकन आरएमएस के माध्यम से किया गया था, जिससे

संकेत मिलता है कि प्रणाली-आधारित मूल्यांकन की सुविधा के लिए आरएमएस में मैप किए गए मूल्यांकन नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों के मानचित्रण एवं अद्यतन की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए।

(सुबु आर)

महा निदेशक (सीमा शुल्क)

नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 22 मई 2025

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

1 अप्रैल 2022 तक **(पैराग्राफ 1.9 देखें)**

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या (31 मार्च 2022 तक)	**424**		
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (31 मार्च 2022 तक)	375 प्लस 7 केंद्र सरकार प्लस 12 राज्य के+/ निजी एसईजेड		
परिचालनित एसईजेड	268		
एसईजेड में अनुमोदित इकाइयाँ (31 मार्च 2022 तक)	5,576		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (1 अप्रैल, 2022 तक)**
केंद्र सरकार के एसईजेड	₹2,279.20 करोड़	₹20,834.12 करोड़	₹23,113.32 करोड़
2006 से पहले स्थापित, राज्य के / निजी एसईजेड	₹1,756.73 करोड़	₹12,396.07 करोड़	₹14,152.38 करोड़
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	-	₹6,12,439.31 करोड़	₹6,12,439.31 करोड़
कुल	**₹4,035.93 करोड़**	**₹6,45,669.50.49 करोड़**	**₹6,49,705.01 करोड़**
रोजगार	**रोजगार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (1 अप्रैल, 2022 तक)**
केंद्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्ति	73,731 व्यक्ति	1,95,967 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित, राज्य के /निजी एसईजेड	12,468 व्यक्ति	97,437 व्यक्ति	1,09,905 व्यक्ति
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	-	23,90,308 व्यक्ति	23,90,308 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**25,61,476 व्यक्ति**	**26,96,180 व्यक्ति**
निर्यात प्रदर्शन			
वर्ष	**निर्यात (₹ करोड़ में)**		**वृद्धि *प्रतिशत***
वि.व.18	5,81,033		11
वि.व.19	7,01,179		21
वि.व.20	7,96,669		14
वि.व.21	7,59,524		(-)4.66
वि.व.22	9,90,747		30

कुल निवेश (₹ करोड़ में)	**वि.व.18**	**वि.व.19**	**वि.व.20**	**वि.व.21**	**वि.व.22**
केंद्र सरकार के एसईजेड	19,381	18,677	20,557	21,505	23,113
2006 से पहले स्थापित, राज्य के /निजी एसईजेड	12,952	13,274	13,534	15,194	14,153
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	4,59,979	4,75,693	5,37,644	5,80,800	6,12,439
कुल	**4,92,312**	**5,07,644**	**5,71,735**	**6,17,499**	**6,49,705**
रोजगार (व्यक्तिगत रूप से)	**वि.व.18**	**वि.व.19**	**वि.व.20**	**वि.व.21**	**वि.व.22**
केंद्र सरकार के एसईजेड	2,39,870	2,28,037	1,97,777	1,87,879	1,95,967
2006 से पहले स्थापित, राज्य के /निजी एसईजेड	1,00,669	1,03,052	1,09,124	1,06,553	1,09,905
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	16,56,071	17,29,966	19,31,404	20,63,704	23,90,308
कुल	**19,96,610**	**20,61,055**	**22,38,305**	**23,58,136**	**26,96,180**

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पत्र क्रमांक के-43015(18)/2019-एसईजेड दिनांक 11.05.2023

अनुलग्नक 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क चोरी के मामले (योजना-वार)

(पैराग्राफ 1.13.1 देखें)

क्रम सं.	योजना	वि.व.18	वि.व.19	वि.व.20	वि.व.21	वि.व.22
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)
1	अंतिम उपयोग एवं अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरूपयोग।	48	60	17	39	46
		117.5	539.47	117.90	691.29	765.94
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	37	32	77	45	28
		237.47	72.90	389.42	161.60	113.11
3	कम मूल्यांकन	346	80	45	34	37
		1,825.42	301.01	106.85	201.33	139.32
4	गलत घोषणा	163	211	179	425	205
		184.72	791.89	349.45	1,419.30	1,626.02
5	ड्रॉबैक योजना का दुरूपयोग	146	21	83	53	47
		40.22	6.87	257.71	66.64	23.85
6	ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड का दुरूपयोग	3	3	2	5	3
		1.05	4.95	1.57	7.05	4.83
7	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	79	178	70	34	26
		293.54	3433.40	335.73	220.28	434.12
8	अन्य	118	167	288	170	213
		364.74	1077.70	624.80	720.69	1,497.04
	कुल	940	752	761	805	605
		3,064.65	6,228.19	2,183.43	3,488.19	4,604.24

स्रोत: वि.व.22 के लिए वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 05.06.2023

अनुलग्नक 3: लेखापरीक्षा आवृत्तक्षेत्र

(संदर्भ पैरा 3.4)

क्रम सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय मुख्य कार्यालय					आयुक्तालयों की संख्या
	अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन	कुरियर टर्मिनल	अनएक्म्पनीड सामान	विदेशी डाकघर	स्थल सीमा शुल्क स्टेशन	
1	सीसी अहमदाबाद , सीसी (नि.) जोधपुर	सीसी अहमदाबाद	सीसी अहमदाबाद, सीसी (नि.) जोधपुर	सीसी अहमदाबाद, सीसी (नि.) जोधपुर		2
2	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), बेंगलूरू	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), बेंगलूरू	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), बेंगलूरू	सीसी (सिटी) (बेंगलूरू)		2
3	सीसी (नि.) अमृतसर)			सीसी, लुधियाना		2
4	सीसी (वायु) चेन्नई-I, सीसी-कोच्चि	सीसी (वायु) चेन्नई-I, सीसी-कोच्चि	सीसी (वायु) चेन्नई-I, सीसी-कोच्चि	सीसी (वायु) चेन्नई-I, सीसी-कोच्चि		2
5	(सीसी., विमानपत्तन, दिल्ली	सीसी (एसीसी निर्यात), दिल्ली	सीसी (एसीसी निर्यात), दिल्ली	सीसी (एसीसी निर्यात), दिल्ली		2
6	सीसी, हैदराबाद, सीसी (नि.) भुवनेश्वर		सीसी, हैदराबाद	सीसी, हैदराबाद, सीसी (नि.) भुवनेश्वर		2
7	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), कोलकाता	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), कोलकाता	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), कोलकाता	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	सीसी (नि.) कोलकाता-एलसीएस पेट्रापोल	3
					सीसी (नि.) कोलकाता -एलसीएस घोजाधंगा	
8	सीसी (नि.) लखनऊ, सीसी (पटना)		सीसी (नि.) लखनऊ	सीसी (नि.) लखनऊ		2
9	सीसी (विमानपत्तन), मुंबई जोन- III,	सीसी-एपीएससी मुंबई जोन-III,	एनएस-I, जेएनसीएच, मुंबई जोन-II,	सीसी (आयात-II), जोन-I, मुंबई		4
	13	**7**	**10**	**12**	**2**	**21**
	कुल इकाइयाँ: 44		**कुल आयुक्तालय: 21**			

अनुलग्नक 4: सीमा शुल्क विभाग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करना

(पैरा 3.7 देखें)

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन		कुरियर टर्मिनल		अनएक्म्पनीड सामान		विदेशी डाकघर		स्थल सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस)	
		इकाई	अभिलेखों की संख्या	इकाई	अभिलेखों की संख्या	इकाई	अभिलेखों की संख्या	इकाई	अभिलेखों की संख्या	इकाई	अभिलेखों की संख्या
1	सीसी (एसीसी एवं विमानपत्तन), कोलकाता	1	90	1	35	0	0	0	0	0	0
2	सीसी, कोच्चि	1	12	1	150	0	0	1	125	0	0
3	सीसी (विमानपत्तन), मुंबई	1	51	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सीसी विमानपत्तन, दिल्ली	1	522	0	0	0	0	0	0	0	0
5	सीसी (वायु) चेन्नई-I	1	39	0	0	0	0	1	364	0	0
6	सीसी अहमदाबाद	1	24	0	0	1	95	1	541	0	0
7	सीसी (निवारक) अमृतसर)	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	सीसी (निवारक) कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	1	153
9	सीसी (बेंगलूरू सिटी)	0	0	0	0	0	0	1	427	0	0
10	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	0	0	0	0	0	0	1	53	0	0
11	सीसी (एसीसी), दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	45	0	0
12	सीसी, लुधियाना	0	0	0	0	0	0	1	70	0	0
	कुल	**7**	**813**	**2**	**185**	**1**	**95**	**7**	**1,625**	**1**	**153**

अनुलग्नक 5: संयुक्त भौतिक सत्यापन - अंतर्राष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल

(पैरा देखें 3.8.1.1)

क्रम सं.	कुरियर टर्मिनल का नाम	आयात खेप 2021-22	निर्यात खेप 2021-22	संरक्षकों की संख्या	आयातित एक्स-रे स्कैनर (संख्या में)	एक्स-रे स्कैनर निर्यात (संख्या में)
1	एसीसी, अहमदाबाद	2,265	3,00,887	2	1	1@
2	एसीसी, बेंगलूरू	13,17,554	24,58,593	3	9	5
3	एसीसी, चेन्नई	1,40,970	98,411	1	2	2
4	एनसीटी, दिल्ली	23,42,584	76,62,868	4	4	6**
5	एसीसी, कोच्चि	2,30,119	प्रस्तुत नहीं किए गए*	1	3	3
6	एसीसी, कोलकाता	334	92	1	1***	2***
7	आईसीटी, मुंबई	4,89,578	29,24,199	1	3	4

*** प्रस्तुत नहीं किए गए @खराब**

**** चार एक्स-रे मशीनें - दो कार्गो ऑपरेटर शेड में तथा दो डीएचएल एक्सपोर्ट क्षेत्र में नारकोटिक्स और विस्फोटकों के लिए**

*****वर्ष 2021-22 में संस्थापित**

अनुलग्नक 6: तेरह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उपलब्ध अवसंरचना

{पैरा देखें 3.8.1.2 (i)}

क्र. सं.	अवसंरचना / विमानपत्तन का नाम	चेक्ड इन सामान के लिए इनलाइन सामान एक्स-रे स्कैनिंग मशीन	आगमन/ प्रस्थान हॉल पर हैंड बैग एवं क्रॉस मार्क वाले बैग के लिए एक्स-रे बैग स्कैनिंग मशीन	हैंड मेटल डिटेक्टर	डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर	इलेक्ट्रॉनिक सामान की रसीद जारी करने के लिए उपलब्ध आईटी प्रणाली	कैरेट मीट[88]	स्वान दस्ता	बॉडी स्कैनिंग मशीन	नारकोटिक्स टेस्ट के लिए लैब	ड्रग डिटेक्शन किट
1	सीएसएमआईए, मुंबई	7	7	2	3	5	शून्य	3	शून्य	शून्य	5
2	एसवीपीआईए, अहमदाबाद	3	3	शून्य	शून्य	लागू नहीं	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
3	जेआईए, जयपुर	लागू नहीं	6	4	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एनएससीबीआईए, कोलकाता	लागू नहीं	14	4	2	लागू नहीं	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2
5	आरजीआईए, हैदराबाद	2	3	4	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
6	बीपीआईए, भुवनेश्वर	2	2	5	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4
7	अन्ना आईए, चेन्नई	लागू नहीं	11	8	2	लागू नहीं	लागू नहीं	2	1	1	लागू नहीं
8	कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन	लागू नहीं	15	8	5	1	शून्य	2	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसजीआरडीजेआईए, अमृतसर	लागू नहीं	5	4	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	केआईए बेंगलूरू	6	5	6	4	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
11	सीसीएसआईए, लखनऊ	2	1	2	2	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	जीआईए, गया	1	1	6	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
13	आईजीआईए नई दिल्ली	लागू नहीं	6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
14	एलसीएस पेट्रापोल	लागू नहीं	6	7	6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एलसीएस घोजडांगा	लागू नहीं	1	1	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

[88]कैरेट मीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, जो सोने की शुद्धता का सटीक माप देने के लिए एक्स-रे का उपयोग करता है

अनुलग्नक 7: सीमा शुल्क विभाग के साथ लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित एफपीओ का संयुक्त निरीक्षण

{पैरा देखें 3.8.1.4 (i)}

क्रम सं.	एफपीओ का नाम	एफपीओ में आयात/निर्यात उपलब्धता	आयात पर एक्स-रे स्कैनर (संख्या)	निर्यात पर एक्स-रे स्कैनर (संख्या)	नारकोटिक्स डिटेक्शन किट	कैरेट मीटर/ हैंडहेल्ड मेटल एवं नारकोटिक्स डिटेक्टर	श्वान दस्ता
1	अहमदाबाद	आयात एवं निर्यात दोनों	1	1	-	-	0
2	बेंगलूरू	आयात एवं निर्यात दोनों	3	0	-	-	0
3	भुवनेश्वर	केवल निर्यात	लागू नहीं	0	1 (समय सीमा समाप्त)	0	0
4	लुधियाना	केवल निर्यात	लागू नहीं	एक्सएमआईएस -उपयोग नहीं किया जा रहा है	0	0	0
5	चेन्नई	आयात एवं निर्यात दोनों	2	1	-	-	0
6	दिल्ली	आयात एवं निर्यात दोनों	4 (1 अनुपयोगी)	4 (1 अनुपयोगी)	0	-	1
7	हैदराबाद	केवल निर्यात	लागू नहीं	1 (पुराना एक्सएमआईएस)	0	-	-
8	जयपुर	आयात एवं निर्यात दोनों	लागू नहीं	1	-	-	-
9	कोच्चि	आयात एवं निर्यात दोनों	2	-	-	-	-
10	कोलकाता	आयात एवं निर्यात दोनों	3(आयात एवं निर्यात दोनों के लिए उपयोग किया गया एवं 2 रही कर नहीं काम मशीनें रे-एक्स थीं।		6 (सभी की समय सीमा समाप्त।	-	-
11	वाराणसी	केवल निर्यात	लागू नहीं	1 (मशीन 3.12.20 से 27.07.21 के दौरान काम नहीं कर रही थी)	-	-	-
12	मुंबई	आयात एवं निर्यात दोनों	2	1	हाँ	गैर-कार्यात्मक कैरेट मीटर	विमानपत्तन के श्वान दस्ते का समय-समय पर उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक 8 : आईसीटी में ड्वैल समय विश्लेषण

(पैरा देखें 3.8.2.2)

आईसीटी, मुंबई में ड्वैल समय विश्लेषण 2019-20 (सीबीई XIII)		
बिल क्लियर होने में लगा समय	**बिलों की संख्या**	**बिलों का *प्रतिशत***
1 दिन	2,83,516	84.51
2-10 दिन	45,010	.42
11-30 दिन	5,031	1.50
30-100	1,681	0.48
100 दिन एवं ज्यादा	265	0.01
कुल	**3,35,503**	
आईसीटी, मुंबई में ड्वैल समय विश्लेषण 2019-20 (सीबीई XIV)		
बिल क्लियर होने में लगा समय	**बिलों की संख्या**	**बिलों का *प्रतिशत***
1 दिन	68,989	74.4
2-10 दिन	21,737	23.44
11-30 दिन	1,538	1.66
31- 100 दिन	292	0.31
100 दिनों से ऊपर	165	0.18
कुल	**92,721**	
डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार आईसीटी, अहमदाबाद में ड्वैल समय विश्लेषण		
बिल क्लियर होने में लगा समय	**बिलों की संख्या**	**बिलों का *प्रतिशत***
1 दिन	25298	36.79
2-10 दिन	41226	59.95
11-30 दिन	1810	2.63
30-100 दिन	25	0.04
100 दिन एवं उससे ज्यादा	406	0.59
कुल	**68765**	
2019-20 के लिए आईसीटी, बेंगलूरू में ड्वैल समय विश्लेषण		
बिल क्लियर होने में लगा समय	**बिलों की संख्या**	**बिलों का *प्रतिशत***
0-1 दिन	9,57,857	74.34
2-10 दिन	3,09,740	24.04
11-30 दिन	17,304	1.34
31-100 दिन	2,841	0.22
101 एवं उससे ज्यादा	658	0.05
कुल	**12,88,400**	
डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार आईसीटी, दिल्ली में ड्वैल समय विश्लेषण		
बिल क्लियर होने में लगा समय	**बिलों की संख्या**	**बिलों का *प्रतिशत***
0-1 दिन	10,902	19.54
2-10 दिन	39,284	70.40
11-473 दिन	5,615	10.06
कुल	**55,801**	

अनुलग्नक 9: प्रमुख विमानपत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय आगमन द्वारा भुगतान किया गया शुल्क

(पैरा 3.8.3.1 देखें)

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम	वर्ष	पहुँचने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या	पहुँचने वाले यात्रियों की संख्या	स्वैच्छिक घोषणाओं की संख्या (रेड चैनल)	सीमा शुल्क (ग्रीन चैनल) द्वारा अवरोधन पर की गई घोषणाओं की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां मूल्यांकन किया गया एवं शुल्क का उद्ग्रहण किया गया	शुल्क का भुगतान करने वाले यात्रियों का *प्रतिशत*
1	एसवीपीआईए, अहमदाबाद	2019-20	15,387	23,21,304	0	0	6,403	0.28
2	केआईए बेंगलूरू	2019-20	13,967	26,11,616	शून्य	5,088	5,088	0.19
3	एआईए, चेन्नई	2019-20	17,779	30,59,879	34,648	199	72,684	2.38
4	आईजीआईए दिल्ली	2019-20	1,09,869	1,78,31,000	7,335	लागू नहीं	7,335	0.04
5	आरजीआईए हैदराबाद	2019-20	12,923	20,48,291	6,918	173	7,091	0.35
6	केआईए, कोच्चि	2019-20	13,933	22,50,589	24,556	100	161	1.09
7	एनएससीबीआईए, कोलकाता	2019-20	12,244	16,34,679	1,947	शून्य	लागू नहीं	0.11
8	सीएसएमआईए, मुंबई	2019-20	40,353	5737182	1432	504	2738	0.03

अनुलग्नक 10: सामान की रसीद जारी करने का विवरण) मैनुअल/ईबीआर मॉड्यूल(

(पैरा 3.8.3.2 देखें)

क्रम सं.	विमानपत्तन	वर्ष	सामान संबंधी फ़ाइल की गईं कुल घोषणाएं	सामान रसीद का मैनुअल जारी करना	जारी किए गए बीआर मैनुअल का *प्रतिशत*	ईबीआर मॉड्यूल के माध्यम से जारी सामान रसीद	ईबीआर मॉड्यूल में अपलोड की गई मैनुअल रसीद	ईबी आर में कुल सामान संबंधी घोषणाएँ	ईबीआर में अपलोड करने के लिए लंबित घोषणाएं।
1	सीएसएमआईए , मुंबई	2019-20	1,936	950	49	986	3	989	947
		2020-21	558	385	68	173	234	407	151
		2021-22	635	..	37	2130	608	2738	635
2	जेआईए, जयपुर	नमूना डेटा	300	..	..	..	..	4	296
3	एसवीपीआईए, अहमदाबाद	2019-20	..	6,396	100	..	12	..	6,384
		2020-21	..	2,413	100	..	780		1,633
		2021-22	..	3,819	100	..	1,315		2,504
4	बीपीआईए भुवनेश्वर	सितंबर 2019 से जुलाई 2020	53	11	20	42	0	42	11
5	कोच्चि अंतर. विमानपत्तन	नमूना डेटा	51	51	100	0	51	51	0
6	सीसीएसआईए, लखनऊ	2019-20	545	545	100	0	0	..	545
		2020-21	338	305	90	33	0	..	305
		2021-22	569	403	70	166	63	..	340
7	जीआईए, गया	2019-20	133	67	50	66	0	0	
		2020-21	96	96	100	0	0	0	96
		2021-22	3	3	100	0	0	0	3
8	केआईए बेंगलूरू	2019-20	3,879	3,621	93	258	0	258	1,354
		2020-21	1,685	1,685	100	0	0	0	1,685
		2021-22	2,778	2,137	77	641	0	641	2,137
9	एनएससीबीआईए, कोलकाता	मार्च -22	133	...		..	..	110	23

अनुलग्नक 11: सोने के अलावा सामान पर कम उद्ग्रहण

(पैरा 3.8.3.10 देखें)

क्रम सं..	विमानपत्तन का नाम	डीडीआर सं.	तिथि	सामग्री का विवरण	निर्धारण मूल्य (₹ लाख में)	उद्ग्रहीत शुल्क (₹ लाख में)	उद्ग्रहीत योग्य शुल्क (₹ लाख में)	कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)
1	सीएसएमआईए, मुंबई	861952 861953 861963	10.03.2022 10.03.2022 14.03.2022	हथियार एवं गोला बारूद	16.01	8.01	8.81	0.80
2	सीएसएमआईए, मुंबई	859515	14.09.2021	व्हिस्की	0.03	0.03	0.06	0.03
3	अमृतसर (एसजीआरडीजेआईए)	2343	07.03.2021	तीन आईफोन	2.33	0.13	0.45	0.32
4	लखनऊ	12 मामले	सितम्बर 2021	पुराना एवं प्रयुक्त एलईडी टीवी	2.01	0.28	0.78	0.50
	कुल	**17 मामले**						**1.65**

अनुलग्नक 12: तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक ही यात्री को कई टी.आर. लाभों की गलत अनुमति

(पैरा 3.8.4.2 देखें)

स्थान	बीडी	कुल यात्री	विषय	कर प्रभाव (₹ लाख में)	कुल बीडी में से
यूबी सेंटर जेएनसीएच, मुंबई	33	12 यात्री	एक ही यात्री से उसी पोर्ट पर कई टीआर	9.14	13,695
यूबी सेंटर जेएनसीएच, मुंबई	23	11 यात्री	एक ही यात्री से विभिन्न पोर्ट एवं विभिन्न टीआर	13.33	5,555
यूबी सेंटर एसीसी, बेंगलूरू	4	2 यात्री	एक ही यात्री से उसी पोर्ट पर दोगुना टीआर		
डीजी प्रणाली डेटा विश्लेषण	26	13 यात्री	विभिन्न पोर्ट एवं कई टीआर	18.75	8,081
कुल	**86**	**39**		**41.22**	**27,331**

अनुलग्नक 13: एफपीओ में आयातित उपहारों एवं व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में कम उद्ग्रहण

(पैरा 3.8.5.6 देखें)

स्थान	कुल आयात	बिल की प्रकृति	अवधि	पाया गया कम अधिग्रहण	कर प्रभाव (₹ लाख में)
एफपीओ,एनसी एच, मुंबई जोन-I	300 नमूना	पार्सल एवं पैकेट (व्यक्तिगत वस्तु)	अप्रैल 2019 से मार्च 2022	8 पार्सल + एक पैकेट	2.85
एफपीओ, कोच्चि	300 नमूना	आयात बिल	जनवरी-20	21 बिल्स	0.30
एफपीओ बेंगलूरू	300 नमूना	आयात बिल	अप्रैल 2019 से मार्च 2022	23 बिल्स	6.56
एफपीओ कोलकाता	300 नमूना	आयात बिल (उपहार)	अप्रैल 2019 से मार्च 2022	5	0
उप- कुल				**58 बिल्स**	**9.71**
एफपीओ , एनसीएच,मुंबई जोन-I	66,945 पार्सल+ 48,358 पैकेट (डेटा विश्लेषण)	पार्सल एवं पैकेट (व्यक्तिगत सामान)	अप्रैल 2019 से मार्च 2022	233 पार्सल+ 76 पैकेट	7.67
एफपीओ,एनसी एच, मुंबई जोन-I	66,945 पार्सल+ 48,358 पैकेट (डेटा विश्लेषण)	पार्सल एवं पैकेट (उपहार)	अप्रैल 2019 से मार्च 2022	115 पार्सल + 109 पैकेट	6.50
महायोग	**(1,15,303 बिल्स)**			**533 बिल्स**	**14.17**

अनुलग्नक 14: अधिसूचनाओं के लाभ का गलत विस्तार

(पैरा 3.9.1 देखें)

क्रम सं.	संक्षिप्त विवरण	आपत्ति जताई गई राशि (₹ लाख में)	बीएसईई की संख्या	आयुक्तालय
1	अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के क्रम संख्या 20 के अंतर्गत ईथरनेट स्विचों का आयात, हालांकि माल सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकृत है एवं 20% की दर से बीसीडी पर मूल्यांकित है।	34.83	52	एनसीटी, एसीसी (निर्यात), नई दिल्ली
2	दिनांकित 01 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क के अंतर्गत बीसीडी की गलत छूट। आयातित माल लॉन्च वाहन एवं उपग्रहों एवं पेलोड के लिए आवश्यक हैं एवं अधिसूचना संख्या 05/2018-सीमा शुल्क दिनांकित 25 अक्टूबर 2018 के क्रम संख्या 539 ए के अंतर्गत 5% बीसीडी के लिए उत्तरदायी हैं।	23.75	2	आईसीटी, एपीएससी आयुक्तालय, जोन-III, मुंबई
3	अधिसूचना संख्या 22/2018- सीमा शुल्क दिनांक 2.02.2018 के अंतर्गत क्रमांक 18 पर इयरफ़ोन, हेडफोन पर 15% लागू बीसीडी के स्थान पर 10% बीसीडी की रियायती दर की अनुमति दी गई।	2.74	113	आईसीटी, एपीएससी आयुक्तालय, जोन-III, मुंबई
	कुल	**61.32**		

अनुलग्नक 15 : आईसीटी पर 31 मार्च 2022 तक दावा रहित / अनिकासित माल की स्थिति

(पैरा 3.10.3.1 देखें)

क्रम सं.	आईसीटी का नाम	संरक्षक का नाम	31.03.2022 तक लंबित माल की संख्या	टिप्पणियां
1	मुंबई	ईआईसीआई/ एमआईएएल	1,19,794	संबंधित वर्ष 2010 से 2022
2	दिल्ली	यूपीएस	6,100	संबंधित वर्ष 2019 से 2022
	दिल्ली	ईआईसीआई	16,995	
3	बेंगलूरू	डीएचएल/ ईआईसीआई/ फेडेक्स	77,833	16,552 मामले एक वर्ष से अधिक समय से निपटान आदेश की प्रतीक्षा में हैं
4	अहमदाबाद	जीएसईसी लिमिटेड	प्रस्तुत नहीं	माल पड़ा था, लेकिन लेखापरीक्षा को कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई
5	चेन्नई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण काचर्गो लॉजिस्टिक्स एवं संबद्ध सेवाएं	प्रस्तुत नहीं	लेखापरीक्षा को कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई
	कुल		**2,20,722**	

अनुलग्नक 16: सीएसएमआईए, मुंबई में एटीए कारनेट की स्थिति

(पैरा 3.11.3बी देखें)

क्रम सं.	पंजिका सं.	कारनेट सं.	आयात की तिथि	पुन: निर्यात की अंतिम तिथि	सीमा शुल्क (₹ में)
1	200	बीआर 20206600005	29.01.2020	28.03.2020	34,913
2	75	आईएल 61955/19	28.08.2019	25.08.2019	3,51,310
3	80	यूएस89/19-64421	21.06.2019	20.08.2019	3,46,980
4	87	आईएल 61726/19	22.07.2019	21.09.2019	53,708
5	99	सीएन 12/2019-0247	30.08.2019	29.10.2019	15,400
6	104	एचके108647	07.09.2019	06.11.2019	18,293
7	173	एफआर XV-1/1911844	02.11.2019	01.01.2020	3,27,207
8	178	जेपी/एच 19 05288	15.10.2019	14.12.2019	41,272
9	179	जेपी/एच 19 405212	15.10.2019	14.12.2019	61,600
10	192	सीएन 18/2020-0019	17.01.2020	16.03.2020	9,610
11	216	डीई/9321 केएन	06.11.2019	05.01.2020	1,33,264
12	226	जीबी/एलओ/02/19/04497	18.11.2019	17.01.2020	2,76,057
13	264	बीजी/190250	27.10.2019	26.12.2019	4,63,501
14	273	डीई/140935/20एच	29.01.2020	28.03.2020	1,54,907
15	279	आईएल/एच/14926/20	05.2.2020	04.04.2020	2,704
16	283	डीई/141142/20एम	09.02.2020	08.04.2020	15,38,762
17	303	डीई14241321एम	24.05.2021	23.07.2021	3,86,181
18	301	आईएलएच15222/21	04.04.2021	04.05.2021	84,786
19	298	डीई/00057020बी	05.12.2020	03.02.2021	3,38,459
20	92	डीई0910 एल	15.08.2019	14.10.2019	2,31,925
21	145	यूएस 89/1967318	28.09.2019	27.11.2019	1,26,532
22	170	जेपी/एच19 05336	15.10.2019	14.12.2019	1,20,633
23	70	आईएलएच/14564/19	12.08.2019	11.10.2019	22,152
24	259	जीबी/एलआई/20/10305	01.03.2020	30.04.2020	4,79,233
25	155	जीबी/एलओ 05/19/07628	10.10.2019	10.12.2019	16,19,321
26	308	आईएल 64244/21	28.10.2021	27.12.2021	12,84,052
27	310	डीई511991 एलबी	21.10.2021	20.12.2021	7,14,722
28	312	जीबी/एलओ/02/21/04485	20.10.2021	19.12.2021	7,38,137
29	315	डीई 8381 आरवी	04.10.2021	03.11.2021	1,30,587
				कुल	**1,01,06,207**

अनुलग्नक 17: निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

(पैराग्राफ 4.2 एवं 4.4 देखें)

क्रम सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/ आरए	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
1	1	अयोग्य छूट का लाभ के कारण डीटीए बिक्री पर सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.12	13.12	17.13	एसईजेड, कोच्चि	डिब्बाबंद ट्यून फिश
2	15	सकल विदेशी मुद्रा मूल्य से सेवा कर/आईजीएसटी एवं विदेशी मुद्रा में व्यय की कटौती न किए जाने के कारण एसईआईएस स्क्रिप्स का गलत अनुदान	12.74	12.74	15.92	आरए, कोलकाता	होटल एवं रेस्तरां सेवाएं
3	34	अयोग्य सेवाओं के लिए एसईआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	10.25	10.25	10.92	एमईपीजेड-एसईजेड, तांबरम, चेन्नई	इंजीनियरिंग सेवाएं
4	37	गलत विनिमय दरों के प्रयोग के कारण अतिरिक्त एसईआईएस स्क्रिप्स का अनुदान	23.65	23.65	33.01	आरए, मुंबई	
5	47	भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अनियमित पुरस्कार	11.39	11.39	11.39	आरए, जयपुर	ट्रैवल एजेंसियां एवं टूर ऑपरेटर सेवाएं
6	57	टीईडी रिफंड का अतिरिक्त अनुदान	12.68	12.68	17.58	आरए, मुंबई	
7	62	गलत वर्गीकरण के कारण ड्रॉबैक का अनियमित भुगतान	26.49	26.49		एसीसी (निर्यात) नई दिल्ली	हेपरिन/ एनोक्सापारिन सोडियम इंजेक्शन
8	67	पीपी/एचडीपीई रस्सियों के गलत वर्गीकरण के कारण एमईआईएस स्क्रिप का अतिरिक्त अनुदान	34.02	32.19	4.33	आरए, मुंबई	पीपी/एचडीपीई रस्सियां
9	119	विलंबित कटौती का कम/गैर-उद्ग्रहण	13.85	13.85		आरए, मुंबई	रत्न पुनःपूर्ति
		कुल	**158.19**	**156.36**	**110.28**		

अनुलग्नक 18: नमूना चयन

(पैराग्राफ 4.2 देखें)

क्रम सं.	चयनित आयुक्तालयों की संख्या		पोर्ट की संख्या	मौजूदा ईओयू की संख्या	09.10.2018 से 31.03.2022 के दौरान आईजीएसटी रिफंड प्राप्त होने वाले ईओयू की संख्या	स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण को अपनाकर अंतिम रूप से चयनित ईओयू की संख्या	आयात आंकड़ों के अनुसार एए धारकों की संख्या (4 वर्ष)	09.10.2018 से 31.03.2022 के दौरान आईजीएसटी रिफंड प्राप्त करने वाले एए की संख्या	स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण को अपनाकर चयनित एए धारकों की संख्या
1	3	1. अहमदाबाद (आयुक्तालय), 2. मुंद्रा (आयुक्तालय) एवं 3. जोधपुर (आयुक्तालय)	16 पोर्ट	482	221	61	6,706	1,640	45
2	2	1. हैदराबाद (एसीसी-शमशाबाद, आईसीडी-सनथनगर, आईसीडी-थिम्मापुर) 2. भुवनेश्वर (आयुक्तालय.-नि. आईसीडी-झारसुगुड़ा)	4 पोर्ट	115	25	0	205	16	10
3	2	1. कोलकाता (पोर्ट) 2. कोलकाता (विमानपत्तन)	2 पोर्ट	32	12	12	224	99	25
4	3	1. आईसीडी-तुगलकाबाद 2. दिल्ली एयर कार्गो 3. एसीसी डीएबी, इंदौर	9 पोर्ट	9	0	0	1,193	926	48
5	3	1. चेन्नई (समुद्र) 2. चेन्नई (वायु) 3. कोचीन (समुद्र)	4 पोर्ट	361	91	80	692	452	63
6	2	1. जेएनसीएच, जोन- II 2.निर्यात आयुक्तालय एसीसी जोन III	2 पोर्ट	259	91	50	5,605	1,988	31
7	1	1. बेंगलूरू (एयर कार्गो)	1 पोर्ट	26	26	25	58	58	15

क्रम सं.	चयनित आयुक्तालयों की संख्या		पोर्ट की संख्या	मौजूदा ईओयू की संख्या	09.10.2018 से 31.03.2022 के दौरान आईजीएसटी रिफंड प्राप्त होने वाले ईओयू की संख्या	स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण को अपनाकर अंतिम रूप से चयनित ईओयू की संख्या	आयात आंकड़ों के अनुसार एए धारकों की संख्या (4 वर्ष)	09.10.2018 से 31.03.2022 के दौरान आईजीएसटी रिफंड प्राप्त करने वाले एए की संख्या	स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण को अपनाकर चयनित एए धारकों की संख्या
8	3	1. आयुक्तालय (पिछला) लखनऊ 2. आयुक्तालय नोएडा 3. आयुक्तालय (नि.) पटना	3 पोर्ट	55	10	10	4,866	4,285	45
9	2	1. आयुक्तालय - लुधियाना 2. आयुक्तालय - अमृतसर	9 पोर्ट	21	3	3	120	71	16
	21		**50 पोर्ट**	**1,360**	**479**	**241**	**19,669**	**9,535**	**298**
						50%			**3%**

अनुलग्नक 19: दिनांक 09.10.2018 से 31.3.2022 के दौरान ईओयू को अनियमित आईजीएसटी रिफंड का भुगतान

{पैरा 4.3.10 (i)}

(₹करोड में)

आयुक्तालय का नाम	ईओयू की संख्या	फाइल किए गए बीई की संख्या	समग्र एवी	बीई की संख्या जिसमें शुल्क का भुगतान शून्य था	बीई की संख्या जिसमें आयात पर आईजीएसटी का भुगतान किया गया	आईजीएसटी राशि का भुगतान	फाइल किए गए एसबी की संख्या	आईजीएसटी के भुगतान के साथ फाइल किए गए एसबी की संख्या	आईजीएसटी रिफंड	एसएसओआईडी /डेटा में सत्यापित एसबी की संख्या	अयोग्य एसबी की संख्या	अयोग्य आईजीएसटी रिफंड किए गए
अहमदाबाद	14	3,410	1,808.56	2540	870	36.43	2,009	2,009	46	465	396	10.41
मुंद्रा	4	392	253.42	392	0	0	82	82	3.48	82	71	1.79
जोधपुर	11	3,921	2,587.93	3,010	911	22.97	1,104	1104	31.82	453	453	19.29
कोलकाता समुद्र एवं वायु	5	2,927	94.66	2920	7	0.02	716	716	33.82	716	383	22.41
चेन्नई समुद्र	29	6,382	740.30	6,044	338	6.80	2729	2,729	127.15	1,383	1,290	82.88
चेन्नई वायु	13	921	230.39	774	147	5.94	447	447	16.58	315	139	6.97
कोच्चि	18	3,000	1,305.91	2362	638	22.48	12,032	12,032	168.34	1,107	1,107	44.10
जेएनसीएच, मुंबई	11	6,163	3,797.97	6024	139	48.57	7487	7487	457.72	667	486	69.66
एसीसी, मुंबई एसीसी, मुंबई	11	9,114	4,939.52	8919	195	20.42	3445	3445	260.74	518	339	16.64
एसीसी, बेंगलूरू	22	16,609	4,240.65	15,009	1,600	79.19	975	975	22.50	975	975	22.50
नोएडा	6	2,183	5,852.89	2179	4	0.0006	197	197	20.12	197	197	20.12
लखनऊ	1	30	10.53	30	0	0	1	1	0.11	1	1	0.11
लुधियाना	3	848	158.48	244	604	21.53	851	851	49.68	152	152	16.23
कुल	***148***	***55,900***	***26,021.21***	***50,447***	***5,453***	***264.35***	***32,075***	***32,075***	***1,238.06***	***7031***	***5,989***	***333.11***
										21%		

अनुलग्नक 20: दिनांक 09.10.2018 से 31.3.2022 के दौरान एए को अनियमित आईजीएसटी रिफंड का भुगतान {पैरा 4.3.10 (ii)}

(₹करोड में

क्र. सं.	आयुक्तालय	एए की संख्या	फाइल किए गए बीई की संख्या	समग्र एवी	बीई की संख्या जिसमें शुल्क का भुगतान शून्य था	बीई की संख्या जिसमें आयात पर आईजीएसटी का भुगतान किया गया	आईजीएसटी राशि का भुगतान	फाइल की गई एसबी की संख्या	आईजीएसटी के भुगतान के साथ फाइल की गई एसबी की संख्या	रिफंड के रूप में स्वीकृत आईजीएसटी	एसएसओआईडी/ डेटा में सत्यापित शिपिंग बिल की संख्या	अयोग्य शिपिंग बिलों की संख्या	अयोग्य आईजीएसटी रिफंड किए गए
1	अहमदाबाद	4	684	549.34	666	18	6.31	1,788	1,788	133.48	281	46	1.83
2	मुंद्रा	4	200	294.28	119	81	9.87	650	650	47.75	280	37	5.70
3	जोधपुर	10	268	194.77	101	167	4.33	260	260	6.46	201	201	4.23
4	हैदराबाद एयर एवं भुवनेश्वर(नि.)	10	413	163.04	412	1	0.00006	2,088	2,088	84.40	465	68	4.10
5	कोलकाता समुद्र एवं वायु	12	1,784	9,485.88	1743	41	19.94	295	295	90.25	295	295	90.25
6	आईसीडी, तुगलकाबाद	7	200	61.05	199	1	0.11	523	523	22.46	309	163	5.38
7	दिल्ली वायु	6	269	37.13	263	6	0.08	881	881	14.58	399	54	0.71
8	ग्वालियर (बीआर)	5	45	19.12	38	7	0.11	367	367	12.57	197	180	8.23
9	चेन्नई समुद्र	5	1,812	133.29	183	1629	20.33	146	146	18.11	146	44	5.48
10	चेन्नई वायु	7	172	27.41	80	92	2.09	827	827	54.11	487	77	5.40
11	कोचीन	15	766	511.60	741	25	1.15	920	920	15.40	314	314	12.40
12	जेएनसीएच, मुंबई	16	2,456	1,098.87	2447	9	0.37	2,061	2,061	303.45	539	331	118.91
13	एसीसी, मुंबई	10	4,124	2,775.44	2101	2023	104.91	844	844	100.89	436	284	67.50
14	एसीसी, बेंगलूरू	14	4,326	1,191.63	3231	1095	46.78	1381	1381	49.30	1381	1381	49.30
15	नोएडा	3	65	87.21	63	2	0.13	5	5	0.23	5	5	0.23
16	लखनऊ	7	161	120.00	159	2	0.19	81	81	10.30	81	81	10.30
17	पटना	1	4	3.04	3	1	0.00	1	1	0.55	1	1	0.55
18	लुधियाना	6	7282	3132.68	2549	4733	363.03	1228	1228	44.69	230	168	12.46
	कुल	***142***	***25,031***	***19,885.78***	***15,098***	***9,933***	***579.73***	***14,346***	***14,346***	***1,008.98***	***6,047***	***3,730***	***402.96***
											42%		

अनुलग्नक 21: आयातों का गलत वर्गीकरण

(पैराग्राफ 5.6 देखें)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
1	4	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	26.58			एनसीएच, मुंबई	खाद्य प्रसंस्करण उपकरण
2	6	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.61	9.61	11.81	सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि	नेटवर्किंग उपकरण
3	7	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क एवं ब्याज का कम उद्ग्रहण	11.60	11.60		सीमा शुल्क (विमानपत्तन) , कोलकाता	सर्जिकल माइक्रोस्कोप
4	13	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.85	4.89	4.89	कोलकाता (पोर्ट)	बांस की छड़ें
5	14	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.17	12.17	0.80	एसईजेड,कोच्चि	केबल असेंबली
6	17	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.75	23.75		आईसीडी, पटपड़गंज, नई दिल्ली	निकास गैस पुनर्परिसंचरण के भाग
7	18	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.58	11.58	13.90	एसीसी, शमशाबाद, हैदराबाद	धनात्मक मिश्रण जैसे पी130 कैथोड
8	19	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.56	10.56	11.62	आईसीडी, सनथनगर, हैदराबाद	एल्यूमिनियम पाइप
9	25	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	11.13	11.13		चेन्नई (वायु)	सर्जिकल/ ऑप्थैल्मिक/ स्पेक्युलर/ माइक्रोस्कोप के भाग
10	26	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.28	17.28	22.16	कोलकाता (पोर्ट)	सहायक उपकरण संग ऑक्सीजन प्लांट, ब्लास्ट भट्टी हेतु इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स

अनुलग्नक 21: आयातों का गलत वर्गीकरण

(पैराग्राफ 5.6 देखें)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
11	29	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	32.45	30.95	30.95	चेन्नई (समुद्र)	नए एवं नवनिर्मित विमान टायर
12	46	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	45.76	45.76		जेएनसीएच, एनएस-V, मुंबई	आइस्क्रीम बनाने की मशीन
13	54	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.07	25.07		जेएनसीएच, मुंबई	आउटबोर्ड इंजन
14	56	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.43	19.43	31.85	एनसीएच, मुंबई जोन-I	प्रशिक्षण हेतु मिसाइल
15	59	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.70	11.70		आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पीवीसी वार्म बैग एवं पीवीसी गर्म पानी के बैग
16	76	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	520.00	520.00	659.00	आईसीडी, तुगलकाबाद,	आईपी नेटवर्क टेलीफोन/ आईपी डेस्क फोन/एसआईपी फोन
17	80	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.34	11.34	13.02	एसीसी, आयात, नई दिल्ली	जाइरोस्कोपी होराइजन/ एटीट्यूड जाइरो/ एटीट्यूड जाइरो
18	82	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.42	28.42		एसीसी, एनसीएच (आयात), दिल्ली	विटामिन ए डी 3 (फ़ीड ग्रेड)
19	88	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	78.50	78.50		एसीसी, बेंगलूरू	डेटा ट्रांसमिशन गेटवे उपकरण
20	89	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	40.54	40.54		एसीसी, बेंगलूरू	वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) उपकरण

अनुलग्नक 21: आयातों का गलत वर्गीकरण

(पैराग्राफ 5.6 देखें)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
				(₹ लाख में)			
21	90	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.05			एसीसी, बेंगलूरू	एक्वारेसिन डिल/मीठा अचार मसाला
22	91	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.32	52.83		एसीसी, बेंगलूरू	एमसीसीबी विद्युत उपयोग के लिए सिल्वर टिप्स/ सिल्वर स्ट्रिप्स
23	94	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	32.63	32.63		एसीसी, दिल्ली	डेस्कटॉप कॉल स्टेशन और हैंडसेट
24	95	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	22.94	22.94		आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	कंडेनसर के लिए हीलियम रिसाव परीक्षण मशीन
25	96	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.46	14.46	9.09	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	पीसीबीए (राउटर के भाग/ ईपीओएन नेटवर्किंग यूनिट के लिए पीसीबीए/ नेटवर्किंग उत्पाद)
26	97	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.20	17.20		कोलकाता (पोर्ट)	ओलिक एसिड मिथाइल एस्टर
27	100	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.12	10.12	11.92	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पॉलिस्टर/नायलॉन से बना रिबन टेप/बुना टेप
28	101	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.57	23.57	26.17	आईसीडी बल्लभगढ़	पीयू बेल्ट
29	102	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.98	8.98	10.43	एसीसी, शमशाबाद, हैदराबाद	मोबाइल/थर्मल प्रिंटर
30	104	माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.81	20.65	20.65	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	पीयू बेल्ट

अनुलग्नक 21: आयातों का गलत वर्गीकरण

(पैराग्राफ 5.6 देखें)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपतित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
31	107	शुल्क छूट का गलत लाभ एवं गलत वर्गीकरण	24.06	24.06		चेन्नई (समुद्र)	ट्यूब ब्रेक पाइप असेंबली
32	114	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.08	18.08		चेन्नई (समुद्र)	मक्खन का स्वाद
33	116	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	29.01	28.58		चेन्नई (समुद्र)	मफलर के भाग अर्थात ब्रैकेट मफलर हैंगर / बार मफलर हैंगर / असेंबली आउटलेट पाइप
		कुल	**1,219.55**	**1,213.43**	**891.89**		

अनुलग्नक 22: आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

(पैराग्राफ 5.7 देखें)

क्रम सं..	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	2	आईजीएसटी की गलत छूट	44.56	44.56	7.51	कोचीन(समुद्र)	वैट खजूर
2	10	इंजनों पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ	11.49	11.49	11.49	सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता	इंजन एआर-सीओ', 'कैट इंजन एआर बीए' एवं 'इंजन असेंबली
3	16	एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण हुआ	97.86	32.44	32.44	कस्टम हाउस (एमपी एवं एसईजेड), मुंद्रा	रोबोटिक टेक आउट डिवाइस, एवं कैम्साफ्ट हाउसिंग असेंबली मशीन
4	21	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.15	18.15		कृष्णापटनम, नेल्लोर-सीमा शुल्क (आयात एवं निर्यात),	हाई-एंड स्क्रीन, विज़ुअल डिस्प्ले संकेतक पैनल एवं पार्ट
5	23	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	35.46	35.46	42.14	एनसीएच, मुंबई,ज़ोन-1	कोएक्सल केबल
6	28	पावर एनर्जी ड्रिंक पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ	13.26	13.26		दावकी लैंड कस्टम्स स्टेशन, शिलांग	पावर एनर्जी ड्रिंक
7	41	आईजीएसटी दर के गलत प्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	25.61	9.76	9.76	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	रजाईदार बिस्तर कवर, चादर एवं तकिया, कुशन, बेडस्प्रेड
8	44	रसायनों के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ	11.55	11.55	14.09	अहमदाबाद, आयुक्तालय	"हेक्सामेथाइल डिसिलाज़ान (एचडीएमएस)/डी आई-आइसोनॉयल फिथलेट
9	52	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ	57.65	57.65	63.63	एसीसी-आयात दिल्ली	आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए विभिन्न

अनुलग्नक 22: आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

(पैराग्राफ 5.7 देखें)

क्रम सं..	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
							प्रकार के ईंधन पंप
10	58	आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।	10.54	10.54	11.89	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	कोटिंग मशीन', स्वचालित एसएमटी प्रिंटर', 'इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
11	60	ग्लास बेड शीट के गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	23.76	23.76	5.90	एनसीएच, मुंबई जोन ।	ग्लास बेड शीट/ ह्वीस्टोन शीट
12	72	पुनः आयात पर एकीकृत कर (आईजीएसटी) का उद्ग्रहण नही हुआ	30.26	30.26	36.88	एसीसी,अहमदाबाद	अस्वीकृत माल का पुनः आयात: जैविक चुकंदर जड़ का अर्क
13	77	आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।	30.64	30.64	27.49	एसीसी एनसीएच (आयात)	विभिन्न मशीनें/पार्ट्स
14	81	आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।	10.79	10.79	4.40	एसीसी, आयात, नई दिल्ली	प्रोजेक्टर एवं मॉनिटर/एलईडी/ टीवी
15	87	आईजीएसटी दर के गलत प्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	25.24	25.24	0.09	एसीसी, आयात	विद्युत प्रज्वलन या स्पार्क-इग्निशन या संपीड़न-इग्निशन आंतरिक दहन इंजन
16	103	पुनः आयातित वस्तुओं पर एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	36.49	36.49	40.28	एसीसी, अहमदाबाद	फार्मा ड्रग्स और मेडिकल फोलिसर्ज
17	109	आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	33.43	33.43	20.87	एसीसी एनसीएच (आयात), नई दिल्ली	विभिन्न प्रकार के ईंधन पंप
		कुल	**516.74**	**451.32**	**386.91**		

अनुलग्नक 23: छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

(पैराग्राफ 5.7 देखें)

क्रम सं..	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
1	3	अधिसूचना लाभ को गलत तरीके से अपनाने के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण हुआ	22.94	22.94	25.10	कस्टम हाउस, चेन्नई	प्राइम हॉट रोल्ड स्टील कॉइल स्टील ग्रेड
2	5	अधिसूचना लाभ का गलत लाभ उठाने के कारण बीसीडी का शुल्क उद्ग्रहण नही हुआ	10.91	10.91	13.47	सीमा शुल्क आयुक्तालय, तूतीकोरिन	प्रयुक्त' शटल रहित प्रक्षेप्य बुनाई करघा
3	27	गलत छूट के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	18.53	18.53	24.35	चेन्नई (वायु)	वाइब्रेटर मोटर- (मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स)
4	31	अधिसूचना की अनुचित छूट के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	11.08	11.08	11.08	एनसीएच, मुंबई जोन-I	पिगमेंटो ग्रीन/रेड कॉइल
5	32	आयात पर आधारभूत सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	32.82	32.92		आईसीडी, पुलीचापल्लम	ब्लूटूथ वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर / मिनी ब्लूटूथ स्पीकर'
6	33	छूट अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	13.65	6.67	6.67	चेन्नई (समुद्र)	मोबाइल यूनिट के निर्माण के लिए असेंबली लाइन
7	40	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	16.12	16.12	18.35	चेन्नई (वायु)	कनेक्टर्स/सिम सॉकेट/सिम ब्लॉक
8	42	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	10.30	10.30		एसीसी (आयात) नई दिल्ली	नेटवर्किंग उपकरणों के ईथरनेट स्विच
9	43	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	10.79	5.26	5.26	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली	एडाप्टर एवं चार्जर
10	48	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	11.17			एसीसी (आयात) नई दिल्ली	सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के पार्ट्स

अनुलग्नक 23: छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

(पैराग्राफ 5.7 देखें)

क्रम सं..	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय	वस्तुएँ
			(₹ लाख में)				
11	50	गलत अधिसूचना लाभ के कारण बीसीडी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	12.01			आईसीडी पटपड़गंज (आयात)	एक्ट्यूएटर/कार विंडो लिफ्टिंग मोटर्स/फ्यूल पंप मोटर/अन्य मोटर्स
12	51	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान के कारण बीसीडी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	14.02	14.02	12.78	एसीसी (आयात), नई दिल्ली	इलेक्ट्रिक वाहन/स्कूटर/मोटरसाइकिल आदि के लिए नियंत्रक
13	61	गलत अधिसूचना लाभ के कारण बीसीडी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	31.20	31.20	6.48	चेन्नई (समुद्र)	ई-बाइक, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक वाहन के नियंत्रक, बोर्ड, ईसीयू
14	70	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	120.00	114.00	4.72	मुंद्रा	नाइट्रोबार-कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन के साथ
15	83	गलत अधिसूचना लाभ के कारण बीसीडी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	21.43	21.43	5.58	एसीसी, एनसीएच (आयात), नई दिल्ली	ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस
16	84	गलत अधिसूचना लाभ के कारण बीसीडी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	51.38	51.38		एसीसी, एनसीएच (आयात), नई दिल्ली	ऑप्टिकल इंटरफ़ेस मॉड्यूल (H2, समर्थन एमपीएलएस)
17	108	गलत अधिसूचना लाभ प्रदान करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	34.21	26.59	26.59	एसीसी-आयात), नई दिल्ली, आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	एडाप्टर एवं चार्जर/पावर एडॉप्टर/कार पोर्ट चार्जर
18	117	अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण हुआ	11.66	14.18	16.40	चेन्नई (समुद्र)	उत्प्रेरक कनवर्टर
19	122	अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति	20.14	20.14		चेन्नई (समुद्र)	'क्लच एवं ब्रेक के पार्ट्स
		कुल	**474.36**	**444.33**	**211.13**		

अनुलग्नक 24: अन्य अनियमितताएं

(पैराग्राफ देखें 5.8)

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्तित गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तुएँ
1	79	एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ	13.97	13.97		जेएनसीएच, मुंबई	शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए)
2	85	एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ	12.10	12.10	3.55	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	सिरेमिक/चीनी मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के टेबलवेयर एवं किचनवेयर आइटम
3	92	एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ	11.16	11.16	9.13	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	टैफ्लॉन टैपल/पीटीएफई थ्रेड सील टेप
		कुल	**37.23**	**37.14**	**12.68**		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in